अंक : 118 वर्ष : 30 जुलाई-सितंबर, 2007

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी दिवस समारोह-2007 में विभाग की त्रैमासिक पत्रिका ''राजभाषा भारती-प्रौद्योगिकी विशेषांक'' का विमोचन करते हुए माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज वि. पाटील जी, गृह राज्य मंत्री श्री श्रीप्रकाश जायसवाल तथा श्री माणिकराव एच. गावीत जी । साथ में हैं श्री मधुकर गुप्ता गृह सचिव, श्री रंजीत ईस्सर, सचिव तथा श्रीमती पी.वी. वल्सला जी कुट्टी, संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी दिवस समारोह-2007 को माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज वि. पाटील जी, संबोधित करते हुए ।

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे
–निराला

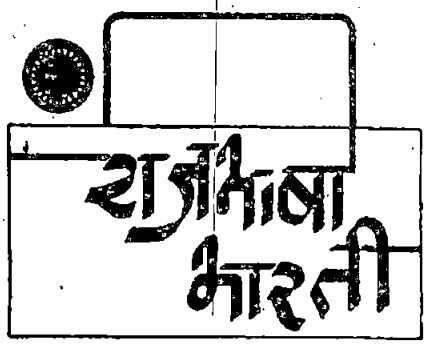

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 30

अंक : 118

जुलाई–सितंबर, 2007

❑ संपादक
बिजय चंद्र मंडल
निदेशक (अनुसंधान)
दूरभाष : 24619521

❑ सहायक संपादक
शांति कुमार स्याल
दूरभाष : 24698054

❑ निःशुल्क वितरण के लिए

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं । सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है ।

❑ पत्र-व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (द्वितीय तल),
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

ईमेल–ru-ol@mha.nic.in
patrika—ol@mha.nic.in
पोर्टल–www.rajbhasha.gov. .in.

विषय-सूची

			पृष्ठ
❑	संपादकीय		(iii)
❑	चिंतन		
	1. देवनागरी लिपि : विकास, वैज्ञानिकता और मानवीकरण	–डॉ. परमानंद पांचाल	1
	2. भाषा शिक्षण	–श्रीमती कुसुम वीर	6
	3. विधि के क्षेत्र में हिंदी	–डॉ. बसन्ती लाल बाबेल	8
	4. देश समृद्धि में हिंदी मनोरंजन का योगदान	–किशोर तारे	11
❑	साहित्यिकी		
	5. आध्यात्मिक तथा रहस्यवादी चेतना - महादेवी के काव्य में	–डॉ. प्रमोद कोव्वप्रत	13
	6. प्रेमचंद : गोदान में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद	–राकेश कुमार	15
❑	पुरानी यादें-नए परिप्रेक्ष्य में		
	7. प्रेम से भरे थे भगत सिंह	–राजशेखर व्यास	19
❑	विश्व हिंदी दर्शन		
	8. भारत और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी	–गिरीश चंद्र पाण्डे	22
	9. विश्व मंच पर हिंदी	–दि. कु. शर्मा	25
❑	पत्रकारिता		
	10. जन संचार माध्यम - महिला उन्नयन	–डॉ. संतोश अग्रवाल	27
	11. ग्लैमरस हो रहे हैं हिंदी समाचार - पत्र	–मधु बाला	33
❑	कृषि		
	12. कृषि अनुसंधानों में किसानों की सहभागिता	–डॉ. शुभंकर बनर्जी	35
❑	पर्यावरण		
	13. पर्यावरण प्रदूषण और संरक्षण	–सुधाकर किशनराव गायकवाड	39

4437 HA/08—1A

विषय-सूची		पृष्ठ
❑ **विविध**		
14. पेज थ्री और चैप्टर थ्री	– विश्वमोहन तिवारी	42
15. भारत में बरसात लाने वाला पवन – मानसून	–राधाकांत भारती	46
❑ **राजभाषा संबंधी गतिविधियां :**		
(क) हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकें		48
(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें		49
(ग) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें		57
(घ) कार्यशालाएं		64
(ङ) हिंदी दिवस		71
❑ **हिंदी के बढ़ते चरण**		78
❑ **संगोष्ठी/सम्मेलन**		79
❑ **पुरस्कार/प्रतियोगिताएं**		83
❑ **प्रशिक्षण**		85
❑ **आदेश – अनुदेश**		88
❑ **पाठकों के पत्र**		94

4437 HA/08—1B

संपादकीय

हिंदी भाषा आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुँच गई है। 13-15 जुलाई, 2007 को त्रिदिवसीय 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयार्क में आयोजित किया गया। न्यूयार्क अमेरिका की वित्तीय राजधानी है। यहां राष्ट्रसंघ का मुख्यालय भी है। पिछले सात हिंदी सम्मेलनों में से पांच का आयोजन विदेशों में किया गया। सभी सम्मेलनों में हिंदी को राष्ट्र संघ की भाषा बनाने की मांग की गई। विदेशों में कई विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग कार्यरत हैं और प्रतिवर्ष अनेक शोध छात्र निकलते हैं। हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि के प्रति विदेशी विद्वानों की काफी श्रद्धा रही है। वैश्वीकरण की हवा में हिंदी अमरीकियों के दिलों दिमाग पर छाने लगी है। अमरीकी प्रशासन ने हाई स्कूल स्तर के पाठ्यक्रमों में हिंदी को सम्मिलित करने के लिए अनुमति प्रदान की है। इसके लिए अनुदान भी स्वीकृत किया है। आगामी शिक्षण सत्र अर्थात् सिंतबर, 2008 से अमरीकी स्कूलों में हिंदी को स्वैच्छिक भाषा के रूप में शामिल कर इसकी पढ़ाई भी आरंभ कर दी जाएगी। साथ ही बुश प्रशासन ने हिंदी को सम्मान देते हुए सात राज्यों ओहायो, कनेक्टीकट, नेब्रास्का, पश्चिमी वर्जिनिया, मिशिगन, न्यू जर्सी, इण्डियाना और पेनसिल्वेनिया में अधिकारिक रूप से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया है। यह निश्चित ही हिंदी के बढ़ते महत्व तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रतीक है।

''राजभाषा भारती'' परिवार सदैव प्रयत्नशील रहा है कि राजभाषा भारती अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करे। यद्यपि, हमारा प्रयास रहा है कि सर्वोत्तम रचनाओं को ही पत्रिका में स्थान दिया जाए लेकिन साथ ही यह भी ध्यान दिया जाता है कि नए रचनाधर्मियों की नवांकुरित रचनाओं को भी जगह मिले।

प्रस्तुत अंक में ''चिंतन'' स्तंभ के अंतर्गत डॉ. परमानंद पांचाल द्वारा ''देवनागरी लिपि, विकास, वैज्ञानिकता और मानवीकरण'' पर बल दिया गया है। भाषा को चाहे किसी भी रूप में परिभाषित किया जाए, वही भाषा ज्यादा सर्वप्रिय और लोकप्रिय होती है जो बोध गम्य हो, सुगम हो, सहज हो और सुग्राह्य हो। श्रीमती कुसुम वीर द्वारा इन्हीं बिन्दुओं पर ''भाषा शिक्षण'' के माध्यम से विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। डॉ. बसन्ती लाल बाबेल ने ''विधि के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग'' को बढ़ावा देने पर जोर दिया है।

बीबीसी लंदन, वायस आफ अमेरिका के हिंदी रेडियो कार्यक्रम 24 घंटे प्रसारित होते रहते हैं। डेनमार्क का डॉयचे वेले रेडियो भी हिंदी प्रसारण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

हिंदी फिल्में और हिंदी गीत तो विश्वभर के लोगों के लिए मनोरंजन का साधन रहे हैं । फिल्मों के कारण हिंदी का प्रचार-प्रसार बहुत होता है । मनोरंजन में हिंदी की गंगा बह रही है । श्री किशोर तारे ने ''देश की समृद्धि में हिंदी मनोरंजन का योगदान'' महत्वपूर्ण बताया है । श्री श्रवण कुमार गोस्वामी ने ''हिंदी भाषा के बढ़ते चरण, वास्तविकता और चुनौतियों'' पर विजय प्राप्त करने की आशा व्यक्त की है ।

''साहित्यिकी'' स्तंभ के अंतर्गत महादेवी वर्मा (1907-1987) की जन्म शताब्दि पर विशेष लेख ''महादेवी के काव्य में आध्यात्मिक तथा रहस्यवादी चेतना'' डॉ. प्रमोद कोव्वप्रत द्वारा प्रस्तुत किया गया है। साथ ही श्री राकेश कुमार ने ''प्रेमचंद : गोदान में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद'' पर प्रकाश डाला है । शहीदेआजम भगतसिंह की जन्म शताब्दी वर्ष (27 सितंबर, 1907-27 सितंबर, 2007) के समारंभ विशेष पर ''प्रेम से भरे थे भगत सिंह'' लेख श्री राजशेखर व्यास द्वारा ''पुरानी यादें-नए परिप्रेक्ष्य में'' के स्तंभ के अंतर्गत पेश किया गया है ।

''विश्व हिंदी दर्शन'', ''पत्रकारिता'', ''कृषि'', ''पर्यावरण'' और ''विविध'' आदि स्तंभ के अंतर्गत लेखों के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया गया है ।

प्रस्तुत अंक में दो नए स्तंभ ''हिंदी के बढ़ते चरण'' तथा ''चित्र समाचार'' शुरू किए जा रहे हैं। आशा है हमेशा की तरह इन्हें भी पाठक स्वीकार करेंगे।

उर्दू की मशहूर साहित्यकार व पत्रकार कुर्रतुलऐन हैदर का 21 अगस्त, 2007 को निधन हो गया। 1927 में इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ था। पिछले 60 सालों से उन्होंने उर्दू अदब को बहुत कुछ दिया। पूरी दुनिया की बड़ी जुबानों में कुर्रतुलऐन के साहित्य को छापा गया । भारतीय साहित्य को पूरे विश्व में सम्मान दिलाने वालों में एक नाम कुर्रतुल हैदर का भी है । इनका निधन उर्दू साहित्य की ही नहीं समस्त भारतीय साहित्य की अपूरणीय क्षति है । राजभाषा भारती परिवार इनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है ।

इस अंक में सितंबर माह के दौरान आयोजित हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा आदि से संबंधित रिपोर्टों को जो समयावधि में प्राप्त हो गई थी उन्हें अधिकाधिक स्थान देने का प्रयास किया गया है । शेष सामग्री को अगले अंक में स्थान देने का प्रयास किया जाएगा ।

इसके अतिरिक्त, राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के प्रति राजभाषा भारती की प्रतिबद्धता के अनुरूप राजभाषा संबंधी गतिविधियां तथा अन्य नियमित स्तंभ भी सदैव की भांति इस अंक में दिए जा रहे हैं ।

आशा है इस अंक को भी पाठकगण रुचिकर और उपयोगी पाएंगे । प्रबुद्ध पाठकों का सहयोग व उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी ।

–संपादक

चिंतन

देवनागरी लिपि: विकास, वैज्ञानिकता और मानकीकरण

–डॉ० परमानंद पांचाल*

भाषा विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम होती है। उसे लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ भाषा संकेतों का सहारा लिया जाता है, जो लिपि चिह्न कहलाते हैं। लिपि भाषा का मूर्त रूप होती है या यों कहें कि भाषा को अंकित करने की व्यवस्थित विधि लिपि कहलाती है। लिपि एक प्रकार से दृश्य भाषा ही है। भाषा उच्चरित एवं मौखिक है और लिपि अंकित एवं दृश्य है । लिपि भाषा की अनिवार्य शर्त तो नहीं है किंतु लिपि के बिना भाषा का विकास भी अवरुद्ध रहता है । अतीत काल से ही लिपि के माध्यम से भाषा में निबद्ध विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तथा एक पीढ़ी से आगामी पीढ़ियों तक एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता रहा है । इसलिए भाषा के संदर्भ में लिपि की आवश्यकता निर्विवाद है । लिपि के इस महत्व को दृष्टि में रखते हुए ही भारत के संविधान निर्माताओं ने जब स्वतंत्र भारत की राजभाषा पर विचार किया तो वे उसकी लिपि पर भी विचार करना नहीं भूले और संविधान के अनुच्छेद 343(1) में जहां हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया है वहीं देवनागरी को उसकी आधिकारिक लिपि के रूप में मान्यता दी गई है।

देवनागरी लिपि है क्या? इस पर विचार करने से पूर्व हमें भारत की प्राचीन लिपियों के संदर्भ में इसकी ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि को देखना होगा । भारत एक बहुभाषी देश है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार यहां 325 भाषाओं और कई सौ बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। भाषाओं की भांति ही यहां अनेक लिपियां भी प्रचलित हैं । एक अनुमान के अनुसार यहां 26 लिपियों का प्रयोग होता है। भारत में लिपियों का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। दूसरी सदी ई. पू. के बौद्ध धर्म ग्रंथ ललित विस्तर में 64 लिपियों का उल्लेख है। भारत की प्राचीन लिपियों में सैन्धव (सिंधु घाटी की लिपि) खरोष्टी तथा ब्राह्मी लिपि प्रमुख हैं। ब्राह्मी भारत में 500 ई. पूर्व से [illegible] ई. पूर्व तक प्रचलित रही। अशोक शिलालेखों पर आज भ[illegible] नमूने देखे जा सकते हैं। आगे चलकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत में इसके अलग-अलग रूप प्रचलित हुए। उत्तर शैली से गुप्त लिपि और फिर कुटिल या सिद्धमातृका लिपि का विकास हुआ। यह लिपि छटी शती से 9वीं शती तक उतर भारत में प्रचलित रही । इसी से लगभग 9वीं शती में नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ। प्राचीन नागरी से ही वर्तमान नागरी या देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मी की दक्षिण शैली से पल्लव लिपि का विकास हुआ फिर ग्रंथ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आदि का विकास हुआ है। दक्षिण में संस्कृत लिखने के लिए ग्रंथ लिपि का प्रयोग होता था। स्पष्ट है कि ब्राह्मी मूल की होने के कारण भारतीय लिपियां परस्पर एक दूसरी से संबद्ध हैं। भारत ही नहीं श्रीलंका में यह लिपि 'सिंहली' नाम से विकसित हुई और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, म्यांमार-जावा, सुमात्रा, बोर्नियो कम्बोडिया, मंगोलिया, थाईलैंड, नेपाल और तिब्बत तक पहुंची। इस प्रकार इन देशों की लिपियां भी देवनागरी के बहुत समीप हैं।

नागरी लिपि प्रचलन के संकेत 8वीं शती से प्राप्त होने लगते हैं। कोल्हापुर क्षेत्र में राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग का दान पत्र 754 ई. का है। यह नागरी लिपि में है। दक्षिण में इसे 'नदिनागरी' कहते थे। चोल राजाओं के सिक्कों पर भी देवनागरी के प्रमाण पाए जाते हैं। चालुक्य राजाओं के शिलालेखों और श्रवण वेलगोला के 10वीं से 12वीं शती के लेख कन्नड़ और देवना[illegible]री में मिलते हैं।

*232 ए, पाकेट-1, फेज-1, मयूर विहार, दिल्ली-110091

मध्यकाल में मुस्लिम शासकों ने यद्यपि फारसी लिपि को बढ़ावा दिया तथापि देवनागरी लिपि की भी वे उपेक्षा नहीं कर सके। महमूद गजनवी ने 1023 ई. में अपने सिक्कों पर 'अव्यक्तमेक पुरुष अवतार मुहम्मद'' देवनागरी लिपि में अंकित कराया। इसी प्रकार 12वीं शती में मुहम्मद विन साम और शम्सद्दीन इल्तुतमस (1210-1238) कैकुवाद, गयासुद्दीन बलबन के सिक्कों पर भी देवनागरी के लेख मिलते हैं। अकबर के एक सिक्के पर ''राम सिय'' का प्रयोग देवनागरी में पाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देवनागरी का प्रयोग उत्तर और दक्षिण में लगभग पिछले 800 वर्षों से हो रहा है । और यह लिपि अपने सार्वदेशिक और धर्म निरपेक्ष स्वरूप में सैंकड़ों वर्षों से लोकप्रिय रही है। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे देश की राजभाषा हिंदी की आधिकारिक लिपि के रूप में स्वीकार किया।

आधुनिक काल में राजाराम मोहनराय, बंकिमचन्द्र चटर्जी, जस्टिस शारदा चरण मित्र ने नागरी लिपि के महत्व को समझते हुए देशभर में इसके प्रयोग को बढ़ाने की आवाज उठाई। शारदा चरण मित्र ने इसे ''राष्ट्र लिपि'' बताया और अगस्त, 1905 में ''एक लिपि विस्तार परिषद्'' की स्थापना की। उन्होंने देवनागर नाम से एक पत्रिका भी निकाली। बुरहानपुर की आदिल शाही मस्जिद में नागरी लिपि के दर्शन होते हैं। मस्जिद में अंकित लेख की प्रारंभिक पंक्ति हैं :-

''श्री सृष्टि कत्रे नमः''

यही नहीं श्रीलंका में 1253 से 1296 ई. के मध्य मुद्राओं पर वहां के शासक पराक्रम बाहु का नाम नागरी में लिखा है। लोकमान्य तिलक और गांधीजी ने देश की एकता के लिए एक लिपि की आवश्यकता पर बल दिया। गुजरात में जन्में ऋषि दयानंद सरस्वती, दक्षिण के कृष्ण स्वामी अय्यर तथा अन्नत शयनम आयंगर और पंडित गौरीदत्त के साथ-साथ मुहम्मद करीम छागला ने भी नागरी लिपि के महत्व पर बल दिया।

10 अगस्त 1961 को प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल की अध्यक्षता में हुए मुख्यमंत्री सम्मेलन में कहा गया था कि ''समस्त भारतीय भाषाओं के लिए एक सामान्य लिपि का होना वांछनीय ही नहीं आवश्यक भी है , क्योंकि ऐसी लिपि भारतीय भाषाओं के बीच एक सेतु का काम करेगी और इससे देश की भावात्मक को बढ़ावा मिलेगा'' ।

आचार्य विनोबा भावे ने नागरी लिपि के महत्व को स्वीकारते हुए लिखा था ''हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत ज्यादा काम देवनागरी देगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत की सभी भाषाएं देवनागरी में भी लिखी जाएं। विनोबा जी ने भारत की उन बोलियों को भी देवनागरी लिपि अपनाने का अनुरोध किया था जिनकी अपनी कोई लिपि नहीं है, क्योंकि रोमन या कोई विदेशी लिपि इतनी ध्वन्यात्मक या वैज्ञानिक लिपि नहीं है, जो भारतीय बोलियों की ध्वनियों को सही रूप में व्यक्त कर सकें।

देवनागरी का नामकरण :

देवनागरी और नागरी के नाम के संबंध मतैक्य नहीं हैं विभिन्न मत निम्न प्रकार हैं-

1. नगरों में प्रचलित होने से इसका नाम ''नागरी'' पड़ा।
2. गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त होने से इसे नागरी लिपि कहा गया।
3. देवनागर अर्थात् काशी में प्रचार के कारण देवनागरी कहलाई।
4. आर. शाम शास्त्री के अनुसार देवनागर से उत्पन्न होने के कारण देवनागरी कहलाई।

आचार्य विनोबा भावे इसे केवल ''नागरी'' कहना पसन्द करते थे।

देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता :

वैसे तो संसार की कोई भी लिपि पूर्ण वैज्ञानिक होने का दावा नहीं कर सकती फिर भी देवनागरी लिपि में अपेक्षाकृत वे गुण हैं जो संसार की अन्य किसी लिपि में दुर्लभ हैं। यहां हम एक सुविकसित एवं सर्वश्रेष्ठ लिपि के रूप में देवनागरी की उन विशेषताओं पर विचार करेंगे, जिनके आधार पर हम इसे एक सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं ध्वन्यात्मक लिपि कहते हैं। वस्तुतः लिपि के विकास की चार अवस्थाएं होती हैं-चित्रात्मक, भावात्मक, वर्णात्मक और अक्षरात्मक। नागरी लिपि विकास की अंतिम अवस्था अर्थात् अक्षरात्मक लिपि की स्थिति में है। इसमें प्रयुक्त प्रत्येक वर्ण एक अक्षर को घोषित करता है । प्रत्येक वर्ण जिसे लेखन की इकाई होने के नाते ''लेखीम'' भी कहा जाता है, का एक निश्चित स्वनिक नियम होता है। इसलिए किसी भी शब्द या अक्षर का सही उच्चारण जान लेने पर

4437 HA./08—2B

देवनागरी लेखन के नियमों से परिचित कोई भी व्यक्ति उसे शुद्ध/सही रूप में लिख सकता है। सरल शब्दों में कहें तो ''देवनागरी लिपि में वही लिखा जाता है जो बोला जाता है और जो बोला जाता है वही लिखा जाता है।'' नागरी लिपि एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिह्न हैं। यह विशेषता विश्व की अन्य लिपियों, जैसे रोमन तथा फारसी आदि में नहीं है।

रोमन में ''क'' ध्वनि के लिए कई वर्ण प्रयुक्त होते हैं–जैसे cat में c, kite में k, Queen में Q, Christ में Ch और Cuckoo में ck आदि अर्थात् एक ही ध्वनि को पांच तरह लिखा जा सकता है। इसी प्रकार ''C'' का उच्चारण जहां ''क'' के रूप में है, वहीं ''स'' के रूप में भी मिलता है जैसे–Cinema, Ceremony और Centuary आदि । अत: रोमन में एक वर्ण को एक निश्चित स्वनिक मूल्य नहीं दिया जा सकता, जबकि देवनागरी लिपि की विशेषता यही है कि यदि ''क'' लिखा गया है, तो उसे ''क'' ही पढ़ा जाएगा। देवनागरी में लिखे शब्द का बिना उस शब्द के पूर्व ज्ञान के भी उच्चारण किया जा सकता है किंतु रोमन में लिखे शब्द का यह आवश्यक नहीं कि आप उसका बिना पूर्ण ज्ञान के सही उच्चारण कर सकें जैसे–cut में U की ध्वनि उच्चरित ही नहीं होती, किंतु put में यह ''उ'' की ध्वनि के रूप में उच्चरित होती है। कुछ ध्वनि चिह्नों का उच्चारण ही नहीं होता जैसे–daughter, catch, Half and Budget में देखा जा सकता है।

इस प्रकार नागरी लिपि में एक लिपि चिह्न के लिए एक ही ध्वनि है।

उर्दू की लिपि फारसी पर आधारित है। यहां जब ध्वनि के लिए चार वर्ण है ज़े (ز) ज़ुवाद (ض) ज़ोए (ظ) और ज़ाल (ذ) । किस शब्द में ''ज़'' ध्वनि के लिए इन चारों में से कौन सा वर्ण प्रयुक्त होगा यह तय कर पाना तब तक संभव नहीं होगा तब तक कि प्रयोक्ता उस शब्द के परम्परागत रूप से परिचित न हो। फ्रेंच में भी 'रेस्तोरें' पढ़ा जाता है किंतु लिखा 'रेस्टोरेन्ट' जाता है। ध्वनि एवं लिपि में सामंजस्य होना किसी भी भाषा एवं लिपि के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं अनिवार्य भी है। यह विशेषता जिस सीमा तक देवनागरी लिपि में है अन्य किसी लिपि में शायद ही हो।

लिपि चिह्नों की आवश्यक संख्या भी नागरी में है। इसमें जितने वर्ण हैं उतने लिपि चिह्न मौजूद हैं आवश्यकतानुसार नए चिह्न भी शामिल कर लिए जाते रहे हैं, जो इसकी विकासशील प्रवृत्ति का गुण है। रोमन में आज तक वहीं 26 वर्ण हैं, जबकि, देवनागरी में इसके दुगने चिह्न हैं। चीनी जैसी चित्रात्मक भाषा के लिए 50000 चित्रों को ध्यान में रखना पड़ता है।

मात्रा व्यवस्था–मात्राओं की दृष्टि से नागरी लिपि की वर्ण माला बड़ी वैज्ञानिक है। इसमें ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं का भेद सुस्पष्ट है। रोमन लिपि में लिखे शब्द KAMAL को कमल, कमला, कमाल, कामल, कामाल, कामला आदि भी पढ़ा जा सकता है। नागरी में ऐसा नहीं होता।

नागरी लिपि में ध्वनियों का उच्चारणोपयोगी स्थानों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इसका प्रत्येक वर्ण चाहे वह स्वर हो या व्यंजन उसका निर्माण एक विशिष्ट स्थान तथा स्थिति में होता है। स्वरों के अलावा, कंठ, तालु, मूर्द्धा, दंत एवं ओष्ठ से निकलने वाली ध्वनियों के आधार पर वर्णमाला को वर्गीकृत कर इसे पूर्ण वैज्ञानिकता प्रदान की गई है।

अपने ध्वन्यात्मक गुणों के आधार पर कुछ नए परिवर्तनों, परिवर्धनों के आधार पर नागरी लिपि एक विश्व लिपि बनने की क्षमता रखती है। इसीलिए विनोबा जी ने ''विश्वनागरी'' के रूप में इसकी कल्पना की थी। एशियाई देशों की भाषाओं के लिए तो यह बहुत ही सुकर है। लिप्यंतरण और प्रतिलेखन की दृष्टि से सबसे उपयुक्त लिपि देव नागरी ही है। इसमें निहित अपार संभावनाओं का उपयोग कर हम भूमंडलीकृत विश्व की सैकड़ों भाषाओं के साथ न्याय ही करेंगे। वही इनके मूल उच्चारणों का रोमन लिपि की बैसाखियों के बिना हमारी भाषाओं में सीधे प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। फिर ये ही शब्द अपने मूल उच्चारण के साथ देवनागरी से अन्य लिपियों में जा सकेंगे । माध्यम और उनकी कुंजी इस प्रकार देवनागरी लिपि विश्व भाषाओं की बन सकेगी।

देशी-विदेशी भाषाओं के शिक्षण की दृष्टि से ही इस लिपि के सामर्थ का उपयोग किया जाए क्योंकि रोमन जब लिप्यन्तर की दृष्टि से ही उपयुक्त नहीं है, तब उसके जरिए किसी अन्य भाषा के शिक्षण की कल्पना ही कैसे सम्भव है?

रोमन लिपि की असमानता से खिन्न होकर अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक जार्ज बर्नाडशा ने अपनी सम्पत्ति का एक अंश रोमन लिपि में सुधार के लिए वसीयत के रूप में रख छोड़ा था। यह कहा जाता है कि रोमन लिपि सरल है और उसमें केवल 26 वर्णों से ही काम चल जाता है, जबकि देवनागरी में लगभग 52 वर्ण हैं। प्रश्न उठता है कि क्या 40

से उपर ध्वनि वाली अंग्रेजी भाषा में 26 लिपि चिह्नों से काम चलाना सरल है? रोमन लिपि में वर्णों की लिखावट भी चार प्रकार की है। हाथ से लिखे जाने वाले और छापे जाने वाले वर्णों में भी भिन्नता है। फिर स्मॉल और कैपीटल अक्षर भी भिन्न प्रकार से लिखे जाते हैं। इस प्रकार लिखावट की दृष्टि से वर्णों की संख्या में काफी वृद्धि हो जाती है। सर विलियम जोन्स यद्यपि रोमन लिपि के पक्षधर थे किंतु वे देवनागरी की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने कहा था —

"Devnagri System which as it is more naturally arranged than any others . . . Our English alphabet and orthography are disgracefully and almost rediculously imperfect."

अर्थात् "देवनागरी लेखन प्रणाली अपने वर्तमान स्वरूप में किसी भी अन्य प्रणालियों से मूलत: अधिक सुव्यवस्थित है लज्जा की बात है कि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला और वर्तनी निहायत ही अपूर्ण है।"

श्रुतिलेखन (फोनो ग्राफी) के अनुसंधानकर्ता आईजक पिटमेन ने कहा था संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है। 1875 में श्री एफ. एस. ग्राउस ने भी देवनागरी लिपि का भारी समर्थन किया था। अनेक विदेशी विद्वानों ने नागरी लिपि को सर्वश्रेष्ठ लिपि बताया है व्यूलर हार्नले, हुक्श मेकडानल, थामस तथा आइजेक टेलर आदि ने नागरी लिपि की वैज्ञानिकता की प्रशंसा की है। जान क्राइस्ट तो यहां तक कहते हैं "मानव मस्तिष्क से निकली हुई वर्णमाला नागरी सबसे पूर्ण वर्णमाला है।"

मानकीकरण

देवनागरी लिपि आरंभ से ही एक विकासशील लिपि रही है। समय-समय पर इसमें आवश्यकतानुसार संवर्धन और परिवद्र्धन होता रहा है। नई ध्वनियों के अनुकूल ही नए वर्णों में भी बदलाव आता रहा है। देवनागरी के लिपि चिह्नों में भी एकरूपता लाने और इसका एक मानक रूप तय करने के लिए आधुनिक काल में कई बार प्रयत्न किए गए। 1953 का लखनऊ सम्मेलन इस दिशा में एक ठोस कदम था। काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित समिति ने भी नागरी लिपि में सुधार के कुछ उपाय सुझाए थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अगस्त 1959 में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में सुधारों को अंतिम रूप दिया गया और जिन वर्णों जैसे अ, झ और ण के दो-दो रूप प्रचलित थे उनमें से एक का मानकीकरण कर दिया गया। जिन वर्णों से अन्य का भ्रम होता था जैसे ख, ध, भ, और छ आदि उनको भिन्न रूप प्रदान किया गया। संयुक्ताक्षर बनाने की प्रणाली स्थिर कर दी गई। 1966 में शिक्षा मंत्रालय ने मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित की। इसके साथ ही परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला भी प्रकाशित की गई। कम्प्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हिंदी भाषा, उसकी देवनागरी लिपि तथा वर्तनी के मानकीकरण को पुन: संशोधित और परिवर्धित करने की आवश्यकता महसूस की गई। कम्प्यूटर की दृष्टि से कुंजीपटल और फांट के विशेष महत्व को ध्यान में रखकर हाल ही में 2006 में केंद्रीय निदेशालय ने जो पुस्तिका प्रकाशित की है, उसके अनुसार हिंदी वर्णमाला में मूलत: 11 स्वर तथा 35 व्यंजन हैं—जिनका, क्रम निम्न प्रकार है :

स्वर–

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ और औ

मूल व्यंजन–

क	ख	ग	घ	ङ
च	छ	ज	झ	ञ
ट	ठ	ड	ढ	ण
त	थ	द	ध	न
प	फ	ब	भ	म
य	र	ल	व	
श	ष	स	ह	
ड़	ढ़			

संयुक्त व्यंजन- क्ष, त्र, ज्ञ, श्र

एक ध्वनि ळ भी जोड़ी गई है जो मराठी, हरियाणी और वैदिक संस्कृत आदि में है।

इनके साथ ही स्वरों की मात्राओं, अनुस्वार विसर्ग अनुनासिकता चिह्न हल चिह्न, गृहीत स्वरों तथा अंकों का भी विवरण दिया गया है। इसके साथ ही इसे सभी भारतीय भाषाओं के लिए सुकर बनाने के लिए परिवर्धित नागरी वर्णमाला भी दी गई है। हिंदी बर्तनी का भी मानकीकरण किया गया है। साथ ही भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत वर्णमाला की तकनीकी ड्राइंग देकर इसे पूर्णत: व्यावहारिक और उपयोगी बनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 में भारतीय अंकों

के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के प्रयोग को मान्यता दी गई है। यह ठीक है कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय अंक कहें जाते हैं वे भारत से ही अरबों के द्वारा यूरोप के देशों में पहुंचे थे। वहीं से वे वर्तमान रूप में भारत लौटे थे। (देखिए लेखक डॉ० परमानंद पांचाल की पुस्तक 'हिंदी भाषा राजभाषा और लिपि पृष्ठ 175) अंकों का ब्रह्मी से यह एक सर्व स्वीकार्य तथ्य है कि शून्य का अविष्कार भी भारत में ही हुआ था। भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप में विकास क्रम का चित्र संलग्न है।

देवनागरी लिपि केवल हिंदी की ही लिपि नहीं है, यह लिपि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित संस्कृत, मराठी, डोगरी, मैथिली, बोडो तथा नेपाल की भी अधिकृत लिपि है। कोंकणी और सिंधी तथा संताली भाषाएं भी इसे अपना रही है। उर्दू के लिए भी इसका प्रयोग बढ़ रहा है। इस प्रकार देवनागरी लिपि भारत के एक विशाल भाषा क्षेत्र की लिपि है। विदेशों में जहां जहां हिंदी का प्रचलन है वहां देवनागरी का भी प्रयोग स्वत: ही होता है। किंतु यह भी देखने में आया है कि सूरीनाम, त्रिनिडाड एवं टोबेगा जैसे देशों में जहां भारत मूल के लोग बहुल संख्या में रहते हैं हिंदी के लिए रोमन लिपि का भी प्रयोग करने लगे हैं। सूरीनाम में 'सरनामी हिंदी' को रोमन में लिखा जाने लगा है। यह हिंदी के लिए शुभ लक्षण नहीं है।

नागरी संगम के 2005 (अंक 106) में इंग्लैंड से श्रीमती उषारोज सक्सेना का एक लेख प्रकाशित हुआ है उसमें बुडापेस्ट (हंगरी) में मारिया नगेसी द्वारा आयोजित हिंदी भाषा से संबन्धित एक सम्मेलन का उल्लेख किया गया है जहां अधिकांश वक्ताओं, के आलेख रोमन लिपि में ही टंकित थे। बताया जाता है कि त्रिनिडाड में आयोजित एक हिंदी सम्मेलन में भी अधिकांश वक्ताओं ने अपने आलेख रोमन लिपि में ही लिख रखे थे। इन्टरनेट और एस एम एस S.M.S. पर हिंदी संदेश भी अब रोमन में ही भेजे जा रहे हैं। लेखनी उठाने की आवश्यकता ही नहीं, रोमन में हिंदी टाइप कर दीजिए इन्टनेट पर, बस चला गया हिंदी संदेश। यह प्रवृति भारत में भी बढ़ रही है।

विज्ञापन की इस दुनिया में रोमन का ही बोल बाला है अब हिंदी के विज्ञापन भी रोमन लिपि में लिखे जाने लगे हैं। लगता है बाजार की भाषा को रोमन में बदलने के प्रयत्न हो रहे हैं। यह प्रवृति हिंदी के लिए निश्चय ही घातक है। कहना न होगा कि नागरी है, तो हिंदी है। नागरी नहीं तो हिंदी कहाँ? हिंदी जब रोमन में लिखी जाने लगेगी तो वह हिंदी न रह कर "हिंग्लिश जैसी कोई भाषा बन जाएगी। इतिहास साक्षी है कि हिंदी जब फारसी में लिखी जाने लगी तो उसका एक रूप उर्दू बन गया।

यह हिंदी और राष्ट्र के हित में ही नहीं भूमण्डलीकृत होते विश्व के भी हित में है कि हम देवनागरी लिपि के महत्व को समझे और जीवन के हर क्षेत्र में इसके प्रयोग को बढ़ावा दें। ■

"हर राष्ट्र के पास अपना चिंतन होता है, अपनी भावनाएं होती हैं जिसे वह अपनी भाषा में व्यक्त करता है। मैं यह मानता हूं कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती, वल्कि उससे बोलने वालों की संस्कृति और संस्कार भी उससे जुड़े होते हैं। भाषा जहां अपनी सांस्कृतिक विरासत से उपजी हुई होती है, वहीं वह इस विरासत को आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाती भी है। इसलिए भाषा का प्रश्न केवल एक अभिव्यक्ति के माध्यम का पश्न नहीं है बल्कि, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत और हमारे देश के लोगों के संस्कार से भी जुड़ा है। फिर लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति में तो भाषा का प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जनता तभी कामकाज में सक्रिय रूप से भाग ले सकती है, जबकि राजकाज ऐसी भाषा में हो, जिसे वहां की जनता अच्छी तरह से समझ सके।"

–डॉ. शंकर दयाल शर्मा

भाषा शिक्षण

–श्रीमती कुसुम वीर*

भाषा क्या है, इसे अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग तरीकों से परिभाषित किया है। किसी विद्वान ने इसे ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था कहा है तो किसी ने सामाजिक व्यवहार; किसी ने इसके मौखिक पक्ष पर अधिक बल दिया है तो किसी ने इसकी संरचनात्मक व्यवस्था और व्याकरण पर। भाषा को चाहे किसी भी रूप में परिभाषित किया जाए, वही भाषा ज्यादा सर्वप्रिय और लोकप्रिय होती है जो बोधगम्य हो, सुगम हो, सहज हो और सुग्राह्य हो।

जब हम भाषा शिक्षण की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके कौशलों पर नजर डालते हैं, क्योंकि प्रत्येक शिक्षण एक निश्चित कौशल विकास के साथ जुड़ा रहता है और जो एक निश्चित अर्थ की प्रतीती भी कराता है। भाषा के चार कौशल :–श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन में जहाँ श्रवण और भाषण को प्रमुख कौशलों का दर्जा दिया गया है, वहीं वाचन और लेखन को गौण कौशल माना गया है।

श्रवण कौशल भाषा के मौखिक पक्ष अर्थात् ध्वनि से संबंधित होता है। किसी भी भाषा के शब्द उसकी विभिन्न ध्वनियों के समूह का ही दूसरा रूप होते हैं । यह ध्वनियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे–ओठ्य ध्वनि 'प', कंठ्य ध्वनि 'क' 'ख' 'ग', दंत्य ध्वनि 'त' 'थ' 'द' तथा इसी प्रकार तालव्य, मूर्धन्य आदि ध्वनियां। कुछ ध्वनियां जहां मात्र वाक् अवयवों के स्पर्श से उच्चारित होती हैं तो कुछ प्रयत्न के आधार पर। इन्हें ही सही मायने में जानना श्रवण कौशल का विकास कहलाता है।

लेकिन, मात्र ध्वनियों और उनके उच्चारण स्थल को जान लेने से ही श्रवण कौशल का विकास नहीं हो जाता है अपितु किसी भी उच्चारित ध्वनि का तब तक कोई महत्व नहीं है, जब तक कि वह अर्थवान न हो। अर्थ भी प्रतीती शब्दों और उनसे गढ़े वाक्यों से होती है। इसीलिए शब्द जहां भाषा का शरीर है, वहीं अर्थ उसका प्राण हैं। इसीलिए श्रवण कौशल के विकास में ध्वनि के साथ-साथ उसके अर्थ का विशेष महत्व है।

भाषा का दूसरा कौशल **भाषण कौशल** है। हम क्या बोलते हैं, इसका महत्व तो है ही, लेकिन, हम उसे किस प्रकार बोलते हैं, किस परिस्थिति में बोलते हैं और वाणी के किस उतार-चढ़ाव के साथ, शारीरिक चेष्टाओं के साथ बोलते हैं, यह अधिक महत्वपूर्ण है। भाषण में जहां शब्दों का, शब्द विन्यासों का व्याकरणिक व्यवस्थाओं का महत्व होता है, वहीं उसमें अधिक महत्व अभिव्यक्ति की कला का होता है। यह एकतरफा है, अथवा, द्वंद्वात्मक स्तर पर, गत्यात्मक है या लयात्मक, इसका भी भाषण कौशल के विकास में विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि युगों पहले वेदों की शृचाओं का स्मरण गुरुजन अपने शिष्यों को भाषण पद्धति के माध्यम से करवाकर स्मरण कराते थे। भाषण कौशल किसी भी भाषा शिक्षण में स्मृति चिह्नों को संजोने में विशेष महत्व रखता है।

श्रवण एवं भाषण कौशल जहां भाषा के मौखिक पक्ष को उजागर करते हैं, वही **वाचन कौशल** भाषा के लेखन चिह्नों की पहचान कराता है। यदि किसी साहित्यिक कृति का रसास्वादन करना हो या धार्मिक ग्रन्थों का पठन, इसके लिए भाषा के वाचन शिक्षण का कौशल प्राप्त करना जरूरी है। वाचन सस्वर भी हो सकता है और मौन भी। सस्वर वाचन से जहां उच्चारण क्षमता का संवर्धन होता है, वहीं मौन वाचन से पढ़ने के समय की गति का विकास होता हैं ।

भाषा शिक्षण का चौथा और कठिन पक्ष **लेखन कौशल** है इसके विकास में लगन और मेहनत की जरूरत होती है लेखन के लिए जहां किसी भाषा के शब्दों को जानना जरूरी है, वहीं उसके साथ शब्दों का वाक्यों में सही रूप से विन्यास और व्याकरणिक संरचना का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। लेखन में व्याकरणिक कोटियों का तो महत्व होता ही है

*निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, 7वां तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कंम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

4437 HA/08—3B

लेकिन सबसे ज्यादा महत्व इस बात का होता है कि जो भी हम लिख रहे हैं क्या वह भावों के सही रूप में सम्प्रेषण में सक्षम है। कोई भी लेखन तभी सफल होता है जब पाठक उसके अर्थ को जानकर उसके अन्तर्निहित भावों की पहचान कर सके।

भाषा शिक्षण को और भी कई तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे–मातृभाषा शिक्षण या अन्य भाषा शिक्षण। मातृभाषा शिक्षण में जहां बालक सहज रूप से अनुकरण के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से सुगमता से सीख लेता है, वहीं अन्य भाषा शिक्षण में विशेष प्रयत्न और मेहनत करनी पड़ती है। अन्य भाषा शिक्षण भी दो प्रकार का होता है–सजातीय और विजातीय। इसे हम यूं भी कह सकते हैं देशीय भाषाओं का शिक्षण तथा विदेशी भाषाओं का शिक्षण। देशी भाषाओं को सीखने का मौका कई बार सेवा में कार्यरत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण/तैनाती/बदली के कारण भी मिल जाता है। दूसरा कारण नौकरी अथवा व्यवसाय के कारण लोगों के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चले जाने के कारण स्वभावत: ही लोग अपने विभिन्न सामाजिक कार्यों-दायित्वों की पूर्ति हेतु एक दूसरे की भाषा सीख लेते हैं। उदाहरणार्थ दिल्ली के चितरंजन पार्क इलाके में रहने वाले बंगाली लोग बड़ी सहजता के साथ हिंदी भाषा को बोल और समझ लेते हैं। इसी प्रकार बिहार प्रदेश के लोग जब काम की वजह से दूसरे प्रदेशों, जैसे उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि जगहों पर जाते हैं तो सहजता से वहां की भाषा सीख लेते हैं क्योंकि अन्य देशीय भाषा को सीखना उनके व्यवसाय अथवा जीविकोपार्जन से जुड़ा रहता है। विदेशी भाषाओं के शिक्षण के पीछे भिन्न-भिन्न लोगों के भिन्न-भिन्न कारण होते हैं, जो पर्यटन, व्यवसाय, शिक्षा आदि कारणों के कारण होते हैं। इनमें भी कुछ लोग विदेशी भाषा को शौकिया तौर पर भी सीखना पसंद करते हैं।

कुछ भी हो संसार में भाषाओं का यह आदान-प्रदान हमें भाषाई एकता से जोड़ता है। भाषा जो संचार का माध्यम है, अभिव्यक्ति का साधन है, हमारे मन की संवेदनाओं से दूसरों के दिलों को छू लेने की विद्या है, शब्दों की वीथी से ही गुजरती हुई हमारी भावनाएं दुनिया के कोने-कोने तक जा पहुंचती है। भाषा का माध्यम, माध्यम चाहे अनुवाद हो या मीडिया, फिल्में हों, या बाजार, यह किसी न किसी को अपना सेतु बना हमारे मनीषियों की "वसुधैव कुटुम्बकम" की भावना को चरितार्थ करती हैं। आदि काल में जब लिपि का प्रादुर्भाव नहीं हुआ होगा, तब भी लोगों ने संभवत: चित्रों अथवा ध्वनि के माध्यम से न केवल अपनी भावनाओं को दूसरों तक संप्रेषित किया होगा बल्कि दूसरों की भाषाओं को आत्मसात भी किया होगा। ■

राष्ट्र मुद्रा

राष्ट्रीय प्रतीक

भारत का राज चिह्न सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। यह शीर्ष सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर चार सिंह (सर्वतोभद्र) है जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए खड़े हैं। इनके नीचे घण्टे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्रवल्लरी में एक हाथी, गतिमान अश्व, एक वृषभ तथा एक सिंह की उभरी हुई आकृतियां खुदी हैं। इनके मध्य एक धर्मचक्र खुदा है जिसमें 24 आरे हैं।

भारत सरकार ने इस चिह्न को 26 जनवरी, 1950 को राज्य चिह्न के रूप में अपनाया व इसके नीचे मुण्डको उपनिषद से लिया गया वाक्य 'सत्यमेव जयते' देवनागरी लिपि में अंकित किया है जिसका अर्थ है – "सत्य की विजय होती है।"

विधि के क्षेत्र में हिंदी

–डॉ० बसन्ती लाल बाबेल*

हिंदी हमारी राजभाषा और अधिकांश लोगों की मातृ भाषा है। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी को लिपि का दर्जा दिया गया है। निश्चित ही हिंदी भाषा-भाषी लोगों के लिए यह गौरव का विषय है। संविधान के निर्माण से लेकर आज तक सरकारी एवं गैर-सरकारी स्तर पर हिंदी के व्यापक प्रयोग के प्रयास किए गए हैं। शासन-प्रशासन एवं न्यायपालिका का भी हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं प्रयोग में अपेक्षित सहयोग रहा है।

उच्चतम न्यायालय ने 'भारत संघ विरुद्ध मूरासोली मारन' (ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 225) के मामले में यह कहा है कि–यदि राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कोई आदेश प्रसारित किया जाता है जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार में अभिवृद्धि करना तथा सेवारत कर्मचारियों को हिंदी भाषा के लिए प्रशिक्षित करना हो तो ऐसा आदेश न्यायोचित होगा।

उच्चतम न्यायालय का ऐसा ही एक और फैसला है जो हिंदी का समर्थन ही नहीं करता, अपितु उसके प्रयोग को बढ़ावा भी देता है। तमिलनाडु सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई थी जिसके अन्तर्गत हिंदी विरोधी आन्दोलनकारियों को पेंशन दिया जाना प्रस्तावित था। 'आर. आर. दलवाई बनाम तमिलनाडु राज्य' (ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 1559) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस योजना को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि राज्य हिंदी या अन्य किसी भी भाषा के विरुद्ध मनोभाव को उत्तेजित करने वाला कार्य नहीं कर सकता। यह राष्ट्र विरोधी एवं लोकतंत्र विरोधी प्रकृति है। ऐसी प्रवृति को आरम्भ में ही हतोत्साहित कर देना उचित है।

परीक्षा के माध्यम को लेकर जब विवाद उठा तो 'हिंदी हितरक्षक समिति बनाम भारत संघ' (ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 851) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि–परीक्षा का माध्यम हिंदी के बजाय अन्य किसी भाषा को रखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए तद्नुकूल परिस्थितियां विद्यमान हों।

इस प्रकार समय-समय पर उद्घोषित न्यायिकनिर्णयों से हिंदी भाषा के प्रयोग एवं प्रचार-प्रसार को बल मिला है। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 343 (3) हिंदी को राजकाज की भाषा में यथोचित स्थान मिलने में बाधक रहा है। संविधान निर्माण के समय 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी राजकाज की भाषा के रूप में मान्य की गई थी लेकिन अनुच्छेद 343 (3) द्वारा संसद को इस अवधि में वृद्धि करने की शक्तियां प्रदान कर दी गई जो आज तक अमल में लाई जा रही है। परिणाम यह है कि राजकाज की भाषा के रूप में अंग्रेजी का दबदबा बना हुआ है। विधि एवं न्याय के क्षेत्र में हिंदी विधि एक तकनीकी विषय है। अत: विधि में हिंदी का प्रयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण लगता है। विधि के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को दो रूपों में देखा जा सकता है–

(क) न्यायालय की भाषा के रूप में, तथा

(ख) विधि साहित्य लेखन के रूप में।

संविधान के अनुच्छेद 348 में यह प्रावधान किया गया है कि–

1. उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी,
2. किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व-सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय को हिंदी अथवा अन्य किसी भाषा के प्रयोग के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा, लेकिन निर्णय, डिक्री एवं आदेशों पर यह बात लागू नहीं होगी,

*पोस्ट-लावा सरदारगढ़, जिला-राजसमन्द (राजस्थान)-313330

3. अधिनियम, विधेयक, आदेश, नियम, विनियम आदि के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे, तथा

4. राज्य विधानमण्डल द्वारा यदि विधेयक, नियम, विनियम, अधिनियम आदि के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न भाषा का प्रयोग किया जाता है तो ऐसा किया जा सकेगा, लेकिन उसके साथ उनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद देना होगा और वही प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

इससे यह स्पष्ट है कि शीर्षस्थ न्यायालयों के कामकाज की भाषा के रूप में एकमात्र अंग्रेजी भाषा को ही मान्यता दी गई है जो आज भी यथावत् है। यह बात अलग है कि कुछ हिंदी भाषी राज्यों में उच्च न्यायालयों के निर्णय एवं आदेश हिंदी में दिए जाने लगे हैं। सुखद आश्चर्य तो यह है कि कतिपय उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णय संस्कृत भाषा में दिए गए हैं।

इस संबंध में 'मधु लिमये बनाम वेद मूर्ति' [(1970)3 एस. सी. सी. 738] का एक उद्धरणीय मामला है। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान एक पक्षकार ने हिंदी में बहस करने की अनुमति चाही, लेकिन विपक्षी द्वारा इसका विरोध किया गया और उसने अंग्रेजी में ही बहस करने का तर्क रखा।

उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में निम्नांकित तीन विकल्प दिए गए–

(क) पक्षकार अंग्रेजी भाषा में बहस कर सकता है, अथवा

(ख) वह चाहे तो बहस के लिए अपनी ओर से किसी अधिवक्ता को नियुक्त कर सकता है, अथवा

(ग) वह अंग्रेजी भाषा में लिखित बहस प्रस्तुत कर सकता है।

इस निर्णय से शीर्षस्थ न्यायालयों के कामकाज की भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का महत्व स्पष्ट हो जाता है। लेकिन सुखद पहलू यह है कि अधीनस्थ न्यायालयों में कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी को पर्याप्त महत्व मिला है। हम राजस्थान को ही लें, यहां अधीनस्थ न्यायालयों का सारा कामकाज हिंदी में होता है। यही स्थिति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों की है। अब आवश्यकता हिंदी को शीर्षस्थ न्यायालयों के कामकाज की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की है।

जहां तक हिंदी में 'विधि साहित्य लेखन' का प्रश्न है, हिंदी भाषा पर्याप्त रूप से आगे बढ़ी है अब हिंदी भाषा में विधि विषय पर अनेक प्राधिकृत पुस्तकें उपलब्ध होने लगी है। अंग्रेजी भाषा की असंख्य पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद भी हुआ है। मुल्ला, रतनलाल धीरजलाल, डी. डी. बसु. वेन्थम आदि अनेक प्रख्यात लेखकों की पुस्तकों का हिंदी अनुवाद हो चुका है। हिंदी में अनेक पत्र-पत्रिकाएं भी प्रकाशित होने लगी हैं । विधि साहित्य प्रकाशन, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका एवं उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। इसी प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान विधि पत्रिका का प्रकाशन किया जाने लगा है। यहां तक कि विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तो लेखकों से विधि विषय पर हिंदी भाषा में पुस्तकें तैयार करवाई जाती हैं।

विधि के क्षेत्र में हिंदी लेखन कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा अनेक पुरस्कार भी प्रतिष्ठित किए गए हैं, यथा–

(क) विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार का 'राज पुरस्कार'।

(ख) गृह मंत्रालय, भारत सरकार का 'पं. गोविन्दवल्लभ पन्त पुरस्कार'।

(ग) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का 'प्रत्यक्ष कर साहित्य पुरस्कार'।

(घ) उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, लखनऊ का 'मोतीलाल नेहरू पुरस्कार'।

(ङ) मध्य प्रदेश विधान सभा का 'डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति पुस्कार'।

(च) बिहार सरकार का 'डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा पुरस्कार'।

(छ) राजस्थान सरकार का 'स्टेट अवार्ड' ।

(ज) राजस्थान सरकार का 'न्यायामूर्ति वेदपाल त्यागी स्मृति पुरस्कार' (हिंदी में उत्कृष्ट निर्णय-लेखन के लिए)।

4437 HA/08—4A

(झ) भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान सरकार का 'हिंदी सेवा पुरस्कार' आदि।

इनके अलावा कुछ गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों द्वारा भी हिंदी भाषा के प्रयोग एवं प्रचार-प्रसार व लेखन कार्य पर पुरस्कार दिए जाते रहे हैं। साहित्य मण्डल, नाथद्वारा राजस्थान उत्कृष्ट हिंदी सेवा के लिए 'हिंदी भाषा-भूषण' सम्मान प्रदान किया जाता है।

उपसंहार

इन सब के बावजूद आज भी हिंदी को अपना यथोचित स्थान नहीं मिल पाया है, यह चिंता एवं चिंतन का विषय है। वस्तुत: आज भी हमारी मानसिकता अंग्रेजी-मोह की है। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना प्रतिष्ठापूर्ण माना जाता है। यह एक फैशन भी बन गया हैं लगभग दो दशक पूर्व जब मैं मोतीलाल नेहरू पुरस्कार लेने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, लखनऊ गया था, तब समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे । उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा–विधि, इंजिनियरिंग, मैडिकल आदि तकनीकी विषय हैं, अत: इनकी पुस्तकें अंग्रेजी में होने की बात तो समझ में आती है, लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि शादी, विवाह एवं जन्मोत्सव आदि में ऐसा कौन सा तकनीकीपन है जिसके कारण उनके निमंत्रण पत्र अंग्रेजी भाषा में छपवाए जाते हैं। वस्तुत: यह सब हमारी सोच एवं मानसिकता है।

इस संबंध में 'लक्ष्मी बाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एज्यूकेशन, ग्वालियर' (ए. आई. आर. 1997 मध्य प्रदेश 43) का एक उद्धरणयोग्य मामला है। इसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि–'भारत को स्वतंत्र हुए पचास वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन मानसिक दासता अभी भी यथावत है। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को देश की राजभाषा घोषित किया गया है, लेकिन अंग्रेजी के बल पर उच्च पदों पर आसीन होने की आकांक्षा रखने वाले मुट्ठी भर लोग इसे अपना यथोचित स्थान दिलाने में कंटक बने हुए हैं। भारत में अंग्रेजी जानने वाले लोगों का प्रतिशत नगण्य है, फिर भी अंग्रेजी के बल पर वे अपने-आपको अन्य लोगों से ऊपर मानते हैं। यह सुस्थापित है कि बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपने मातृभाषा में अधिक अच्छी तरह कर सकता है। ऐसे बालकों पर अंग्रेजी थोपना उनके मानसिक एवं बौद्धिक विकास को अवरुद्ध करना है। यह निर्णय हमारे मार्गदर्शक बने, यही समय की अपेक्षा है।

■

हिंदुस्तान में विभिन्न राज्यों में नव वर्ष को मनाने के विभिन्न महीने व तिथियां हैं । आयोजन की तिथियां व अवसर भले ही भिन्न-भिन्न हों पर बधाई सब ओर दी जाती है । आप अपने मित्रों की भाषा में बधाई यूं भेज सकते हैं –

हिंदी	– नये वर्ष की बधाई हो ।	संस्कृत	– नूतन वर्ष सुखी भव ।
उर्दू	– नया साल मुबारक हो ।	तमिल	– पुधु वर्ष वाझूय
मराठी	– नव वर्ष सुखांचे जावो ।	कन्नड़	– शुभ कोणा वसन बागड़ी
बंगाली	– सूची नूतन वत्सर ।	अरबी	– मिलन आई दिय
गुजराती	– नबु वर्ष सफल थावो ।	अंग्रेजी	– ए हेप्पी न्यू ईयर
उड़िया	– नूतन वर्ष सुखरे जाऊ ।	जर्मन	– ग्लूक सिच न्यू तिवुस

4437 HA/08—4B

देश समृद्धि में हिंदी मनोरंजन का योगदान

–किशोर तारे*

हमारी हिंदी हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं अपितु इस देश की संस्कृति, सभ्यता और विकास का सुनहरा आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें देश का समग्र विश्वास झलकता है। इस आईने में देश की एकरूपता, पारम्परिक वर्जनाएं तथा नैतिकता की तस्वीर दृष्टिगोचर होती हैं।

विकास के पथ पर अग्रसर होती हमारी उन्नत तकनालॉजी हिंदी के सीढ़ी पर चढ़ कर ही विश्व में विशिष्ट मुकाम पर जा बैठी है। आज हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं रह गई है। हिंदी हमारी प्रगति का पर्याय बन चुकी है। इस समृद्ध भाषा के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं वरन् समृद्धि के क्षेत्र भी नए आयाम स्थापित किए हैं।

विश्व परिदृश्य में हमारी हिंदी के महत्व को रेखांकित किया गया है। आज हिंदी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि हमारे कई पड़ोसी देशों में भी बोली लिखी और समझी जाती है। मसलन पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, भूटान, मालद्वीप, मारीशस, श्रीलंका, म्यमार, अफगानिस्तान आदि।

आज विश्व के सिरमौर बने देश अमेरिका में भी हिंदी का बोलबाला है। हमारे मेधावी इंजिनियरों ने वहां जाकर हिंदी के महत्व को बढ़ाया है। कम्प्यूटर सम्राट बिल गेट्स ने हिंदी के महत्व और ताकत को मद्देनजर रखते हुए अपने कई शिक्षा कार्यक्रमों में हिंदी को प्राथमिकता दी है। दुनिया का सबसे बड़ा देश चीन भी अब हिंदी सीख रहा है।

अमेरिकन राष्ट्रपति जार्ज बुश ने हिंदी की फैलती लोकप्रियता और भाषा समृद्धता को ध्यान में रखते हुए वहां के रक्षा विभाग पेटांगन में हिंदी का चार वर्षीय पाठ्यक्रम टेक्सास शहर के आष्टिम यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्सास में प्रारम्भ किया है। इसके लिए सात लाख डॉलर (लगभग साढ़े तीन करोड़) के बराबर अनुदान दिया है।

रक्षा विभाग पेटांगन सामरिक और आर्थिक दृष्टि का केंद्र हैं। इससे होने वाले लांभ में भारतीय इंजिनियरों का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्हें मालूम है कि भारत को समझने के लिए हिंदी को जानना-समझना बहुत जरूरी है। इन्हीं के दम पर वहां खुशहाली और संपन्नता संभव है। भारतीय मूल के लोग विश्व में करीब 132 देशों में फैले हुए हैं, जिसमें से कई देशों में हिंदी बोली और समझी जाती है। हिंदी का विश्व में करीब 144 विश्व विद्यालयों में अध्यन-अध्यापन होता है।

भारत का पढ़ा-लिखा और संपन्न तबका भले ही अंग्रेजी को अत्याधिक महत्व देता हो। लेकिन वह यह भी जानता है कि, यदि भारत की आत्मा को करीब से जानना है तो उसे हिंदी से लगाव, नाता और अपनापन रखना ही होगा। तभी वह कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की सही तस्वीर को देख पाएगा।

आज दुनिया के विभिन्न भागों में फैला भारतीय युवा वर्ग अपनी योग्यता से चार चांद लगा रहा है। अपनी बौद्धिक क्षमता से नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कम्प्यूटर दुनिया के साफ्टवेयर क्षेत्र में इन युवाओं का जवाब नहीं है। हमारे यह इंजिनियर्स विकसित और विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और स्पेस जैसे विषय शामिल है।

यह तो बातें हुई तकनालॉजी के क्षेत्र की। यदि अब हम मनोरंजन के क्षेत्र में दृष्टि डालें तो, यहां भी हिंदी समृद्धि की गंगा बहा रही है। फिल्मों के कारण हिंदी का प्रचार-प्रसार बहुत होता है। हिंदी के लोकप्रियता का यह एक सशक्त माध्यम है। हर फिल्म निर्माता अपनी फिल्म में शब्दों को तोड़-मरोड़ कर अलग अंदाज में प्रस्तुत करता है।

*ई-4/319, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016 (म.प्र.)

निर्माता का काम होता है, अपनी फिल्म को आम जनता के बीच लोकप्रिय बनाना। कई बार किसी पात्र द्वारा कहे जाने वाले डॉयलाग/तकिया कलाम इतने मशहूर हो जाते हैं कि, कंश्मीर से कन्याकुमारी तक उनको दोहराया जाता है। अन्य भाषी लोग भी उसको मनोरंजन के तौर पर अपनाते हैं क्योंकि फिल्में सीधे आम जनता के बीच जाकर अपना प्रभाव छोड़ती हैं।

एक प्रभावी और मनोरंजन से भरपूर फिल्म देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी चर्चा का विषय बनती है। हांलाकि फिल्मों में भाषा तमीज का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसके बाद भी यह सत्य है कि इसका लाभ हिंदी को ही मिलता है। फिल्में ही किसी भाषा के विकास के लिए एक अहम् कारण बनती हैं।

भारतीय रंगमंच, भारतीय गीत-संगीत, भारतीय फिल्मों ने हमारी समृद्धि की गति को बनाए रखा है। हिंदी फिल्मों के आयात-निर्यात का प्रतिवर्ष करोड़ों का व्यापार होता है। फिल्म इण्डस्ट्री द्वारा लगभग तीन सौ करोड़ का निर्यात किया जाता है, जिसमें हिंदी फिल्मों की भागीदारी ज्यादा होती है। फिल्मों के निर्यात हेतु, खरीददारों द्वारा निर्यात की जाने वाली फिल्मों का ओवरसीज राइटस लिया जाता है, जिससे वह फिल्मों का विदेशों में निर्यात कर सके। किसी भी फिल्म की कीमत उसके स्टार कास्ट तथा फिल्म की मांग पर निर्भर करती है।

हिंदी फिल्मों के लिए जहां अमेरिका और ब्रिटेन बड़े मार्केट हैं। वहीं अर्जेंटीना, इराक, इरान, कतार, जांबिया, कुवैत, केन्या, ताइवान, बहरीन, मलेशिया, नाइजीरिया, यमन, सिंगापुर, फिलिपाइन्स, ओमान, इंडोनेशिया आदि देश जहां पर एशियन अधिक संख्या में हैं। वहां पर हिंदी फिल्मों की अच्छी मांग है।

हमारे गायक, कलाकार, संगीतकार, गजल गायक तथा फिल्मी सितारे भी विदेश जाकर अपने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं । इन हिंदी रंगमंचीय कार्यक्रमों के तहत करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। यह मुद्रा हमारे विदेशी मुद्रा कोष को बढ़ाती है। पश्चिमी देशों का एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय वाद्य उपकरणों और भक्ति संगीत का दीवाना है।

जर्मनी के लोगों को हिंदी में डब की हुई फिल्में देखने का बहुत चाव है। इसका उदाहरण है, हमारे यहां की हिंदी फिल्म ''कभी खुशी कभी गम'' डब होकर वहां के टी वी सीरियल आर. टी. एल. टू पर प्रसारित की गई थी। जिसे वहां के लोगों ने बहुत पसंद किया था। जर्मनी के 17 विश्व विद्यालयों में हिंदी के स्वतंत्र विभाग कार्य कर रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में फिल्म उद्योग ने एक औद्योगिक रूप अपना लिया है। अब फिल्म निर्माता इसमें कमाई के साथ-साथ शोहरत और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने की योजना भी बनाने लगे हैं। उनका विचार है कि फिल्में ऐसी बने जो अति शीघ्र आमदनी कर सके। कुछ फिल्में जो बनी जैसे-दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मृत्युदण्ड, बार्डर, ब्लैक, रोजा, वॉटर आदि यह फिल्में भारत और विदेशों में खूब चली।

सारी दुनिया में भारत एक मात्र ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं। उच्च तकनीक फोटोग्राफी, कल्पनाशील एनीमेशन, उन्नत उपकरण के जरिए फिल्मों के सेट वास्तविकता को दर्शाने लगे हैं। फिल्मों के स्तर और गुणवत्ता में भी बहुत बदलाव आया है। हमारी फिल्में हॉलीवुड से ज्यादा प्रभावी बनने लगी हैं।

अभी हाल ही में भारतीय फिल्म जगत की नायिका शिल्पा शेट्टी द्वारा ब्रिटेन के एक सेलिब्रीटी शो ''बिग ब्रदर'' में अभिनय किया गया। उसने अपने अभिनय के बलबूते पर लगभग एक करोड़ से ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित की है।

समृद्ध भारतीय साहित्य पर बनी कई फिल्में मनोरंजन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई हैं। आज मनोरंजन का क्षेत्र हिंदी भाषा को देश और विदेश में लोकप्रिय तो बना ही रखा है। साथ ही हमारे देश की सुख-समृद्धि में भी योगदान दे रहा है । ■

साहित्यिकी

[महादेवी (1907–1987) जन्म शताब्दी पर विशेष]

आध्यात्मिक तथा रहस्यवादी चेतना-महादेवी के काव्य में

–डॉ. प्रमोद कोव्वप्रत*

साहित्य में रहस्यवाद की अवधारणा काफी पुरानी रही है। मध्यकालीन निर्गुण भक्त कवियों में इसका विविधमुखी रूप देखने को मिलता है। किंतु आधुनिक हिंदी साहित्य में सबसे अधिक आध्यात्मिक चर्चा छायावाद में हुई हैं। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी आदि चारों कवियों के काव्य में हमें रहस्य की अलौकिक झांकि मिलती है। लेकिन महादेवी को छोड़ अन्य तीन कवियों ने अपने काव्य में रहस्य चेतना को शाश्वत रूप से नहीं अपनाया। उनसे महादेवी का काव्य इसलिए विशिष्ट है कि देवी ने अपनी संपूर्ण काव्य रचनाओं में आध्यात्मिक भाव चेतना की सरिता बहाई है। उनकी मंजिल शुरू से अंत तक एक ही रही है। उसी पर वे अडिग भी रहीं। वे स्पष्ट करती हैं–''मार्ग चाहे जितना अस्पष्ट रहा, दिशा चाहे जितनी कुहराच्छन्न रहीं परंतु भटकने दिग्भ्रांत होने और चली हुई राह में पग-पग गिनकर पश्चाताप करते हुए लौटने का अभिशाप मुझे नहीं मिला है। मेरी दिशा एक और पथ एक रहा है, केवल इतना ही नहीं वे प्रशस्त से प्रशस्ततर और स्वच्छ से स्वच्छतर होते गए हैं।'' यहां स्पष्ट है कि यह प्रशस्ततर पथ अपने अज्ञात प्रियतम का पथ है।

महादेवी ने रहस्यवाद का कोई अंधानुकरण नहीं किया। इसलिए उसका पथ विशिष्ट और पहचान अलग रही है। उन्होंने भावना को रहस्यवाद में प्रमुखता दी है। साधारण तौर पर रहस्यवाद में आत्मा के परमात्मा के प्रति विस्मय, प्रणय, विरह और मिलन की अदम्य अभिलाषा और आकांक्षा दिखाई देती है। महादेवी ने अपने काव्य में रहस्यवाद को नये रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन पुरानी परंपरा से कुछ तत्वों को ग्रहण भी किया। अपनी रहस्यानुभूति के संबंध में उन्होंने ''यामा'' की भूमिका में लिखा है।

महादेवी के रहस्यवाद में सौंदर्य का प्रमुख स्थान है। सौंदर्य की अनुभूति रहस्यमय हो सकती हैं । रहस्यवाद में बुद्धि की भूमिका और सौंदर्य की प्रत्यक्ष व्यापकता है। ''दीपशिखा'' की भूमिका में कवयित्री ने इस विशिष्टता की ओर संकेत किया है।

छायावादी कवि प्रकृति के अणु-अणु में अज्ञात सत्ता का आभास पाते हैं और उसी के प्रति विस्मय-विमुग्ध हो जाते हैं। अज्ञात प्रियतम के मिलन में वे प्रकृति का ही आसरा लेते प्रतीत होता हैं । प्रकृति के हरेक परिवर्तन में जिज्ञासा और कौतूहलता का भाव रहस्यवाद का प्रथम सोपान माना जाता है। महादेवी कहती हैं–

''कनक-से दिन मोती-सी रात सुनहली सांझ गुलाबी प्रातः,
मिटाता रंगता बारंबार कौन जग का वह चित्राधार ?''

कवयित्री अपने अज्ञात प्रियतम के प्रति अनुरक्त है। उसके अस्तित्व का उन्हें दृढ़ विश्वास है । जिस प्रकार एक चित्र उस चित्रकार का संकेत देता है। उसी प्रकार सृष्टि ही स्रष्टा के अस्तित्व का प्रमाण है। जैसे –

''छिपा है जननी का अस्तित्व, रुदन में शिशु के अर्थविहीन
मिलेगा चित्रकार का ज्ञान, चित्र की जड़ता में लीन ।''

प्रियतम के मिलन ने ही उसमें प्रणयानुभूति भर दी थी। कवयित्री को याद है कि उसके चितवन ने ही विरह पीड़ा का लम्बा साम्राज्य दे डाला है–

''इन ललचाई पलकों पर पहरा जब था व्रीडा का,
साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का ।।''

विरह वेदना में प्रियतमा व्याकुल सी दिखाई देती है । अपने अनंत और अज्ञात प्रियतम को संदेश भेजने के लिए वह लालायित है। किन्तु अज्ञात प्रियतम को संदेश कहां भेजेगी?

''अलि कहां संदेश भेजूं? मैं किसे संदेश भेजूं ?

* प्रवक्ता, हिंदी विभाग, कालिकट विश्वविद्यालय केरल-673635

4437 HA/08—5A

कवयित्री को सदा प्रियतम के पास होने की अनुभूति होती है। उनकी विरह वेदना के आंसू मांगने के लिए वह आया है–

"अश्रु मेरे मांगने जब नींद में वह पास आया।
स्वप्न से हंस पास आया।"

अपनी साधना के पथ के सारे कष्टों को सुख के रूप में अनुभव करना साधक के लिए संभव हैं । महादेवी अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए जो भी कष्ट उठाने के लिए तैयार होती है। उनका आत्मविश्वास अटल और अडिग है। वे अपने शरीर को ही मोम की तरह जलाकर प्रियतम का पथ को प्रकाशमान करना चाहती हैं। मिलन में चाहे जितने भी समय लगे उन्हें प्रतीक्षा है। इसलिए वे कहती हैं–

"तू जल-जल जितना होता क्षय, वह समीप आता छलनामय,
मधुर मिलन में मिट जाना तू–उसकी उज्ज्वल स्मित में घुल खिल

मदिर मदिर मेरे दीपक जल!
प्रियतम का पथ आलोकित कर!"

अनंत परमात्मा की खोज बाहरी दुनिया में हम करते हैं। उसकी प्रति आसान नहीं है। संसार सागर के ऊपर से तैरने से उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आत्म बलिदान की भावना होनी चाहिए। अपने आप को मिटाकर तथा अहं को पूर्णतः छोड़कर ही हम उस सत्ता तक पहुंच सकते हैं। इसलिए महादेवी कहती हैं–

"तरी को ले जाओ मंझधार, डूब कर हो जाओगे पार,
विसर्जन ही है कर्णधार, वही पहुंचा देगा उस पार!"

कवयित्री अपने प्रियतम के मिलन की तैयारी करती हैं। उनका प्रियतम करुणामय विश्व पुरुष है। वे अपने प्रियतम के इच्छानुसार मिलन का मंच तैयार करती हैं।। उनका कहना है–

"करुणामय को भाता है, तम के परदे में आना,
हे नभ की दीपावलियों, क्षण भर को तुम बुझ जाना।"

लेकिन उसको लगता है कि मिलन से भी अच्छा और सुखदायक अनुभव प्रियतम की खोज ही है। इसलिए वे स्वीकारती है–

"खोज ही चिर प्राप्ति का वर, साधना ही सिद्धि सुंदर।"

डॉ. गंगाप्रसाद पाण्डेय ने लिखा है कि आत्मा और ब्रह्म की स्थिति को स्वीकारते हुए भी महादेवी की आत्मा किसी दार्शनिकब्रह्म में विलीन होकर अपना अस्तित्व अन्य रहस्यवादियों की भांति विसर्जित नहीं करना चाहती, वरन् उसका लक्ष्य जीवन के शत-शत बंधनों को स्वीकार करते हुए अपनी स्थिति को इतना व्यापक एवं विराट बना देना है कि स्वयं उसमें उस ब्रह्म की विराटता का आरोप हो सके। यही महादेवी के रहस्यवाद की सबसे बड़ी विशेषता है।"

महादेवी के रहस्यवाद के संबंध में डॉ. रामरतन भटनागर ने कहा है–"आधुनिक कवियों में रहस्यवाद की सबसे अधिक और सबसे पूर्ण व्यंजना महादेवी वर्मा के काव्य में हुई है।"

महादेवी में वेदांत के अद्वैत दर्शन का प्रभाव लक्षित होता है। उनको भान होता है कि परमात्मा उनके ही अंदर विद्यमान हैं इसलिए उससे परिचय प्राप्ति करने की जरूरत नहीं है। वे कहती हैं–

"तुम मुझमें प्रिय फिर परिचय क्या! . . ."

विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार आत्मा और परमात्मा का संबंध अंश-अंशी का है। उसी प्रकार का अंश-अंशी संबंध की कल्पना महादेवी इस प्रकार करती हैं–

"मैं कंपन हूं तू करुण राग
मैं आंसू हूं तू है विषाद।"

इसी प्रकार द्वै की भावना की पुष्टि भी वे करती हैं। अपने को जीव और ब्रह्म मानना इसी का उदाहरण है–

"बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं ।
...कुल भी हूं कुलहीन प्रवाहिनी भी हूं।"

डॉ. कुमार विमल ने लिखा है–"महादेवी के रहस्य-निवेदन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने अंशी के समक्ष अंश के महत्व को और ब्रह्म के सामने जीव की महिमा को भू-लुंठित नहीं होने दिया है। इनके अनुसार दोनों अपने-आप में महत्वपूर्ण है।" दरअसल यह भावना आधुनिक मानव-मूल्यों के अनुकूल है । कवयित्री का कहना है–

"चिंता क्या है, हे निर्मम!/बुझ जाए दीपक मेरा,
जो जाएगा तेरा ही/पीड़ा का राज्य अंधेरा!"

आमतौर पर महादेवी की आध्यात्मिक विचारधारा के बारे में यही धारणा है कि वह पूर्णतः अलौकिकता की ओर संकेत करती हैं । किसी निर्गुण निराकार अज्ञात सत्ता ही उसका आलंबर हैं । आचार्य नंददुलारे वाजपेयी ने महादेवी के दार्शनिक विचार का आधार सगुण साकार प्रियतम और प्रण्य को लौकिक माना हैं । लेकिन इसका समाधान महादेवी ने "दीपशिखा" के "चिंतन के कुछ क्षण" में दे दिया है।

निष्कर्षतः कह सकते हैं । कि विवादों का आधार जो भी हो यह एक सर्वविदित तथ्य है कि महादेवी के काव्य में आध्यात्मिक तथा रहस्यात्मक अनुभूतियों की अंतसलिला सतत् प्रवाहित है। उनकी दार्शनिक चेतना आधुनिक जीवन के अनुकूल दिखाई देती हैं वह परंपरा से प्रेरित और पोषित है । ■

4437 HA/08—5B

प्रेमचन्द : गोदान में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद

–राकेश कुमार*

आदर्शवाद और यथार्थवाद, साहित्यकार द्वारा जीवन को चिन्हित करने के दो भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हैं। आदर्शवादी लेखक अतीत या वर्तमान में से महान या भव्य चरित्रों को चिह्नित करता है। महान की प्रतिष्ठा आदर्शवादी लेखक का उद्देश्य होता है। इसके विपरीत, यथार्थवादी लेखक जनवादी होता है, वह प्रकृत जन का चित्रण ही अपनी रचना का विषय बनाता है। किसी महान् की प्रतिष्ठा के स्थान पर वह साधारण जीवन का ही यथातथ्य चित्रण करता हैं मानव अपनी समस्त दुर्बलताओं और स्वाभाविक सबलताओं के साथ यथार्थ रूप में यथार्थवादी रचनाओं में स्थान पाता है। आदर्शवादी लेखक जीवन के कतिपय महान् क्षणों से संबंधित घटनाएं चुनता हैं इसके विपरीत, यथार्थवादी लेखक जीवन की साधारण घटनाएं-साधारण व्यक्तियों से संबंधित प्रसंग अपनाता हैं आदर्शवादी लेखक का मूलमंत्र होता है–''कला में दुराव अपेक्षित है।'' वह जीवन की सामान्य बुराइयों पर ध्यान नहीं देता या उन्हें जानकर छोड़ देता है। इसके विपरीत यथार्थवादी साहित्यकार किसी प्रकार का दुराव-छिपाव नहीं करता, वह सामान्य जीवन की बुराइयों को उघार कर रख देता हैं । आदर्शवादी लेखक की दृष्टि विशेष जीवन पर केन्द्रित रहती है, जबकि यथार्थवादी की सामान्य जीवन पर।

आदर्श और यथार्थवाद दोनों की ही सीमाएं हैं। अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करने पर ये अपनी मर्यादा खो देते हैं, जिससे साहित्य की भी मर्यादा नष्ट हो जाती हैं । आदर्शवाद यदि कपोल कल्पना हो जाएगा, अव्यावहारिक तथा असंभाव्य होगा तो किसी काम का न रहेगा, और यथार्थवाद भी यदि नग्न कुरुचिपूर्ण यथार्थ ही हो जाएगा, तो अग्राह्य एवं त्याज्य बन जाएगा। स्वप्निल कोरे आदर्शवाद के स्थान पर क्रियात्मक आदर्शवाद ही वांछनीय होता है। इसी प्रकार स्वस्थ और प्रेरणापूर्ण यथार्थवाद ही साहित्यिक सत्य बन सकता है।

प्रेमचन्द स्वयं आदर्शवाद और यथार्थवाद को दो अतियां मानते थे। उनके अनुसार कोरा या नग्न यथार्थवाद हमें केवल बुराई का अवलोकन कराता है, हमारी आंखें खोल देता है, पर जीवन में बुराई ही बुराई प्रतीत होने से निराशा की सी स्थिति उत्पन्न कर देता है, इसलिए अवांछनीय है। इसी प्रकार कोरे काल्पनिक आदर्शवाद को भी प्रेमचन्द व्यर्थ मानते थे। किसी देवता की कल्पना करना आसान है, पर उसमें प्राण-प्रतिष्ठा करना कठिन ही है। आदर्शवाद हमें किसी अतीन्द्रिय स्वर्ग लोक में पहुंचा देता है, जिससे धरती का स्वर नहीं सुनाई पड़ता। इसी से प्रेमचन्द आदर्शोन्मुख यथार्थवाद या आदर्श और यथार्थ के समन्वय के पक्षपाती थे। उन्होंने अपने उपन्यासों को भी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी या यथार्थोन्मुख आदर्शवादी कहा है।

नन्ददुलारे वाजपेयी ने प्रेमचन्द को आदर्शवादी लेखक माना है। उनका कथन है–''कोई कलाकार या तो यथार्थवादी हो सकता है या आदर्शवादी ही। ये दोनों परस्पर विरोधी विचारधाराएं और कला शैलियां हैं। इनका मिश्रण किसी एक रचना में संभव नहीं। साहित्यिक निर्माण में यथार्थोन्मुख आदर्शवाद या आर्दशोन्मुख यथार्थवाद नाम की कोई वस्तु नहीं हो सकती। आदर्श और यथार्थ को मिलाने वाला कोई पृथक वाद नहीं है। यह तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। क्योंकि दो परस्पर विरोधी जीवन-दर्शनों और कला-परिपाटियों में एकता की कल्पना ही कैसे की जा सकती है?'' नन्ददुलारे वाजपेयी यही निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, ''वास्तव में प्रेमचन्दजी अपने विचार और लेखन में आदर्शवादी हैं।''

डॉ. नगेन्द्र ने भी प्रेमचन्द को आदर्शवादी लेखक ही कहा है। उनका कहना है, 'आदर्शवाद और यथार्थवाद में मूल विरोध है । पहले का आधार भावगत दृष्टिकोण है और दूसरे के लिए वस्तुगत दृष्टिकोण अनिवार्य है । आदर्शवादी कल्पना-विलासी और स्वप्न-द्रष्टा न होकर व्यावहारिक भी हो सकता है। उसके आदर्श कल्पना अथवा अतीन्द्रिय लोक के स्वप्न न होकर व्यवहार-जगत् के नैतिक समाधान भी हो सकते हैं। प्रेमचन्द के आदर्शवादी का यही रूप है, वह

*85ए, पॉकेट ई, जी.टी.बी. एनक्लेव, दिल्ली-110093

रोमानी आदर्शवाद नहीं है, व्यावहारिक आदर्शवाद है, परन्तु यथार्थवाद नहीं है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि जो रोमानी नहीं है, वह यथार्थ ही हो।''

साहित्य किसी कठघरे में नहीं बंधा रहता। आदर्शवाद और यथार्थवाद के दो कठघरों में साहित्य को कैसे बांटा जा सकता है। कोई लेखक या तो आदर्शवादी हो सकता है या यथार्थवादी, इनके बीच की या अलग कोई सीमा नहीं, ऐसा मानना सर्वथा भ्रान्तिपूर्ण हैं । साहित्यकार की मानस-तरंगें अनेक भाव-भूमियों में से गुजरती हैं। सच तो यह है कि दुनिया-भर में सर्वश्रेष्ठ साहित्य वर्तमान युग में यथार्थ और आदर्श के सामंजस्य का-ही-प्रतीक है। अधिक मात्रा में आज ऐसे ही साहित्य का सृजन हो रहा है जिसमें यथार्थ की धरा पर आदर्शवादी इंगित होते हैं। अत: इन दोनों का समन्वय कोई असंभाव्य बात नहीं है।

प्रेमचन्द ने प्रकृतवादियों की तरह जीवन के दुर्बल पक्षों तक ही अपने को सीमित नहीं रखा। उन्होंने सर्वत्र यथार्थ बुराइयों का चित्रण करके भी भलाई की प्रेरणा दी है। इसी से प्रेमचन्द को यथार्थोन्मुख आदर्शवादी या आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक मानने में कोई आपति नहीं होनी चाहिए। प्रेमचन्द के चित्रण यथार्थ हैं, दृष्टि व्यावहारिक और आदर्शवादी है। उनका आदर्शवाद भी किसी रचना में ऐसा नहीं है, जो असम्भाव्य हो, निष्क्रिय या स्वप्निल, कोरी कपोल-कल्पना हो। न ही उन्होंने नग्न कुरुचिपूर्ण स्थूल यथार्थ को ही अपनाया, जो पाठक का मानसिक स्खलन करता हो। रोमानी आदर्शवादी साहित्य में यथार्थ की विभीषिका नहीं होती। वास्तव में प्रेमचन्द का आदर्शवाद उनके यथार्थ को और भी भावमयता प्रदान करता है । ''जीवन कैसा है'', यह चित्रित करके भी ''जीवन कैसा होना चाहिए'' या कम-से-कम ''जैसा है वैसा नहीं होना चाहिए'', यह प्रेरणा या सुझाव भी प्रेमचन्द के उपन्यासों में पाया जाता है। आदर्श और यथार्थ-संबंधी यही धारणा प्रेमचन्द साहित्य की उचित सीमा है। आदर्श और यथार्थ का यह समन्वय न असंभव है और न अनुचित।

जीवन की जन-समस्याओं तथा जन-भावनाओं अर्थात साधारण जीवन-आयामों का चित्रण आधुनिक युग से ही आरंभ हुआ । इस प्रकार प्रेमचन्द का साहित्य एक ओर प्राचीन क्लासिकल संस्कृत साहित्य से भिन्न है, दूसरी ओर प्राचीन हिंदी साहित्य से भी दृष्टि-भेद उसमें स्पष्ट है। प्रेमचन्द के उपन्यास अपने पूर्व-युग के आदर्शवादी उपदेश-प्रधान उपन्यासों से भी भिन्न हैं । साधारण जन-जीवन का जो यथार्थ चित्रण उन्होंने किया है, वह आदर्शवादी लेखक की कल्पना से बाहर ही रहता है । अत: प्रेमचन्द को मात्र आदर्शवादी लेखक कहना उनकी यथार्थ दृष्टि के मूल्य को कम करना है । इसी कारण प्रेमचन्द को आदर्शवादी साहित्य-परम्परा में नहीं रखा जा सकता है ।

प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों द्वारा हिंदी कथा साहित्य को "मनोरंजन" और "उपदेश" की सीमित परिधि से मुक्त कर यथार्थ का व्यापक आयाम प्रदान किया । प्रेमचन्द के उपन्यास "मनोरंजन" नहीं क़रते, यह कहना ठीक नहीं होगा; पर यह मनोरंजन घटनाजाल से उत्पन्न होने वाले कुतूहल का मनोरंजन नहीं है, वरन मानव नियति से जुड़ी जिज्ञासा से उत्पन्न मनोरंजन है । यों प्रेमचन्द के प्रारंभिक उपन्यासों में "घटनाओं" की योजना भी है, पर प्रेमचन्द धीरे-धीरे "घटनाओं" को छोड़कर "कार्यों" को अपने कथा संसार का आधार बनाने लगते हैं । "यथार्थ" से उनकी रचनाओं का संबंध दिनोदिन घनिष्ठतर होता जाता है और उनके अंतिम उपन्यास "गोदान" में यथार्थ अपने प्रखरतम रूप में प्रस्तुत हुआ है । इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व स्व. प्रो. नलिन विलोचन शर्मा करते हैं, जिन्होनें लिखा है: "प्रेमचन्द के उपन्यास मनोरंजन के साधन भी हैं और सत्य के वाहक भी । स्वयं प्रेमचन्द के उपन्यासों में भी "गोदान" उसका अपवाद है - वह मात्र सत्य का वाहक है । "

इस प्रसंग में यह देखना आवश्यक है कि खुद प्रेमचन्द की "यथार्थवाद" के संबंध में क्या धारणा है । अपने "उपन्यास" शीर्षक निबंध में लिखते हैं:

"रियलिस्ट" चरित्रों को पाठक के सामने उनके यथार्थ, नग्न रूप में रख देता है, उसे इससे कुछ मतलब नहीं कि सच्चरित्रता का परिणाम बुरा होता है, या कुच्चरित्रता का परिणाम अच्छा । "रियलिज़्म" हमारी दुर्बलताओं, हमारी विषमताओं और हमारी क्रूरताओं का नग्न चित्र होता है । वास्तव में रियलिज्म हमको पेसिमिस्ट बना देता है, मानव चरित्रों पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमें अपने चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र आने लगती है। इस कमी को ''आइडियलिस्ट'' पूरा करता है। ''आइडियलिज़्म'' हमें ऐसे चरित्रों से परिचित कराता है, जिनके हृदय पवित्र होते हैं, जो स्वार्थ और वासना से रहित होते हैं, जो साधु प्रकृति के होते हैं। रियलिज़्म यदि हमारी आंखें खोल देता है, तो ''आइडियलिज़्म'' हमें उठाकर किसी मनोरम स्थान में पहुंचा देता है।''

प्रेमचन्द अपनी ''गोदान'' पूर्व की रचनाओं में यथार्थोन्मुख आदर्शवादी हैं। इनमें प्रेमचन्द ने हृदय-परिवर्तन, सुधार-समझौता आदि के रूप में आदर्शवादी प्रवृत्ति को साग्रह अपनाया है। किन्तु इनमें भी यथार्थ दृष्टि बराबर रही है। अधिक सत्य यह है कि प्रेमचन्द यथार्थ से आरम्भ करके प्राय: सभी उपन्यासों की परिणति आदर्श में करते रहे हैं। अन्त तक जाते-जाते प्राय: सभी बुरे पात्रों का हृदय-परिवर्तन हीं जाता है, या वे रंगमंच से हटा दिए जाते हैं और सत की असत पर विजय करा दी जाती है। किसी आदर्श ग्राम-आश्रम अथवा सदन के निर्माण में उपन्यास का अन्त होता है। इस अंतिम आदर्शवादी सिद्धि के ही आधार पर इन रचनाओं को भी आदर्शवादी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रेमचन्द आरंभ और मध्य में यथार्थ का दृढ़ आंचल पकड़े रहते हैं। उपन्यास का अधिकांश कलेवर यथार्थ के ताने-बाने से बुना रहता है। किन्तु आदर्शवादी परिणति के ही कारण उनके उपन्यासों को यथार्थोन्मुख आदर्शवादी रचनाएं कह सकते हैं।

जहां तक ''गोदान'' का प्रश्न है, आरम्भ से अंत तक समस्त रचना यथार्थवादी है। किन्तु यह यथार्थवाद भी निरुद्देश्य, नग्न या प्रेरणाहीन यथार्थवाद नहीं है : यह कल्पना-विहीन कोरा यथातथ्यवाद भी नहीं है ''गोदान'' में जीवन की आदर्श प्रेरणाएं बराबर पाई जाती हैं। अत: गोदान को आदर्शोन्मुख यथार्थवादी या स्वस्थ यथार्थवादी रचना कहा जा सकता है।

''गोदान'' प्रेमचन्द का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। स्वभावत: उसमें प्रेमचन्द का यथार्थवाद संबंधी अंतिम दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। ''गोदान'' का मुख्य या केंद्रीय विषय है ज़मींदारों, और महाजनों और सरकारी अमलों के शोषण के फलस्वरूप दयनीय जिन्दगी जीने वाला भारतीय किसान जिसका प्रतिनिधित्व होरी और उसका परिवार करता है। ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थवादी और विशद चित्रण शायद ही किसी भारतीय उपन्यास में मिले, हिंदी की तो बात ही अलग है। ''गोदान'' भारतीय कृषक जीवन की आंसू भरी कहानी, विषाद गीत है। ग्रामीण जीवन का शायद ही कोई पहलू हो जिस पर उपन्यासकार ने अपनी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि न डाली हो। कथाकार ने बेलारी के समस्त किसानों को ज़मींदार, महाजन और पुलिस के शोषण की चक्की में पिसते दिखाया है। फसल हो या न हो, जमींदार लगान वसूलेगा ही; साथ ही समय-समय पर किसी धार्मिक उत्सव के लिए ''सगुन'', किसी बड़े पदाधिकारी की दावत के लिए चन्दा, बेगार आदि भी किसानों को देना ही है। जमीन की बेदखली के डर से किसान महाजन से कर्ज लेता है । महाजन इतनी बड़ी सूद-दर पर कर्ज़ देता है कि एक वार जो किसान कर्ज़ के दलदल में फंसता है, वह आजीवन उससे मुक्त नहीं हो पाता। पुरोहित भी धर्म, ईश्वर और परलोक का भय दिखाकर किसानों को लूटता हैं । समय-समय पर पुलिस कर्मचारी और सरकारी अमले भी किसानों का शोषण करने से बाज नहीं आते। यह भारतीय किसान, प्रेमचन्द के ज़माने में, दुर्दान्त शोषण चक्र का शिकार था, जिसका चित्रण ''गोदान'' में किया गया है।

कुछ आलोचक ''गोदान'' की कलात्मक श्रेष्ठता इस बात में भी मानते हैं कि उसमें केवल ''यथार्थ'' का चित्रण है, कोई समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं की गई है। कलात्मक श्रेष्ठता की यह कसौटी इस अर्थ में ठीक है कि अक्सर ''समाधान'' आरोपित हो जाते हैं। पर यदि ''समाधान'' आरोपित न होकर तर्कसंगत, वैज्ञानिक संभावना से युक्त, सहज और यर्थाथ कीं अनिवार्य परिणति के रूप में हो तो जानबूझकर उससे बचने का कोई कलात्मक औचित्य नहीं है। ''गोदान'' में प्रेमचन्द ने कृषक जीवन की त्रासदी मात्र प्रस्तुत कर के संतोष कर लिया है; उस त्रासदी को बदलने की किसी संभावना का संकेत नहीं दिया है।

प्रेमचन्द ने इस यथार्थ के आंतरिक स्वरूव को पहचानने और प्रस्तुत करने में कोई भूल नहीं की है । होरी और उसके गांव की कहानी से यह स्पष्ट है कि किसानों की दुर्दशा का कारण विदेशी साम्राज्यवाद के सहायक जमींदार, महाजन और प्रशासन तंत्र हैं और जब तक इस व्यवस्था का अंत नहीं हो जाता तब तक किसानों की दशा में कोई परिवर्तन असंभव है । प्रेमचन्द ने यह भी दिखाया है कि जब तक किसान शिक्षित तथा पुरानी, जर्जर, अवैज्ञानिक मान्यताओं से मुक्त और एकजुट नहीं होते तब तक उन्हें पीसने वाली शोषण व्यवस्था का अंत नहीं हो सकता।

इस प्रकार ''गोदान'' में शोषण चक्र में पिसते हुए छोटे किसानों के दयनीय जीवन का ही नहीं, उससे मुक्ति के लिए उनकी विद्रोह भावना का भी चित्रण हुआ है। प्रेमचन्द ने इस विद्रोह भावना को शोषकों--ब्रिटिश सरकार, जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध किसानों के संघर्ष के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। यदि वे ऐसा करते तो निश्चय ही अपने समाजवादी यथार्थवादी होने का परिचय देते। मिल मालिकों के खिलाफ मजदूरों के संघर्ष का चित्रण करके प्रेमचन्द ने समाजवादी यथार्थवाद की ओर अपना झुकाव तो प्रदर्शित किया है, पर गोबर के घायल होकर गिरने के बाद उसके

4437 HA/08—6A

चरित्र में आकस्मिक परिवर्तन दिखाकर उन्होंने अपने वैचारिक ढुलमुलपन का ही परिचय दिया है।

''गोदान'' में, क्या घटनाओं की दृष्टि से, क्या चरित्र-चित्रण और क्या उद्देश्य की दृष्टि से, सर्वत्र यथार्थवादी प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रेमचन्द ने समाज की पंकिलता के यथार्थ चित्रण में कोई दुराव-छिपाव की नीति नहीं अपनाई। नोहरी का प्रसंग, मालती-खन्ना का रोमांस, धर्म का ढकोसला, अनेक प्रकार का शोषण आदि, सब प्रसंग और घटनाएं यथार्थवादी यथातथ्य-शैली में प्रस्तुत की गई हैं। किन्तु प्रेमचन्द अपनी प्रतिक्रिया सर्वत्र प्रकट करते जाते हैं। इन सब बुराइयों के प्रति भर्त्सना प्रकट करके उन्होंने पाठक की घृणा को ही जगाया है। इस प्रकार किसी भी कुत्सित घटना से पाठक का मानसिक स्खलन नहीं होता। प्रेमचन्द पाठक का मानसिक पतन नहीं चाहते। यहीं प्रेमचन्द की आदर्शवादी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। इसे आदर्शवादी दृष्टि भी इसीलिए कहा जाता है कि पाठक इस यथार्थ से भी स्वस्थ प्रेरणा ग्रहण करता है। जब सोना बाद में सिलिया को फटकारती है, प्रचण्ड बन जाती है, तब पाठक आदर्श-प्रेरणा ही ग्रहण करता है। इस प्रकार प्रेमचन्द का यथार्थवाद कहीं भी नग्न, अरुचिकर, अश्लील या अभद्र नहीं बन पाता।

होरी किसान की कहानी पूर्णतया यथार्थ करुण कहानी है। प्रेमचन्द उसे लुटते-पिटते-मरते छोड़ देते हैं, किसी सुधारक नेता की कल्पना नहीं करते। वह अपनी जीवन डोंगी स्वयं खेता है। उद्देश्य की दृष्टि से प्रेमचन्द ''गोदान'' में सर्वथा यथार्थवादी रहे हैं। अपने युग की वास्तविक स्थिति का ही उन्होंने चित्रण किया है। वह चाहते तो गोबर के क्रान्तिकारी रूप की कल्पना आसानी से कर सकते थे, उन्होंने इसका कुछ आभास भी देना चाहा था, पर एक वस्तुवादी कलाकार के नाते उन्होंने ईमानदारी से इस कल्पना को भी यथार्थ से आगे नहीं बढ़ाया।

प्रेमचन्द के चरित्र-चित्रण पर विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचन्द की चरित्र-सृष्टि सर्वथा यथार्थ है। उन्होंने न तो किसी देवता की कल्पना की है, न दानव की। सभी पात्र यथार्थ मानव हैं। अपनी दुर्बलताओं और सबलताओं, अपने ''कु'' और ''सु'' से मंडित इसी धरती के यथार्थ मानव। क्या होरी जैसे दरिद्र किसान को नायक बनाकर कोई आदर्शवादी लेखक अपनी रचना कर सकता है? होरी का नायकत्व प्राचीन काल से चली आ रही महान की भावना के सर्वथा विपरीत है। प्रेमचन्द ने सभी पात्रों का यथार्थ चरित्र-चित्रण किया है। मातादीन, मालती आदि के परिवर्तन में भी अत्यंत यथार्थता है। यद्यपि प्रेमचन्द की चरित्र-दृष्टि तटस्थतापूर्ण शैली में निर्मित हुई है; प्रेमचन्द ने किसी पात्र के प्रति पक्षपात नहीं किया, अपने आदर्श आदि के आग्रह से किसी को मनमाने नहीं चलाया, तथापि यह चरित्र-चित्रण ऐसा है, जिससे अच्छे पात्रों के चरित्रों से प्रेरणा मिलती है और बुरों की बुराइयों से घृणा जगती है। यही प्रेमचन्द के यथार्थ चिरित्र-चित्रण का बल है; यही उनकी आदर्शवादिता है। अत: ''गोदान'' में प्रेमचन्द आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं; स्वस्थ प्रेरणापूर्ण यथार्थवादी हैं। उनकी औपन्यासिक चेतना की यथार्थोन्मुख आदर्शवादी से आदर्शोन्मुख यथार्थवादी में परिणति का स्पष्ट प्रमाण ''गोदान'' है।

संदर्भ ग्रंथ : 1. गोदान: नया परिप्रेक्ष्य–डॉ. गोपाल राय,
2. प्रेमचन्द और उनका गोदान–डॉ. कृष्णदेव झारी,
3. प्रेमचन्द और उनका युग-डॉ. रामविलास शर्मा

■

हिंदी में काम करने की मानसिकता पैदा की जाए। समिति सहमत है कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा, प्रोत्साहन आदि की जरूरत है।

–संसदीय राजभाषा समिति, सिफारिशें छठा खंड

4437 HA/08—6B

प्रेम से भरे थे भगत सिंह

(जन्म शताब्दी वर्ष 27 सितम्बर, 1907–27 सितम्बर, 2007 समारंभ विशेष)

–राजशेखर व्यास*

खूबसूरत शख्सियत रखने वाला नौजवान, हरदिल अजीज, शहीदों का शहजादा भगतसिंह भी कभी प्रेम करता होगा, ऐसा कोई सोच भी नहीं पाता, सोच भी नहीं सकता।

पता नहीं क्यों ''भगतसिंह'' का नाम लेते और याद आते ही हमारे दिमाग में उनका क्रांतिकारी रूप सामने आता है और हम यह मान लेते हैं कि एक क्रांतिकारी और विशेषकर भगतसिंह का तो प्रेम या नारी से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। दरअसल, ऐसा नहीं है।

अमर शहीद भगतसिंह एक बेहद खुशमिजाज, जिंदादिल, मस्त और भोले-भाले मनुष्य थे, हमेशा गुनगुनाने वाले। वह नौजवान अगर फाँसी पर न चढ़ा होता तो संभवत: एक भावुक कवि, एक संवेदनशील साहित्यकार, एक कोमल गायक और दार्शनिक होता। उनके बैठने-उठने, खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने तक में एक करीना था। बाह्य सुंदरता-स्वच्छता ही नहीं, आंतरिक सुंदरता-स्वच्छता का भाव भी उनमें बेहद गहरा था। बाहरी गंदगी से उन्हें इतनी चिढ़ न थी, जितनी नफरत उन्हें भीतरी गंदगी से थी, (डकैती को, भले ही उसका उद्देश्य देश-सेवा ही क्यों न हो, वह पसंद नहीं करते थे, उससे परेशान होते थे। उन्हें आतंकवादी, डकैत, फासिस्ट कहने वाले कृपया ध्यान दें)। कलाकार का कल्पनाशील मन संवेदनशील होता है। अत: जिसके घर डाका पड़ा है, उनके निर्दोष मन की विह्वलता को वह अनुभव करते थे। जब पहली बार योगेशचन्द्र चटर्जी उन्हें अपने साथ डकैती में ले गए थे तो मन के अंतर्द्वंद्वों ने उन्हें इतना उद्वेलित किया था कि उन्हें ''कै'' हो गई थी।

13 अप्रैल, 1919 को जब अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड हुआ था तब भगतसिंह केवल बारह वर्ष के थे। अपनी बहन अमरों से बेहद स्नेह करने वाले, अपने मन की सारी बातें बता देने वाले और उसी के साथ खेलने वाले उस स्नेहशील भाई के बारे में अमरों बहन ने सुनाया था, 'उस दिन सुबह से वीरा स्कूल के लिए कहकर गया था, पर देर रात तक घर लौटा। घर में सभी घबरा गए थे। उसके आते ही मैंने उसके हिस्से की जो मिठाई-फल रखे थे, उसे देते हुए पूछा, ''कहाँ गया था, वीरा? सब जगह तुझे ढूँढ लिया था, चल, फल खा ले।''

''तब फफक-फफककर रो उठा था मेरा वीरा! मैंने उसे आम तौर पर कभी रोते नहीं देखा था। उसने अपनी निक्कर की जेब से एक शीशी निकाली। उसमें मिट्टी भरी हुई थी। उसने कहा, 'मिट्टी नहीं, अमरों, यह शहीदों का खून है।' उस शीशी से वह रोज खेलता, उसका तिलक लगाता, फिर स्कूल जाता। वह मिट्टी ही उन दिनों उसका खिलौना हो गई थी ।''

नेशनल कॉलेज में पढ़ते समय एक सुंदर सी लड़की आते-जाते भगतसिंह को देखकर मुसकरा देती थी। सिर्फ भगतसिंह की वजह से वह भी क्रांतिकारी दल में शामिल हो गई थी। जब असेंबली में बम फेंकने की बात दल की मीटिंग में उठाई गई तो ''अभी दल को भगतसिंह की बहुत जरूरत है'' कहकर दल और आजाद ने उन्हें भेजे जाने की संभावना से ही इनकार कर दिया। उन दिनों भगतसिंह का सबसे अंतरंग मित्र था सुखदेव। सुखदेव ने भगतसिंह को ताना मारा कि 'तुम उस लड़की की वजह से बम फेंकने नहीं जा रहे हो। तुम मरने से डरते हो। तुम उससे प्रेम करते हो।' और भी न जाने क्या-क्या आरोप लगाए। सुखदेव यों भी जब-तब भगतसिंह से नारी, प्रेम, यौवन संबंधों इत्यादि को लेकर भी बहस किया करते थे, मगर उनके इस आरोप से तो भगत सिंह का हृदय रो उठा । वह भावुक थे, मगर संयत-शिष्ट

*वरिष्ठ निदेशक, दूरदर्शन महानिदेशालय, दूरदर्शन भवन, कोपरनिक्स मार्ग, नई दिल्ली-110001

मस्तिष्क वाले अध्ययनशील विचारक नौजवान थे। रात को उन्होंने सुखदेव को जो पत्र लिखा, वह नारी, प्रेम और कोमलता तथा मानवीय संवेदनाओं पर उनके बेहद संतुलित विचारों का परिचायक है। हमें इस मायने में सुखदेव का आभारी होना चाहिए। अगर वह नहीं उकसाते या ताना नहीं मारते तो एक प्रखर क्रांतिकारी चिंतक और तेजस्वी दार्शनिक दृष्टा के कोमल विषयों-प्रेम और नारी पर इतने अनूठे विचारों से वंचित रह जाते। सुखदेव के ताने के बाद भगतसिंह ने दोबारा दल की मीटिंग बुलवाई और जोर देकर अपना नाम रखवाया। 8 अप्रैल, 1929 को असेंबली में बम फेंकने जाने के पहले उन्होंने सुखदेव को यह महत्वपूर्ण पत्र लिखा–

''जब तक तुम्हें यह पत्र मिलेगा, मैं जा चुका होऊंगा–दूर एक मंजिल की ओर। मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूं। हमेशा से ज्यादा। मैं यात्रा के लिए तैयार हूं, अनेक-अनेक मधुर स्मृतियों के होते और अपने जीवन की सब खुशियों के होते भी एक बात मेरे मन में चुभती रही थी कि मेरे भाई, मेरे अपने भाई ने मुझे गलत समझा और मुझ पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया-कमजोरी।''

''आज मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं, पहले से कहीं अधिक। आज मैं महसूस करता हूं कि वह बात कुछ भी नहीं थी, एक गलत फहमी थी । एक गलत अंदाज था। मेरे खुले व्यवहार को मेरा बातूनीपन समझा गया और मेरी आत्मस्वीकृति को मेरी कमजोरी, परंतु अब मैं महसूस करता हूं कि कोई गलतफहमी नहीं रखो, मैं कमजोर नहीं हूं। अपनों में से किसी से भी कमजोर नहीं, भाई! मैं साफ दिल से विदा होऊंगा। क्या तुम भी साफ होओगे? यह तुम्हारी बड़ी दयालुता होगी, लेकिन खयाल रखना कि तुम्हें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। गंभीरता और शांति से तुम्हें काम को आगे बढ़ाना है, जल्दबाजी में मौका पा लेने का प्रयत्न न करना। जनता के प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, उसे निभाते हुए काम को निरंतर सावधानी से करते रहना।''

''तुम्हीं स्वयं अच्छे निर्णायक होंगे। जैसी सुविधा हो, वैसी व्यवस्था करना। आओ भाई, अब हम बहुत खुश हो लें। खुशी के वातावरण में मैं कह सकता हूं कि जिस प्रश्न पर हमारी बहस है, उसमें अपना पक्ष लिए बिना नहीं रह सकता। मैं पूरे जोर से कहता हूं कि मैं आशाओं और आकांक्षाओं से भरपूर हूं और जीवन की आनन्दमयी रंगीनियों से ओत-प्रोत हूं, पर आवश्यकता के समय सब कुछ कुरबान कर सकता हूं और यही वास्तविक बलिदान है।''

''ये चीजें कभी मनुष्य के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकतीं, बशर्ते कि वह मनुष्य हो। निकट भविष्य में ही तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा।''

''किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में बातचीत करते हुए एक बात सोचनी चाहिए कि क्या प्यार कभी किसी मनुष्य के लिए सहायक सिद्ध हुआ है? मैं आज इस प्रश्न का उत्तर देता हूं–'हां, वह मेजिनी था।' तुमने अवश्य ही पढ़ा होगा कि अपनी पहली विद्रोही विफलता, मन को कुचल डालने वाली हार तथा मरे हुए साथियों की याद को वह बरदाश्त नहीं कर सकता था। वह पागल हो जाता या आत्महत्या कर लेता, लेकिन अपनी प्रेमिका के एक ही पत्र से वह किसी एक से ही नहीं, बल्कि सबसे अधिक मजबूत हो गया।''

''जहां तक प्यार के नैतिक स्तर का संबंध है, मैं यह कह सकता हूं कि यह अपने में कुछ नहीं है सिवाय एक आदेश के, लेकिन यह पाशविक वृत्ति नहीं, एक मानवीय अत्यंत मधुर भावना है। प्यार अपने आप में कभी भी पाशविक वृत्ति नहीं है।''

''प्यार तो हमेशा मनुष्य के चरित्र को ऊपर उठाता है, यह कभी भी उसे नीचा नहीं करता, बशर्ते प्यार हो। तुम कभी भी इन लड़कियों को वैसी पागल नहीं कह सकते, जैसी फिल्मों में हम देखते हैं। वे सदा पाशविक वृत्तियों के हाथ खेलती हैं। सच्चा प्यार कभी भी गढ़ा नहीं जा सकता। वह अपने ही मार्ग से आता है, कोई नहीं कह सकता–कब?''

''हां, मैं यह कह सकता हूं कि एक युवक एक युवती आपस में प्यार कर सकते हैं तथा अपने प्यार के सहारे आवेगों से ऊपर उठ सकते हैं, अपनी पवित्रता बनाए रख सकते हैं। मैं यहां एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि जब मैंने कहा था कि प्यार इनसानी कमजोरी है तो यह एक साधारण आदमी के लिए नहीं कहा था। जिस स्तर पर कि आदमी होते हैं, वह एक अत्यंत आदर्श स्थिति है, जहां मनुष्य प्यार, घृणा इत्यादि के आवेगों पर काबू पा लेगा, जब मनुष्य अपने कार्यों का आधार आत्मा के निर्देश को बना लेगा, लेकिन आधुनिक समय में यह कोई बुराई नहीं है, बल्कि मनुष्य के लिए अच्छा और लाभदायक है। मैंने एक आम आदमी की दूसरे आदमी से निंदा की है, पर वह भी एक आदर्श स्तर पर, इसके होते हुए भी मनुष्य में प्यार की गहरी भावना होनी चाहिए, जिसे वह एक ही आदमी में सीमित न कर दें, बल्कि विश्वमय रखे।''

"मैं सोचता हूं कि मैंने अब अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, वह यह कि क्रांतिकारी विचारों के होते हुए हम नैतिकता के संबंध में आर्यसमाजी ढंग की कट्टर धारणा नहीं अपना सकते। हम बढ़-चढ़कर बात कर सकते हैं और इसे आसानी से छिपा सकते हैं, पर असल जिंदगी में हम झट थर-थर कांपना शुरू कर देते हैं।"

"मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि यह छोड़ दो। क्या मैं अपने मन में बिना किसी गलत अंदाज के गहरी नम्रता के साथ निवेदन कर सकता हूं कि तुममें जो अति आदर्शवाद है उसे जरा कम कर दो और उसकी तरफ से तीखे न रहो। जो तीखे रहोगे तो मेरी तरह बीमारी का शिकार हो जाओगे। उनकी भर्त्सना कर उनके दु:खों-तकलीफों को न बढ़ाना। उन्हें तुम्हारी सहानुभूति की आवश्यकता है।"

"क्या मैं यह आशा कर सकता हूं कि किसी खास व्यक्ति से द्वेष रखे बिना तुम उनके साथ हमदर्दी करोगे, जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है? लेकिन तुम तब तक इन बातों को नहीं समझ सकते जब तक तुम स्वयं उस चीज का शिकार न बनो। मैं यह सब क्यों लिख रहा हूं? मैं बिलकुल स्पष्ट होना चाहता था। मैंने अपना दिल साफ कर दिया है।"

'तुम्हारी हर सफलता और प्रसन्न जीवन की कामना सहित,

तुम्हारा भाई,
'भगतसिंह।'

जब फांसी की कोठरी में वह अपनी शहादत का इंतजार कर रहे थे, असेंबली बम-कांड और लाहौर बम-कांड में उन्हें सजा सुनाई जा चुकी थी तब उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक और खूबसूरत था कि अनेक अंग्रेजी अफसरों की बीवियां सिर्फ उन्हें देखने जेल आती थीं।

जेल से उन्होंने जितने भी पत्र लिखे, अपनी मां, बटुकेश्वर दत्त की बहन तथा जयदेव गुप्त की बहन के नाम लिखे। इन अत्यंत मार्मिक पत्रों में उनका स्नेहसिक्त हृदय झलकता है। जेल में जो कर्मचारी उनकी कोठरी की सफाई करने आता था, उसे भगतसिंह प्यार से 'बेबे' कहते थे। "तुम इसे 'बेबे' क्यों कहते हो?" एक दिन किसी जेल अधिकारी ने पूछा तो वह बोले, "जीवन में सिर्फ दो व्यक्तियों ने ही मेरी गंदगी उठाने का काम किया है। एक मेरे बचपन में मेरी मां, और यह एक जवानी की जमादार मां, इसीलिए दोनों माताओं को प्यार से मैं 'बेबे' कहता हूं।

फांसी से पहले जेलर खान बहादुर अकबर अली ने उनसे पूछा, "तुम्हारी कोई खास इच्छा हो तो बताओ? मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा?"

भगतसिंह ने कहा, "हां, मेरी एक खास इच्छा है और उसे आप ही पूरी कर सकते हैं। मैं 'बेबे' के हाथ की रोटी खाना चाहता हूं।"

जेलर ने इसे उनका मातृ-प्रेम समझा, मगर उनका अभिप्राय उस सफाई कर्मचारी से था। जेलर ने जब उससे कहा तो वह बेचारा स्तब्ध रह गया, 'सरदारजी! मेरे हाथ ऐसे नहीं हैं कि उनसे बनी रोटियां आप खाएं।'

भगत सिंह ने अपने स्वभावानुसार उछलते-मटकते उसके साथ ही उसके हाथ की रोटियां खाईं।

एक बार इससे पहले दोस्तों से विदा होते समय लाहौर रेलवे स्टेशन पर उन्होंने कहा था, 'दोस्तो, मैं आपको बता दूं कि अगर मेरी शादी गुलाम भारत में हुई तो मेरी दुल्हन सिर्फ मौत होगी, बारात शव-यात्रा बनेगी और बाराती होंगे शहीद।' ■

हमने अपने संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए हमें देखना है कि सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग हो।

–पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी

4437 HA/08—7A

विश्व हिंदी दर्शन

भारत और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी

–गिरीश चन्द्र पाण्डे*

कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय, न्यूयार्क में आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन सम्पन्न हुआ । सम्मेलन के समापन पर विदेशों में हिंदी के प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देने संबंधी 10 सुझावों के अलावा हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने पर बल दिया गया और इस दिशा में भारत सरकार से तेजी से कार्यवाई करने का आग्रह भी किया गया । सम्मेलन के प्रारम्भ होने से पहले प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के संदेश में भी इस बात पर जोर दिया गया कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिले।

इसमें दो राय नहीं कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका को देखते हुए और देश तथा विदेश में हिंदी की उपस्थिति को देखते हुए उसे आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिलनी ही चाहिए परन्तु इस संबंध में हमें दो बातों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पहला, संयुक्त राष्ट्र में किसी भाषा को आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद होने वाला खर्च और दूसरा, ऐसे किसी प्रस्ताव की मंजूरी के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रक्रिया नियम, 51 में संशोधन के लिए सदस्य देशों का बहुमत के समर्थन । चूंकि संयुक्त राष्ट्र में किसी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने से संयुक्त राष्ट्र का खर्च काफी बढ़ जाता है और इसलिए इस खर्च को वहन करने का दायित्व संयुक्त राष्ट्र नहीं उठाता बल्कि यह दायित्व संबद्ध देश का होता है । इसलिए संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिलने की स्थिति में भारत को प्रारम्भ में अनुवाद, दुभाषिया, स्टेशनरी, कार्यालय, कंप्यूटर, संचार साधनों और कर्मचारियों की नियुक्ति में लगभग 1 अरब रुपए की भारी–भरकम राशि खर्च करनी पड़ेगी । इसलिए भारत किस सीमा तक यह खर्च उठाने की स्थिति में होगा और कहां तक यह खर्च करना प्रासंगिक होगा, यह एक विचारणीय विषय है । शुरुआती खर्च के बाद आगे परिचालन खर्च को उठाने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र की होती है लेकिन इस मुद्दे पर भी सदस्य देशों में प्रायः मतभेद रहते है । यहां यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र का कामकाज चलाने हेतु वित्तीय व्यवस्था सदस्य देशों द्वारा किए जाने वाले अंशदान से होती है और जिसमें भारत का स्थान 10वां है जबकि अमरीका पहले नम्बर पर है। जहां तक हिंदी के पक्ष में बहुमत जुटाने का संबंध है, संयुक्त राष्ट्र में इस समय 191 सदस्य देश है । इसका तात्पर्य यह है कि कम से कम 96 देशों के सर्मथन की हमें दरकार होगी जो मौजूदा हालात में संभव प्रतीत नही होता । इसका संकेत प्रधानमंत्री के विशेष दूत डा. कर्ण सिंह ने सम्मेलन के समापन अवसर पर दिया । उनका मत था कि भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस आशय के प्रस्ताव तभी पेश करेगा जब उसे इसके पारित होने की आशा होगी और इसमें अभी समय लगेगा । गौरतलब है कि भारत ने इससे पहले जर्मनी, जापान तथा ब्राजील के साथ मिलकर जी–4 के रूप में संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु भी आवेदन किया है और जिसके संबंध में मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों के बीच सर्वसम्मति कायम न होने से यह मामला अधर में लटका है और कोई भी सदस्य अपने वीटो का प्रयोग कर भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का निष्फल करने की सामर्थ्य रखता है । यद्यपि 'संयुक्त राष्ट्र में हिंदी और 'सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता' ये दोनों भिन्न –भिन्न पहलू हैं परन्तु ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं । अभी संयुक्त राष्ट्र में 6 भाषाओं–चीनी, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, रूसी और अरबी भाषाओं को मान्यता मिली है जिनमें अरबी तथा स्पेनिश भाषा को छोड़कर शेष भाषाएं सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की आधकारिक भाषाएं है जबकि संयुक्त राष्ट्र में कामकाज की भाषा अंग्रेजी तथा फ्रेंच है । यह भी उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र की मौजूदा मान्यता प्राप्त

*ई–3/3, सैक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली–85

4437 HA/08—7B

भाषाओं में चीनी भाषा को छोड़कर जिसके बोलने वालों की संख्या लगभग 87 करोड़ 40 लाख है, शेष अन्य भाषाएं हिंदी से पीछे हैं । हिंदी देश में 70 करोड़ और विदेश में करीब 10 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। जबकि अरबी मात्र 20 करोड़ 60 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है । एक अनुमान के अनुसार अरबी और फ्रेंच के मुकाबले बंग्ला और तमिल भाषा बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। यहां यह प्रश्न भी विचारणीय है कि अभी तक संयुक्त राष्ट्र में जिन भाषाओं को आधिकारिक मान्यता मिली है, उसमें अंग्रेजी को छोड़ दें तो शेष भाषाओं की स्थिति क्या है। हिंदी के परिप्रेक्ष्य में भी इस पर विचार किया जाना जरूरी है।

जहां तक विदेशों में हिंदी के प्रचार.प्रसार का संबंध है, मौजूदा वैश्वीकरण के दौर में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में हिंदी स्वत: विदेशों में आगे बढ़ेगी और वह किसी की मोहताज नहीं है । आज विकसित देश अपने उत्पादों को बेचने हेतु भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखते हैं और उनके उत्पादों ने भारतीय बाजार में अपनी धूम मचाई है । इसलिए उन्हें यह भलीभांति ज्ञात है कि भारतीय उपभोक्ता से आत्मसात होने हेतु उसकी जुबान को अपनाना और उसकी भाषा में काम करना एक अनिवार्य शर्त है । चीन का उदाहरण हमारे सामने है । उसने वैश्वीकरण की बयार में पीछे छूटने की आशंका से कितनी तेजी से अपनी चीनी भाषा के अलावा प्राइमरी स्तर से ही अंग्रेजी के अध्ययन की व्यवस्था की है।

हिंदी को जब विदेश में प्रतिष्ठित करने का प्रश्न उठता है तो हमें इसके दूसरे पहलू पर भी गौर करना होगा यानी भारत में हिंदी की मौजूदा स्थिति क्या है हमें इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि विदेशों में जब हम हिंदी को प्रतिष्ठित करने की बात करते हैं तो हमारी स्थिति 'गांव में छोरा, नगर में ढिंढोरा' सदृश होती है यानी अपने देश में दोयम दर्जा प्राप्त हिंदी का डिंढोरा हम विदेश में पीटते हैं परन्तु स्वदेश में हिन्दी की वास्तविक स्थिति के बारे में विचार नहीं करते । यह स्थिति निश्चित तौर पर शोचनीय है । अन्यथा क्या कारण है कि संघ की राजभाषा हिंदी घोषित होने और आजादी के 60 वर्ष गुजर जाने पर भी आज सारा कामकाज अंग्रेजी में हो रहा है और केवल हिंदी सभा/सम्मेलनों या हिंदी पखवाड़ा/सप्ताह या हिंदी दिवस के अवसर पर ही उसकी भरपूर दुहाई दी जाती है । यहां इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि भारत में हिंदी सप्ताह/पखवाड़ा मनाने का क्या औचित्य है? विश्व में कौन सा देश है जो अपनी भाषा के प्रचार-प्रसार और प्रोत्साहन हेतु इस आशय के दिवस आयोजित करता है । सम्भवत: कोई नहीं । क्या ऐसे आयोजन कर हम देश की राजभाषा हिंदी के साथ वास्तव में न्याय कर रहे हैं ? ऐसें करके हम क्या राजभाषा हिंदी को वर्ष भर में केवल सप्ताह/पखवाड़े में बांध कर नहीं रख रहे हैं जबकि राजभाषा के रूप में हिंदी का साल भर में प्रयोग होना चाहिए । इसलिए हमें इस दोहरे मापदंड से बचना होगा और यदि हम राजभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित करने हेतु वाकई गम्भीर हैं तो हमें इसके मार्ग में बाधक कारणों की पहचान कर उनका समाधान ढूंढना होगा।

हिंदी की यह विडम्बना रही है कि उसे सदैव अंग्रेजी भाषा के विरोधी के रूप में देखा गया जिसका प्रमाण हमें समय-समय पर दक्षिण राज्यों में हिंदी के प्रति बरती जा रही असहिष्णुता के तौर पर देखने को मिलता है । जबकि हकीकत यह है कि हिंदी का विरोध किसी भाषा के प्रति नहीं रहा बल्कि उसने अंग्रेजी के साथ-साथ अन्य प्रान्तों की क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द लेकर अपनी उदारता का ही परिचय दिया । इसलिए हमें हिंदी के प्रति इस पूर्वाग्रह से मुक्त होना पड़ेगा । यहां हम इस बात को भूल जाते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की पहल महात्मा गांधी और रवीन्द्रनाथ टैगोर सरीखे अहिंदीभाषी महापुरुषों ने की थी।

हिंदी को राजभाषा घोषित करने के बाद देश में राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास के लिए गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग की स्थापना की गई और प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में अनुवादकों और राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति कर उन पर यह जिम्मेदारी डाल दी गई कि वे सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को सुनिश्चित करें जबकि व्यवहार में मंत्रालयों और विभागों में इसी के समानान्तर मूलत: सारा सरकारी कार्य अंग्रेजी में हो रहा है । जहां विद्भाषी रूप में संसद में या राज्यों से पत्र व्यवहार की सांविधिक बाध्यता है, वहां अनुवाद कराकर खानापूर्ति की जाती है । संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण में भी इस बात पर गौर नहीं किया जाता कि हिंदी के प्रगामी प्रयोग में लगे स्टाफ के समक्ष आखिर दिक्कतें कहां आ रही हैं, उनकी कार्य की दशाएं क्या हैं और उनका समाधान किस प्रकार से किया जाए । समिति राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किए जाने वाले हिंदी की प्रगति से संबन्धित वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के मकड़जाल

में उलझ कर रह जाती है । इसलिए सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु यह नितांत आवश्यक है कि अधिकतम कामकाज अंग्रेजी के बजाय हिंदी में ही मूल रूप में किया जाए, जहां सन्देह की गुजाइश रहे वहां राजभाषा विभाग का सहयोग लिया जाए । यह कैसा विरोधाभास है कि आज भी हम आम आदमी को उसकी भाषा में न्याय नहीं दिला सकते और न्यायालयों की कामकाज की भाषा अंग्रेजी के व्यामोह में जकड़ कर रह गयी । इसी प्रकार कृषि प्रधान देश में किसानों को भी उसकी भाषा में कृषि संबंधी अनुसंधान तथा जानकारी देने का प्रयत्न भी हमने नहीं किया । नि:सन्देह राजभाषा के रूप में हिंदी को हम वास्तव में सरकारी कामकाज में अपनाते तो उससे हिंदी का सहज, सरल और बोधगम्य रूप हमारे सामने आता और उस पर अनुवाद की क्लिष्टता, उबाऊपन और बेजान होने का आरोप भी नहीं लगता।

यह तथ्य है कि भाषा का संबंध देश के नागरिकों की भावना तथा मानसिकता से जुड़ा है जिसके लिए सांविधिक बाध्यता कोई मायने नहीं रखती । इसलिए सरकार के साथ उसके कर्मचारियों और अधिकारियों को भी अपने स्तर से सरकारी कामकाज में अधिकाधिक हिंदी के प्रयोग को बढावा देना होगा इसके आलावा हिंदी को हमें आजीविका से भी जोड़ना होगा । हमें इस बात पर भी गौर करना होगा कि जिस हिंदी के पठन-पाठन का गुणगान हम विदेशी विश्वविद्यालयों में करने से नहीं थकते वहीं अपने देश के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ने वाले छात्रों का टोटा क्यों है और वे हिंदी को क्यों हेय दृष्टि से देखते हैं ? यही नहीं, हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि स्कूली स्तर पर भी हिंदी की क्या स्थिति है ? कुकुरमुत्ते की तरह उग आए पब्लिक स्कूलों में अंग्रेजी की बनिस्बत हिंदी की क्या स्थिति है ? कई पब्लिक स्कूलों मे तों स्कूली समय में हिंदी बोलने पर ही पाबंदी लगा दी जाती है। देश में समान स्कूली शिक्षा की वकालत करने वाले बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों का स्पष्ट मत हैं कि प्राथमिक चरण में यदि बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए तो वह ज्यादा कारगर होती है । परंतु इस दिशा में आज तक कोई पहल नहीं की गई । हमें हिंदी साहित्य के पठन-पाठन की स्थिति और उससे जुड़े साहित्यकारों की स्थिति पर भी ध्यान देना जरूरी है। आज प्रिंट मीडिया, दूरदर्शन और बालीवुड द्वारा हिंदी के प्रचार-प्रसार में जिस सहयोग की बात की जा रही है उसकी वस्तुस्थिति क्या है । आज कितने अखबार ऐसे हैं जिनमें हिंदी साहित्य की चर्चा होती है या उससे संबद्ध नियमित स्तम्भ प्रकाशित होते हैं । दूरदर्शन में परोसे जाने वाले हिंदी चैनलों की स्थिति से भी हम सभी परिचित हैं । बालीवुड में अभिनेता और अभिनेत्रियों द्वारा व्यवहार में हिंदी कहां तक अपनाई जा रही है, यह वास्तविकता भी हमारे सामने है । उनके द्वारा साक्षात्कार तक सदैव अंग्रेजी में दिए जाते हैं । इसलिए हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग हेतु उससे भावनात्मक रूप से जुड़ना भी समान रूप से जरूरी है । वैश्वीकरण के मौजूदा दौर में आज जबकि देश में सेवा क्षेत्र तेजी से फलफूल रहा है तो वैसी स्थिति में हमें इस बात की संभावना भी टटोलनी होगी कि इस क्षेत्र में हिंदी का उपयोग किस स्तर पर और कहां तक व्यवहार्य है । हमें इस सच्चाई से भी मूंह नहीं मोड़ सकते कि वैश्विक स्वीकार्यता की वजह से अंग्रेजी का जो वर्चस्व है उसके साथ भी हमें कदमताल मिलाकर चलना होगा । परन्तु साथ में यह भी ध्यान रखना होगा कि हिंदी स्वदेश में जिस स्थान की अधिकारिणी है, पहले उसे वहां प्रतिष्ठित करना भी हम भारतीय लोगों का परम कर्तव्य है और तभी शायद विदेशों में इस प्रकार के हिंदी सम्मेलन के आयोजन की सार्थकता भी सिद्ध होगी। ■

अंग्रेजी पढ़ि के जदपि सब गुन होत प्रवीन ।
पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन ।।

परदेशी की बुद्धि अरू वस्तुन की कर आस ।
परबल ह्वै कब लौ कहौं रिह हौ तुम ह्वै दास ।।

–भारतेन्दु हरिशचंद्र

विश्व मंच पर हिंदी

– दि. कु. शर्मा*

"साहित्य वहाँ प्रारम्भ होता है जहाँ कोई भाषा होती है,
प्रेम वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ मातृभाषा होती है ।
अनुकूल बनकर जब चला जाता है,
सर्वहित को लेकर जब बढ़ा जाता है,
सब से हटकर वो सर्वमान्य भाषा होती है ।"

अनेकों किवदंतियाँ छुपी हैं इस विषय पर कि सर्वमान्य भाषा है या नहीं, इसको अधिकार है या नहीं कि सम्पूर्ण विश्व में ये मान-सम्मान प्राप्त कर सके । अनेकों धारणाएं बनती हैं व समाप्त हो जाती हैं । आस-पास ही कुछ ऐसा घटित होता है कि अचम्भा सा होता है कि यह क्या हो गया।

परमात्मा की असीम अनुकम्पा है कि कई सदियों के बाद भी भारत अपनी उसी गरिमा के साथ स्वयं को व्यक्त कर रहा है या यूँ कहिए कि अपनी ही भाषा के दम पर खड़ा है । हिंदी है तो हिंदुस्तान है । एक बार की बात है कि अनेकों ऋषि मुनियों में चर्चा हो रही थी कि आने वाले समय में धरती का क्या होगा, कोई होगा जो अग्रणी होकर सभी का पथ प्रदर्शक बनेगा । यह काफी गम्भीर विषय बनता गया, तब अन्त: प्रेरणा के आधार पर घोषणा की गयी कि भारत सर्वोपरि होकर अग्रणी अवस्था में मार्ग दिखाएगा।"

हिंदी मूल भूत सिद्धान्तों पर आधारित है, दैवीय गुणों से परिपूर्ण है । किसी भी प्रकार के दैवीय अभिशापों से मुक्त व वरदान प्राप्त है। जिस कण्ठ में सत्य स्वरूप सरस्वती विराज कर हिंदी उच्चारण करती है, वह कण्ठ उनकी (सरस्वती की) उपस्थिति करा देता है । कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी एक ऐसी भाषा व विषय है जिसमें देवताओं की उपस्थिति है या आशीर्वाद है । अनेक स्वरों को मिलाकर जो सुर बनता है उसे **नाद** कहते हैं । जहाँ नाद होता है वहाँ श्रीविष्णु का सिंहासन हिलोरे लेता है । जहाँ विष्णु जी का सिंहासन हिलोरे लेता है, वहाँ दुनिया का अस्तित्व हिल जाता है । प्राण वायु के आधार पर व्यक्ति-व्यक्ति से आग्रह करता है तथा स्वयं को खोया सा जानता है । यह परमाणु युग है, जहाँ कोई किसी को नहीं देखता, नहीं जानता, व्यक्ति की व्यक्ति से पहचान खो सी गयी है । मध्य में रहने से राह मिलती है, संतुलन से शांति मिलती है व्यवहार में अनुशासन से उज्जवलता मिलती है, ये नैसर्गिक गुण है । जो कदापि किसी और भाषा के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते । केवल और केवल हिंदी ही संपूर्ण जगत में एकमात्र भाषा है जो मान, परिपक्वता, शान्ति, धैर्य व अनुशासन उपलब्ध कराती है।

विश्व में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़े तथा जगत में जन-जन तक इसे कैसे पहुँचाया जाए, यह एक विचारणीय विषय है । निश्चित रूप से यह एक क्रान्ति होगी । इसे समझना ही होगा यही प्रभु की सत्ता की ओर जाने का एक मात्र मार्ग निश्चित किया गया है । जहाँ देर तो हुई है, लेकिन अंधेर नहीं है । एक सार्थक प्रसंग:-

कभी नश्तर हमने चलाया नहीं, प्रेम से भरकर प्याला पिलाया है,
अंधाधुंध इस गर्मी से भरे मौसम में ठंडा जामा पहनाया है।

मस्तिष्क में कोई विकार नहीं, ऐसा एक दर्पण (आत्मा) बनाया है।
दोस्त के लिबास में एक अहसास कराया है।

भावों की सुंदरता उतर रही है यूँ पन्नों पर,
जैसे अनदेखी सी एक पहेली है।
पर बंद पलकों के नीचे एक हसीन पैगाम सा भी है।
(तृतीय नेत्र)

हम नहीं रूके हैं कभी, ना ही रूकेगें,
सल्तनत हो, बादशाह हो, धर्म हो या परम्पराएं हों,
सभी को संभालेंगे ये वो सशक्त भाषा है
जो समाने की क्षमता रखती है
अक्ल के बंद दरवाजों को खोलने की ताकत
रखती है।

ये कलम ये पेपर कुछ और नहीं धरती माँ का सीना है तथा वृक्षों की छाल है ।

* निदेशक (सामान्य प्रशासन), योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

4437 HA/08—8A

दर्द छिपा है भेड़ियों की करतूतों का नृशंस हत्याओं का, बेमुरब्बत होती मुहब्बतों का,
आज़ खुदगर्जी से भरी इस दुनिया में कोई तो अपना होता ये दर्द छिपा है हर सीने में ।

कैसे पूरा करोगे बिना **विश्वभाषा** (हिंदी) के कैसे होंगे संवेदनशील बिना **मान्य-भाषा** के, कैसे दोगे कंधा बेसहारों को अरे आओ उठो खुद को पहचानो भारत के सपूत और वीरांगनाएं हो । अपने ही गौरव में खड़े हो । अपनी ही शक्ति से काट दो कलियुग की धाराओं को, तार-तार कर दो उन सब बेवफाओं को, जिन्हें ना खुद से प्यार है न देश से, ना सोंधी-सोंधी खुशबू से, ना अरमानों से, ना बापू की आवाज से, ना गुरू नानक की वाणी से, ना पीर मोहम्मद की कठिनाई से-ना ईसा के बलिदान से, इंतहा हो गयी है हिन्दुस्तानी की और हिंदी की आज वो दिवस है जब ये आकाशवाणी ही की जा रही है :-

खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा आकर के पूँछे बता तेरी रजा क्या है ?

अर्थात् आज अपने ही इतिहास से प्रेरणा लेकर अपने ही मूल्यों के आधार पर अपने ही दृष्टिकोणों से हमें हर हालत में हिंदी को विश्व मंच पर स्थापित करना ही होगा । साम-दाम-दण्ड-भेद सभी सूत्रों को अपनाना होगा ।

हिंदी भाषा अमर रहे

■

इस विशाल प्रदेश के हर भाग में शिक्षित-अशिक्षित, नागरिक और ग्रामीण सभी हिंदी को समझते हैं।

–राहुल सांकृत्यायन

हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया।

–डॉ. राजेंद्र प्रसाद

किसी साहित्य की नकल पर कोई साहित्य तैयार नहीं होता।

–सूर्यकांत 'निराला'

4437 HA/08—8B

जन संचार माध्यम–महिला उन्नयन

–डॉ संतोष अग्रवाल*

जन संचार माध्यम का योगदान कितना महत्वपूर्ण है यह किसी भी देश की उन्नति से आंका जा सकता है क्योंकि इन माध्यमों के द्वारा हम जनता तक बौद्धिक संदेश तो पुहंचाते ही हैं बल्कि उनका नवीनीकरण भी करते हैं। प्रचीनकाल में संदेशवाहक यह काम करते थे । जलूस निकाल कर तथा फेरियां लगा का मनुष्य के विचारों में परिवर्तन लाया जाता था किन्तु धीरे-धीरे समय के आगे बढ़ने के साथ समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पैंफ्लेट्स ये सब जन जागृति में अपना योगदान देने लगे । रूस की क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति अपने अधिकारों की मांग इन सबने यह सिद्ध कर दिया कि जन-संचार माध्यम कितना महत्त्वपूर्ण हो सकता है जो समाज तथा देश में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में आमूल परिवर्तन ला सकता है । अतः इसमें भी शिक्षा की अवश्यकता है यह सोच कर कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं ने इसमें डिप्लोमा देना शुरू किया । तत्पश्चात सर्टिफिकेट देना आरम्भ कर दिया । बीसवीं शताब्दी तक आते-आते इसके अन्तर्गत न केवल समाचार पत्र, पुस्तकें अथवा पत्रिकाएं ही रखी जाती रहीं बल्कि चलचित्र, दूरदर्शन आकाशवाणी, सैटेलाइट टी वी तथा इन्टरनैट सभी कुछ इसमें आ गया है इसीलिए इसका महत्त्व और भी अधिक हो गया है । जन संचार माध्यम के लिए यह महत्त्वपूर्ण नहीं है कि समाज के किसी विशेष तक उसकी पहुँच हो बल्कि उसके द्वारा प्रेषित संदेश हर व्यक्ति की पहुँच के भीतर हो जिसे समझने में न उसे भाषा की परेशानी हो और न कोई संदेश उसके बौद्धिक स्तर से परे हो । यही नहीं उसे क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में मनुष्य कम समस्याओं से जूझना न पड़े और ना ही किसी प्रकार की आलोचना अथवा विरोधों का समाना करने में परेशानी उठानी पड़े । ग्रेट ब्रिटेन ने इसे चार समूहों में रखा । एक वह जिसमें राष्ट्रीय समाचार पत्र आए । दूसरा वह जिसमें रविवारीय दैनिक पत्र आए । तीसरे में पुस्तकों तथा चल-चित्रों को रखा गया और चौथे समूह में टैलीवीजन, सैटेलाइट टैलीवीजन एवं इन्टरनैट को स्थान मिला । संचार माध्यम की इस उन्नति के कारण ही योरुप के बड़े-बड़े देशों में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर न्यूज एजन्सीज खोली गई जो दिन प्रति दिन विश्व के सभी देशों में फैल कर हमारे सामने अनेक चूनौतियाँ रखा रही हैं । यही नहीं विद्युत शक्ति के औद्योगिकरण के कारण संचार माध्यम का यदि एक और बिना किसी बाधा के प्रयोग हुआ है तो दूसरी ओर इसने सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाकर उसी चेतना को भी जगाया है । क्योंकि समाज का एक वर्ष जिसे स्त्री वर्ग, दलित, जन जातीय तथा पिछड़ा हुआ वर्ष कहा जाता है उसमें जागृति आई है । उन्होंने अपनी स्थिति को पहचानने का प्रयत्न किया, अपने अधिकारों के प्रति वे सजग हुए । कानून का सहारा लेकर वे आगे बढ़ सकते हैं । अपनी आवाज बुलन्द कर सकते हैं–यह संदेश भी हमें संचार माध्यमों से ही मिले । यही क्योंकि अपने अधिकारों को समझकर वे पदाधिकारियों को कानून बनाने के लिये मजबूर भी कर सकते हैं । एक संस्था राष्ट्रीय महिला आयोग है जिसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी । शुरू में यह केवल कानून बनाने मात्र की संस्था थी किन्तु अब इसका भूमंडलीकरण होने के साथ-साथ इसका काम भी विस्तृत हो गया है । प्रांतीय स्तर पर स्त्री-संरक्षक संस्थाओं के साथ सम्पर्क स्थापित करना ही इसका काम नहीं है बल्कि राजनैतिक एवं सरकारी स्तर पर लोगों से संबंध बढ़ा कर समाज के उपेक्षित वर्ग को विशेषरूप से लड़कियों/स्त्रियों को सक्षम एवं शक्तिशाली बनाना इसका सर्वोपरि काम है।

कितने खेद का विषय है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति की अर्धशताब्दी के पश्चात भी समाज में दहेज प्रथा चली आ

*बी 5/517 एकता विहार, 9 आई पी एक्सटेंशन पटपड़गंज, दिल्ली-110092

रही है । इसे रोकने के लिए कानून भी बनाए और उन कानूनों के संरक्षक पदाधिकारियों को भी नियुक्त किया गया । अनेक गैर सरकारी संस्थाएं भी इस दिशा में काम में लगी हुई हैं । पुलिस-विभाग में भी इसे रोकने के कानून बनाए गए हैं फिर भी आँकड़े देखने पर मालूम होता है कि इस दिशा में किया गया काम संतोषजनक नहीं है जिसके दो ही कारण हो सकते हैं । पहला यह कि इस दहेज प्रथा का उन्मूलन करने की कार्य-प्रणाली में बाधाएं आना और दूसरा यह कि उन्होंने यह समझा ही नहीं कि वे इसे समाप्त करने में कितने शक्तिशाली तथा महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं । अपने आस-पास दृष्टि दौड़ाएं तो मालूम होगा कि स्त्रियों पर और भी कितने अनेक अत्याचार होते हैं । इनकी गिनती यदि की जाए तो दहेज के अतिरिक्त काम-काजी महिलाओं का शोषण, बाल विवाह, विधवा विवाह का न होने देना, सतीप्रथा, बलात्कार, कन्याओं की भ्रूण-हत्या आदि । बंगाल में तो बाल-विधवाओं को भी कड़े अनुशासन में रहना पड़ता है-मात्र एक सफेद धोती पहन कर, बाल मुंडवा कर तथा मात्र एक समय भोजन करके मथुरा वृन्दावन तथा बंगाल की देवदासियों को कौन नहीं जानता । वैश्यावृत्ति के लिए लड़कियों का बेचा जाना आज भी समाज में प्रचलित है । इससे भी आगे चलें तो लड़कियों की विदेश में भी ऐसे ही कामों के लिये खरीद कर भेजा जाता है । इन सबका दोष किसे दिया जाए और कौन-कौन से कानूनों द्वारा इन पर प्रतिबन्ध लगाया जाए । समाज में किस प्रकार इन अत्याचारों के विरुद्ध जागृति लाई जाए स्थिति की गंभीरता यहीं है।

सच पूछा जाए तो लोगों ने अभी तक शिक्षा का महत्त्व नहीं समझा है । जब तक समाज के इन उपेक्षित वर्गों को शिक्षित नहीं किया जाएगा; उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग नहीं किया जाएगा तथा उनके लिए बनाए हुए कानूनों को सख्ती से पालन नहीं होगा तब तक इन कुप्रथाओं से छुटकारा पाना कठिन हीं नहीं असंभव भी है । इसके लिए हमें संचार माध्यम से जुड़े पहलुओं को देखना चाहिए कि उन्होंने इन समस्याओं का आकलन किस प्रकार किया है? उन्हें हल करने के लिए कौन से सुझाव दिए हैं? किन्तु समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं पर दृष्टि डालें तो युवा लड़कियों के अर्धनग्न चित्र ही देखने को मिलेंगे । उनमें जो समाचार छपे होंगे उनमें बलात्कार की खबरें होंगी जिनकी भाषा इतनी अश्लील होती है कि लगता है कि उस बलात्कार की गई लड़की के एक-एक अंग का फिर से बलात्कार किया गया है । ऐसे समाचार पत्र धन अर्जित करने की दृष्टि से तो अच्छे हो सकते हैं क्योंकि जन-समुदाय रोचक समाचारों को पढ़ने में अधिक रूचि लेता है किन्तु जन-संचार माध्यम के द्वारा 'सैक्स' का प्रदर्शन करने से जहां एक ओर मन के किसी कोने में छिपा हुआ पशुत्व जाग उठता है वहां दूसरी ओर समाज अपनी मर्यादा भी लांघने लगता है । धन अर्जित करने की प्रक्रिया को जो लोग सर्वोपरि मानते हैं उन्हें न तो अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का ध्यान है और ना हीं इसका कि अपने देश को सबल बनाने के लिए उसके नागरिकों को सम्मानजनक स्थिति में रख कर उनका मनोबल बढ़ाना भी उनकी जिम्मेदारी हैं । पत्रकारिता के सिद्धान्तों का हनन करते हुए भी वे नहीं चूकते । बी. बी.सी. का यह कहना कि भारत बलात्कार एवं शोषण का देश है हमें न केवल अपनी दृष्टि में नीचे गिराता है प्रत्युत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी छवि धूमिल कर देता है । कभी कोई स्त्री अच्छा काम करती है तो उसकी सूचना केवल दो पंक्तियों में देकर छोड़ दी जाती है । अलवर में एक ग्रामीण महिला द्वारा कृत्रिम वर्षा लाने का समाचार कभी सुर्खियों में नहीं आया । केवल शर्मनाक हादसे ही बयान किए जाते रहे हैं और वह भी ऐसी भाषा में जिससे समाचार में रंगीनी आए । देश का बौद्धिक वर्ग जहां एक ओर आरक्षण को समाप्त करके योग्यता के आधार पर मान्यता देने की बात करता है वहां दूसरी ओर नारी शोषण के उन्मूलन के लिए निर्बल पड़ जाता है । पुरुषों व महिलाओं के वेतनमान भी अलग-अगल हैं । गारा मिट्टी ढोने वाले पुरुष का वेतन वहीं काम करने वाली महिला से अधिक है । इस तरह का भेद भाव मन में कटुता तो भरता ही है साथ में हिंसक भाव भी जगा दे तो कोई आश्चर्य नहीं । बलात्कारी महिला का चित्र तो छप जाएगा किन्तु बलात्कार करने वाला पर्दे के पीछे ही रहता है । दिल्ली में आज कोई भी लड़की/महिला सुरक्षित नहीं है । उसकी मर्यादा और इज्जत के बारे में पुरुष वर्ग जो आवाज उठाता है वही उसकी लज्जा को बेनकाब भी करता है । टैलीवीजन में विज्ञापनों के लिए अर्धनग्न चित्रों को प्रमुखता दी जाती है । सैटेलाइट टी.वी. की तो और भी लज्जाजनक स्थिति है । प्रश्न उठता है कि देश की इस स्थित में कैसे बदलाव लाया जाए और कैसे अपने समाज के उपेक्षित वर्ग को ऊँचा उठाया जाए? और

कैसे उसे विश्वास दिलाया जाए कि वह भी देश का उतना ही महत्त्वपूर्ण अंग है जितना कि तथाकथित उच्च वर्ग । उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचन्द ने कहा था कि यदि पुरुष गिरता है तो वह अकेले ही गिरता है और यदि नारी गिरती है तो पूरा समाज गिरता है । अत: यह आवश्यक है कि नारी के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया जाए । महात्मा गांधी ने 'असहयोग आन्दोलन' में स्त्रियों की बराबर का भागीदार बना कर उनके हृदय में पनपती हीन-भावना को निकाल फेंका । जन संचार माध्यमों ने भी अपने उत्तरदायित्व को समझा । औद्योगिक क्रांन्ति आने के पश्चात स्त्रियों ने नौकरी की अपेक्षा करके जब से घर के बाहर कदम रखा तब से शिक्षा का प्रचार और प्रसार दोनों ही हमारी आवश्यकताएं बन गई । देश में पाठशालाओं का जाल सा बिछ गया । कालिज खुले और विश्वविद्यालय भी खोले गए । यही समय था जब ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का विकास होने लगा । विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्नति होनी शुरू हुई । दूसरे शब्दों में यदि इसे "नौलिज ऐक्सप्लोजन" कहा जाए तो गलत नहीं होगा । इस ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए तथा समाज के उपेक्षित वर्ग को जगाने के लिए जन-संचार माध्यमों पर बड़ा उत्तरदात्वि आन पड़ा । समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा चलचित्रों द्वारा इस स्थिति से संबन्धित कार्यक्रम देकर उन्होंने अपने योगदान को महत्त्वपूर्ण प्रमाणित किया है ।

हमारे देश में महिलाओं का शोषण एक आम बात है क्योंकि यहां के सामाजिक कानूनों को आजतक नहीं बदला गया । हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में पंजीकृत विवाहों को अमान्य करार दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है भले ही स्त्रियों का पक्ष कितना भी न्यायोचित क्यों न हो। पुरुष प्रधान पैतृक सामाजिक व्यवस्था में भारतीय महिलाएं अभी तक लिंग जाति भेद के कारण नुकसान उठाती आ रही हैं। कार्य-स्थल पर उन्हें यौन-उत्पीड़न सहना पड़ता है वरना नौकरी से बहिष्कृत होना पड़ता है। इस स्थिति से उबरने के लिए क्या किया जा सकता है इसका ज्ञान हमें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा टैलीवीज़न के द्वारा दिया जा सकता है । जनता को लिंग संवेदीकृत बनाने की आवश्कता ज़ोर पकड़ रही है । हर व्यक्ति के लिये यह जरूरी हो गया है कि वह यह समझे कि स्त्री पुरुष से शारीरिक समताओं में भिन्न होने के कारण ही उसकी लज्जा तथा मर्यादा का संरक्षण भी विशिष्ट रूप से भिन्न है। यही नहीं उनके द्वारा दिए गए सुझावों की व्यवहारिकता पर जोर देते हुए उनका क्रियान्वन भी करना होगा। दलित महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए अपराधियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए । पीड़ितों को मुआवज़े की रकम तत्काल मिलनी चाहिए । बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम को अधिक कठोर बनाना चाहिए जिसके लिए प्रौढ़ शिक्षा आन्दोलन को बराबर चलाना जरूरी है। चेतन जागरण शिक्षा को बढ़ावा मिले । पुरुष वर्ग में भी स्त्रियों के अधिकारों के प्रति जागरुक रहने की चेतना का विकास हो । उन्हें भी सामाजिक मर्यादा की रक्षा करने का पाठ पढ़ाया जाए । कार्यस्थल पर अनुशासन में रहना कितना आवश्यक है इसकी शिक्षा स्त्रियों के साथ-साथ पुरुषों को भी दी जानी चाहिए । विधवाओं की स्थिति पर एक परामर्श बैठक का आयोजन किया जाए जिसमें उनके लिए न केवल उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान दिया जाए बल्कि उनके पुनर्विवाह तथा जीविकोपार्जन की व्यवस्था को सुधारने की दिशा में कदम उठाये जायें जिससे वे स्वावलम्बी बन सकें । पुलिस-कर्मियों की विधवाओं को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाएं । डॉ. हमीदा नईम ने कश्मीर में आतंकवादियों के कारण हुई 20,000 विधवाओं की करूण गाथा का वर्णन करते हुए लिखा है कि जब ये विधवायें अपने घरों में वापिस लौट कर गईं तो वहां के जन-समुदाय ने उन्हें बाहर से आए हुए समझा-काश्मीर का नहीं । इस प्रकार उनके मनोद्वेग को बढ़ा कर उनके ही घर से उन्हें निष्कासित करना है। उन्हें दी जाने वाली आर्थिक सहायता भी उन तक नहीं पहुंची है। अभी तक वह प्रान्तीय ख़जाने में ही जमा है। केवल एक कश्मीर की यह समस्या नहीं है प्रत्युत विश्व के हर देश में इस प्रकार के शोषण एवं अत्याचारों का वर्णन हमें प्रतिदिन ही समाचार पत्रों तथा टैलीवीज़न के माध्यम से मिलता रहता है। समाज के दलित अथवा पिछड़े हुए वर्ग को ऊपर उठाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पाठ्यक्रम का नवीनीकरण करने की आवश्यकता को अनुभव किया हैं अत: उस पर पुन:विचार करने हेतु उन्होंने प्राय: सभी विषयों के अध्यापकों के साथ मिलकर विचार विनिमय किया जिसमें दो बातों पर विशेष ध्यान दिया गया :-

(1) इन माध्यमों में सुधार लाने के लिए राजनैतिक स्तर पर प्रतिनिधित्व हो।

(2) स्त्री-पुरुष के विभेदीकरण का उन्मूलन किया जाए ।

4437 HA/08 9A

यद्यपि भारत के संविधान आर्टिकल 19 के अन्तर्गत बोलने की स्वतन्त्रता दी गई है तथा पत्रकार को अपना काम करने की भी स्वतन्त्रता है फिर भी उस स्वतन्त्रता को सीमाबद्ध भी किया गया है। अश्लीलता शब्दों में भी आती है और चित्र-प्रदर्शन करने में भी दिखती है। ''प्रौहीबीशन एक्ट 1986'' के अनुसार यदि किसी युवती का चित्र मर्यादा को भंग करता है तो उसे बनाने वाले व्यक्ति को दो वर्ष तक कारागार में बन्दी रखा जा सकता है अथवा दो हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता हैं । इसके बाबजूद यदि यह प्रक्रिया दोहराई जाती है तो उस व्यक्ति को 5 वर्षों तक कारागार में रहने के साथ-साथ एक लाख रुपए जुर्माना भी देना पड़ेगा। मलेशिया में जनवरी 1992 में 'साउथ ईस्ट ऐशियन वर्कशॉप' जो स्त्रियों के प्रति जन संचार माध्यम को संवेदनशील बनाने के लिए संगठित की गई थी ने कहा कि संचार-माध्यमों का भूमंडलीकरण होने से और सैटेलाइट टेलीवीजन के आने से यह अनिवार्य हो गया है कि स्त्रियों की मर्यादा सुरक्षण के लिए कुछ उपाय सोचे जाएं। इसके लिए यह आवश्यक है कि स्त्री-पुरुषों के विभेदीकरण को समाप्त किया जाए जिसके लिए स्कूली स्तर पर भी पत्रकारिता की शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

यों तो 1940 में ही पत्रकारिता ने शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण कर लिया था किन्तु इसका विकास नहीं हो सका क्योंकि देश का विभाजन होने से न केवल राजनैतिक बल्कि आर्थिक उतार-चढ़ाव भी बहुत आए थे जिनका प्रभाव शिक्षा पर अवश्यमभावी था किन्तु शीघ्र ही देश की स्थिति सुधरने लगी । परिणामस्वरूप विश्व के अन्य उदीयमान राष्ट्रों के साथ-साथ भारत भी उत्थान की ओर अग्रसर हुआ। इसी के साथ-साथ जन संचार माध्यम में पत्रकारिता के महत्त्व को भी पहचाना जाने लगा । गैर सरकारी संस्थाओं ने पत्रकारिता विषय में शिक्षा देकर पहले 'डिप्लोमा' फिर सर्टिफिकेट देना शुरू किया। 1960-1970 में अनेक भारतीय विद्यालयों में 'पत्रकारिता' को शिक्षण के एक विषय के रूप में अपना लिया गया। देश की बदलती हुई परिस्थिति तथा समय की मांग के साथ-साथ पत्रकारिता के पाठ्यक्रम में भी बदलाव आए। पाठ्यक्रम में सार्वभौमिकता के कारण विश्वविद्यालयों को इस आवश्यकता की अनुभूति हुई कि 'पत्रकारिता' विषय में कुछ ठोस परिवर्तनों की नितान्त आवश्यकता है। अमरीका, इंगलैण्ड एवं कैनेडा में 'पत्रकारिता' में उच्च शिक्षाग्रहण करने के लिए गए हुए भारतीय छात्रों ने पाठ्यक्रमों में परिवर्तन लाने का सुझाव दिया। अमरीका के कुछ विश्वविद्यालयों ने पत्रकारिता के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करके उसकी उन्नति के लिए सहयोग दिया। जिसका अनुसरण भारत में सबसे पहले उसमानिया (हैदराबाद) तथा नागपुर विश्वविद्यालयों ने किया।

पत्रकारिता का यह उद्योग बड़ी जल्दी आगे बढ़ा। अनेक पत्र पत्रिकाएं सामने आने लगे। संचार-माध्यमों का विद्युतीकरण भी होने लगा। छपाई का काम बढ़ा। आकाशवाणी, दूरदर्शन आए। विज्ञापन उद्योग बढ़ा। सच पूछा जाए तो सही अर्थों में जन-संचार माध्यमों का स्वरूप सामने आया। इस क्षेत्र में अनुसन्धान की आवश्यकता भी प्रतीत होने लगी। समाजशास्त्रियों ने इस विषय की गहनता का अनुभव करते हुए यह माना कि अर्थशास्त्र, राजनीति, सामाजिकज्ञान, मनोविज्ञान, प्रशासन एवं प्रबन्धकौशल के साथ-साथ जन-संचार माध्यम भी उतना ही मुख्य है जितने कि अन्य विषय । 1970 के मध्यांतर तक आते-आते पत्रकारिता विभाग ने अपने यहां के विभाग खोल लिए। एक पत्रकारिता का, दूसरा जन संचार माध्यम । इसका श्रेय जाता है सर्वप्रथम बंगलौर विश्वविद्यालय को, तत्पश्चात उसमानिया, मैसूर तथा बनारस इत्यादि को । 2001 से 65 विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर तथा उत्तरस्नातकोत्तर स्तर पर यह विषय पढ़ाया जाता है। सार्वभौमिक रूप से देखा जाए तो सैटेलाइट तथा इन्टरनैट के आने से कुछ महत्त्वपूर्ण एवं क्रान्तिकारी परिवर्तन देखे जा सकते हैं । अत: विकासोन्मुखी देशों के विश्वविद्यालयों का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वे इस विषय में आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए छात्रों को अनुसन्धान करने की सुविधाएं प्रदान करें। भारत इस दिशा में सबसे आगे है । जहां के पाठ्यक्रम को सम्पूर्ण विश्व में सबसे उन्नतशील माना जा सकता है। जैसा कि सर्वविदित है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हमेशा से पुरातन पाठ्यक्रमों में परिवर्तन लाने का तथा नवीन पाठ्यक्रमों को अपनाने का उत्तरदायित्व निभाता चला आ रहा है, वैसे ही अब भी ज्ञान की सभी शाखाओं में जिसमें जन संचार माध्यम भी शामिल है उच्च शिक्षा के स्तर पर पुनरावलोकन किया है। कुछ अमूल्य सुझाव भी दिए हैं :

(1) भारत के सभी विश्वविद्यालयों में जन संचार माध्यम के पाठ्यक्रमों में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समानता लाएं ।

4437 HA/08—9P

(2) छात्रों को जन संचार माध्यम के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धियों का अध्ययन कराते हुए अनुसंधान के लिए प्रेरणा दें।

(3) जन संचार माध्यम के विभिन्न पहलुओं में सार्वभौमिक रूप से अपनाए हुए स्तर को ध्यान में रख कर दिशा-निर्देश दें।

नवम्बर, 1993 में मनीला फिलिपीन्स स्त्रियों के विकास पर विचार करने के लिए गैर सरकारी संघटनों का 'एशियन पैसीफिक सिम्पोजियम' हुआ जिसमें निर्णय लिया गया कि स्त्रियों द्वारा किए हुए कामों को जो समाज की उन्नति के लिए हों उन्हें भिन्न-भिन्न उचित योजनाओं द्वारा प्रकाश में लाया जाए। उन्हें इस ढंग से प्रस्तुत किया जाए जिससे स्त्रियों की सकारात्मक छवि बन सके। उन्हें भविष्य में इसी प्रकार के कार्य करने का प्रोत्साहन मिल सके।

फरवरी, 1994 में बैंगकौक का घोषणापत्र आया जिसे समाज के विभिन्न वर्गों के 400 प्रतिनिधि स्त्रियों तथा गैरसरकारी संस्थाओं ने सामने रखा जिसमें स्त्रियों को कैसे सशक्त बनाया जाए, उनके अधिकारों के प्रति कैसे उन्हें जानकारी दी जाए इस पर विचार-विनियम हुआ। इसमें निश्चय किया गया कि जन-संचार माध्यमों का लोकतंत्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण ही स्त्रियों में विचार अभिव्यक्ति एवं निष्कर्ष लेने की योग्यता का विकास कर सकता है।

1994 में ही जकार्ता में 'स्त्री तथा विकास' पर 'एशियन पैसिफिक कॉनफ्रेंस' हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि जन-संचार माध्यमों को सार्वभौमिक रूप देते हुए यह सोचना आवश्यक हो जाता है कि सीमा पर समाचार भेजना, मनोरंजन के साधनों का विस्तार करना ही काफी नहीं है बल्कि सामाजिक-परिवर्तन को बढ़ावा देना एवं स्त्री-पुरुष के विभेदीकरण को मिटाना तथा स्वयं स्त्री वर्ग में भी आए हुए भेदभाव का उन्मूलन करना है।

टोरैन्टो में 1995 में स्त्री तथा जन-संचार माध्यम पर यूनैस्को द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सिम्पोजियम आहत किया गया। जिसमें दो मूल बातों पर विशेष रूप से विचार किया गया। पहली यह कि स्त्रियों में अतिव्यक्ति के प्रति जो भय है उससे कैसे उन्हें मुक्त किया जाए और दूसरी यह कि उनमें इस क्षमता का कि वे स्वयं निष्कर्ष ले सकें किस प्रकार विकास किया जाए। इसी परिप्रेक्ष में उन बाधाओं पर भी सोच विचार हुआ जिनके कारण स्त्रियों को अपने विचार प्रस्तुत करने तथा निष्कर्ष लेने की योग्यता का विकास करने में रुकावट डालती हैं। संक्षेप में शिक्षा अभियान चलाना, तकनीकी शिक्षा को साधारण जनता तक पहुंचाना, नेतृत्व शक्ति का विकास करना, उनमें आत्म-सम्मान जगाना, स्त्री संबंधी सरकारी नीतियों के दिशा-निर्देशों की मांग के अतिरिक्त, स्त्री पुरुषों के शारीरिक एवं भावनात्मक भेद को ध्यान में रखते हुए स्त्रियों के प्रति संवेदनशील होना तथा प्राकृतिक विभेदीकरण के प्रति स्वस्थ जागरूकता लानी थी।

1995 में हुई 'वर्ल्ड कॉन्फ्रैंस' ने निम्नलिखित उद्देश्यों की ओर ध्यान आकृष्ट किया :-

(1) सभी क्षेत्रों में स्त्रियों की भागीदारी बढ़ाकर उन्हें विचार प्रकट करने के अवसर दिए जाएं। इसी से उनमें निष्कर्ष लेने की क्षमता भी जागेगी। इसका उत्तरदायित्व जन-संचार माध्यमों पर है। सभी शिक्षा-शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों ने इसे स्वीकृति देते हुए यह भी कहा है कि महिलाओं का आर्थिक रूप से सक्षम होना अत्यन्त आवश्यक है। अत: हर क्षेत्र में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है।

(2) मीडिया में स्त्रियों की छवि को सुधारने के उपाय किए जाएं, किन्तु यह कागज तक ही सीमित होकर रह गया। इसे व्यवहारिकता में नहीं लाया जा सका जिसके दो मुख्य कारण थे ।

(क) राजनैतिक स्तर पर बढ़ावा न मिलना

(ख) संचार माध्यम में स्त्रियों को आगे बढ़ने देने की नीतियों में विरोधाभास का होना।

इन सब परिस्थितियों का सामना करते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि महिला संबन्धी हर क्षेत्र का मूल्यांकन करके उनके सभी पहलुओं में नवीनीकरण किया जाए। देश के सभी नारी निकेतनों में आमूल परिवर्तन किए जाएं। वहां पर होते हुए देह-व्यापार पर रोक लगाई जाए। ऐसे नारी निकेतनों की कार्य प्रणाली में केवल वहां का प्रशासन अथवा कुप्रबंध आता है बल्कि वहां की भोजन व्यवस्था, पुस्तकालयों का अभाव तथा डॉक्टरी मुआयनों का भी सुचारू रूप से प्रबन्ध न होना आता है।

समय-समय पर आहत महिला बैठकों तथा विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ निर्णय लिए जो संक्षेप में इस प्रकार हैं :

(1) पत्रकारिता के पाठ्यक्रम में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में कौन-सा विवरण देना चाहिए और कौन-सा नहीं। अमुक घटना के वर्णन से राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या प्रभाव होगा यही देखना काफी नहीं है बल्कि यह भी देखना होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की क्या छवि बनेगी ।

(2) घटनाओं का यथाक्रम वर्णन करते हुए शब्दों का चयन किस प्रकार किया जाए? बाजार में 'पेपर' अधिक बिके केवल यही उद्देश्य नहीं होना चाहिए बल्कि समाज के प्रति उन्हें अपने उत्तरदायित्व को भी समझते हुए यह भी ध्यान रखना होगा कि इससे जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

(3) चल-चित्रों, दूरदर्शन, समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं में महिलाओं के नग्नचित्रों पर रोक लगाई जाए।

(4) स्त्रियों को अपने अधिकारों की पहचान कराई जाए। उनके संरक्षण के प्रति जो कानून बने हैं उनकी जानकारी उन्हें दी जाए ।

(5) सबसे अधिक आवश्यक यह है कि स्त्री संरक्षण कार्यक्रमों तथा उनकी कार्यान्वयन प्रणाली पर समय-समय पर पुनर्विचार किया जाए जिससे उसकी प्रगति बिना किसी आक्षेप या बाधा के होती रहीं। सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए ही ये कदम उठाने उपयुक्त होंगे। यही क्यों सभी प्रान्तों अथवा राज्यों में महिला लोक अदालतों का आयोजन होना चाहिए ।

इन सब तथ्यों को सामने रखते हुए यह कहना समीचीन होगा कि पत्रकारिता जो संचार माध्यम का एक हिस्सा है का महत्त्व तथा उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है। जनसंचार माध्यम को बिना किसी भेदभाव के काम करने पर ही समाज के दलित वर्ग विशेषरूप से स्त्रीवर्ग का उन्नयन करने में सफलता मिल सकती है। भविष्य उज्ज्वल है इसमें संदेह नहीं । ■

लेखक कृपया ध्यान दें

'राजभाषा भारती' में प्रकाशनार्थ ज्ञान-विज्ञान की सभी विधाओं पर स्तरीय लेख आमंत्रित किए जाते हैं। लेख पर उचित मानदेय देने की भी व्यवस्था है। लेख ए-4 आकार के कागज पर टाइप किया हुआ होना चाहिए जो सामान्यतः तीन हजार शब्दों से अधिक का न हो। कृपया नोट करें कि हस्तलिखित लेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लेख के साथ इस आशय का घोषणा पत्र भी होना चाहिए कि यह लेख/रचना लेखक की मौलिक कृति है और यह इससे पहले प्रकाशित नहीं हुई है।

यदि किसी कारणवश किसी लेख को पत्रिका में शामिल करना संभव न हुआ तो उसे लौटाया नहीं जाएगा। कृपया इस संबंध में पत्राचार न करें। कृपया लेख निम्नलिखित पते पर भेजे :–

संपादक/उप संपादक
राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)
कमरा सं. ए-4, द्वितीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

ग्लैमरस हो रहे हैं हिंदी समाचार–पत्र

–मधु बाला*

सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हिंदी समाचार पत्र संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उच्च प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जहां इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में बदलाव आया है, वहीं हिंदी प्रिंट मीडिया भी अत्यधिक प्रभावित हुआ है। भूमंडलीकरण के दौर में और सूचना क्रांति के परिवेश में प्रिंट मीडिया के अंर्तवस्तु व कलेवर दोनों में परिवर्तन आया है। सूचना प्रौद्योगिकी समाचार पत्रों के संकलन से लेकर प्रकाशन तक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों के दबाव व प्रतिस्पर्धा के चलते वैसे भी समाचार पत्रों में नयापन लाना बहुत आवश्यक हो गया है। कंप्यूटर की बढ़ती उपयोगिता के कारण समाचार पत्र अधिक सूचनाप्रद हो गये है संपादक को लेख लिखने के लिए किसी संदर्भ को देखाने के लिए पुस्तकों के पन्ने पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ती बल्कि कंप्यूटर पर ही सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। संवाददाता को भी अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए डाक पर निर्भर नहीं रहता बल्कि मॉडम व्यवस्था के जरिए अपनी रिर्पोट आसानी से भेज सकता है। चित्रों की कांट-छांट, पृष्ठ साज सज्जा, ले आउट, फॉरमेट सभी कुछ कंप्यूटर के मॉनिटर पर आसानी से हो जाता है। अखबारों के ढेरों संस्करण निकलने लगे है, जो तैयार किसी शहर में होते हैं, परन्तु उपग्रह के माध्यम से छपते किसी अन्य शहर में हैं। दैनिक भास्कर के ही 22 संस्करण निकलते हैं। वेब पत्रकारिता व इंटरनेट पत्रकारिता ने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को ओर तीव्र कर दिया है। इस भूमंडलीय मीडिया के प्रभाव के कारण समाचार पत्रों का मूलस्वरूप खंडित हो रहा है। गंभीर विचार विमर्श और चिंतन के लिए जगह कम होती जा रही है। समाचारपत्रों को बाजारोन्मुखी बनाने की कोशिश में पूरी तरह से ग्लैमरस बनाया जा रहा है। फैशन, फूड और फिल्म हिंदी पत्रकारिता के पर्याय बन चूके हैं। इन्हें स्थान देने के लिए समाचारपत्रों में रंग बिरंगे आकर्षक पृष्ठ लगाए जाते हैं। रविवार का समाचारपत्र तो विज्ञापन व सनसनी खेज खबरों से भरा रहता है। जालंधर से प्रकाशित होने वाला 'पंजाब केसरी' इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है जिसकी पंजाब में सबसे अधिक मांग रहती है। फिल्म जगत के बिना समाचार पत्र अधूरा सा लगता है। अभिनेत्रियों के छपने वाले अश्लील चित्र जनमानस को कितना प्रभावित कर रहे हैं, यह गम्भीर विचार का विषय है। युवा पीढ़ी को हम किस दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं? हमारी संस्कृतिक पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव स्पष्ट नजर आ रहा है। व्यवसायिकता की होड़ व दौड़ में हिंदी पत्रकारिता का ढांचा पूर्ण रूप से बदल चुका है। हिंदी पत्रकारिता में आदर्श और विचार विलुप्त होते जा रहे है। आर्थिक व उदारीकरण के कारण पूंजी विस्फोट ने पत्रकारिता की दुनिया में सूचना तक विचारों को खदेड़ कर ग्लैमर का नया संसार गढ़ना शुरू कर दिया है। ग्लेमरस पत्रकारिता का दबाव निरन्तर एक खोखली संस्कृति को जन्म दे रहा है। आज की हिंदी पत्रकारिता ग्लैमर की चकाचौंध में डूबजाने के कारण राष्ट्रीय घटनाओं और स्थितियों पर एक विशेष कोण तथा स्तर से सोच विचार की प्रक्रिया को उस तरह से आगे नहीं बढ़ाती जिस तरह कभी बाल मुकंद गुप्त, गणेश शंकर विद्यार्थी, विष्णुपराड़कर, माखनलाल चतुर्वेदी आदि के समय सोच विचार और मंथन के नए आयाम उजागर करती चलती थी। बाजारवाद की जकड़न में फंसे प्रिंट मीडिया के संसार ने आज ऐसे संपादकों का अकाल पैदा कर दिया है जो बाबूराम विष्णुपराड़कर की तरह हिंदी पत्रकारिता को उच्च प्रोद्यौगिकी के नए स्वरों के अनुकूल नए शब्द दे सके, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की तरह उपभोक्ता संस्कृति के विकृत प्रभाव से हिंदी भाषा को बचा सके, विकृत और भ्रष्ट हो चुकी भाषा के परिमार्जन का बीड़ा उठा सके। अखबारों में लिखे जाने वाले अग्रलेख संपादकीय टिप्पणियां पत्रों की नीतियों और आदर्शों का आइना हुआ करती थी, परन्तु आज वह भाषा की अराजकता का दस्तावेज बन रही है। हिंदी अपनी राजभाषा की गरिमा को नहीं बचा पा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजारवाद की लहर से हिंदी भाषा की पहचान को कैसे सुरक्षित रखें, यह हमारे

*रीडर विदेशी भाषाएं विभाग, कुरुक्षेत्र वि. वि. कुरुक्षेत्र

4437/HA/08—10A

सामने सब से बड़ी चुनौती हैं। पहले पत्रकार दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाकर प्रयुक्त करते थे और अपने व्याकरण के नियमों के अनुसार भाषा को अनुशासित करते थे परन्तु आज की पत्रकारिता की हिंदी अपने ही व्याकरण में अनुशासित नहीं है। भाषा के नियमों के प्रति उसमें सजगता और सतर्कता नहीं है। अधिकांशत: समाचार पत्रों की भाषा अतिरंजनापूर्ण है। जब तक वस्तु स्थिति को अतिरंजित रूप नहीं दिया जाता तब तक वह समाचार नहीं बनती। धीरे-धीरे समाचार पत्रों की भाषिक अतिरंजना की रूढ़ियां विकसित हो चुकी हैं। जैसे :–

(क) भीष्ण गर्मी के कारण जल का संकट गहराया।

(ख) दहशतगर्दों ने की पुलिस की नींद हराम।

(ग) प्रधान मंत्री ने मृतकों के परिवारों को भी मुआवजा देने की घोषणा।

(घ) प्रधान मंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

कई बार खबर को इतनी सनसनीखेज बनाने की कोशिश की जाती है, मामूली भीड़ के लिए भी 'लोगों का सेलाब उमड़ पड़ा' जैसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। उर्दू और अंग्रेजी शब्दावली के बढ़ते प्रचलन के कारण हिंदी समाचार पत्रों की भाषा का एक नया रूप विकसित हो रहा है। उर्दू भाषा से उद्घृत शब्द बरामद, हादसा, जब्त दहशतगर्द दरिंदो, बेनकाब, मुआयना, जमानत, रिहा, अवैध, वारदात, बेनकाब, पाबंदी, पुख्ता किल्लत, इजाफा आदि समाचार की भाषा की पहचान बन गए हैं। यह शब्द क्राइम व कानून से संबंधित समाचारों में इस्तेमाल होते है। प्रत्येक रजिस्टर विषय की अपनी विशिष्ट भाषा को जन-जन तक पहुँचाने मे हिंदी समाचार पत्र अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। खेल जगत की अपनी शब्दावली है, तो फिल्म जगत की अपनी। भाषा को दिलचस्प बनाने की मुहिम में टी.वी. चैनलों की बहुत बड़ी भूमिका है। टी.वी. चैनलों के रंग में रंगते जा रहे समाचारपत्र भाषा को रंगीन बनाने के लिए मजबूर हो गए हैं। हिंदी भाषा का लचीलापन ऐसा है कि दूसरी भाषा के शब्दों को अपनी संरचना में ढालने में कभी कठिनाई नहीं हुई। हिंदी का परिनिष्ठित रूप जिसमें संस्कृत-निष्ठ भाषा का प्रयोग होता है, अब केवल पुस्तकों तक ही सीमित है। भाषा को सनसनी खेज व चटपटी बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक पाठक न चाहते हुए भी समाचार पढ़ने के लिए मजबूर हा जाएं।

(क) सारी टीम ताश के पत्तों की तरह झड़ गई।

(ख) लालू का बरसा डंडा, कई रेल अधिकारियों पर गिरी गाज।

(ग) रक्षक ही बना भक्षक।

(घ) बारिश ने धोया मैच।

आदि मुहावरे समाचार पत्रों की पहचान बन चुके हैं।

हिंदी समाचार पत्रों में अंग्रेजी के शब्दों को प्रयोग बोलचाल की भाषा के अनुसार ही हो रहा है।

(क) पुलिस ने आतंकवाद का स्कैच जारी किया ।

(ख) पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट के अनुसार।

(ग) हड़ताल खत्म करने की अपील।

अंग्रेजी के असीमित शब्द पैट्रोल, डीजल, जल, ट्रेनिंग, ट्रस्ट हिंदी भाषा में पूर्ण रूप से समाहित हो चुके हैं, और हिंदी भाषा के प्रयोग को सरल बना रहे हैं।

समाचार पत्रों में शब्दों को आवश्यकता अनुसार गढ़ा जा रहा है, हड़तालियों, मुअतिलों, दारेंदों, सरगर्मियां, शर्मसार आदि ऐसे ही प्रतीत होते हैं। भूमंडलीय परिप्रेक्ष्य के दबाव के कारण हिंदी का एक नया व्याकरण उत्पन्न हो गया है । भाषा अपने युग की स्थितियों और प्रेरणाओं के अनुसार बदलती आई है, आज डिजिटल क्रांति के युग में भी वह बदलाव की ओर तेजी से बढ़ रही है। 21वीं सदी की पत्रकारिता में भाषा के प्रति सजगता का भाव विलुप्त हो गया है। प्राथमिकता केवल सूचना निर्माण, सूचना प्रस्तुति की रह गई है। मार्किटिंग संपादकों की दृष्टि भाषा संरचना पर नहीं परन्तु राष्ट्रीय कंपनियों के विज्ञापनों पर केन्द्रित हो गई है। कई बार पूरा पृष्ठ ही विज्ञापन के नाम कर दिया जाता है । विज्ञापन की भाषा, शब्द संरचना, भाषा को कलात्मक बनाने के लिए भाषा विचलन का प्रयोग तो होता ही है परन्तु अंग्रेजी और हिंदी का मिश्रण और हिंदी का अंग्रेजी वर्णों में लिखने की प्रक्रिया का प्रयोग बिल्कुल आम हो गया है। यदि संक्षेप में कहें हिंदी समाचारों की भाषा व्याकरण की सीमाओं को पार करती हुई, नए शब्द संसार व वाक्य विन्यास को लेकर एक नई भाषा को जन्म दे रही है जो हिंदी के विशुद्ध रूप पर प्रहार कर रही है, और व्यवहारिक हिंदी के माध्यम से विचार और चिन्तन का संप्रेषण कर रही है। ■

4437 HA/08—10B

कृषि

कृषि अनुसंधानों में किसानों की सहभागिता

–डा. शुभंकर बनर्जी*

इस समय भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में इतनी प्रगति तो कर ही ली है कि विश्व के शीर्षतम देशों में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। प्रतिवर्ष 500 से भी ज्यादा शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन भारत में होता है। परन्तु यह वाकई खेद की बात है कि मात्र कुछ एक को छोड़कर अधिकतर पत्रिकाएं अंग्रेजी में ही प्रकाशित होती हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि कृषि विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान अध्ययनों का माध्यम भी अंग्रेजी ही है। परन्तु जन सामान्य की भाषा हिंदी में ही कृषि अनुसंधान होने चाहिएं ताकि कृषि प्रधान देश भारत के नागरिकों तक इन शोध परिणामों की पहुँच आसानी से हो सके।

राष्ट्रभाषा हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं को न अपना कर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जो गलतियां की जा रही हैं उसका दुष्परिणाम देश के सामान्य कृषक वर्ग ही भुगतने को बाध्य है । इसी कारण कृषि शोध के क्षेत्र में हो रहे महत्वपूर्ण शोध का लाभ किसानों तक नहीं पहुँच पाता है क्योंकि उन अनुसंधानों की भाषा सामान्य किसानों की समझ से बाहर होती है। इस प्रकार विभिन्न कृषि अनुसंधानों से प्राप्त उन्नत कृषि प्रक्रियाओं का किसानों द्वारा अपनाना सम्भव नहीं हो पाता है।

यह तो निसन्देह तथ्य पूर्ण उपलब्धि ही है कि कृषि विज्ञान के क्षेत्र में निरन्तर नए-नए आविष्कारों का सिलसिला जारी है। साथ ही नवीनतम उन्नत कृषि प्रक्रियाओं का भी विकास हो रहा है। परन्तु इन उपलब्धियों का सीधा लाभ स्वदेशी किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। इन महत्वपूर्ण तथा उन्नत कृषि प्रक्रियाओं की जानकारी विदेशी वैज्ञानिकों तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को तो अवश्य मिल सकती है परंतु भारतीय किसानों को फिर भी वंचित रह जाना पड़ता है। भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने स्वदेशी किसानों के साथ जाने-अनजाने उपेक्षापूर्ण व्यवहार ही किया क्योंकि उनकी उपलब्धियों का लाभ जन सामान्य को सुलभ कराने में यथोचित सफलता नहीं मिल सकी।

स्पष्ट है कि कृषि विज्ञान की प्रगति की भाषा स्वदेशी न होकर विदेशी होना ही इस तरह की परिस्थिति के लिए मुख्यतया जिम्मेदार है। इसी तरह से कृषि शोध पत्रिकाओं की भाषा ऐसी क्यों होती है कि जो जनसाधारण की समझ से बाहर होती है । भारतीय परिवेश में पले-बढ़े और शिक्षित होकर जब भारत की ही कृषि व्यवस्था पर वो शोध करते हैं तब भारतीय कृषकों की मूल आवश्यकताओं की उपेक्षा क्यों करते हैं? आखिरकार इन तमाम कृषि अनुसंधानों की आवश्यकता ही क्या है जिसका उपयोग कृषक व कृषि के हितों में नहीं किया जा सकता है। क्या अंतत: महज कागजी खानापूर्ति तक ही सीमित रह कर भारतीय कृषि की प्रगति ठहर जायेगी?

इसी तरह से पूरे विश्व में प्रतिवर्ष जितने भी विज्ञान सम्मेलन आयोजित होते हैं उनमें से 50 प्रतिशत केवल भारत में ही आयोजित होते हैं। परन्तु इन सम्मेलनों में भी अंग्रेजी भाषा को ही माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य का वितरण होता है, शोध-पत्र वाचन से लेकर वेश भूषा तक सभी पाश्चात्य संस्कृति के रंग में ढले होते हैं। जन सामान्य की पहुँच इन सम्मेलनों तक नहीं हो पाती है। भारत के वैज्ञानिक भी अपने शोध पत्र अंग्रेजी में प्रस्तुत करके मानों गौरवान्वित महसूस करते हैं। अपने शोध पत्र को जनता की भाषा में या उसकी समझ तक पहुँचाने के उद्देश्य से प्रस्तुत करने का सत्साहस किसी भी कृषि वैज्ञानिक में नहीं होता है हालांकि प्रतिवर्ष ऐसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलनों का आयोजन भारत में होता रहता है परन्तु इन कृषि संवादों का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण भारतीय कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे अथक परिश्रम का लाभ उठाने में स्वदेशी किसान असमर्थ सिद्ध

*जी-30, एम.सी.डी. कालोनी, निकट मुखर्जी नगर, किंग्जवे कैम्प, दिल्ली-110009

हो रहे हैं जबकि उन शोध-पत्रों और रिपोर्टों का लाभ विदेशों में पहुँच रहा है।

इस प्रकार से भारतीय वैज्ञानिकों के परिश्रम का सदुपयोग करके विदेशी वैज्ञानिक नई कृषि तकनीकों का विकास करने में सफल हो रहे हैं और उन्हीं तकनीकों पर विदेशी छाप लग जाती है जिसे वे भारत को ही दोबारा ऊँची कीमत पर बेचने का प्रयास करते हैं। भारत में ही स्वदेशी प्रयासों से विकसित कृषि तकनीकों का लाभ सीधे तौर पर भारतीय किसानों को महज इसी भाषाई दीवार के कारण उपलब्ध नहीं हो पाता है और हमारी ही तकनीकों को हम विदेशों से ऊँची कीमतों पर आयात करने के लिये मजबूर हो जाते हैं।

भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है परन्तु शोध कार्यों का माध्यम हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेजी है। विशेष तौर पर कृषि विषयक अनुसंधानों तथा सम्मेलनों का माध्यम अंग्रेजी में होने का क्या औचित्य है जब कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भारतीय किसानों को ही इस प्रयास का वास्तविक लाभ नहीं मिल सकता है। जबकि प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की विशाल धन राशि इस तरह के मदों पर खर्च की जाती है। इतना ही नहीं इन सम्मेलनों तथा अनुसंधानों की निष्कर्ष रिपोर्ट की सूची तक भी अंग्रेजी भाषा में ही प्रकाशित होती है जिस पर भारी धनराशि खर्च होती है, इस प्रकार से प्रकाशन की सूची तक भी सामान्य किसानों की पहुँच से दूर ही रहती है।

जब इन मदों पर किए जा रहे खर्च को सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है तब सरकारी तौर पर ऐसी पहल भी आवश्यक की जा सकती है कि इन कृषि सम्मेलनों को सरकार तभी प्रायोजित करेगी जब उनमें संवाद का माध्यम हिंदी होगा और सभी शोध पत्र व कागजात आदि केवल हिंदी भाषा में ही होंगे। ऐसी घोषणा करने से इस क्षेत्र में काया पलट होने की आशा की जा सकती है। इसी समय कृषि विज्ञान के सम्मलनों का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण सामान्य किसान वर्ग की समझ में कोई बात नहीं आ पाती है। अत: किसानों का इन सम्मेलनों में सम्मिलित होने का कोई सीधा लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है तथा अकसर समझ से बाहर होने के कारण वे बीच में ही सम्मेलन छोड़कर बाहर आ जाते हैं। यह कटु सत्य है कि सम्मेलन आयोजित कराने वाले वैज्ञानिक इन किसानों की उपस्थिति महज भीड़ बढ़ाने और फोटोग्राफी के माध्यम से सम्मेलन को सफल सिद्ध करने के लिए ही चाहते हैं। परन्तु इस तरह की खाना पूर्ति का लाभ शून्य ही होता है।

इसके अलावा इन सम्मेलनों के आयोजक कृषि वैज्ञानिकों में इतनी भी समझदारी नहीं होती कि वे सम्मेलनों का सार किसानों को संक्षिप्त में उनकी भाषा में समझाएं। उन्हें किसानों तथा भारतीय कृषि व्यवस्था के हित की चिन्ता नहीं होती है बल्कि अपने व्यक्तिगत उपलब्धि के बल पर स्वयं के उत्थान की चिन्ता ही रहती है। यहां तक की यदि कोई उत्साहित कृषि वैज्ञानिक इन सम्मेलनों में हिंदी भाषा में अपना शोध पत्र प्रस्तुत करना चाहे तो उसे प्रोत्साहित करने के बजाय उसे हतोत्साहित ही किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया जिसमें 22 देशों से कृषि वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। परन्तु जब एक भारतीय वैज्ञानिक ने इस सम्मेलन के आयोजकों को एक पत्र लिखकर इस बात की इच्छा व्यक्त की कि हिंदी में शोध-पत्र प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आयोजकों ने पहले तो कोई उत्तर नहीं दिया और जब इस व्यक्ति ने व्यक्तिगत तौर पर फोन से आयोजकों से इस विषय पर बात करनी चाही तो उन्होंने यह कहकर बात ही समाप्त कर दी कि आप इस संदर्भ में ज्यादा पीछे मत पड़ो वरना आपका शोध पत्र ही अस्वीकार कर दिया जायेगा। इस तरह से इस वैज्ञानिक द्वारा की गई पहल व्यर्थ गई और अंतत: उन्होंने भी अपना शोध पत्र बाध्य होकर अंग्रेजी में ही प्रस्तुत किया और उन्होंने अपने शोध पत्र की अनूदित प्रतियां अन्य प्रतिभोगियों के बीच अवश्य बांटी परन्तु सम्मेलन में अपनी भाषा में शोध पत्र प्रस्तुत करने में कोई संकोच भी नहीं किया।

कृषि सम्मेलनों के आयोजकों का रवैया सदैव पक्षपातपूर्ण ही रहा है। विशेषतौर पर भारत के ही कृषि वैज्ञानिकों द्वारा राजभाषा को माध्यम बनाकर शोध करने को हतोत्साहित करना वाकई निंदनीय है। ऐसे अनेक उदाहरण पाए गए हैं जब हिंदी के पक्षधर कृषि वैज्ञानिकों की अवहेलना की गई ओर उन्हें अपमानित करके उन पर अंग्रेजी माध्यम थोपने का प्रयास किया गया। इस तरह से भारत के कृषि वैज्ञानिकों को हिंदी माध्यम में पी.एच.डी. करने के लिए व्यापक संघर्ष करना पड़ता है। यहां तक कि हिंदी में प्रस्तुत शोध-प्रबन्धों की व्यापक उपेक्षा की गई तथा इनके शोध पत्रों को भी निर्धारित समय से काफी वर्षों बाद उपाधि दी गई।

हिंदी माध्यम में कृषि अनुसंधान करने वाले कृषि वैज्ञानिकों को अत्यंत मानसिक दृढ़ता दिखानी पड़ती है। प्राय: उच्च पदों पर आसीन अधिकारी वर्ग द्वारा हिंदी

माध्यम में शोध कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को हतोत्साहित किया जाता है। यह भी सच है कि हिंदी के समर्थक तथाकथित उच्चाधिकारियों की इच्छा शक्ति इस संदर्भ में काफी कम रहीं है। कृषि विषयक पत्र-पत्रिकाओं के साथ भी यही समस्या जुड़ी है। कृषि शोध की पत्रिकाओं को हिंदी माध्यम में प्रकाशित करने के प्रति उच्च अधिकारियों की रुचि में व्यापक कमी देखी गई । इसके अलावा कनिष्ट वैज्ञानिकों के शैक्षणिक कार्यों की देख रेख करने वाले कृषि क्षेत्र के वरिष्ठतम वैज्ञानिकों की नीति भी इस दिशा में उपेक्षापूर्ण रही है। स्पष्ट है कि हिंदी को माध्यम बनाने को बढ़ावा देने के प्रति शीर्षतम वैज्ञानिकों का रवैया व्यापक रूप से उपेक्षापूर्ण रहा है। उनके त्रुटिपूर्ण तथा निंदनीय रवैये के कारण ही हिंदी भाषा में शोध-पत्र प्रस्तुत करने से कनिष्ठ वैज्ञानिक कतराते हैं।

इस तरह के उच्चाधिकारियों या शीर्ष वैज्ञानिकों का वर्ग ही हिंदी भाषा में आयोजित होने वाले कृषि सम्मेलनों को स्तर विहीन सिद्ध करने का प्रयास करता है। इन स्वदेशी सम्मेलनों में प्रस्तुत शोध-पत्रों को महज साधारण लेख का दर्जा देकर उनके स्तर की अवहेलना भी किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में डा. आर. डी. गोयल के प्रयासों का उल्लेख अत्यावश्यक है। कृषि क्षेत्र में स्वदेशी भाषा के माध्यम को प्रोत्साहित करने के लिये उनका योगदान सराहनीय रहा है। राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम से कृषि शोध के क्षेत्र में विश्वव्यापी प्रचार-प्रसार के लिये डा. गोयल ने अभूतपूर्व प्रयास किया। उन्होंने कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व को समाप्त करने या कम से कम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देने का प्रयास किया जिसके अन्तर्गत समान विचार धारा वाले भारतीय कृषि वैज्ञानिकों को एकत्र करके भारतीय कृषि अनुसंधान समिति की स्थापना की गई । यह समिति भारतीय कृषि अनुसंधान पत्रिका नामक एक कृषि शोध पत्रिका का प्रकाशन करती है । इस कृषि अनुसंधान पत्रिका की विशेषता यह है कि इसमें केवल राजभाषा हिंदी माध्यम में ही शोध-पत्र प्रकाशित होते हैं । इसके अलावा विश्व स्तर के पुस्तकालयों व अन्य शोध संस्थाओं के लिये भी इस पत्रिका में शोध पत्र का सारांश हिंदी के अलावा अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाता है । इस पत्रिका का एक उद्देश्य यह भी है कि विश्व के लोग भारतीय वैज्ञानिकों के कार्यों को संक्षेप में जान सके । परन्तु यदि विश्व समुदाय को और विस्तृत जानकारी चाहिए तो उन्हें भी हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना होगा या अनूदित साहित्य की व्यवस्था करनी होगी।

यह बात भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय है कि इटली, जर्मनी, हंगरी सहित विश्व के अनेक देश केवल अपनी भाषा में ही शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन करते हैं । इसी दिशा में डा. गोयल ने अपनी ओर से पहल की है और सफलता भी प्राप्त की है । अत: उन्होंने शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन के अलावा प्रति वर्ष राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन करने का निर्णय लिया है । इन राष्ट्रीय संगोष्ठियों में सम्पूर्णत: हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय किसानों की सहभागिता होती है । हिंदी भाषा में शोध-पत्र प्रस्तुत करने का यह लाभ होता है कि संगोष्ठी में भाग लेने वाले किसानों की समझ में बात आ जाती है और स्वभाविक रूप से ही उनकी रुचि और अधिक जानकारी प्राप्त करने में होती है।

यह एक सामान्य तथ्य है कि किसान तो कृषि कार्य से ही जुड़े होंगे । अत: अपने सुझावों द्वारा शोध विषयों तथा शोध कार्यों का निर्धारण करने में वे महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं । उसी के आधार पर आगामी वर्षों की संगोष्ठियों के विषयों का निर्धारण किया जाता है । इन्हीं संगोष्ठियों में भारतीय कृषि अनुसंधान पत्रिका में प्रकाशित तीन श्रेष्ठ शोध साहित्यों को डा. गोयल स्वयं पुरस्कृत करते हैं । हिंदी भाषा में शोध-पत्र प्रस्तुत करने को प्रोत्साहन देने के लिए तथा विशेष तौर पर युवा कृषि वैज्ञानिकों को इसी दिशा में प्रेरणा देने के लिये उन्होंने व्यापक प्रयास किया है । उनके प्रयासों से प्रेरणा प्राप्त करके उत्तर प्रदेश के भी कुछ शोध संस्थाओं ने हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए पर्याप्त पहल की है और अब वे नई शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन व संगोष्ठियों के आयोजन में व्यस्त हो चुके हैं । हिंदी भाषा में शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा । यदि पूरे देश में भी इस तरह की पहल की जाए तो यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ।

परन्तु भारतीय कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में यह वाकई त्रासदीपूर्ण तथ्य है कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले कृषि विज्ञान सम्मेलनों में समुचित भागीदारी करने के लिए युवा कृषि वैज्ञानिकों को कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है । यदि स्वदेशी भाषा में कृषि सम्मेलनों के आयोजन हेतु इन कृषि समितियों को राजकीय सहायता या राजकोशीय सहायता मिले तो उनकी कार्य दक्षता में काफी वृद्धि होगी तथा उनकी गतिविधियां राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ेगी।

इस प्रकार के स्वदेशी प्रयासों के अंतर्गत आयोजित संगोष्ठिओं को अभी भी यथोचित प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है जिसके कारण इन आयोजनों में वैज्ञानिकों की उपस्थिति की संख्या कम हो जाती है। परन्तु दूसरी ओर यह भी सराहनीय पक्ष है कि पर्याप्त प्रोत्साहन न मिलने तथा भारतीय कृषि विश्वविद्यालय के रवैये में अपेक्षित व सकारात्मक परिवर्तन नहीं आने के बावजूद कुछेक युवा एवं अन्य नवीन वैज्ञानिकों ने सत्साहस दिखाने की पहल अवश्य की है। यहां तक कि अपने संस्थाओं की ओर से सहयोग न मिलने पर उन्होंने छुट्टी लेकर स्वयं के खर्च पर ही इन संगोष्ठिओं में सम्मिलित होने का दृढ़ निश्चय किया।

अंततः यह कहना अत्यावश्यक है कि डॉ. आर. डी. गोयल द्वारा राजभाषा के माध्यम में कृषि शोध-पत्र प्रस्तुत करने की दिशा में जो पहल की गई है उसका अनुपालन जारी रहना उचित है। विशेष तौर पर उन्होंने देश के करोड़ों किसानों के हितों की चिन्ता करते हुए युवा कृषि वैज्ञानिकों को जिस तरह से हिंदी माध्यम में कृषि शोध कार्य करने की प्रेरणा दी है वह वाकई एक सराहनीय और अनुकरणीय प्रयास है।

इस तरह से राजभाषा का सम्मान करके हम पूरे देश का ही हित करेंगे क्योंकि इससे कृषि प्रधान देश के बहुसंख्यक किसानों को कृषि विज्ञान की आधुनिकतम तकनीकी जानकारी सुलभ की जा सकती है। स्पष्ट है कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है ताकि कृषि विज्ञान की प्रगति के लिए राजकोष से खर्च हो रही विशाल धनराशि का सदुपयोग किसानों के हित में करना सम्भव हो जो कि वास्तव में अंततः राष्ट्रीय हित में ही सिद्ध होगा।

दरसल कृषि विज्ञान से संबंधित शोध के क्षेत्र में राष्ट्र भाषा की अवहेलना पूरे देश का ही अपमान है। राजभाषा का इस संदर्भ में समुचित प्रयोग न करने के कारण चाहे कुछ भी, परन्तु कठोर सत्य तो यही है कि बिना राजभाषा की उन्नति किए राष्ट्र का सर्वांगीण विकास भी सम्भव नहीं है। देश के शीर्षतम कृषि विज्ञानिकों को यह बात अच्छी तरह से समझनी होगी। इसी भ्रामक परिस्थिति के कारण ही देश में तमाम कृषि अनुसंधान होने के बावजूद भारतीय किसानों को विदेशी कृषि तकनीकों पर निर्भर रहने की मजबूरी बनी हुई है। इस तरह से हम अपनी स्वदेशी कृषि क्रांति से अन्जान रह जाएंगे और अपने हित की बात को समझते हुए विदेशी कृषि विधियों पर ही निर्भर रहेंगे। इस तरह से भारतीय कृषि व्यवस्था ही पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो जायेगी। ■

हिंदी एक जीवंत भाषा है । इसमें बड़ी सुरम्यता और उदारता है । हिंदी के यही तो वे गुण हैं जो इसे दूसरी भाषाओं के शब्दों और वाक्यों को आत्मसात् करने की असीम क्षमता प्रदान करते हैं । हिंदी हमें दक्षिण एशिया के देशों से ही नहीं बल्कि पूरे एशिया और मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, ट्रिनीडाड व टोबेगो जैसे अन्य देशों के साथ भी जोड़ती है । यदि हिंदी को विश्व की एक प्रमुख भाषा बनाना है तो इसे आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का माध्यम बनाना होगा ।

–भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री के. आर. नारायणन

पर्यावरण

पर्यावरण प्रदूषण और संरक्षण

–सुधाकर किशनराव गायकवाड*

भारत की जनसंख्या के साथ ही मानव के रहन सहन के स्तर एवं भरण पोषण की सामान्य समस्याओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु शहरों, औद्योगिक इकाइयों एवं कारखानों का विकास हुआ। खेती में नए-नए आयाम एवं उन्नतशील बीज तथा प्रजातियों का प्रदुर्भाव हुआ वही यातायात की सुविधाओं के लिए वृक्षों को काटकर सड़कों का निर्माण किया गया। मानव कल्याण के प्रगति के साथ-साथ उसके आस-पास स्वच्छ और सुंदर पर्यावरण की भी आधारभूत की आवश्यकता है। जहाँ एक ओर वैज्ञानिक उपलब्धियों में मानव जीवन में सुगमता अवश्य ही प्रदान की है वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण प्रशषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज विश्वस्वास्थ्य संघठन समस्त मानव जाति की बिमारियों का निराकरण कर स्वस्थ्य जीवन की कल्पना कर रहा है। वहीं बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण प्राणी जगत की नवीन बिमारियों का जनक सिद्ध हो रहा है।

पर्यावरण शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है । इसके अंतर्गत हमारे चारों-ओर का परिवेश अर्थात वनस्पति प्राकृतिक पदार्थ, जीव-जगत आदि सब कुछ आते हैं । इन सबके बीच परस्पर सामंजस्य तथा संतुलन की स्थिति पर्यावरण को संतुलित रखने में सहायता करती है । वहीं पर किसी एक घटक का शोषण अथवा दुरुपयोग इस संतुलन को बिगाड़ने के लिए काफी है । वर्तमान युग में एक और प्राकृतिक संपदा का दोहन हो रहा है तथा दूसरी ओर पर्यावरण का प्रदूषण अपने चरम बिंदुपर पहुंच चुका है ।

हम अपनी राष्ट्रमाता की वंदना करते हुए कविवर बकिमचंद्र चटर्जी शब्दों में गाते है ।

वंदे, मातरम
सुजलां, सुफुलां
मलयज, शीतलां
शश्य श्यामलम मात्तरम । वंदे मातराम

आज से सौ साल पहले हमारा देश ऐसा ही था । देश ही क्यों सारी भारत भूमि सुजला थी । पर आज क्या हो गया है? मानव ने धरती मां का क्या हाल किया है? न शुद्ध हवा है, न शुद्ध पानी । चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण आज किसी देश की नदी, सरोवर, तालाब, व जल सुजला नहीं रहा । सारी नदियां भयंकर रूप से प्रदूषित हो चुकी हैं । गंगा-यमुना-कावेरी-कृष्णा जैसे बड़ी नदियां ही नहीं बल्कि छोटी नदियों का स्तर भी वह बड़ी नदियों के हालत जैसी हो गई है । उद्योगों द्वारा प्रदूषण का प्रसार रसायनों और शहरों भर के कचरे और गंदे नालियों के कारण पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है । आज किसी भी नदी का पानी सीधा पिया न जा सकता।

जनसंख्या पर अगर हम दृष्टि डालें तो गांव के लोग शहर की ओर बढ़ रहे हैं। उसका परिणाम ग्राम दरिद्र होते जा रहे हैं। शहर भरते जा रहे हैं, गांव खाली होते जा रहे हैं। इसका एक ही कारण, वह जनसंख्या का असंतुलन। जनसंख्या के इस असंतुलन का दबाव शहरों के लोग अत्याधिक दबाव के कारण परेशान हैं। शहरों में वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। बड़ी-बड़ी लारियां - बसों, ट्रकों, जीपों, कारों आदि वाहनों का धुआं अनेक जहरीली गैस होती है। ऐसे गैस वायुमंडल को विषगत कर देती है, जिनका दुष्परिणाम मनुष्यों पशु-पक्षियों एवं पेड़-पौधों पर भी पड़ता है। इन गैसों से अम्ल वर्षा होती है। वह सभी जीव-जंतु के लिए हानिकारक हैं। इसलिए आज हम देख रहें हैं कि, देहली, कोलकाता, मुम्बई, चैन्नई, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, पटना अनेक बड़े-छोटे शहर त्राहि-त्राहि कर रहे हैं।

जल ही जीवन है। जल से ही खेती-बाड़ी होती है, फसलें सब्जियां उगती हैं। पेड़ पनपते हैं, फूल-फल उगते हैं। पशु-पक्षियों का जीवन वृक्षधर ही आधारित होता है। पेड़ नहीं होंगे तो वर्षा कैसी होगी? वर्षा नहीं होगी तो प्रतिवर्ष

*वरिष्ठ दूरभाष पर्यवेक्षक, दूरसंचार जिला महाप्रबंधक, बी.एस.एन.एल. गुलबर्गा (कर्नाटक) - 585101

वातावरण गरम होता जाएगा । पेड़ों की संख्या में गिरावट आ जाएगी। घास-पौधे सूख जाएंगे । पानी के अभाव से गांवों और शहरों की दशा परम दयनीय होती जा रही है। पानी पर आज देश की अर्थव्यवस्था बनी है। गांवों के तालाब सूखे जा रहे हैं। तालाबों की पानी भदन क्षमता कम होती जा रही है। तालाब को पाटते मकान बनते जा रहे हैं। तालाबों के जगह पर अनेक घर-कार्यालयों, कारखानों का निर्माण किए गए हैं। आकाश से पानी बरसता है, पर उसे संचित करनेवाले तालाब, सरोवर आदि समाप्त होते जा रहे हैं। जो पानी बरसता वह पानी नदी व समुद्रों में चला जाता है। फिर वह सूखा रह जाता है। आज हमारा देश पानी के भारी संकट का सामना कर रहा है। यह संकट हर वर्ष बढ़ता चला जाएगा। तो हमारी खेती सूख जाएगी। पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे । पशु-पक्षी मर जाएंगे। इतना ही नहीं पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। पानी की लड़ाई होगी। यहां तक कि युद्ध भी होंगे, यह स्थिति आ चुकी है।

पानी के अभाव से खेती सूख जाती है। खेती सूख जाने से किसान भूखा मरता है। कई किसान आत्महत्याएं कर लेते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जो कर्नाटक व आंध्रप्रदेश में फसल नष्ट होने से तुवर की जहरीली दवा पीकर आत्महत्याएं कर ली हैं। अपितु सरकार इन मामलों पर नजरअंदाज कर रही है जो उपाय-योजना करना था वह सही वक्त पर किसान भाईयों तक नहीं पहुँच रहा है।

अत: वर्षा के जल को संचित व संरक्षित करना जरूरी है। आकाश से गिरने वाला 80 प्रतिशत पानी समुद्र में गिरने से व्यर्थ होता है। यदि गांव में सरोवर व तालाब बनाकर, घर- घर में जल कुंडिया बनाकर वर्षा जल संचित किया जाए तो भविष्य में हमारे देश में पानी की कमी महसूस नहीं होगी। भारत सरकार ने नदियों को जोड़ने की प्रणाली बनाई है। इस प्रणाली द्वारा भारत के प्रत्येक नदियों को जोड़कर पानी की उपलब्धता की जा सकती है।

आज के समय में जल संभरण प्रबंधन प्रणाली सुरक्षा, सूखा पीड़ित व बेकार और बंजर भूमि के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रही है। यह प्रणाली निश्चित लाभप्रद बनकर समाने आ रही है। इस प्रणाली द्वारा प्राकृतिक संसाधनों द्वारा जैसे भूमि, जल, जंगलों का संरक्षण तथा वातावरण सुरक्षित किया जाना सुनिश्चित है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनसमूह की भागीदारी महत्वपूर्ण एवं अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रणाली के अंतर्गत गांवों के युवकों व प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होता है कि उनके गांवों के सरोवरों का पुनरुद्धार करें। सरकारी सहायता प्राप्त करें पर उस पर निर्भर न रहकर स्वयं सेवा का समूह बनाकर तालाब में घास व कचरा साफ करें। वर्षा से जमी हुई मिट्टी निकाले। सरोवर को गंदा न करें, सरोवर हम सब की धरोहर है। उनकी रक्षा करना सभी का कर्त्तव्य है।

जब हमारा देश आजाद हुआ, तब देश की औसत 40 प्रतिशत जमीन वनच्छादित थी। धीरे-धीरे आबादी की वजह से जंगल काटते गए। आज हमारे देश में केवल 10 प्रतिशत जंगल रह गया है। और वह भी तेजी से समाप्त होते जा रहा है। इसका प्रभाव वातावरण पर पड़ रहा है। हर वर्ष गरमी बढ़ती जा रही है। बरसात कम होती जा रही है। देश का आधे से अधिक हिस्सा सूखे का प्रकोप झेल रहा है।

एक ओर जहां पर्यावरणीय सुंदरता बनाए रखने के साथ-साथ हरे-भरे वृक्ष हमारे जीवन में महत्वपूर्ण अंग हैं। वहीं दूसरी ओर मौसमी तंत्र में असंतुलन को भी काफी हद तक नियंत्रण करने में इनकी अहम् भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। किंतु आज दु:ख व चिंता का विषय है कि, बेरहमी से इन हरे-भरे वृक्षों को अंधाधुंध काटा जा रहा है। भारत सहित दुनियां के अनेक देशों में इन पेड़ों पर गाज गिर रही है। आज भी भारतवर्ष की अधिकांश आबादी ऐसी है जो इन पेड़ों पर पूर्णतया निर्भर है। विशेषकर गांवों में बसने वाले लोग इन वृक्षों का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। चंदन, शीशम, सागवान जैसी कीमती लकड़ियों से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। लोकप्रिय वाद्ययंत्रों को बनाने की वजह से अनेक वृक्षों की प्रजातियां समाप्त होती जा रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार एक कार्यवाही से लगभग 70 प्रजातियों के वृक्षों का लुप्त होने का अनुमान है। इनमें मुख्य रोजवुड, देवधर, एबोनी व महोगनी मुख्य हैं। इसके अलावा और भी ऐसे कारक हैं जिनके कारण इन वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। पेड़-पौधों को अधिक दिन तक बनी रह सकती या फिर जो बेकार हो गए हैं उसे नष्ट किया जा सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पेड़ों की कटाई से हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही ऋतु चक्र भी असंतुलित होता है।

जल और पेड़ों के अलावा पर्यावरण के वास्तविक स्वरूप को बिगाड़ने में वायु और ध्वनि प्रदूषण भी मुख्य कारक माने गए हैं। उत्पादन में वृद्धि बढ़ाने के लिए औद्योगीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जिस फलस्वरूप आज नगरों, महानगरों एवं कस्बों में कृषि भूमि पर औद्योगिक इकाईयां बेधड़क से स्थापित हो रही हैं। भारी शोर-शराबे के साथ मानव जीवन के स्वास्थ्य पर वाहनों एवं कल-कारखानों से निकलने वाला धुवां वायुमंडल में मिलकर पर्यावरण को असामान्य तरीके से प्रभावित और प्रदूषित के साथ, मानव जीवन के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर छोड़ रहा है । एक जानकारी के अनुसार हमारे वायुमंडल में ऐसी जहरीली गैस विद्यमान है, जो मनुष्य में कैन्सर रोग को बढ़ावा देने में सहायक मानी गई है । यह गैसें कई बार तो सर्दियों के मौसम में धुंध के दौरान इतनी अधिक हो जाती है कि हम श्वास लेने के दौरान इन गैसों को अपने में सम्माहित कर लेते हैं । राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण सर्वाधिक प्रभाव दिख रहा है। स्वयं दिल्ली प्रदूषण कमेटी ने यह स्वीकार किया है कि दिल्ली में हवा में ज़हर घुल गया है। जिस नजर से पर्यावरण सुरक्षा का प्रश्न सामने आया है ।

सारी ध्वनि प्रदूषण से हमारा वातावरण अछूता नहीं रह गया है। अनुसंधानों से पता चला है कि पर्यावरण में शोर की तीव्रता हर दस साल में दोगुनी होती जा रही है। शोर बढ़ाने वाले साधनों में जो इजाफा हुआ है। वह पर्यावरण के लिए शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए 1986 के पर्यावरण सुरक्षा कानून में भारत सरकार ध्वनि प्रदूषण को, वायु, जल प्रदूषण के समान ही महत्व दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड औद्योगिक, व्यापारिक, आवासीय क्षेत्रों में और अस्पतालों को शांत क्षेत्र घोषित कर शोर के मापदंड तय किए हैं। मगर इन सब नियम के बावजूद भी ध्वनि प्रदूषण पर किसी का नियंत्रण कम नहीं हो पा रहा है, बल्कि इसमें वृद्धि ही हुई है ।

पर्यावरण को नियंत्रण बनाए रखने के लिए कुछ नए ठोस उपाय :

(1) आज प्रकृति के प्रत्येक घटक के साथ पुन: भावनात्मक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। तभी प्राकृतिक आपदाओं से मनुष्य को बचाया जा सकता है ।

(2) धुंआ उगलनेवाले भारी वाहनों को रोक लगाई जाए ।

(3) हरे वृक्षों की कटाई एवं वन्य जीवों का शिकार करने वाले असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्यवाई करके उन्हें दंडित किया जाए ।

(4) पर्यावरण में बढ़ते शोर की तीव्रता को कम करने के लिए अधिकाधिक संख्या में हरे पेड़-पौधों को लगाए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए । क्योंकि ध्वनि प्रदूषण को शोषित करने में इनकी भूमिका अद्वितीय है। अत: भारी शोर करने वाले कारखाने व्यस्त सड़कों, रेल पटरियों आदि के आस-पास ताड़, इमली, नारियल और आम के वृक्ष लगाना चाहिए ।

(5) पर्यावरण से जुड़ी अनेक समस्याओं के निराकरण के लिए सामाजिक मूल्यों को पुन: स्थापित करना होगा ।

(6) कृषि भूमि पर धड़ल्ले से स्थापित हो रही औद्योगिक इकाइयों को बंद किया जाए ।

(7) अनेक जल परियोजनाओं के निर्माण से पूर्व तय किया जाना चाहिए कि ऐसा करने से नजदीक के वातावरण को किसी प्रकार क्षति तो नहीं पहुंच रही है ।

(8) पोलिथिन को पूर्णरूप प्रतिबंधित किया जाए। प्रदूषण फैलाने में यह पूरी तरह से जिम्मेदार है ।

(9) हरे-भरे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोक केवल जन सहभागिता से ही लगाई जा सकती है। इसके लिए हमारे पूर्ण प्रयासों की मानसिकता की आवश्यकता है ।

(10) यदि हमें पर्यावरण को बचाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को आस-पास एक पौधा लगाने का प्रण अवश्य करना चाहिए। प्रकृति के साथ मनुष्य का भावनात्मक संबंधों का यह प्रयास देखने में भले ही छोटा हो मगर इसका प्रभाव विस्तृत व्यापक अवश्य होगा, यह निश्चित है । ■

4437 HA/08—12A

विविध

पेज थ्री और चैप्टर थ्री

दो जीवन दर्शन : भोगवाद और कर्मयोग

–विश्वमोहन तिवारी, एयर वाइस मार्शल (से. नि.)*

मैं 1977 से 1981 तक ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग में कार्यरत था। उन्हीं दिनों रूपर्ट मर्डोक के टैब्लॉयड 'सन' ने एक सनसनी फैला दी । 'सन' के संपादक श्री लैम्ब ने 'सन' के प्रसार बढ़ाने के लिए पत्र के पूरे पृष्ठ तीन पर एक सुन्दर युवती का 'टॉपलैस' (नग्न वक्ष) चित्र, वह भी प्रतिदिन , प्रकाशित करना शुरू किया । 'टॉपलैस' शब्द दोनों अर्थों में सटीक है । उन दिनों 'टॉपलैस' चित्र समाचार पत्र में प्रकाशित करना दुस्साहस करना था । इसका विरोध हुआ किन्तु पत्र के प्रसार में महत्वपूर्ण वृद्धि भी हुई । जब माध्यम वालों के लिए आर्थिक लाभ ही सर्वश्रेष्ठ मूल्य हो तब 'काजी' भी क्या कर सकता है ? उन्होंने पेज थ्री ही क्यों चुना ? श्री लैम्ब अपने जुए से डरे हुए थे, अतएव उन्होंने नग्नता प्रदर्शन के दुस्साहसी कार्य को सभ्यता का घूंघट दे दिया ।

तभी से पेज थ्री आधुनिक जीवन शैली या भोगवाद का प्रतीक है ! लगभग सभी समाचार पत्र और पत्रिकाएं ऐसे लुभावने रंगीन चित्र किसी न किसी पृष्ठ पर अवश्य देते है, किंतु उसे पेज तीन का कृत्य ही माना जाता है। अब पृष्ठ तीन पर सौंदर्य प्रतियोगियों के, चाहे वे टिम्बकटू के हों और माडलों, एक्टरों, एन्टरटेनरों, खिलाड़ियों तथा निश्चित ही पत्रकारों और कुछ लोकप्रिय लेखकों के चित्र तथा सच्चे झूठे कृत्य होते हैं । पेज थ्री के द्वारा वे सैलिब्रिटी बनाए जात हैं; और उनका उत्पादन बरसाती कुकुरमुत्तों की तरह होता है और फिर उनका अवसान भी वैसा ही । पेज थ्री के कार्य में इन सभी को नाम और दाम का बहुत लाभ होता है । और सबसे लाभ होता है माध्यम, विज्ञान संस्थाओं, और उद्योगपतियों को आवश्यक, अनावस्यक वस्तुओं का उत्पादन और ब्रिकी और खरीददारी बढ़ती है । यह सब लाभ हम और आप जैसे खरीददारों से जो अपने भोलेपन में या माध्यम द्वारा गढ़ी गई रुचि के अनुकूल बेवकूफ बनते हैं, और समझते हैं कि आधुनिक बने रहने के लिए सुखी होने के लिए यह जीवन शैली आवश्यक है । क्या यह हमारी मूर्खता की निशानी नहीं कि हम उन 'टॉपलैस' की चर्चा को टॉप पर रखना चाहते हैं !

भोगवाद का विषय आज समझाने के परे हो गया है क्योंकि भोगवाद सैक्सी और लुभावने विज्ञापनों और जिंगलों, सोप आदि द्वारा बचपन से ही हृदय में घर किए बैठा होता है । माध्यम चतुराई से लोगों को गम्भीर अध्ययन से हटाकर, उनकी वैचारिक शक्ति को क्षीण कर, उन्हें हल्के मनोरंजन में फँसाकर रखता है । हम कोला इसलिए क्यों पीते हैं कि ऐश्वर्य राय या तैंदुलकर उसे पीने के लिये कहते हैं ? ये बिके हुए एक्टर या खिलाड़ी खान पान के ऐसे आदरणीय विशेषज्ञ कैसे बन गए कि हम वैज्ञानिकों की बात न मानकर इन बाजारू भोगवादियों की बात आंखें बंद कर मान रहे हैं !

हमारे अधिकांश नेताओं को भी यही विचारहीनता लाभप्रद लगती है । पिछले दस पंद्रह वर्षों में जो आर्थिक प्रगति इंडिया ने की है वह इसी भोगवाद की कृपा से ही हुई है ! कारें, रंगीन टीवी तथा माध्यम सरीखे सैक्सी मनोरंजन गैजैट्स, रैफ्रिजरेटर आदि के नित नए मॉडल, राजसीमहल, सैक्सी कपड़े और जूते, शानदार पाँच सितारा भोजन तथा फास्टफूड जॉइंट्स आदि आदि आज यही तो प्रगति तथा सुख नापने के मापदण्ड हो गए हैं ।

यह तो सच है कि भोग जीवन के लिए नितान्त आवश्यक है, किन्तु कितना ? और भोग तथा भोगवाद में अन्तर भी समझना आवश्यक है । भोगवाद अपने आप में एक जीवन दृष्टि है, जब भोग ही पूर्ण जीवन दृष्टि हो जाता है, तब वह भोगवाद हो जाता है । भोगवाद में मनुष्य को केवल अपना भोग ही जीवन का एकमात्र उदयेश्य नज़र आता है । कुछ लोग हैं जो खाने के लिए जीते हैं, और अन्य जीने के लिऐ खाते हैं । जब जीवन के लिए केवल आवश्यक

*ई-143, सैक्टर-21, नाएडा-201301

4437 HA/08—12B

भोग ही किया जाए तब वह वांछनीय और उचित है । इसमें आवश्यक शब्द का सही अर्थ जीवन दृष्टि पर निर्भर करेगा । पारिवारिक संबंध भी व्यावसायिक –अर्थात् 'तू मेरी इच्छाएं पूरी कर, मैं तब तेरी' – हो जाते हैं । भोगवाद में संबंधों के आधार से प्रेम का बहिष्कार हो जाता है और केवल शक्ति या व्यावसायिक आधार बचे रहते हैं । बढ़ते तलाकों की संख्या, बूढ़ों को सम्मान न देना, वरन् उन्हें घर बाहर करना, बच्चों को नौकरों के भरोसे छोड़कर पार्टीबाजी करना, शिक्षित युवा वर्ग का अपराधी होना, बलात्कार तथा हत्याओं का बढ़ना आदि इसी भोगवाद के लक्षण तथा परिणाम हैं ।

प्रसिद्ध अमरीकी विचारक कैन स्कूलैन्ड अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइफ' में कहते हैं : "आपके जीवनभर की खेती की फसल आपकी जमीन जायदाद है । यह आपके कठोर श्रम का फल है, आपके बहुमूल्य समय, ऊर्जा तथा बुद्धि का उत्पाद है ।" यह विचारधारा पादार्थिक जीवन दृष्टि की है । कन्ज़्यूमरिज़म (भोगवाद) में मनुष्य का सुख, आत्मसम्मान, प्रगति, सफ़लता, और प्रतिष्ठा उसके भोग के संसाधनों से नापी जाती है । भोगवाद पर आज के समाज की सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति निर्भर करती है, किन्तु मानवीय प्रगति नहीं । अधिक से अधिक सुख, वरन् अनंत सुख, तो सभी चाहते हैं अत: भोगवाद के साधन जिसके पास अधिक हों वही अधिक सुखी होगा । भोगवादी हमेशा गाएगा, 'मेरा दिल माँगे मोर' । जो माँगे जा रहा है क्या वह सुखी है ?

भोगवाद की उत्पत्ति तो तभी हो गई थी जब स्वर्ग की कल्पना की गई थी । किन्तु उस पर जब तब धर्म का नियंत्रण लगता रहा । पश्चिम में विज्ञान के आने से धर्म का नियंत्रण कम हुआ । द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब प्रौद्योगिकी ने बहुल उत्पादन द्वारा भूखे बाजार को भोग्य वस्तुओं से पाट दिया तब मानो उस स्वयंभू भोगवाद की प्राणशक्ति जाग गई । तभी आज युवा बारह-बारह घंटे कोल्हू के बैल की तरह जुता रहता है ताकि वह दस, बीस लाख प्रतिवर्ष की कमाई करे और इन मॉडलों या एक्टरों, और माध्यम तथा विज्ञापनबाजों आदि द्वारा विज्ञापित वस्तुएं खरीदे और उन्हें करोड़पति बनाए और खुद करोड़पति बनने का सपना देखे । आज सभी मनुष्यों में मँहगी से मँहगी वस्तु और नित नए मॉडलों का भोग करने की होड़ मची रहती है । इन सबका अर्थात् वस्तुओं और मॉडलों या भोग्य व्यक्ति या भोग्य वस्तुओं का 'बाजार भाव' कौन तय करता है ? यही **पेज थ्री और उसके बनाने वाले,** जिनका मानवीयता से कोई संबंध नहीं । मॉडलों का जीवन कोई पांच-दस वर्ष का होता है, उन्हें सारे जीवन के लिए कमाई इन चार दिनों की चाँदनी में करना है इसलिए वे सब कुछ बेचने के लिए तैयार रहती या रहते हैं । किन्तु वह युवा वर्ग जो इनकी कमाई का स्त्रोत है, वह 20-25 वर्षों में ही बीमारियों का घर बन जाता है । और दुर्भाग्य कि उस घुड़दौड़ में भाग लेने के लिए उसके बच्चे तैयार रहते हैं ।

ऐसा नहीं है कि पश्चिम में भोगवाद का विरोध न हुआ हो, कार्लमार्क्स ने इसका विरोध किया था, किन्तु वे साम्यवादी अर्थात् शासन नियंत्रित भोगवाद चाहते थे । पूंजीवादी भोगवाद में उद्योगपति, माध्यम तथा विज्ञापन और मॉडल की चौकड़ी भोग का नियंत्रण करती है, और मजा यह कि उनके जाल में फँसा भोगवादी सोचता है कि वह अपने भोग का चुनाव स्वयं कर रहा है । प्रौद्योगिकी द्वारा नियंत्रित, किन्तु मुगालते में रहने वाले आम आदमी के जगत को हम यदि मिथ्या कह दें तो बड़ी गलती तो नहीं करेंगे ! प्रसिद्ध विचारक थार्नस्टाइन वैब्लैन ने कहा कि माध्यमों द्वारा 'कॉनिस्पक्युअस कन्ज़म्पशन' प्रतिष्ठा से जोड़ दिया गया है । हैनरी डेविड थोरो, अर्थशास्त्री रैल्फ बौर्शाख और स्कॉट नियरिंग, नृशास्त्री एवं कवि गैरी स्नाइडर, कथाकार अर्नेस्ट कैलैनबाख, गाँधीवादी रिचर्ड ग्रैग आदि ने भी भोगवाद का विरोध किया । विज्ञापनों को भी नज़रअंदाज़ करने की मांग की गई और यू एस ए में एक – दो ऐसे टी.वी. तथा रेडियो स्टेशन हैं जो बिल्कुल विज्ञापन नहीं देते और वे जनता के सहयोग से ही चलते हैं । यह भोगवादी विरोध आन्दोलन हाशिये पर ही चल रहा है क्योंकि इस विरोध के मूल में संपुष्ट जीवनदर्शन नहीं है । किन्तु आज विचारकों ने भी भोगवाद के प्रचार में उद्योगपतियों का साथ देना शुरू कर दिया है ।

औद्योगिकी तथा पूंजीवाद प्रेरित भोगवाद ने विलासिता को ही आवश्यकता बना दिया है । गांधी ने चेतावनी दी थी कि यह पृथ्वी समस्त जीवों की आवश्यकता तो पूरी कर सकती है किन्तु एक व्यक्ति का भी अनियंत्रित भोग पूरा नहीं कर सकती । मुझे अपनी एक कविता प्रासंगिक लगती है :

> "जब लोग कंचन मृग का शिकार करेंगे,
> तब रावण ज़रूर सीता चुराएंगे ।"

यू एस में व्यापारियों ने बच्चों के अधिकार के नाम पर आंदोलन चलाया, तब बच्चों के लिए भी परिवार की आय में से एक हिस्सा बनाना पड़ा; और बच्चों का वे व्यापारी मजे से आर्थिक शोषण कर रहे हैं । दुर्भाग्य कि विकसित देशों

में बच्चे अपने अधिकार के लिए पुलिस द्वारा न्यायालय ले जाए जाते हैं। जब माता-पिता सौतेले बच्चों के साथ अपेक्षित प्रेमपूर्ण व्यवहार न कर पाएं, तब तो यह शायद ठीक हो; किन्तु सगे माता-पिता का अपनी संतान से जो प्रेममय संबंध है, इस पुलिस की दखल से उसमें भी दरार पड़ गई है। भोगवाद ने परिवार में भी भंयकर विघटन डाल दिया है। संस्कृति का कार्य संस्कृति को ही करने देना चाहिए।

मनुष्य तथा पशु में भोग के प्रमुख गुण यथा 'आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन' एक समान होते हैं, किन्तु उनमें अंतर नैतिकता, प्रेम, त्याग आदि माननीय गुणों का होता है। जब भोग प्रधान हो गया तब मानवीय गुण गौड़तर होते जाते हैं। अंततः भोगवाद मनुष्य को पशु बना देता है और अनियंत्रित भोगवाद उसे खूंखार पशु बना देता है। यू एस आदि देशों में यह पाशविक व्यवहार सभ्यता की चादर के नीचे चल रहा है। यह राक्षसी व्यवहार हम अब अपने समाज में, विशेषकर महानगरों में देख रहे हैं। तब क्या मानवीयता बचेगी ? अनेक पाश्चात्य विचारक भारत की ओर आशा से देख रहे हैं। इसका उत्तर भारतीय संस्कृति में है, गीता के चैप्टर थ्री में भी मिलता है।

अर्जुन के युद्ध से विमुख होने के मुख्य कारण तीन हैं - **एक, भावनात्मक अर्थात् पितामह तथा गुरू को न मारना; दूसरा, हत्या के पाप से बचना तथा तीसरा, युद्धजनित नैतिक पतन से समाज को बचाना।** सांख्ययोग के आधार पर आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हुए कृष्ण उसे आत्मा का रहस्य समझाते हैं ताकि हत्या के पाप और मृत्यु के भय से मुक्त होकर वह युद्ध करे। इस प्रयास में असफल होने पर कृष्ण उसे बुद्धियोग के आधार पर (2.48) उपदेश देते हैं, कि वह आत्मा में स्थित होकर, तथा कर्म में आसक्त् न होकर कर्म करे। साथ ही बुद्धियोग को कर्म से बहुत श्रेष्ठ कहते हैं। तृतीय अध्याय इसी प्रश्न से प्रारंभ होता है।

अर्जुन पूछता है, :

"हे केशव जब आप बुद्धि या ज्ञान को कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हो तो तब मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाना चाहते हो ? इसलिये आप एक निश्चित बात कहिए जिसके अनुसरण द्वारा मैं श्रेय प्राप्त कर सकूं।"

अब कृष्ण अर्जुन को बुद्धियोग या निष्काम कर्मयोग समझाना चाहते हैं। क्योंकि उससे अर्जुन के न केवल तीनों कारणों का निराकरण हो सकेंगा वरन् उसे सुख और शान्ति भी प्राप्त हो सकेगी। निष्काम कर्म में कर्त्ता कर्म में आसक्त् नहीं होता, उसका कर्म से राग या द्वेष का संबंध नहीं होता, कर्म के लिए वह कार्य नहीं करता, और न उसमें कर्त्तापन का अभिमान या भाव ही होता है। यह सब कहना बहुत सरल है, और न केवल इसे अपनाना वरन् इसे अंधविश्वास की तरह न मानकर अपनी बुद्धि द्वारा समझना भी कठिन हैं। कृष्ण यही समझाने का कार्य तीसरे अध्याय में करते हैं।

कृष्ण कहते हैं, 'कर्म जीवन के लिये नितान्त आवश्यक हैं, जिन कार्यो को हम समझते हैं कि हम करते हैं वह हम नहीं वरन यह शरीर, मन, बुद्धि, प्रकृति के वश में होकर करते हैं।' क्या हमें भूख-प्यास अपनी इच्छा से लगती है ? वे शरीर की क्रियाएं स्वतः ही हो रही हैं। यदि हम धनार्जन कर रहे हैं तो वे भी शरीर ही तो हमसे अपने लिए करवा रहा है। यह शरीर, मन, बुद्धि अपने लिए ही सारे कार्य कर रहे हैं।

वे 27 वें श्लोक में समझाते हैं - "हमारे सारे कार्य प्रकृति द्वारा प्रेरित होते हैं। और अहंकार से मोहित हम समझते हैं कि हम कर्त्ता हैं! यह घोर अज्ञान नहीं तो और क्या है कि हम अपने को कर्त्ता समझे बैठे हैं। यदि हम शरीर से पूछें कि क्या वह कार्यो का कर्त्ता है, तब वह उत्तर देगा कि वह तो प्रकृति के अकाट्य नियमों के अनुसार कार्य कर रहा है।

28 वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं-'तत्त्वज्ञानी यह जानते हुए कि यह प्रकृति ही कर्ता है, अपने शरीर के द्वारा किए गए कर्मों में लिप्त या आसक्त नहीं होते। वे स्वभावतः आशारहित तथा ममता रहित होकर अर्थात् राग दोष से मुक्त होकर कार्य करते हैं, कर्म करने का कोई ज्वर उन्हें नहीं चढ़ता, अर्थात वे फल की चिंता से मुक्त, शान्त भाव से कार्य करते हैं।' इस तरह कार्य करने से मनुष्य पूरी क्षमता से कार्य करता है क्योंकि उसमें उसकी आशा, सफलता का दबाव, असफलता का भय, और उसका कार्यों में कोई विघ्न नहीं डालते। इसीलिये वे अर्जुन को 'युद्धस्व विगतः ज्वरः' का आदेश देते हैं। यह शिक्षा 'इन्वॉल्व' होने अर्थात् लिप्त तथा आसक्तं होने की आधुनिक शिक्षा के एकदम विपरीत है। भोगवादी तो 'इन्वाल्व' होना ही समझ सकता है। जब तक हमें सच्चा ज्ञान न प्राप्त हो तब तक हम बुद्धि के उपयोग द्वारा कर्त्तव्यों का पालन उत्तम शैली में करते हुए शान्ति पूर्वक कार्य तो करें।

अर्जुन प्रश्न करते हैं (3.36) 'तब यह मनुष्य इच्छा के विरुद्ध भी विवश होकर किसकी प्रेरणा से पाप कर्म करता है ?' अर्जुन का यह प्रश्न गहरा इसलिए है कि जब प्रकृति ही कर्ता है तब पापकर्म के लिए मनुष्य क्यों उत्तरदायी माना जाता है। कृष्ण उत्तर देते हैं, 'मनुष्य कामनाओं और

उनसे उत्पन्न क्रोध के वश होकर ऐसे कर्म करता है । यह आग के समान कभी न तृप्त होने वाली कामनाएं ही पापी हैं, और हमारी शत्रु हैं ।' पाप का अर्थ वह कर्म हैं जो श्रेय अर्थात सुखशान्ति की ओर न ले जाकर दुख और अशान्ति की आग की ओर ले जाते हैं । आप कभी भी अन्दर झाँककर देखें आप पाएंगे कि आपके मन में कामनाएं, क्रोध, लोभ, मोह, मद या मत्सर संबंधी विचार ही घूम रहे होते हैं; कोई कामना पूरी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और हो गई तब दूसरी कामना को कैसे पूरी करें, इत्यादि । यह कामनाएं तथा क्रोध आदि हमारे ज्ञान को ढांककर रखती हैं । ज्ञान वह जो हमें बतलाए कि हम हैं कौन; अज्ञान तो बतलाता है कि यह शरीर, मन और बुद्धि ही हम हैं ।

जब ध्येय निश्चित हो तब उसे पाने में सुख मिलता है, किन्तु यह जगत परिवर्तनशील है, अत: उसकी इच्छाएं तथा उसका ध्येय बदलता ही रहता है जिन्हें पाने की घुड़दौड़ में वह हाँफते हुए दौड़ता रहता है; इन सबसे वह तृप्त हो नहीं सकता ! यह परिवर्तनशील कामनाएं हमारी इन्द्रियों, मन तथा बुद्धि में ही वास करती हैं, हम इनके गुलाम रहते हैं । क्या गुलाम कभी सुखी हो सकता है ! भोगवादी अपनी इच्छाओं का सच्चा और स्वैच्छिक गुलाम होता है ।

कृष्ण कहते (3. 41) है, "इसलिये अर्जुन तुम अपनी इन्द्रियां, मन और बुद्धि पर नियंत्रण करो और इस महापापी कामना का, जो कि ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करने वाली हैं, अन्त करो ।" यह आदेश विचित्र लग सकता है । कामनाओं पर नियंत्रण की बात तो समझ में आती है, किन्तु उनका अन्त ही करना निश्चित ही विचित्र है । बिना कामनाओं के तो कोई भी व्यक्ति कर्म ही न करेगा । आखिर कर्म किसी कामना की पूर्ति के लिए ही तो किए जाते हैं । गौर करें, कर्म तो प्रकृति कर रही है हम नहीं । और प्रकृति कर्म करती रहेगी । भूख प्यास तो लगती रहेंगी और शरीर उन्हें तृप्त करने के लिए कर्म करता रहेगा । बुद्धि द्वारा हमें शरीर से वही कर्म कराते रहना है जो आवश्यक हैं । जो भी अनावश्यक कर्म है उनका त्याग करते रहना है । जो कर्त्तव्य हैं, उन्हें करना है, उनमें इच्छा और अनिच्छा का प्रश्न ही नहीं । यदि भोजन करना है तब पौष्टिक ही करना है, इच्छा से नहीं पूछना है । यदि माता-पिता की सेवा करना हमारा कर्त्तव्य है तब इच्छा हो या न हो सेवा करना है । परिवार के प्रति कर्त्तव्य निभाने के लिए नौकरी करना है तो पूरी क्षमता के साथ करना है, ताकि हम सफलता तथा असफलता के बन्धन से मुक्त रहें । कामनाओं से मुक्त होने पर ज्ञात होता है कि हम तो स्वयं अनन्त आनन्द हैं, हमें कस्तूरी मृग के समान बाहर सुख खोजने की आवश्यकता ही नहीं ।

यह आनन्द भोगवादी को कभी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो इच्छाओं का गुलाम है, वह तो अन्तत: निश्चित ही दुखी होगा । और यह सच्चिदानन्द की अवस्था स्वार्थी नहीं है क्योंकि उस अवस्था में उसे समस्त ब्रह्माण्ड से एकता की अनुभूति होती हैं, इसी को आत्मा में स्थित होना कहते हैं । अतएव तृतीय अध्याय के अन्तिम श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, 'इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानकर, आत्मा के प्रयासों द्वारा अपनी आत्मा में स्थिर होकर, है शक्तिशाली इस दुर्जय शत्रु कामना का अंत कर ।' आत्मा में स्थित होना अर्थात कामनाओं का अंत । दृष्टव्य है कि अल्प काल के लिए आत्मा में स्थिर हुआ जा सकता है, उसके लिये कामनाओं का अंत पहले होना आवश्यक नहीं । किन्तु आत्मा से पूर्ण साक्षात्कार अर्थात दुखों से पूर्ण मुक्ति के लिए कामनाओं का अंत आवश्यक है जो ध्यान की अवस्था है जो ध्यान की अवस्था में पुन: पुन: जाने से हो सकता है । निष्काम कर्मयोग भोग का अंत नहीं वरन् जीवन में सुखी होने का मार्ग है । गीता का चैप्टर थ्री अर्थात् कर्मयोग इस तरह पेज थ्री अर्थात् भोगवाद के दुष्प्रभाव से हमें बचाने के अतिरिक्त आधुनिक विज्ञान में तथा प्रौद्योगिकी में प्रगति कराते हुए भारत को विश्व में सम्मानित स्थान दे सकता है । साथ ही प्रसिद्ध इतिहासकार **टायनबी,** फ्रान्स के पूर्व संस्कृति मंत्री आन्द्रे मालरो आदि अनेक विद्वानों की घोषणाओं का कार्यान्वयन कर विश्व की रक्षा भी कर सकता है । हम अपनी संस्कृति भूल रहे हैं क्योंकि हम गुलामी की भाषा अंग्रेजी में अपना जीवन जी रहे हैं । अपनी भाषाओं में शिक्षा लेने तथा जीवन जीने से हमारी संस्कृति अपने आप हममें संस्कारित हो जाएगी । अन्यथा हम अमेरिका तथा यूरोप के गुलाम ही बने रहेंगे, दुखी रहेंगे ।

श्री लैम्ब ने अपनी मृत्यु के पूर्व पेज थ्री प्रारम्भ करने के लिये खेद प्रकट करते हुए कहा था कि काश उन्होंने ऐसा न किया होता । पर भोगवाद का पैग शराब के पैग से ज्यादा नशीला होता है । मुझे बिहारी का दोहा याद आ रहा है :

"कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय । वह खाए बौरात है यह पाए बौरात ।

भोगवाद में तो 'कनककछरी सी कामिनी' सहित तीनों कनक मौजूद हैं । अब मैं इकबाल से क्षमायाचना सहित कुछ कहना चाहता हूं :

'यू एस ए और यूरो सब छा गए जहां पर, कुछ बात है कि हस्ती मिट रही है हमारी !' ■

भारत में बरसात लाने वाला पवन-मानसून

-राधा कान्त भारती*

पुराने समय में लोगों को यह मालूम नहीं था कि मानसून साल दर साल क्यों आता है ? किन्तु उन्होंने इन हवाओं का फायदा जरूर उठाया । शीतकाल में सामान्यत: उत्तर-पूर्वी एशिया के व्यापारी हवाओं के सहारे भारत से अफ्रीका-अरब देशों तक जहाजों से जाते थे और जून-जुलाई की मानसूनी हवाओं पर लौटते थे । व्यापार और कृषि के संदर्भ में मानसून के आवागमन का पता लगाना लोगों के लिए जरुरी था । इसका अंदाज वे विभिन्न पौधों, जानवरों एवं पक्षियों के व्यवहार में अंतर के अवलोकन से लगाते थे । सोलवीं शताब्दी में अरबों ने वैज्ञानिक तरीके से इसके आगमन का अनुमान लगाने की कोशिश की थी । मानसून शब्द का उद्‌भव भी अरबी लफ्ज मौसम या मौसिम से हुआ है ।

विख्यात वैज्ञानिक एंडमंड हैली उन प्रथम वैज्ञानिकों में थे जिन्होंने सन् 1686 में मानसून की प्रक्रिया की एक वैज्ञानिक परिकल्पना प्रस्तुत की थी । उनके अनुसार गर्मी के समय जब एशिया महाद्‌वीप खूब तप जाता है तो वायु गरम होकर फैलती है और ऊपर उठती है । परिणामस्वरूप पूरे इलाके में हवा का दबाव घटता है और समुद्र की शीतल, नमी प्रधान वायु तेजी से इस निम्न दबाव वाले क्षेत्र में घुसकर सूखे मैदानी इलाके में बारिश लाती है, जबकि सर्दियों में इस प्रक्रिया का ठीक उल्टा होता है ।

मानसूनी हवाएं हिंद महासागर के सुदूर दक्षिणी भाग से चलती हैं और एशिया के मध्य में स्थित निम्न वायु-भार के क्षेत्र में पहुंचने के लिए इन्हें विषुवत रेखा पार करनी पड़ती है । फलस्वरूप पृथ्वी की दैनिक गति के प्रभाव से यह उत्तर-पूर्व की ओर मुड़ जाती है । आरंभ में मानसून की अरब सागर वाली शाखा केरल तट पर तथा दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी शाखा बंगाल तट पर पहुंचती है । यहां से भारत उपमहाद्‌वीप में बरसात की शुरुआत होती है । भारत में मानसूनी वर्षा का सबसे विचित्र पहलू यह है कि किसी इलाके में भले ही पिछले साल की अपेक्षा कम या ज्यादा बारिश हो, किंतु पूरे देश में मानसूनी वृष्टि की कुल जलराशि प्राय: एक-सी रहती है । इसका अर्थ यह है कि एक क्षेत्र में कम वर्षा का कारण दूसरे क्षेत्र में अधिक जल-वर्षा का होना है । मानसून के इस रहस्य का पता आंकड़ों के निरंतर विश्लेषण के बाद मिला है ।

देश में सूखा और बाढ़ दोनों स्थितियों को लाने वाला यह मानसून ही है । ऐसी विचित्रता के कारण ही प्रत्येक वर्ष बरसात के मौसम में किसी हिस्से में वर्षा की कमी के कारण सूखे की स्थिति पैदा होने से हाहाकार मच जाता है, सारा कृषि कार्य रूक जाता है तो दूसरी ओर अधिक वर्षा से नदियों में भयंकर बाढ़ आ जाती है, व्रेत में खड़ी फसलें बह जाती हैं और धन-जन की अपार क्षति होती है । अतिवृष्टि और अनावृष्टि का यह मानसूनी खेल कृषकों के लिए विकट संकट उत्पन्न कर देता है । आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भारत के किसानों को मानसूनी बरसात की ऐसी अनिश्चित स्थिति का कोई समाधान नहीं मिल पाया है । अपनी मस्ती और मतवाली चाल के लिए मानसून काफी बदनाम है ।

मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता के कारण ही कृषि प्रधान देश भारत में खेती-बाड़ी के काम के उतार-चढ़ाव होता रहता है । मानसून पर अधिक निर्भर होने के कारण देश की आर्थिक स्थिति मानसून प्रभावित हुआ करती है । इसीलिए एक प्रसिद्‌ध अर्थशास्त्री ने आर्थिक समीक्षा करते हुए कहा है कि ''भारतीय कृषि मानसून में जुए का खेल है ।''

वर्षा के अनियमित और असमय होने पर किसानों को लाभ की जगह हानि पहुंच जाती है । कृषि में वर्षा की मात्रा के साथ ही उसका वितरण काफी महत्वपूर्ण है । किसी साल

*56 नगिन लेक, आउटर रिंग रोड, पीरागढ़ी, नई दिल्ली-87

चित्र समाचार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी दिवस समारोह-2007 की झलकियां ।

हिंदी दिवस समारोह-2007 का उद्घाटन करते हुए माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज वि. पाटील जी, गृह राज्य मंत्री श्री माणिकराव एच. गावीत जी तथा गृह राज्य मंत्री श्री श्रीप्रकाश जायसवाल जी ।

हिंदी दिवस समारोह-2007 में राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित "हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन" का विमोचन करते हुए माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज वि. पाटील जी । साथ में हैं माननीय गृह राज्य मंत्री श्री श्रीप्रकाश जायसवाल जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री माणिकराव एच. गावीत जी तथा राजभाषा विभाग के सचिव श्री रंजीत ईस्सर जी ।

हिंदी दिवस समारोह-2007 में बैठे अतिथि गण

हिंदी दिवस समारोह-2007 में बैठे पुरस्कार प्राप्तकर्ता

हिंदी दिवस समारोह-2007 में माननीय गृह मंत्री जी पुरस्कार प्रदान करते हुए ।

हिंदी दिवस समारोह-2007 में पुरस्कार विजेताओं के साथ माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज वि. पाटील जी ।

विविध कार्यक्रमों की झलकियां

केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, लखनऊ द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह में मुख्य अतिथि श्री जमालुद्दीन खां संबोधित करते हुए ।

बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिल्ली बैंक नराकास के तत्वावधान में "अनुवाद प्रतियोगिता (लिखित)" में विभिन्न बैंकों के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए सहायक महाप्रबंधक श्री जे. एस. कंवर ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भुवनेश्वर द्वारा आयोजित राजभाषा कार्यशाला ।

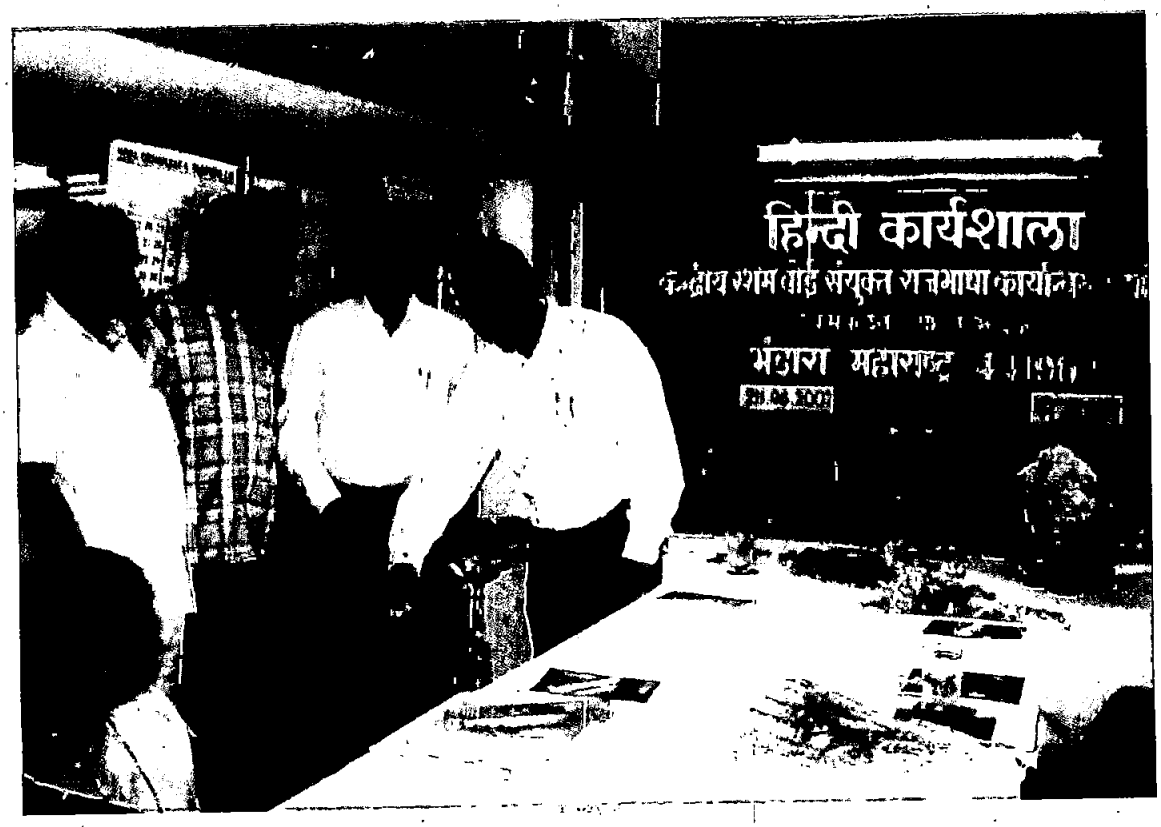

केंद्रीय रेशम बोर्ड संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भंडारा द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन ।

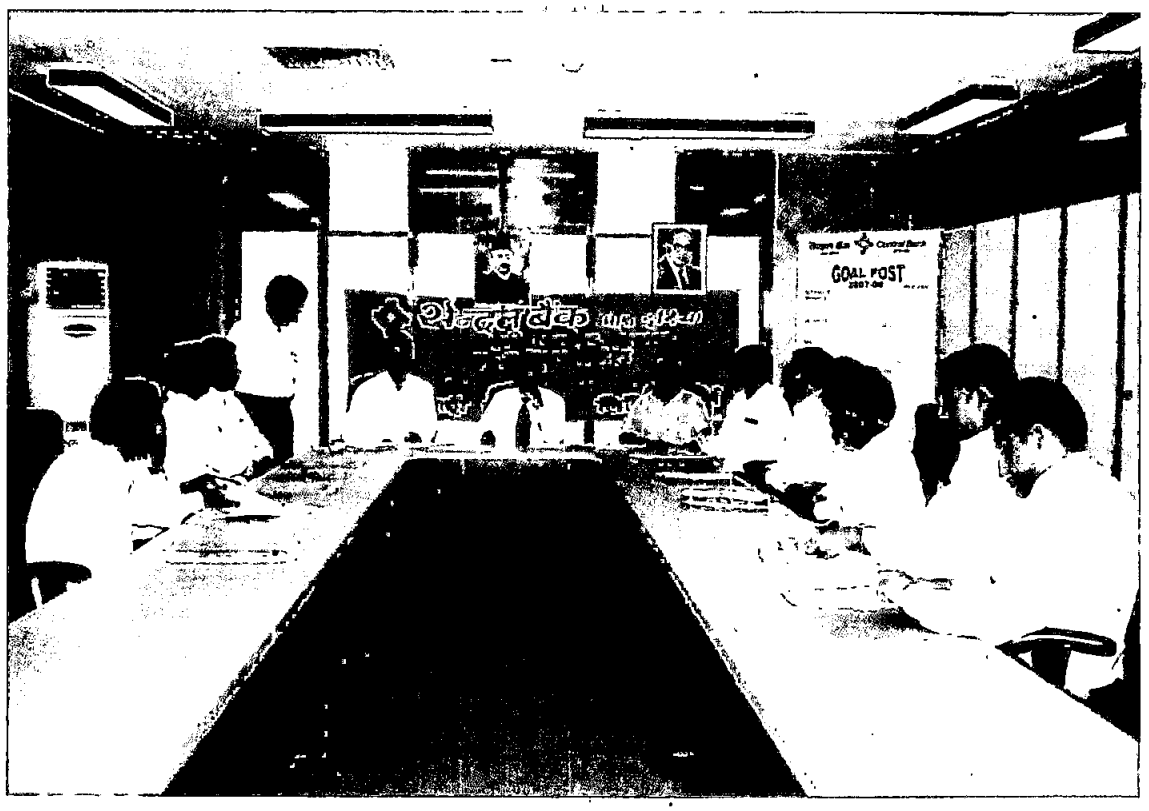

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशाला ।

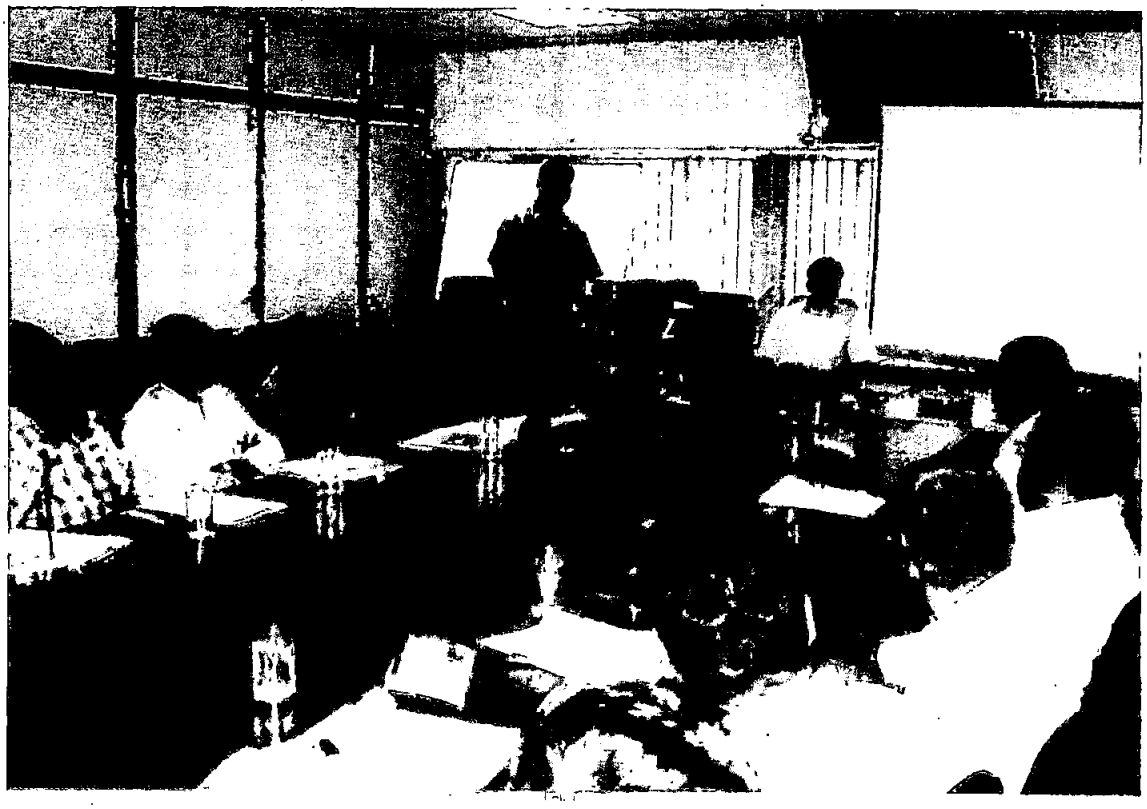

कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशाला ।

नराकास, करनाल की बैठक में पत्रिका व मीडिया कवरेज बुकलेट का विमोचन करते हुए करनाल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द सिंह चावला, आई.पी.एस. ।

बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा हिंदी दिवस पुरस्कार वितरण समारोह-2007 ।

हिंदी पखवाड़े के अवसर पर "परिवर्तन जन कल्याण समिति" द्वारा त्रिवेणी कला संगम सभागार, मण्डी हाउस, नई दिल्ली में आयोजित "हिंदी संस्कृति पर्यटन साहित्य सम्मान समारोह" में डॉ. जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री भीष्म नारायण सिंह, पूर्व राज्यपाल एवं केंद्रीय मंत्री, पदमश्री डॉ. श्याम सिंह शशि तथा डॉ. रत्नाकर पाण्डेय, पूर्व सांसद, पुरस्कार प्रदान करते हुए ।

की थोड़ी वर्षा भी भली प्रकार से वितरित होने पर अन्य साल की दुगुनी किंतु अनियमित रूप से हुई वर्षा से अच्छी रहती है । असमय की वर्षा से कृषि को बहुत हानि पहुंचती है । इससे कृषि के कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाते हैं ।

मूलत: कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत की आर्थिक गतिविधियां कृषि-उत्पादन से जुड़ी हैं । विकासशील आर्थिक व्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने के साथ ही अच्छे जीवन-यापन की लालसा में खाद्य-सामग्री की मांग भी बढ़ती जाती है, जिससे कृषि पर उत्तरोतर दबाव पड़ता है । स्वतंत्रता के साठ वर्षों बाद भी कृषि-उत्पादन की बढ़ोत्तरी की दर पर चार प्रतिशत के करीब ही है, जबकि आर्थिक विश्लेषण तथा अनुमान के आधार पर पांच प्रतिशत की सलाना दर होनी चाहिए । कृषि उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों तथा देशी खाद के इस्तेमाल पर जोर देने की बात कही गई है । इस सुझाव से सहमत होते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने जल-प्रबंध के महत्व पर भी विचार किया है । उचित जल प्रबंधन के द्वारा कृषि-उत्पादन में 15 से 20 प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है ।

कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए किए जा रहे अनेक उपायों से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है लेकिन इस संदर्भ में यह तथ्य भी उजागर हैं कि जल प्रबंधन, उर्वरकों का उपयोग तथा कृषि कार्य में नित नई तकनीकों के अपनाए जाने के बावजूद भारतीय कृषि की जलवायु पर निर्भरता बनी रहेगी । वैज्ञानिकों के द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों के अच्छे परिणाम मिलते रहे हैं । फिर भी भारतीय कृषि की मानसूनी जल वर्षा पर निर्भरता को समाप्त नहीं किया जा सकता । पिछले दशकों में भारतीय कृषि की पूर्ण निर्भरता को कम करने के प्रयास में कुछ सफलता मिली है । यह कार्य मौसम विज्ञान के द्वारा जल वर्षा के पूर्वानुमान से संभव हो सका है । इस साल मौसम विभाग के अनुसार मानसून पवन जल्द पहुंच गया है, साथ ही अनुमान है कि मानसून की बरसात सामान्य होगी । ■

मैं कहता हूं कि आप अपनी भाषा में बोलें, अपनी भाषा में लिखें । उनको गरज होगी तो वे हमारी बात सुनेंगे । मैं अपनी बात अपनी भाषा में कहूंगा । जिसको गरज होगी वह सुनेगा । आप इस प्रतिज्ञा के साथ काम करेंगे, तो हिंदी भाषा का दर्जा बढ़ेगा ।

–गांधी

राजभाषा संबंधी गतिविधियां

(क) हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकें

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग

हिंदी सलाहकार समिति की 10वीं बैठक माननीय रक्षा मंत्री श्री ए. के. एंटनी जी की अध्यक्षता में दिनांक 11 जून, 2007 को पूर्वाह्न 11.00 बजे, कमरा नं. 129-डी, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई।

सर्वप्रथम समिति के एक गैर-सरकारी सदस्य डॉ. आर. सुरेन्द्रन् ने हिंदी में लिखी अपनी पुस्तक 'मलयालम के महान् कथाकार' की एक प्रति रक्षा मंत्री जी को भेंट की। उसके उपरांत रक्षा मंत्री जी ने हिंदी की विभागीय पत्र-पत्रिकाओं संबंधी पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 के लिए पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कारों/प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया। इन पुरस्कारों में 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के वर्ग में 15,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार व प्रशास्ति पत्र नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान, दिल्ली की पत्रिका **'प्रस्तुति'** को प्रदान किया गया जबकि 10,000 रुपए का द्वितीय पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र रक्षा वैज्ञानिक सूचना तथा प्रलेखन केंद्र, दिल्ली की पत्रिका **'ज्ञानदीप'** को प्राप्त हुआ। 5,000 रुपए का तृतीय पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र अनुसंधान तथा विकास स्थापना इंजीनियरिंग, दिघी, पुणे की पत्रिका **'मैत्री'** को प्राप्त हुआ। ढाई-ढाई हजार रुपए के तीन प्रोत्साहन पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र क्रमशः फील्ड गन फैक्टरी, कानपुर की पत्रिका **'रचना'**, आयुध उपस्कर निर्माणी, कानुपर की पत्रिका **'पावनी'** तथा केंद्रीय आयुध भंडार, छिवकी, इलाहबाद की पत्रिका **'प्रहरी'** को प्राप्त हुए। इसी प्रकार, 'ग' क्षेत्र स्थित कार्यालयों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं में से 15,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र भारतीय तटरक्षक क्षेत्र पूर्व, चैन्नई की पत्रिका **'तट तरंगिंनी'** को प्रदान किया गया। द्वितीय पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र 23 उपस्कर डिपो, वायुसेना स्टेशन, आवडी चेन्नई की पत्रिका **'सुषमा'** को प्रदान किया गया। 5,000 रुपए का तृतीय पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र, प्रधान लेखा नियंत्रक (फैक्टरीज), कोलकाता की पत्रिका **'क्षितीज'** को प्रदान किया गया। ढाई-ढाई हजार रुपए के दो पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र क्रमशः क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, लेह की पत्रिका **सिंधु दर्शन'** तथा मुख्यालय, गोवा नौसेना क्षेत्र, वास्को-द-गामा की पत्रिका **'वरुणांबर'** को प्राप्त हुए। पत्र-पत्रिका पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कारों की राशि बढ़ाए जाने के संबंध में संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष तथा इस हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य, प्रो. रामदेव भंडारी, संसद सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर समिति को बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत पुरस्कारों की राशि तथा संख्या में वृद्धि कर दी गई है और तद्नुसार आज पहली बार बढ़ी हुई राशियों के ये पुरस्कार मंत्री जी द्वारा वितरित किए गए हैं। इससे पूर्व प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कारों के रूप में क्रमशः सात हजार रुपए, चार हजार रुपए, तथा तीन हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती थी जबकि इस बार यह राशि बढ़ाकर क्रमशः पन्द्रह हजार रुपए, दस हजार रुपए तथा पांच हजार रुपए कर दी गई है। समिति को बताया गया कि इस योजना को दो भागों में बांटकर अब 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के लिए पृथक पुरस्कारों का प्रावधान कर दिया गया है जिससे इस योजना के अंतर्गत पुरस्कारों के रूप में दी जाने वाली कुल राशि 28,500 रुपए से बढ़ाकर 72,500 रुपए हो गई है।

तत्पश्चात्, माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण द्वारा समिति को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय में तथा इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों, उपक्रमों, संगठनों आदि में हिंदी का प्रयोग काफी संतोषजनक प्रतीत होता है। उनका कहना था कि हिंदी को केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में उचित स्थान व सम्मान मिलना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भाषा के कारण देश की प्रगति और कामकाज में

(शेष पृष्ठ 93 पर)

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

सम्पदा निदेशालय

सम्पदा निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 105वीं बैठक सम्पदा निदेशक-II श्री रमेश चन्द्र की अध्यक्षता में 6-6-2007 को प्रातः 11.30 बजे सम्पदा निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गयी।

पिछली बैठक (104वीं) के कार्यवृत्त की पुष्टि के पश्चात् 31-3-2007 को समाप्त तिमाही में हिंदी के प्रयोग की स्थिति की अनुभागवार समीक्षा की गई । तत्पश्चात् विस्तृत चर्चा के आधार पर बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

मार्च, 2007 के समाप्त तिमाही में हिंदी पत्राचार पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रत्येक अनुभाग हिंदी पत्राचार को और बढ़ाने का प्रयत्न करें ताकि वार्षिक कार्यक्रम 2007-2008 के अनुसार हिंदी पत्राचार का लक्ष्य, जो कि *क* तथा *ख* क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत तथा *ग* क्षेत्र के लिए 65 प्रतिशत है, पूरा किया जा सके । 21-10-2002 को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा सम्पदा निदेशालय के निरीक्षण के दौरान निदेशालय द्वारा समिति को यह आश्वासन दिया गया था कि निदेशालय द्वारा हिंदी पत्राचार के 100 प्रतिशत के लक्ष्य को शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा इसलिए जिन अनुभागों का हिंदी पत्राचार 70 प्रतिशत से कम है वे [विशेषकर कार्यालय, प्रादेशिक, समन्वय-II, टाइप-बी(ए) और टाइप बी(सी) अनुभाग] विशेष रूप से सुधार करें । टाइप-बी(बी), टाइप-बी(सी),] संसद सदस्य आवास अनुभाग, हॉस्टल तथा सतर्कता एवं शिकायत अनुभाग भी अपना हिंदी पत्राचार बढ़ाने का विशेष प्रयास करें । प्रत्येक अनुभाग प्रभारी की यह जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करें कि अनुभाग के हिंदी पत्राचार में गिरावट न आए।

हिंदी पत्राचार की स्थिति की समीक्षा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने समन्वय-II, सं. व शि., हॉस्टल, टाइप-बी के तीनों अनुभागों, उपकिराएदारी एवं प्रादेशिक अनुभाग को हिंदी पत्राचार में हो रही घटोत्तरी के कारण अध्ययन करते हुए इसमें सुधार करने का अनुरोध किया।

कम्प्यूटरों पर हिंदी साफ्टवेयर के संबंध में निर्णय लिया गया कि उपनिदेशक (कम्प्यूटर) यह सुनिश्चित करे कि सभी अनुभागों में कम्प्यूटरों पर हिंदी साफ्टवेयर उपलब्ध हो और वह सुचारु रूप से कार्य कर रहा है । जिन अनुभागों में हिंदी साफ्टवेयर फार्मेटिंग आदि के कारण कार्य नहीं कर रहा है वे उपनिदेशक (कम्प्यूटर) ये संपर्क करके फिर से ये हिंदी साफ्टवेयर लोड करा लें। यह सुनिश्चित किया जाए कि इस संबंध में तत्काल कार्रवाई हो। केवल अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़ कर अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी यथासंभव हिंदी में ही दिए जाएं (विशेष रूप से 'क' और 'ख' क्षेत्र में) क्योंकि निदेशालय द्वारा संसदीय राजभाषा समिति को यह आश्वासन दिया गया है और इसे पूरा करना सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का कर्त्तव्य है। जब तक सारा रिकार्ड कम्प्यूटर पर नहीं आ जाता, सभी बिल्डिंग रजिस्टरों/किराया रजिस्टरों में नाम व पते हिंदी में लिखे जाएं।

सभी अधिकारी विशेष रूप से प्रयोगकर्ता अधिकारी एवं प्रभारी सामान्य अनुभाग यह सुनिश्चित करें कि रबड़ स्टैम्प द्विभाषी हों।

हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारी/कर्मचारी अधिक से अधिक नोटिंग हिंदी में करे परन्तु लिखावट स्पष्ट हो अथवा नोट टाइप किया हो ताकि उच्चाधिकारियों को इसे पढ़ने में अतिरिक्त समय लगाने की आवश्यकता न हो। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2007-2008 के वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा के दौरान सदस्यों को यह अवगत कराया गया कि निदेशालय के अधिकारी/कार्मिक कम-से-कम 75% नोटिंग हिंदी में अवश्य करें तथा अधिकारियों द्वारा 20% डिक्टेशन हिंदी में दी जाए।

मुख्य आयकर आयुक्त, हरियाणा क्षेत्र, आयकर भवन, सैक्टर-2, पंचकूला-134112

मुख्य आयकर आयुक्त, हरियाणा क्षेत्र, पंचकूला की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनाँक 14-6-2007 को दोपहर 12.30 बजे श्रीमती मंजु लखनपाल, मुख्य आयकर आयुक्त, पंचकूला की अध्यक्षता में उनके कमरे में आयोजित की गई।

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2007-2008 के लिए वार्षिक कार्यक्रम के

अनुसार 'क' क्षेत्र के लिए पत्राचार संबंधी निर्धारित लक्ष्य 100% है । 'क' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय कार्यालयों से पत्राचार शत-प्रतिशत हिंदी में किया जाना चाहिए और 'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में 65% हिंदी किया जाना चाहिए। इसी प्रकार 'क' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्य, संघ-राज्य क्षेत्र के कार्यालयों/व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्र शत-प्रतिशत हिंदी में होने चाहिए। हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदया ने चाहा कि हिंदी में पत्राचार को बढ़ाया जाए। प्रशासन संबंधी मामलों में जहाँ तक सम्भव हो सके पत्राचार हिंदी में ही किया जाए। काऊण्टर पर जितनी भी रिटर्नें प्राप्त होती हैं उन पावती की मोहर हिंदी में लगाई जाए तथा उनको हिंदी के पत्रों की संख्या में शामिल किया जाए।

निर्धारण के क्षेत्र में भी द्विभाषी नोटिसों पर नाम एवं पता हिंदी में भरा जाए। इसके अतिरिक्त अनुस्मारक पत्र, छोटे-छोटे पत्र, शून्य रिपोर्टें आदि भेजने संबंधी पत्र, रिपोर्टों के अग्रेषण पत्र, पावती भेजने संबंधी पत्र हिंदी में ही भेजे जाएं। अध्यक्ष महोदया ने चाहा कि पेनेल्टी ड्रॉप करने संबंधी पत्र हिंदी में ही भेजे जाएं। उन्होंने यह भी चाहा कि पत्राचार में शत-प्रतिशत के लक्ष्य को भी सम्भवत: प्राप्त किया जाए। पंचकूला क्षेत्र 'क' क्षेत्र में आता है, अत: यहां अधिक से अधिक कार्य हिंदी में ही होना चाहिए, हाथ से किया जाने वाला कार्य जैसे रजिस्टरों में प्रविष्टियां, नोटिस आदि सब कार्य हिंदी में ही किए जाने चाहिएं।

वर्ष 2007-08 के वार्षिक कार्यक्रम अनुसार मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर लाईब्रेरी के लिए खरीदी जाने वाली पुस्तकों पर 50% व्यय हिंदी पुस्तकों पर किया जाए। बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदया ने कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा है, इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। भाषा में कठिन शब्दों का प्रयोग न करके सरल एवं सुबोध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को भी यथासम्भव प्राप्त करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा क्षेत्र 'क' क्षेत्र में आता है और सभी हिंदी जानते हैं। अत: हिंदी में कार्य करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो सके हमें अपने दैनिक कार्यों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए।

फिल्म समारोह निदेशालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली

निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक निदेशक महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 19 जून, 2007 को उन्हीं के कक्ष में सम्पन्न हुई।

31 मार्च, 2007 की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए अध्यक्ष महोदया ने कहा कि पिछली तिमाही की तुलना में इस तिमाही में यद्यपि "क" तथा "ग" क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है परन्तु शेष "ख" क्षेत्र की प्रतिशतता में गिरावट आई है। यह गम्भीर विषय है। इस पर सभी ने चिंता प्रकट की तथा भविष्य में "क" तथा "ख" क्षेत्रों में शत प्रतिशत हिंदी में पत्र व्यवहार करने पर जोर दिया गया।

अध्यक्ष महोदया ने हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने हेतु हिंदी में कोई कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया जैसा कि इसके अन्तर्गत हिंदी की कोई फिल्म का भी आयोजन किया जा सकता है आदि।

हिंदी कार्यशाला हेतु तिथि निर्धारण के विषय में अध्यक्ष महोदया ने दिनांक 27-6-2007 को प्रस्तावित किया।

अन्य विषयों पर विचार करते हुए अध्यक्ष महोदया ने इस वर्ष भी हिंदी सॉफ्टवेयर विंकी को और पांच कंप्यूटरों में लगाने के लिये निदेश दिये तथा पुस्तकों की कुल व्यय का 50% हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय करने पर जोर दिया।

निदेशक महोदया ने यह भी सुझाव दिया कि पूरे वर्ष के लिए एक कार्यालय ज्ञापन भी निकाला जा सकता है जिसमें हिंदी से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये कुछ निदेश जारी हों।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, पो बा नं. 81, तेलगंखेडी मार्ग, सिविल लाइन्स, नागपुर

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय नागपुर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 22-6-2007 को शाम 16.00 बजे केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त श्री एस. रमेश की अध्यक्षता में मुख्यालय कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव ने समिति को बताया कि आयुक्त कार्यालय में दिनांक 31-3-2007 को समाप्त तिमाही अवधि

में कुल 4621 हिंदी के पत्र प्राप्त हुए। उनमें से 3113 पत्रों का जवाब हिंदी में दिया गया, शेष पत्रों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं था। किसी भी पत्र का जवाब अंग्रेजी में नहीं दिया गया।

आयुक्त कार्यालय में दिनांक 31-3-2007 को समाप्त ति माही में प्रभागीय कार्यालय एवं शाखा वार हिंदी पत्राचार की जानकारी समिति के समक्ष रखी गई। समिति को बताया गया कि नागपुर आयुक्तालय के लिए निर्धारित लक्ष्य 90 प्रतिशत है, जब कि प्राप्त लक्ष्य 58 प्रतिशत है।

आयुक्त महोदय ने मुख्यालय के अनुभागों एवं प्रभागीय कार्यालयों के हिंदी पत्राचार के स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रभाग-I/II नागपुर, अमरावती, सतर्कता, सांख्यिकी, सूचना अधिकार, सी. आय. यू. एवं विधि शाखाओं के पत्राचार को असंतोषजनक बताया है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नागपुर आयुक्तालय का मुख्यालय कार्यालय हिंदी में कार्य करने के लिए पहले से अधिसूचित है फिर भी आयुक्त महोदय ने यह निर्देश दिए कि मुख्यालय की प्रशासन, स्थापना-I, स्थापना-II एवं राजस्व लेखा इन चार शाखाओं को हिंदी में काम करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए।

आयुक्त कार्यालय में राजभाषा अधिनियम की धारा-3(3) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है। 31-3-2007 को समाप्त तिमाही अवधि के दौरान कार्यालय द्वारा कुल 393 कागजात जारी किए गए है। इनमें से कोई भी कागजात अंग्रेजी में जारी नहीं किए गए।

सदस्य सचिव ने समिति को सूचित किया कि फाइलों पर हिंदी में नोटिंग का लक्ष्य निर्धारित करने हेतु कोई मापदंड नहीं है। फिर भी शाखाओं तथा प्रभागीय कार्यालयों का निरीक्षण करते समय हिंदी के कार्य को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि लक्ष्य के अनुरूप हिंदी में नोटिंग नहीं की जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि फाइलों पर अधिक से अधिक हिंदी में नोटिंग की जाए।

कार्यालय आयुक्तालय केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय, होशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय भोपाल की मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 19-2-2007 को आयुक्त महोदय श्री नारायण बसु की अध्यक्षता मे आयोजित की गई।

अध्यक्ष महोदय एवं समिति के सभी सदस्यों के समक्ष पिछली तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत पुष्टी हेतु प्रस्तुत किया गया और समिति द्वारा जिसकी पुष्टी की गई । प्रभागीय कार्यालयों एवं मुख्यालय की शाखाओं द्वारा हिंदी शाखा मुख्यालय को समय से तिमाही हिंदी रिपोर्ट प्रेषित न किए जाने पर नाराजगी प्रकट की।

अध्यक्ष महोदय ने हिंदी में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शतप्रतिशत कार्य करने के लिए प्रयास जारी रखने की आवश्यकता के तारतम्य में आयुक्तालय द्वारा जारी होने वाले अंग्रेजी भाषा के सभी पत्रों पर हिंदी में अग्रेषण पत्र लगाने के निर्देश दिए।

अध्यक्ष महोदय को राजभाषा हिंदी पखवाड़ा दिवस पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को एवं हिंदी में कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को हिंदी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-2007, के लिए दिए गए पुरुस्कारों की जानकारी प्रदान की गई, अध्यक्ष महोदय द्वारा सन्तोष व्यक्त किया गया।

राजभाषा हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने में सरलता प्रदान करने हेतु कार्यालयीन उपयोग की शब्दावली फाईल कवरों पर प्रकाशित किए जाने के प्रस्ताव को राजभाषा हिंदी में कार्य करने हेतु उपयोगी मानते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रशासनिक अधिकारी मुख्यालय को विभाग में उपयोग होने वाले फाईल कवरों पर हिंदी कार्यालय सहायिका के अनुसार शब्दावली प्रकाशित करवाने की कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए।

पूर्व रेलवे, मालदा

दिनांक 20-6-2007 को महाप्रबंधक की अध्यक्षता में क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में महाप्रबंधक महोदय ने निदेश दिया कि कार्यालय की सभी फाइलों के शीर्ष निश्चित रूप से द्विभाषी रूप में लिखे जाएं तथा अधिकारीगण फाइलों पर अपना रिमार्क हिंदी में दें। उन्होंने सदस्यों का आह्वान करते हुए निवेदन किया कि इन कार्यों के साथ-साथ आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी में प्रशिक्षित टाइपिस्टों से हिंदी में काम लिया जाए क्योंकि यह देखा जा रहा है कि अधिकांश विभागों द्वारा हिंदी में पत्र टाइप करने के लिए राजभाषा विभाग में भेज दिया जाता है। इससे राजभाषा विभाग का काम प्रभावित होता है।

श्री अनूप साहू, मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि बैठक में कामकाज के विषय में चर्चा करते हैं, मूल्यांकन करते हैं तथा आवश्यक निर्देश भी देते हैं। राजभाषा का प्रयोग-प्रसार हमारा संवैधानिक दायित्व है। इसके लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जिसका पालन अनिवार्य है। मंडल कार्यालय 'ग' क्षेत्र में है। यहां बहुत लोग प्रशिक्षित हैं, वे हिंदी में काम कर सकते हैं जरूरत है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग बढ़ाएं। अपना लक्ष्य स्वंय तय करें तथा यह भी निश्चित करें कि उन्हें हिंदी में कौन-सा काम करना है। आशा है इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे । उन्होंने सदस्यों को निर्देश दिया कि हिंदी में किसी पत्र का जवाब दें तो उसकी एक प्रति हिंदी विभाग को दें। उन्होंने राजभाषा अधिकारी को निदेश दिया कि प्रोत्साहन योजनाओं के संबंध में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराने के उद्देश्य से सार्थक कार्रवाई की जाए ।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा 'ग' क्षेत्र में हिंदी में नोटिंग देने का लक्ष्य 30% है। शाखा अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे महाप्रबंधक महोदय के निर्णय के आलोक में फाइलों पर अधिक से अधिक अपना रिमार्क हिंदी में दें, नियमानुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना चाहिए। मंडल के सभी विभागों द्वारा हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाता है।

अन्य कार्यालयों से पत्राचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि 'ग' क्षेत्र से 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों के साथ पत्राचार हेतु 55% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शाखा अधिकारी कृपया इस पर ध्यान दें तथा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास करें।

प्रधान कार्यालय से पधारे उप मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री चन्द्रगोपाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा राजभाषा के प्रयोग-प्रसार से संबंधित सरकार की नीति सिर्फ साम-दाम की है। इसमें दण्ड का कोई प्रावधान नहीं है। कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कई प्रोत्साहन योजनाएं सरकार ने चला रखी है। इन्हीं योजनाओं के माध्यम से हिंदी का प्रयोग-प्रसार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारी लौंग हैण्ड में भी डिक्टेशन देकर प्रोत्साहन योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अंतर्गत वर्ष में दो अधिकारियों को एक-एक हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, जिनमें से एक अधिकारी का गृहनगर 'क' क्षेत्र में हो एवं दूसरे का गृहनगर 'ग' क्षेत्र में हो। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मंडल रेल प्रबंधक के कुशल नेतृत्व में मंडल में हिंदी के प्रयोग-प्रसार को गति मिलेगी।

पूर्व रेलवे, 17, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001

क्षेरेराकास की तिमाही बैठक 20-6-2007 को सम्पन्न हुई। महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे श्री एन.के.गोयल की अध्यक्षता में सम्पन्न इस बैठक के मुख्य अतिथि, माननीय सांसद राज्यसभा श्री वशिष्ठ नारायण सिंह थे । मुराधि ने समिति की 28-3-2007 को संपन्न पिछली बैठक के बाद रेलवे पर हिंदी के प्रयोग-प्रसार में हुई निम्नांकित उपलब्धियों का जिक्र किया :

(क) मधुपुर रेलवे स्टेशन को हिंदी कार्य के लिए रेल मंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

(ख) सियालदह मण्डल को छोड़कर अन्य सभी मण्डलों के स्टेशन संचालन नियम द्विभाषी हैं। सियालदह मण्डल के लिये इस कार्य को पूरा करने की लक्ष्य तिथि 30-8-2007 है।

(ग) कंप्यूटरों में ISM V5 लोड होने के बाद मुख्यालय एवं मण्डल/कारखानों में कंप्यूटर पर हिंदी कुंजीयन प्रशिक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है।

(घ) विभागीय परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र द्विभाषी रहे हैं।

(ड.) हिंदी पत्रिकाओं में प्रकाशन की स्वस्थ परंपरा बनी हुई है।

मुराधि ने निम्नांकित क्षेत्रों का जिक्र किया जिनमें सुधार करना है:-

(क) राजभाषा नियम 1976, यथासंशोधित 1987 के नियम 10(4) के तहत मण्डलों/कारखानों के अधिसूचित कार्यालयों /स्टेशनों पर हिंदी के प्रयोग-प्रसार में तेजी लाना।

(ख) विभागों/कार्यालयों में डेस्क प्रशिक्षण देने का गहन अभियान छेड़ना।

महाप्रबंधक एवं समिति-अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों का आह्वान किया कि वे हिंदी की प्रगति में अधिक से अधिक योगदान दें, क्योंकि राजभाषा का कार्य राष्ट्रीय कर्त्तव्य है।

28-03-2007 को हुई समिति की पिछली बैठक में दिए गए अपने निर्देश का जिक्र करते हुए महाप्रबंधक ने कहा कि फाइलों के विषय एवं रजिस्टरों के शीर्ष द्विभाषी हो ही गए हैं। दौरा कार्यक्रम भी हिंदी में प्रस्तुत हो रहे हैं, उन्होंने निर्देश दिया कि टी ए बिल भी हिंदी में प्रस्तुत किए जाएं ।

महाप्रबंधक ने हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए पुरस्कार योजनाओं की व्यापक प्रचार-प्रसार करने की सलाह दी।

उन्होंने विभागीय बैठकों में हिंदी का अधिकाधिक इस्तेमाल करने के लिए कहा और इन बैठकों की कार्य सूची/कार्यवृत्त हिंदी/द्विभाषी में बनाने का भी निर्देश उन्होंने दिया।

उन्होंने सियालदाह मण्डल के स्टेशन संचालन नियमों के द्विभाषीकरण का कार्य 30-08-2007 तक पूरा करने को कहा।

महाप्रबंधक ने कहा कि अधिकारी अपने निरीक्षणों के दौरान हिंदी की प्रगति का विधिवत् जायजा नहीं ले रहे हैं। यह ठीक नहीं है। अधिकारीगण इस ओर विशेष ध्यान दें।

साहित्य के पठन-पाठन की परंपरा का शुभारंभ आज की बैठक में हो गया है। यह सराहनीय एवं प्रेरक अनुष्ठान जारी रहना चाहिए।

बैठक के मुख्य अतिथि माननीय सांसद श्री वरिष्ठ नारायण सिंह ने अपने उद्गार में कहा कि :

रेलवे में हिंदी का काम-काज बढ़ा है। स्टेशन संचालन नियम द्विभाषी में हो रहे हैं, इससे पता चलता है कि हिंदी प्रगति पर है।

उन्होंने बंगला भाषा में भी स्टेशन संचालन नियम बनाने तथा सार्वजनिक स्थान पर बंगला में भी सूचना पट्ट प्रदर्शित करने का सुझाव दिया।

रेलवे के कार्यक्षेत्र में हिंदी माध्यम से सामाजिक पहलुओं, आर्थिक समस्याओं के समाधान और राष्ट्र प्रेम पर आधारित नाटकों का मंचन किया जाए। इससे सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा।

'प्रतिबिंब' पत्रिका की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि इस पत्रिका तक ख्यातनाम रचनाकारों की रचनाएं भी शामिल की जाएं।

निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड श्री प्रमोद कुमार यादव ने पूर्व रेलवे में हो रही हिंदी के प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वे आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में राजभाषा से जुड़े कर्मचारी/अधिकारी इस प्रगति को बरकरार रखेंगे। श्री यादव ने रेलवे की सभी वैबसाइटें वास्तविक रूप में द्विभाषी करने की सलाह दी। रेलवे की उपलब्धियाँ चतुर्दिक सराही जाएं। इसके लिए भी यह जरूरी है। उन्होंने कहा कि निदेशक/राजभाषा के रूप में रेलवे द्वारा प्राप्त सहयोग के लिए वे आभारी हैं।

कार्यालय महाप्रबंधक (राजभाषा), दक्षिण पूर्व रेलवे, गार्डनरीच, कोलकाता-43

क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 83वीं बैठक दिनांक 29-06-2007 को अपर महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे, श्री एन. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

अपर महाप्रबंधक महोदय ने बैठक के प्रारंभ में सभी अधिकारियों को वर्ष 2004 की रेल मंत्री राजभाषा ट्राफी प्राप्त करने पर बधाई दी और अधिकारियों को प्रोत्साहित किया कि हिंदी के प्रयोग को और बढ़ाएँ ताकि अगले साल दक्षिण पूर्व रेलवे को रेल मंत्री शील्ड प्राप्त हो सके। दिनांक 18 जून, 07 से 22 जून, 07 तक दक्षिण पूर्व रेलवे पर महाप्रबंधक महोदय के आदेश से "राजभाषा अभियान" चलाया गया था जिसमें सभी कार्यालयों तथा मंडलों ने हिंदी में अधिकाधिक कार्य किया।

मुख्य राजभाषा अधिकारी, श्री इंतज़ार अहमद खाँ ने कहा कि मुख्यालय को राजभाषा ट्राफी प्राप्त हुई है, 18 जून, 07 से 22 जून, 07 के दौरान राजभाषा का कार्य सभी विभागों द्वारा अच्छी तरह से किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि महाप्रबंधक जी ने पूरे वर्ष जो निर्देश एवं मार्गदर्शन दिए हैं, वे महत्वपूर्ण रहे हैं तथा उनका ईमानदारी से आगे भी पालन किया जाए। विभागीय बैठकों एवं मुराधि की अध्यक्षता में नोडल अधिकारियों की बैठकों की कड़ी में यह महत्वपूर्ण बैठक है। पूरे दक्षिण पूर्व रेलवे पर धारा 3(3) का शतप्रतिशत अनुपालन किया जा रहा है तथा बोर्ड द्वारा दिए गए लक्ष्यों को भी अधिकांशत: प्राप्त कर लिया गया है।

उप मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं सदस्य सचिव ने महाप्रबंधक महोदय, सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों एवं अपर मुख्य राजभाषा अधिकारियों का स्वागत करते हुए समिति के समक्ष दिनांक 30-03-07 को हुई 82वीं बैठक में लिए गए निर्णयों/सुझावों पर अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी रपट प्रस्तुत की।

भंडार नियंत्रक ने कहा कि 2 फाइलों पर हिंदी में कार्य किए जा रहें हैं। वैसे भंडार विभाग में बहुत सी फाइलों पर हिंदी में कार्य किए जाते हैं किन्तु गोपनीय होने के कारण रिकार्ड स्वरूप सब की प्रतियाँ राजभाषा विभाग को भेजी नहीं जा सकती। अत: अधिकाधिक कार्य करने पर भी प्रमाण के अभाव में उनका विभाग सबसे अधिक कार्य करने वाले की श्रेणी में आने से वंचित हो जाता है। 2 से ज्यादा आशुलिपिकों को हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण देने की लिए भेजा जाएगा।

विसमुलेधि ने कहा कि आशुलिपिक को यदि आधे दिन के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और प्रशिक्षण जल्दी तीन महीने में समाप्त कर लिया जाए जो अच्छा होगा क्योंकि वर्ष भर प्रत्येक दिन एक घंटे के लिए छोड़ना काफी भारी पड़ता है। उन्होंने कहा कि हिंदी में कार्यशाला चलाई जाए। इससे काफी प्रेरणा मिलती है, भले ही कार्यशाला 4 घंटे के लिए हो।

मुराधि महोदय जो स्वयं बिजली विभाग के प्रमुख भी हैं, ने कहा कि उन्होंने अपने हाथ से खुद लगभग एक हजार फाइलों पर फाइलों की शीर्ष और डीलर का नाम हिंदी में लिखा है। इसी प्रकार का प्रयास अन्य लोग भी करें तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने खड़गपुर कारखाना तथा अन्य स्टेशनों के नामों का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां पर नामपट्ट की शीर्ष का क्रम ठीक नहीं था, अतः यह क्रम (बंगला, हिंदी, अंग्रेजी) ठीक किया जाए।

कार्यालय महाप्रबंधक (राजभाषा), पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

पूर्व मध्य रेल की क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 18वीं बैठक दि. 19-6-2007 को धनबाद मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के समकक्ष में संपन्न हुई। अपर महाप्रबंधक श्री वी. के. मांगलिक ने बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्य राजभाषा अधिकारी व मुख्य विद्युत इंजीनियर, श्री रमेश कुमार सिंघल ने अध्यक्ष महोदय तथा माननीय प्रेक्षक सदस्यों तथा निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड सहित बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए पिछली बैठक के उपरांत पूर्व मध्य रेल में राजभाषा से संबंधित किए गए कार्यकलापों के बारे में समिति को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने पर दि. 13-4-07 को संपन्न रेल सप्ताह समारोह में दानापुर तथा सोनपुर मंडल को क्रमशः अंतर्मंडलीय कार्यकुशलता शील्ड तथा अंतर्मंडलीय कार्यकुशलता ट्राफी प्रदान की गई। इसके अलावा दो राजभाषा कर्मचारियों को महाप्रबंधक पुरस्कार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडिक तथा लिपिकार का प्रदर्शन, राजभाषा संवर्ग बैठक, पुस्तक चयन समिति और वैशाली पत्रिका के संपादन से संबंधित संपादक मंडल की बैठक आदि के विषय में भी जानकारी दी।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर महाप्रबंधक, श्री वी. के. मांगलिक ने माननीय प्रेक्षक सदस्यों, निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड और बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए हिंदी को देश की पहचान व संस्कृति बताया। उन्होंने बताया कि पूर्व मध्य रेल में विभागों के मध्य तिमाही आधार पर अंतर्विभागीय राजभाषा शील्ड से विभागों में हिंदी का प्रयोग-प्रसार और बढ़ा है। उन्होंने मंडलों, कारखानों द्वारा समय-समय पर प्रकाशित पत्रिकाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे अधिकारी व कर्मचारियों के अनुभव और विचार लेख आदि के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। उन्होंने सभी से राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का शत प्रतिशत अनुपालन तथा कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें बोर्ड द्वारा जारी मानक कार्यसूची के अनुरूप नियमित रूप से आयोजित करने, हिंदी पुस्तकालयों के संचालन को और सुव्यवस्थित करने, कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी का प्रयोग बढ़ाने, सामान्य निरीक्षण के दौरान हिंदी का भी निरीक्षण करने, सरल तथा आसान हिंदी का प्रयोग करने और स्वयं हिंदी में काम कर अधीनस्थों को हिंदी में कार्य करने के लिए और प्रोत्साहित करने पर बल दिया।

मुख्यालय स्थित विभिन्न विभागों के बीच हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाने वाली पुरस्कार योजना के अंतर्गत मार्च, 07 को समाप्त तिमाही के दौरान हिंदी का प्रयोग बढ़ाने में सराहनीय कार्य करने पर माननीय सांसद, श्री फुरकान अंसारी ने अंतर्विभागीय राजभाषा चल शील्ड प्रशासन विभाग को प्रदान की।

धनबाद मंडल में बैठक आयोजन करने पर खुशी व्यक्त करते हुए माननीय सांसद महोदय ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक, धनबाद ने मंडल में हिंदी में प्रयोग बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। सदस्यों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी प्रयोग-प्रसार के क्षेत्र में पूर्व मध्य रेल का पहला स्थान होना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने बताया कि वे अन्य रेलों पर भी प्रेक्षक सदस्य हैं तथा वहाँ की बैठकों में भाग लेते हैं। वहाँ भी हिंदी की प्रगति अच्छी है लेकिन पूर्व मध्य रेल की प्रगति वहाँ से भी अच्छी है। उन्होंने सलाह दी कि धनबाद मंडल के सीमावर्ती स्टेशनों पर हिंदी के प्रयोग-प्रसार एवं राष्ट्रभाषा के बारे में गाँधी जी एवं अन्य महापुरुषों की सूक्तियाँ लिखवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल पर हिंदी का काफी प्रयोग-प्रसार हुआ है।

पूर्व मध्य रेल की क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठक में पहली बार उपस्थित निदेशक/राजभाषा, रेलवे बोर्ड, श्री प्रमोद कुमार यादव ने बैठक में शामिल होने

पर प्रसन्नता व्यक्त की। पूर्व मध्य रेल मंत्री राजभाषा शील्ड के लिए बधाई देते हुए कहा कि इस रेल पर अच्छा कार्य हुआ है। उन्होंने प्रेक्षक सदस्य, श्री सिन्हा द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के संबंध में बताया कि ऐसे मुद्दों को रेल हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों में उठाया जाना चाहिए। उन्होंने पूर्व मध्य रेल में राजभाषा के शत-प्रतिशत अनुपालन से संबंधित अपने सुझाव देते हुए बताया कि पत्राचार में शत-प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए, हिंदी संवर्ग के रिक्त पदों को भरा जाए तथा सेवा पुस्तिका/रजिस्टरों में शत-प्रतिशत प्रविष्टियाँ हिंदी में कर ली जाए। उन्होंने आगे बताया कि एक अभियान चलाकर नामपट्ट/सूचना पट्ट, रबड़ की मोहरें आदि को द्विभाषी में तैयार करा लिया जाना चाहिए। उन्होंने चेक प्वाइंट पर निगरानी रखने तथा निरीक्षण में इस पर ध्यान दिए जाने की बात कही। उन्होंने स्टेराकास की बैठकों में अधिकारियों को भाग लेने की जरूरत जताई।

कार्यालय महाप्रबंधक (राजभाषा), पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 31-03-07 को समाप्त तिमाही की बैठक दिनांक 26-06-2007 को अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक श्री राकेश त्रिपाठी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार ने बैठक का संचालन करते हुए समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का उल्लेख करते हुए विभिन्न विभागों में हुई हिंदी प्रयोग की प्रगति की व्यापक समीक्षा रपट प्रस्तुत की और सभी विभागों में हिंदी प्रयोग के क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों पर विशेष विचार-विमर्श भी किया।

बैठक में अपने अध्यक्षीय संबोधन में अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री राकेश त्रिपाठी ने कहा कि आज की यह बैठक अत्यन्त महत्वपूर्ण है । यह हमारे लिए गौरव का क्षण है, जब पूर्वोत्तर रेलवे पर हो रहे हिंदी प्रयोग प्रसार की समीक्षा रेलवे बोर्ड स्तर पर की गई और वर्ष 2004 में किए गए कार्यों का मूल्यांकन करते हुए रेलवे बोर्ड ने इस रेलवे को "रेल मंत्री राजभाषा कार्य कुशलता ट्राफी" प्रदान की है । यदपि यह उपलब्धि वर्ष 2004 की है, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि वर्ष 2005 एवं 2006 की अवधियों का मूल्यांकन रेलवे बोर्ड की मूल्यांकन समिति द्वारा किए जाने पर पूर्वोत्तर रेलवे हिंदी प्रयोग के क्षेत्र में "सर्वोत्कृष्ट" स्थान पाने में सफल होगी । उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए हमें निरन्तर जागरूक रहने की आवश्यकता है तथा उन सभी क्षेत्रों जहाँ कमी दिखाई दे रही है, को चिन्हित करने और उसकी स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने का प्रयास करना है।

समिति द्वारा 27 फरवरी, 2007 को संपन्न गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के पश्चात् वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी ने गत बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन स्थिति समिति के समक्ष प्रस्तुत की ।

आकाशवाणी, कटक

श्री देव कुमार मिश्र, केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, कटक की अंध्यक्षता में दिनांक 4-7-2007 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक सम्पन्न हुई। दिनांक 26-4-2007 को हुई बैठक के कार्यवृत्त को सर्व-सम्मति से पुष्टि के बाद हुए विचार-विमर्श और निर्णय लिए गए । अप्रैल-जून, 2007 तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई । मूल पत्राचार की स्थिति लक्ष्य से काफी पीछे होने के कारण बैठक में चिंता व्यक्त की गई। सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रशासन अनुभाग, अभियांत्रिकी अनुभाग एवं लेखा अनुभाग से भेजे जानेवाले विवरण, रिपोर्ट आदि के अग्रेषण पत्र निश्चित रूप से हिंदी में भेजे जाएं ।

हिंदी पखवाड़ा के आयोजन के बारे में चर्चा हुई सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया कि कुल पांच प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा जिसमें से तीन प्रतियोगिताओं का आयोजन जुलाई, अगस्त एवं सितंबर के प्रथामार्ध में किया जाएगा। पखवाड़ा का आयोजन 14 सितंबर से 28 सितंबर, 2007 तक किया जाएगा।

हिन्दी पखवाड़ा के दौरान दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन करने हेतु निर्णय लिया गया। हिंदी प्रशिक्षण के बारे में चर्चा हुई। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रशिक्षण के लिए बचे कर्मचारियों में से प्रत्येक अनुभाग से एक-एक कर्मचारी को प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए।

आकाशवाणी, कोलकाता

आकाशवाणी, कोलकाता केंद्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 29-5-2007 को अपराह्न 3.00 बजे केंद्र निदेशक श्री प्रदीप कुमार मित्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सदस्य सचिव ने बैठक में लिए गए निर्णय पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई से अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों को अवगत कराया। कार्यालय में हिंदी के प्रयोग की विस्तृत चर्चा की गई तथा सर्वसम्मति से गत बैठक की कार्यवाही पुष्टि कर दी गई।

हिंदी अधिकारी ने समिति को अवगंत कराया कि जनवरी, 07 से प्रारम्भ होने वाले सत्र में इस कार्यालय के 7 कर्मचारियों को प्रवीण कक्षा के लिए नामित किया गया था, जिनमें से 3 लोग नियमित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त किए तथा मई, 07 में संपन्न परीक्षा में भी सम्मिलित हुए । पुन: इस वर्ष जुलाई से प्रारम्भ होने वाले सत्र में प्रवेश हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को सुविधानुसार नामित किया जाएगा।

दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली

दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 28-6-2007 को अपराहन् 4.00 बजे निदेशक सुश्री दीपा चंद्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। हिंदी अधिकारी ने बताया कि प्रशासन स्कंध के विभिन्न एकांशों में डेस्क कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें कर्मचारियों की सीट पर जाकर हिंदी में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित किया गया। इस दौरान कर्मचारियों को हिंदी में काम करने में हो रही असुविधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया तथा भविष्य में हिंदी में सुचारू रूप से कार्य करने के लिए उन्हें उचित सुझाव दिया गया। इस कार्यशाला में कुल 31 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

राजभाषा विभाग द्वारा भेजे गए वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा की गई तथा सभी उपस्थित सदस्यों को निर्धारित लक्ष्य से अवगत कराया गया। चर्चा के दौरान हिंदी अधिकारी ने बताया कि यह केंद्र 'क' क्षेत्र में स्थित है और यहां से शत-प्रतिशत पत्राचार हिंदी में ही होना चाहिए। इस संबंध में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा केंद्र के निरीक्षण के दौरान भी आश्वासन दिया गया था कि प्रत्राचार शत प्रतिशत हिंदी में किया जाएगा।

आकाशवाणी, अहमदाबाद

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक संयुक्त रूप से दिनांक 14-6-2007 को श्री भगीरथ पंडया, केंद्र निदेशक आकाशवाणी, अहमदाबाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया फिर बैठक शुरु हुई। पहले पिछली बैठक के मुद्दों पर समीक्षा एवं सर्वानुमति से पुष्टि के बाद इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले प्रत्येक दस्तावेज जैसे सामान्य आदेश परिपत्र, ज्ञापन,अधिसूचना को हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में साथ-साथ जारी किया जाना चाहिए । सभी हस्ताक्षर करनेवाले अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

इस वर्ष भी ख क्षेत्र से 90 प्रतिशत हिंदी पत्राचार का लक्ष्य रखा गया है। कुछ अत्यावश्यक अंग्रेजी पत्रों को छोड़ कर सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाए । कार्यालय में सभी को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। अत: सभी अनुभाग अधिकारी मूल रुप से हिंदी में पत्राचार करने के प्रयास करें। इस संबंध में हिंदी अनुभाग की सहायता ली जा सकती है। लेकिन जो पत्र अंग्रेजी में भिजवाना आवश्यक हो उसका अनुवाद भी साथ में भिजवाया जाए। अध्यक्ष महोंदय ने आगे कहा कि सभी संकल्प लें । हस्ताक्षर केवल हिंदी में करेंगे। फाइलों पर नोटिंग भी राजभाषा में की जाए । इससे भी हिंदी में काम करने की आदत पड़ने से पत्राचार की मात्रा भी बढ़ेगी। कर्मचारीयों द्वारा हिंदी में काम करने पर उनके उच्च अधिकारी उनके काम की प्रशंसा करें।

श्री मनुभाई जानी, उपनिदेशक ने सुझाव दिया कि श्रोता अनुसंधान अनुभाग से सर्वेक्षण हेतु जो प्रश्नावली श्रोताओं को भरने के लिए दी जाती है वह केवल अंग्रेजी में न होकर द्विभाषी अथवा केवल हिंदी में उपलब्ध कराई जाए क्योंकि गाँवों के अधिकांश श्रोताओं को हिंदी में प्रश्नावली भरना आसान होगा।

दूरदर्शन केंद्र : राजकोट

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 21-05-07 को दोपहर 4.00 बजे श्री एम.एच. रोहित, केंद्र अभियंता, दूर दर्शन केंद्र, राजकोट की अध्यक्षता में समपन्न हुई।

पिछली बैठक के कार्यवृत की समीक्षा और लिए गए निर्णयों की कार्यवाही की समीक्षा की गई ।

केंद्र अभियंता ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों से कहा कि वे अपने अनुभाग में हिंदी में कार्य करें । कार्यालय में प्रयुक्त रबर की सभी मोहरे द्विभाषी बनाई गई है तथा कार्यालय के मुख्य द्वारा पे राइट टु एक्ट का बोर्ड हिंदी में बनवा दिया गया है । तथा फाईलों में टिप्पण तथा अन्य कार्य हिंदी में किया जा रहा है ।

लेखा और प्रशासन तथा कार्यक्रम अनुभाग के कार्य हिंदी में होते हैं और तकनीकी अनुभाग कार्य हिंदी में करने के लिए तकनीकी अधिकारी द्वारा प्रयास किया गया है ।

(शेष पृष्ठ 87 पर)

(ग) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

गुवाहाटी रिफाइनरी

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) की 29वीं बैठक दिनांक 18-7-07 को गुवाहाटी रिफाइनरी प्रशिक्षण केंद्र में न.रा.का.स. समिति (उपक्रम) के अध्यक्ष तथा गुवाहाटी रिफाइनरी के कार्यपालक निदेशक श्री जी. भानुमूर्ति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

अध्यक्षीय भाषण में श्री जी. भानुमूर्ति ने आपसी सहयोग तथा सामूहिक कार्य पर बल दिया साथ ही नराकास (उपक्रम) गुवाहाटी को लगातार तीन वर्षों से राजभाषा प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने पर सदस्य कार्यालयों की सामूहिक प्रयास तथा आपसी सहयोग को सराहा। राजभाषा विभाग के श्री अशोक कुमार मिश्र ने अपने भाषण में कार्यालयों में कार्यशाला, प्रशिक्षण तथा संगोष्ठी की आवश्यकता को दोहराया तथा इस प्रोद्यौगिकी की युग में जहाँ कार्यालयों में कागजात के प्रयोग कम होने लगी है वहाँ तकनीकी लेखन में हिंदी को बढ़ावा देने पर बल दिया। हिंदी शिक्षण योजना से पधारे सहायक निदेशक डॉ. रूस्तम राय ने संस्थान के विभिन्न कक्षाओं की परीक्षाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा कार्यालयों में प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2008 से पहले शेष कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए नामित करने के लिए विभागाध्यक्षों से आग्रह किया।

इसी बैठक में न.रा.का.सं.(उपक्रम) की ... पत्रिका **"प्रागज्योतिका"** का पंचम अंक ... (उपक्रम) के अध्यक्ष श्री जी. भानुमूर्ति के ... द्वारा लोकार्पण किया गया तथा उत्कृष्ट लेख... को पुरस्कार व प्रमाणपत्र भी प्रदान किया गया ...भाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत हिंदी अनुवा... साफ्टवेयर **"मंत्र"** की सी.डी. प्रदर्शित की गई।

अनगुल

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अनगुल ... छमाही बैठक दिनांक 22-06-2007 को पूर्वा... बजे महानदी कौलफील्ड्स लिमिटेड के तालचेर क्षे... महाप्रबंधक के कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एम.सी.एल., तालचेर क्षेत्र के उप मुख्य कार्मिक प्रबंधक श्री बी.पी. सिंह ने की। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य-सचिव तथा प्रबंधक (राजभाषा) नालको श्री सुदर्शन तराई ने स्वागत भाषण देते हुए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन के उद्देश्यों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि बैठक में कार्यालय प्रमुख को उपस्थित होना जरूरी है क्योंकि राजभाषा का कार्यान्वयन उनके माध्यम से होता है। विशेष परिस्थिति में कार्यालय प्रमुख द्वारा नामित अधिकारी उपस्थित रह सकते हैं। राजभाषा के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाईयों को मिल-जुलकर समाधान करने का यह मंच काम करता है।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे श्री बी.पी. सिंह ने अपने उद्घाटनी भाषण में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में हिंदीत्तर भाषा क्षेत्र में आ रही कठिनाईयों के बारे में बताया। हिंदी में काम करने की इच्छा रहते हुए भी साधनों की कमी और मानव संसाधन की अनुपलब्धता के कारण ठीक तरीके से राजभाषा कार्यान्वयन में धीमी पाई जाती है। लेकिन भविष्य में हिंदी का विकास और प्रसार जरूर होगा।

शिलचर

35वीं बैठक संयोजक कार्यालय-हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कछाड़ पेपर मिल, पंचग्राम के अतिथि गृह में 11 मई, 2007 को अपराह्न 3.00 बजे मिल के मुख्य अधिशासी एवं समिति के अध्यक्ष श्री कल्लोल आचार्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर श्री आचार्य ने कहा कि जनता की भाषा में सरकारी कामकाज करने से विकास की गति तेज होगी और प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। आप लोग अपने-अपने कार्यालयों के प्रमुख हैं। आपकी दृढ़ इच्छा-शक्ति से उठाए गए कदम निश्चित रूप से राजभाषा हिंदी को नई दिशा देंगे।

उक्त बैठक में राष्ट्रभाषा विद्यापीठ, शिलचर के ...र्य एवं सचिव, वयोवृद्ध हिंदी सेवी आचार्य श्री दत्तात्रेय ...ख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि

हमारे यहां सब कुछ है, लेकिन एक राष्ट्रवाणी नहीं है । जब तक ऐसा रहेगा, तब तक देश के नागरिकों की मानसिक स्वतंत्रता संदेहास्पद है । हम कितने दिनों तक मानसिक गुलामी ढोते फिरेंगे, यह विचारणीय विषय है।

माननीय अध्यक्ष, मुख्य अतिथि एवं सदस्यों का स्वागत नराकास, शिलचर की "कार्यकारिणी समिति" के अध्यक्ष एवं दूरदर्शन केंद्र, शिलचर के निदेशक डॉ. शैलेश पंडित ने किया । इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जब तक हमारे दिल में राष्ट्रीयता की भावना नहीं आएगी, तब तक हम "भारत के संविधान" के दिशा-निर्देशों की अवहेलना करते रहेंगे । संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना हमारा परम कर्तव्य है । तभी हम राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को सही दिशा दे पाएंगे।"

समिति के अध्यक्ष श्री कल्लोल आचार्य ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि :

1. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कृपया राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन शत-प्रतिशत करें।
2. यह जरूरी है कि संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के सात खंडों पर जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों का विभागों/कार्यालयों द्वारा अनुपालन किया जाए ।
3. कंप्यूटर, ई-मेल, वेबसाइट सहित उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए हिंदी में काम को बढ़ाया जाए।
4. सभी कार्यालय वैज्ञानिक व तकनीकी साहित्य हिंदी में छपवाकर उसे जनसाधारण के उपयोग हेतु उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक उपाय करें।
5. हिंदी, हिंदी टंकण/आशुलिपि संबंधी प्रशिक्षण कार्य में तीव्रता लाएं, ताकि तत्संबंधी लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जा सके ।
6. राजभाषा कार्य से संबंधित अधिकारियों को विभाग के कार्यकलापों से परिचित कराया जाना आवश्यक है, जिससे कि वे अपने दायित्व अधिक अच्छी तरह निभा पाएं।
7. सभी कार्यालय अपने विषयों से संबंधि[illegible] हिंदी माध्यम में आयोजित करें।
8. संघ की राजभाषा नीति का आधार प्रेरणा और प्रोत्साहन है, किंतु राजभाषा संबंधी अनुदेशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए । जान-बूझकर राजभाषा संबंधी आदेशों की अवहेलना के लिए विभाग/कार्यालय अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर विचार कर सकते हैं।
9. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, सरकारी कागजात, संविदाएं, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, टेंडर नोटिस तथा टेंडर फार्म आदि द्विभाषी रूप में ही जारी की जाएं । किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
10. शीर्षस्थ प्रशासनिक बैठकों में विचार-विमर्श और कार्यवाही हिंदी में करने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न किये जाएं।

चेन्नई

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति चेन्नई की 35वीं बैठक एवं संयुक्त राजभाषा समारोह यहां संपन्न हुआ । अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक दक्षिण रेलवे थॉमस वर्गीस ने बैठक की अध्य[illegible] की जबकि मुख्य अतिथि संयुक्त सचिव गृह मंत्राल[illegible]ती पी. वी. वत्सला जी कुट्टी एवं मुख्य [illegible]कारी एवं प्रमुख मुख्य इंजीनियर मनोज कुमार [illegible] थे।

[illegible] सर्वप्रथम श्रीमती राधा रामकृष्णन ने स्वागत भा[illegible]थ ही रिपोर्ट में सदस्य कार्यालयों की रिपोर्टों की सम[illegible]रते हुए राजभाषा कार्यान्वयन दिशा में चेन्नई में हो रही प्रगति को पॉवर पाइंट माध्यम प्रस्तुत किया । मुख्य राजभाषा [illegible]धिकारी मनोज कुमार ने गत वर्ष नराकास द्वारा किए ग[illegible]र्यों का उल्लेख किया।

[illegible] पर थॉमस वर्गीस ने नराकास की राजभाषा [illegible] विशेषांक स्वतंत्रता संग्राम के डेढ़ सौ वर्ष का [illegible]या एवं स्वतंत्रता सेनानी एवं वरिष्ठ प्रचारक राजू [illegible] सम्मान किया । रुकमाजी राव अमर स्वतंत्रता [illegible] ने राजभाषा पत्रिका की पहली प्रति प्राप्त की।

श्रीमती वल्सला कुट्टी जी ने सहायक साहित्य का विमोचन किया तथा देश भर में किसी नराकास के लिए पहली बार तैयार की गई वेबसाइट को लांच किया। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय सीएलआरआई की छात्र-छात्राओं ने राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत किया। इस मौके पर श्रीमती पी. वी. वल्सला जी क्ट्टी ने हिंदी की महत्ता को समझाया। बैठक का संचालन श्रीमती राधा रामकृष्णन सदस्य सचिव ने किया जबकि सभी का धन्यवाद हिंदी अनुवादक रामेश ने ज्ञापित किया।

तृश्शूर

नगर राजभाषा कर्यान्वयन समिति, तृश्शूर की 39वीं बैठक 28-5-2007 के लघु उद्योग सेवा संस्थान, तृश्शूर के निदेशक महोदय व समिति के अध्यक्ष श्री लैंबर्ट जोसफ की अध्यक्षता में संस्थान के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। लघु उद्योग सेवा संस्थान तृश्शूर के निदेशक व समिति के अध्यक्ष महोदय श्री लैंबर्ट जोसफ ने अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में राजभाषा के रूप में हिंदी की अहं भूमिका पर जोर देते हुए, हिंदी में अधिकाधिक कार्य किए जाने के माध्यम से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में सभी के अनन्य सहयोग के लिए आग्रह किया। हिंदी के प्रगामी प्रयोग विषयक तिमाही रिपोर्टों की नियमित रूप से इस कार्यालय को भी प्रस्तुतीकरण पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि तिमाही रिपोर्ट औसतन केवल 17 सदस्यों से प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में नियमितत: प्रस्तुत की जाए, ताकि राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए रोलिंग ट्रोफी/शील्ड आदि से सम्मानित करने में सुविधा होगी।

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोचीन के अनुसंधान अधिकारी श्री पी. विजयकुमार ने, सदस्यों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा निम्न प्रकार प्रस्तुत की :-

1. धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाए।
2. प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर हिंदी के प्रगामी प्रयोग विषयक तिमाही रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यत: प्रस्तुत की जाए।
3. हिंदी भाषा/हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण को पूर्ण करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए।
4. सभी इलेक्ट्रानिक उपकरण अनिवार्यत: द्विभाषी रूप में प्रयोग किए जाएं।
5. सभी प्रपत्र मेनुअल आदि द्विभाषी रूप में प्रयोग किए जाएं।
6. हिंदी में मूल कार्य के लिए प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन किया जाए।
7. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन नियमितत: किया जाए।

अहमदाबाद (बैंक)

नगर राजभाषा कर्यान्वयन समिति, (बैंक) अहमदाबाद की 41 वीं समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए समिति के अध्यक्ष एवं देना बैंक के महाप्रबंधक श्री पुरुषोत्तम कुमार ने दिनांक 27-7-2007 को देना लक्ष्मी भवन में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारे बैंकिंग व्यवसाय में भी विपणन की प्रमुख भूमिक हो गई है जिसके अंतर्गत हमें ग्राहकों की भाषा में व्यवहार करके अपने कारोबार बढ़ाने का प्रयास करना है। गुजरात में बैंकिंग क्षेत्र में हम हिंदी के माध्यम से अपने उत्पादों का अधिकतम प्रचार कर सकते हैं और अब तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित रहे क्षेत्रों को भी बैकिंग सेवाएं प्रदान कर सकते है। इससे हमें दोहरी सफलता मिलेगी।

बैठक का संचालन करते हुए समिति के सदस्य सचिव एवं देना बैंक के मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) श्री देवेन्द्र सिंह रावत ने सदस्य बैंकों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की समीक्षा प्रस्तुत की।

बैठक में सदस्य बैंकों के शीर्ष कार्यपालक एवं राजभाषा प्रभारी उपस्थित थे। बैठक में समीक्षा के लिए भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, मुंबई के प्रभारी उपनिदेशक श्री आर.एस. रावत जी भी उपस्थित थे। उन्होंने अहमदाबाद नगर में सरकारी क्षेत्र के बैंको में राजभाषा हिंदी के प्रयोग पर संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन कोई समस्या नहीं है। वह हमारे कारोबार में सहायक भूमिका निभाती है। उन्होंने हाल ही में न्यूयार्क संपन्न विश्व हिंदी सम्मेलन का भी जिक्र किया और कहा कि आज हिंदी विश्व के 118 देशों में पढ़ाई जा रही है।

इस अवसर पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) के तत्वावधान में देना बैंक एवं आई डी बी आई लि. द्वारा आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता एवं चित्र कथा प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किए गए । धन्यवाद ज्ञापन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) श्री कंवर भान चावला ने किया।

चंडीगढ़ बैंक

30 जुलाई, 2007 को पंजाब नैशनल बैंक के महाप्रबंधक एवं चंडीगढ़ बैंक नराकास के अध्यक्ष श्री बी.पी. चोपड़ा की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 37वीं बैठक आयोजित की गई। इसमें भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गाजियाबाद के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री जसवंत सिंह, समिति के उपाध्यक्ष श्री वी.के. त्रकरू एवं सदस्य-सचिव श्री शाम लाल मेहता सहित चंडीगढ़ में कार्यरत समस्त सार्वजनिक बैंकों के स्थानीय प्रमुखों और राजभाषा कर्मियों ने भाग लिया। बैठक में सभी सहभागियों का स्वागत करते हुए समिति अध्यक्ष श्री चोपड़ा ने चंडीगढ़ बैंक, नराकास की उपलब्धियों और अनुकरणीय परंपराओं का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2006-07 के दौरान सभी निर्धारित मदों में समग्रत: हमारी नराकास ने भारत सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को लगभग शत-प्रतिशत प्राप्त कर लिया है ।

सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री चोपड़ा ने जानकरी दी कि वर्ष 2006-07 के दौरान समिति ने अपने कार्यक्षेत्र में सक्रियता पूर्वक काम करते हुए कवि सम्मेलन और संयुक्त सांस्कृतिक संध्या के साथ-साथ 11 विभिन्न अंतर बैंक हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। एक और नई शुरुआत करते हुए नराकास परिवार के सदस्यें ने टैगोर थिएटर में हास्य नाटक उलझन का मंचन करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इस दौरान हमने परिभाषित सीमाओं के दायरे से बाहर जाकर समाज सेवा के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए राजभाषा और शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु खुड्डा लाहौरा गाँव का अंगीकरण किया है। इस गाँव के राजकीय उच्च विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई है और नि:शुल्क पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना की गई है। पिछले दिनों नराकास परिवार के रचनाधर्मी साथियों की कविताओं के संग्रह "चेतना के स्वर" का पुस्तकाकार प्रकाशन किया गया है जिसका विमोचन संसदीय राजभाषा समिति की आलेख साक्ष्य उपसमिति के माननीय सदस्यों द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने आलेख और साक्ष्य उपसमिति के साथ नराकास के तत्वावधान में चुनिंदा सदस्य कार्यालयों की विचार-विमर्श बैठक में उपसमिति द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुझावों की भी चर्चा की। बैठक में सदस्य कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत 31 मार्च, 2007 छमाही के आँकड़ों की मदवार विस्तार से समीक्षा की गई। सदस्य कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की वर्तमान स्थिति, उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों और राजभाषा नियमों के कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर चर्चा हुई और समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यवहारिक उपाय सुझाए गए। इस चर्चा में सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने सक्रियता पूर्वक भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए। चंडीगढ़ बैंक नराकास को निरंतर शीर्ष पर बनाए रखने के लिए अभिनव कार्यक्रमों और नवीनतम योजनाओं पर भी विचार हुआ।

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गाजियाबाद के प्रतिनिधि श्री जसवंत सिंह ने राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी भारत सरकार के विभिन्न नवीनतम दिशा-निर्देशों और आदेशों पर संक्षेप में प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी बताया कि नराकास की बैठकों के कैलेंडर में भारत सरकार द्वारा परिवर्तन कर दिया गया है । इसलिए भविष्य में चंडीगढ़ बैंक नराकास की बैठक भी हर वर्ष जनवरी और जुलाई माह के स्थान पर मई और अक्टूबर माह में आयोजित करनी होगी। चंडीगढ़ बैंक नराकास के नए-नए प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक बैठक में चंडीगढ़ बैंक नराकास की एक नई अनुपम उपलब्धि सामने आती है। यह संयोजक कार्यालय और विशेष रूप से चंडीगढ़ बैंक नराकास के अध्यक्ष श्री चोपड़ा की राजभाषा के प्रति अटूट निष्ठा की परिचायक है। श्री जसवंत सिंह ने उम्मीद जताई कि जिस प्रकार समग्रत: चंडीगढ़ बैंक नराकास ने अपने सभी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया है उसी प्रकार शत-प्रतिशत सदस्य कार्यालय भी अपने-अपने लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान अवश्य प्राप्त कर लेंगे।

बोकारो

बोकारो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2007-08 की पहली बैठक इस्पात भवन स्थित प्रबंध निदेशक सम्मेलन कक्ष में 27 जुलाई, 07 को 11.30 बजे दिन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक, बोकारो स्टील प्लांट ने की । अपने सारगर्भित अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने हिंदी कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रमानुसार निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने

के लिए सघन प्रयास पर बल दिया तथा कार्यान्वयन की दिशा में सदैव कुछ नया करने का आह्वान किया।

बैठक में मुख्यत: पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों/सुझावों के अनुपालन की स्थिति, विगत 6 माह में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में विभिन्न कार्यालयों में हुई प्रगति पर गहन विचार-विमर्श तथा तिमाही प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।

इस बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

1. सभी सदस्य संगठनों के कार्यालयों में पी सी पर हिंदी सॉफ्ट वेयर लोड करने की व्यवस्था की जाए।
2. भारतीय स्टेट बैंक में स्थानीय सभी शाखाओं को शामिल करते हुए एक संयुक्त हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाए।
3. ब्रह्मकुमारी आश्रम द्वारा प्रकाशित "सूक्ति समूह" की प्रति सभी सदस्य संगठनों को उपलब्ध करायी जाय।

पटियाला

पटियाला नगर राजभाषा कर्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 25-4-2007 को सांय 3.30 बजे आयकर भवन, पटियाला के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री जी.सी. नेगी, आयकर आयुक्त, पटियाला एवं अध्यक्ष, नराकास, पटियाला ने की।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री जी.सी. नेगी ने उपस्थित सदस्यों का बैठक में आने के लिए धन्यावाद किया। उन्होंने कहा कि आज अच्छे निर्णय लिए गए हैं, इनके दूरगामी परिणाम होंगे और सदस्य कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग बढ़ेगा। अत: सभी सदस्य लिए गए निर्णय को सच्चे मन से लागू करवाएं । राजभाषा का प्रयोग निश्चय ही बढ़ा है। हमें स्वयं हिंदी में कार्य करके अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना है । समिति की पत्रिका के लिए अच्छी रचनाएं प्राप्त होनी चाहिएं। सभी के सकारात्मक सहयोग से निश्चय ही समिति की गतिविधियों में वृद्धि होगी । समिति के कार्यों के लिए सभी सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है । जिस प्रकार आयकर विभाग में फाइल कवरों के अंदर अंग्रेजी-हिंदी के वाक्यांश छपवाए गए हैं अन्य कार्यालय भी ऐसा कर सकते हैं। राजभाषा के प्रयोग के लिए अध्यक्ष कार्यालय की ओर से सभी सदस्यों को अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा।

करनाल

करनाल की 45वीं छमाही समीक्षा बैठक दिनांक 26-6-2007 को 14.30 बजे लघु उद्योग सेवा संस्थान, करनाल के सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में बतौर मुख्य अतिथि श्री अरशिन्द्र सिंह चावला, आई.पी.एस., वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, करनाल ने कहा कि जब तक हम अपनी जड़ो को मजबूत नहीं करेंगे। हमारी तरक्की नहीं हो सकती। हमारी जड़ें संस्कृति हिंदी में ही हैं। इस भाषा को देश का आम आदमी समझता है । हमें अपनी मातृभाषा को सीखने से परहेज नहीं होना चाहिए। भाषा का प्रश्न अहम् है हिंदी भाषा हमारी जड़ के समान है। आज हर व्यक्ति को दूसरी भाषाओं को सीखने का हक है। लेकिन मातृभाषा का मान बढ़ाना होगा। एक समय था जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था और यह क्षेत्र ही पूरे भूमण्डल में विकसित था। विश्व के सभी देशों ने अपनी भाषा में ही तरक्की की है। उन्होंने कहा अंग्रेज अपनी भाषा के बल पर ही हम पर लगभग 200 वर्षों तक शासन कर गए और ऐसी जड़ें जमा गए कि आज भी हम उस मानसिक गुलामी से उबर नहीं पा रहे हैं। हमें बस वही कहना चाहूंगा कि अगर हमें अपनी भाषा को मजबूत करना है तो इसको इतना समृद्ध बनाओ कि उसका प्रसार अपने आप हो जाए। चीन और जापान अपनी भाषा के बल पर ही व्यापार करते हैं। संविधान निर्माताओं ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा देकर अति उत्तम कार्य किया है। इससें हमें अपनी भाषा में काम करने का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए यथासम्भव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने इस अवसर पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पत्रिका कर्णोदय और वर्ष 2006-2007 के दौरान नराकास की गतिविधियों की मीडिया कवरेज बुकलेट का विमोचन किया। संस्थान के निदेशक एवं नराकास के अध्यक्ष श्री कंवलजीत सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हमारी हिंदी इतनी कमजोर नहीं है कि हम उसे समझ ही ना सकें। उन्होंने सरल एवं मानक शब्दों के इस्तेमाल पर जोर दिया और कहा कि हमें जटिल शब्दों के प्रयोग में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए यदि कोई भी अंग्रेजी शब्द की हिंदी नहीं आती है तो उसको देवनागरी लिपि में ही लिखकर आगे बढ़ें। हमारी भाषा समृद्ध है हमें दूसरी भाषाओं के शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखकर काम चलाना चाहिए और अगर कहीं अंग्रेजी में पत्र जारी होता है तो उसका हिंदी रूपांतर साथ ही भेजा जाए। उन्होंने मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया।

नराकास करनाल के सचिव श्री बृजेश यादव ने इस अवसर पर नराकास करनाल के द्वारा की जा रही

गतिविधियों की जानकारी मुख्य अतिथि महोदय को दी और कहा कि नराकास करनाल को अभी तक कई बार राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। पिछले दो वर्षों से लगातार हम प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। यह हमें सदस्य कार्यालयों के अपार सहयोग के कारण ही संभव हो रहा है।

गुड़गांव

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गुड़गांव की वर्ष 2007-2008 की पहली बैठक दिनांक 27 जून, 2007 को पूर्वाह्न 11.30 बजे नराकास अध्यक्ष श्री जयन्त मिश्र की अध्यक्षता में उनके कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सभी सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत थे कि गुड़गांव स्थिति केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के 'क' क्षेत्र में होने के नाते हिंदी के प्रयोग की प्रतिशतता में समुचित वृद्धि के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। हिंदी के प्रयोग में वृद्धि किए जाने के लिए प्रतिनिधियों ने अपने कार्यालयों में किए जा रहे प्रयासों के बारे में अनुभवों का आदान-प्रदान किया। हिंदी के प्रयोग में समुचित वृद्धि के लिए सतत् प्रयास कर रहे नराकास के सदस्य कार्यालयों के बीच प्रतिस्पर्धा का भाव उत्पन्न करने और विशेष उपलब्धि वाले कार्यालयों को सम्मानित करने के लिए, अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सदस्य कार्यालयों को नराकास की ओर से प्रतिवर्ष चल-वैजयन्ती प्रदान की जाए। अध्यक्ष के इस प्रस्ताव का सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों द्वारा स्वागत किया गया। वर्ष 2007-08 की चल-वैजयन्ती सितम्बर, 2007 में प्रस्तावित राजभाषा समारोह में प्रदान की जाएंगी। नराकास के सभी सदस्य कार्यालयों से अनुरोध है कि 31 मार्च, 2007 और 30 जून, 2007 को समाप्त तिमाही की हिंदी की प्रगामी प्रगति रिपोर्ट की एक-एक प्रति अध्यक्ष, नराकास को तत्काल भेज दें और भविष्य में भी यह सुनिश्चित करें कि तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट और तिमाही हिंदी बैठक के कार्यवृत्त की एक एक प्रति अध्यक्ष, नराकास को भेजी जाए ताकि नराकास की बैठकों में इनकी समीक्षा की जा सके।

अध्यक्ष ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम 2007-2008 में विभिन्न वर्गों (अर्थात् हिंदी में मूल पत्राचार, हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना हिंदी में टिप्पण, हिंदी टंकण, आशुलिपिक की भर्ती, हिंदी में डिक्टेशन, हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि), द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना, पुस्तकालय के लिए हिंदी पुस्तकों की खरीद, द्विभाषी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों की खरीद, वैबसाइट, नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन, मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण, मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण, राजभाषा संबंधी बैठकें, कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद के अंतर्गत 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए उपल्लिखित लक्ष्यों को पूरा किए जाने के लिए सदस्य कार्यालयों से अनुरोध किया गया। सदस्य कार्यालयों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों की समीक्षा, उनकी तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से आगामी बैठकों में की जाएगी।

देवास

देवास नराकास के अध्यक्ष तथा बीएनपी के महाप्रबन्धक श्री दिलीप वि गोंडनाले ने केंद्रीय कार्यालयों, उपक्रमों, बीमा निगमों की समिति की 39वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यह आपके उत्साह एवं सहयोग का परिणाम है कि यह समिति इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार जैसा अखिल भारतीय सम्मान पा चुकी है तथा इस उपलब्धि को दोहराने के लिए हम सब सतत प्रयत्न शील है। सतत् प्रयत्न करते रहें एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी।

समिति के सदस्य कार्यालयों की प्रगति की समीक्षा करते हुए राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री के. पी. शर्मा ने कहा कि सदस्य कार्यालयों के शीर्ष अधिकारियों की इन बैठकों में उपस्थिति अनिवार्य है। नियमित रूप से प्रगति विषयक तिमाही रिर्पोटें भिजवाना उनका उत्तरदायित्व है । हम सब सरकार से जुड़े हैं, सरकार के प्रतिबिम्ब हैं। हमें नियम, अधिनियम, संविधान और अनुशासन का पालन करना है। इसके साथ ही उन्होंने समिति के कार्यान्वयन की प्रशंसा कर इसे मूल लक्ष्य अर्थात् राजभाषा में अधिक से अधिक कार्य करते रहने तथा समिति को अपनी हिंदी वेबसाइट बनाने की सलाह भी दी।

बैठक में वर्ष 2006 के दौरान राजभाषा कर्यान्वयन में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए केंद्रीय कार्यालयों तथा बैंक एवं बीमा समूह को पुरस्कृत किया । कार्यालय वर्ग में बैंक नोट मुद्रणालय की ओर से प्रथम पुरस्कार की शील्ड श्री बी.के. खेर ने तथा द्वितीय पुरस्कार की शील्ड आयकर कार्यालय के श्री जाधव एवं श्री मृगेन्द्र वेद ने प्राप्त की और बैंक एवं बीमा समूह का प्रथम पुरस्कार बैंक ऑफ इण्डिया के

श्री भूपेन्द्र अरोरा तथा द्वितीय पुरस्कार के रूप में न्यू इण्डिया इंश्योरेंस के श्री आर. के. जैन ने समिति अध्यक्ष श्री गोंडनाले से चल शील्डें प्राप्त की। बैठक का संचालन बैंक नोट मुद्रणालय के सहायक निदेशक (रा.भा.) डॉ० आलोक कुमार रस्तोगी ने किया।

उदयपुर

निदेशक, खान सुरक्षा श्री के. के. शर्मा ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, उदयपुर की 16 जुलाई, 2007 को बैठक की अध्यक्षता करते हुए सदस्य कार्यालयों द्वारा भेजें जाने वाले आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए बताया कि सदस्य कार्यालयों द्वारा निरन्तर कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है यद्पि अब भी वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निरन्तर प्रयासरत रहने की दृढ़ आवश्यकता है । श्री शर्मा ने उपस्थित सदस्य कार्यालय प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि उनके कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले तिमाही विवरण समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही भेजे जाएं तथा कार्यालय प्रमुखों को रिपोर्ट एवं प्रपत्र आदि हस्ताक्षर करने से पूर्व यह देखना चाहिए कि उनके कार्यालय से भेजे जाने वाले आंकड़े तथ्यात्मक हैं अथवा नहीं।

आज की बैठक के संचालक श्री सोमानी ने उन कार्यालय प्रतिनिधियों को, जिनके आंकड़े त्रुटिपूर्ण थे उनके प्रतिनिधियों से आंकड़े सही प्रस्तुत किए जाने हेतु आग्रह करते हुए कहा कि यदि कोई भी कार्यालय प्रपत्र भरे जाने संबंधी कोई जानकारी चाहें तो वह ''सचिव, नगर राजभाषा, कार्यान्वयन समिति'' से संपर्क कर सही जारकारी प्राप्त कर सकता है।

श्री के. के. शर्मा ने बैठक में सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों की अनुपस्थिति पर रोष जताते हुए कहा कि यदि कार्यालय प्रमुख इस बैठक में उपस्थित नहीं होंगे तो बैठक का प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा क्योंकि बैठक के दौरान लिए गए महत्त्वपूर्ण निर्णयों में कार्यालय प्रमुखों की सहमति होना आवश्यक है, तभी बैठक के दौरान लिए गए निर्णय एवं नीतियां संबंधित कार्यालय में क्रियान्वित हो सकेंगी। आज की बैठक में केवल 14 सदस्य कार्यालयों ने ही भाग लिया जिनमें से केवल 5 कार्यालयों के प्रमुख ही उपस्थित थे। हिंदी के प्रति यह उदासीनता अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक विषय है। हिंदी के प्रति यह रूझान इंगित करता है कि आज तक हमने हिंदी भाषा को सही मायने में नहीं अपनाया है। श्री शर्मा ने राजभाषा विभाग के निर्देशों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया कि ''नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में सभी केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों के प्रधानों का उपस्थित होना अनिवार्य है। फिर भी, यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणवश वे समिति की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हों तो वे इसकी सूचना बैठक से पूर्व अध्यक्ष नराकास को लिखित में दे तथा अपने नीचे के किसी उच्चाधिकारी को समिति की बैठक में भाग लेने हेतु प्राधिकृत कर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दें। बैठक में लिपिकों/अनुवादकों को भिजवाना उचित नहीं है।''

डलहौजी

एनएचपीसी क्षेत्र-2 कार्यालय, बनीखेत के राजभाषा विभाग द्वारा 25 जून, 2007 को डलहौजी तथा चंबा स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, डलहौजी की पहली छमाही बैठक पर्यटन नगरी डलहौजी के होटल डलहौजी हाइट्स में समारोहपूर्वक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की संयुक्त सचिव श्रीमती पी.वी. वल्सला जी कुट्टी उपस्थित हुई। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन कठोरता से संभव नहीं इसके लिए सरकार की राजभाषा के लिए प्रोत्साहन एवं प्रेरणा की नीति को ही अपनाया जाना चाहिए। हिंदी किसी पर थोपी नहीं जा सकती। हिंदी को यदि हम वास्तविक रूप में राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठापित करना है तो सर्वप्रथम हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। हमें हिंदी में काम करके गौरवान्वित महसूस करना होगा। हमें पहले स्वयं हिंदी में काम करना होगा तभी हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। इस अवसर पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए कार्यपालक निदेशक श्री नैन सिंह ने कहा कि ''किसी भी देश की पहचान उसकी भाषा एवं संस्कृति से होती है।'' कोई भी देश अपनी भाषा की उपेक्षा करके विकास नहीं कर सकता अत: हम सब का यह कर्त्तव्य बनता है कि हम राजभाषा हिंदी के विकास के लिए अधिकाधिक प्रयास करें। बैठक में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर) के उप-निदेशक (कार्यान्वयन) श्री प्रेम सिंह भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने उपस्थित सदस्यगणों को राजभाषा नीति तथा उसके कार्यान्वयन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। ■

(घ) कार्यशालाएं

मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, हैदराबाद

आयकर विभाग में तीन दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन

मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, हैदराबाद-1 में अधिकारियों के लिए दिनांक 27-6-2007 से 29-6-2007 तक तीन दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभाग के 24 अधिकारियों को नामित किया गया और कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री आनन्द ए. खालखो, आयकर आयुक्त (अपील-4) ने कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने पर जोर दिया और कहा कि आज के दौर में मीडिया तथा दूरदर्शन के कार्यक्रमों में हिंदी भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

इस कार्यशाला को 6 सत्रों में बांटा गया, प्रथम सत्र में विभाग के सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री रवि कुमार ने तिमाही रिपोर्ट, पत्राचार, वार्षिक कार्यक्रम तथा पुरस्कार योजना आदि विषयों पर प्रकाश डाला। कार्यशाला के द्वितीय सत्र में हिंदी शिक्षण योजना के प्राध्यापक श्री कमालउद्दीन ने व्याकरण एवं लिंग निर्धारण पर विस्तार से चर्चा की। कार्यशाला के तृतीय सत्र में एन.एम.डी.सी. के निदेशक (राजभाषा) श्री विजय कुमार ने राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान, राजभाषा नीति, अधिनियम एवं नियम पर विस्तृत रूप से जानकारी दी, चौथे सत्र में विभाग के हिंदी अनुवादक श्री अशफाख हुसैन ने अनुवाद एवं कंप्यूटर विषयों पर व्याख्यान प्रस्तुत किया जिसमें अनुवाद के प्रकार तथा अनुवादक के गुण और कंप्यूटर पर लीप आफिस साफ्टवेयर उपयोग कर हिंदी में टंकण सरलता से किया जा सकता है आदि विषय पर प्रतिभागियों को संपूर्ण जानकारी प्रदान की। कार्यशाला के पांचवें सत्र में बी.एस.एन.एल. की सहायक निदेशक (राजभाषा) श्रीमती मणि रविंदर ने पत्राचार एवं टिप्पण लेखन पर अभ्यास कराया तथा छठे सत्र में ई.एस.आई. के सहायक निदेशक (राजभाषा) डॉ.एन. नारायण रेड्डी ने राजभाषा कार्यान्वयन–समस्या एवं समाधान विषय पर अपने विचार रखे।

इस तीन दिवसीय हिंदी कार्यशाला के समापन समारोह में आमंत्रित अतिथि श्री देश दीपक गोयल, आयकर आयुक्त ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी की प्रगति पर प्रकाश डाला तथा इस कार्यशाला में उपस्थित सभी अधिकारियों को छोटे-छोटे टिप्पणियों से हिंदी में काम आरंभ करने को कहा है और कार्यशाला के संयोजक श्री रवि कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा) को बधाई दी तथा कार्यशाला में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किये।

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, पोर्ट ब्लेयर बेस, क्षेत्रीय कार्यालय, डाक पेटी-46, पोर्ट ब्लेयर-744101

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, पोर्ट ब्लेयर कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने तथा लोक प्रशासन में अधिकाधिक राजभाषा हिंदी के प्रयोगार्थ दिनांक 18-6-2007 को "लोक प्रशासन में राजभाषा हिंदी की भूमिका" (Role of Official Language Hindi in Public Administration)" विषय पर एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, लपाती, कार निकोबार के उप प्रधानाचार्य श्री संत प्रसाद राय एवं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) पोर्ट ब्लेयर के सहायक कमान्डेंट श्री आई. आर. सिंह इस अवसर पर आमंत्रित विशेषज्ञ वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। कार्यशाला के आरम्भ में कार्यालय के सेवा अभियंता श्री धर्मवीर सिंह ने कार्यशाला के आयोजन की महत्ता पर प्रकाश डाला एवं कार्यालय द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया। उपस्थिति का स्वागत करते हुए संस्थान के क्षेत्रीय निदेशक श्री ए. एनरोज ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस आयोजन से भरपूर लाभ उठाने का आग्रह किया जिससे कार्यालय में राजभाषा प्रचार एवं कार्यान्वयन को अविराम गति मिल सके। कार्यशाला में आमंत्रित वक्ता श्री संत प्रसाद राय ने अपने वक्तव्य में यह बताया की आज हमारी राजभाषा हिंदी का प्रचार एवं प्रसार इस शीर्ष पर पहुंच चुका है कि विश्व में कम से कम 50 देशों में हिंदी बोली जाती है और 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी की शिक्षा उपलब्ध है। यह सब हिंदी के उन प्रकाण्ड

विद्वानों का अनथक प्रयास ही है जिन्होंने अनुवादों के माध्यम से हिंदी के शब्दकोश को सरल बनाते हुए उसमें जन मानस में प्रचलित स्थानीय बोली के शब्दों को सम्मिलित किया। सरल एवं सहज भाषा के प्रयोग से हिंदी भाषा को लोक प्रशासन हेतु अन्य प्रचलित भाषाओं की तुलना में सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में स्थान मिल पाया है जो कि जनमानस को स्वीकार्य है। वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए श्री आई. आर. सिंह, ने इस बात पर जोर दिया कि आज भी लोग कुन्ठित मानसिकता से ग्रस्त हैं और हिंदी में कार्य करने और बातचीत करने पर अपने को हीन समझते हैं। वह आज भी अंग्रेजी भाषा को उच्च दृष्टि से देखते हैं जो कि सर्वथा अनुचित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर भारतीय को राष्ट्रभाषा के इस्तेमाल में गौरवान्वित होने चाहिए तभी राष्ट्र का विकास संभव है। उन्होंने क्षेत्रीय निदेशक श्री ए. एनरोज के हिंदीतर भाषी होते हुए भी हिंदी बातचीत करने एवं भाषण देने के प्रयास की भूरि-भूरि प्रशंसा की। कार्यशाला के अंत में इस कार्यालय के कनिष्ठ मात्स्यिकीवैज्ञानिक डॉ मानस कुमार सिन्हा ने उपस्थिति का धन्यवाद ज्ञापन किया।

परमाणु ऊर्जा विभाग, भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा

भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा में दिनांक 3-8-2007 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । यह कार्यशाला वैज्ञानिक सहायक वर्ग के लिए आयोजित की गई थी। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए, संयंत्र के उप महाप्रबंधक श्री प्रकाश चंद्र जैन ने कहा कि भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है, जिससे इस भाषा के माध्यम से आपस में संप्रेषण करने में आसानी रहे। विदेशी कंपनियां भी हिंदी को अपनी आमदनी का जरिया बना चुकी हैं । बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदी में अपने उत्पाद का प्रचार-प्रसार करती हैं । हिंदी में वेबसाईट तैयार किए गए हैं, अपने सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं। आज इंटरनेट पर हिंदी में समाचार-पत्र पढ़ा जा सकता है। यह बात काफी मशहूर है कि हिंदी सीखनी है, तो हिंदी फिल्म देखिए।

हिंदी कार्यशाला की रूपरेखा संयंत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई थी तथा राजभाषा हिंदी में कामकाज अधिकाधिक कराने के उद्देश्य से कार्यशाला में हिंदी लेखन का अभ्यास पर काफी जोर दिया गया। आरंभ में नराकास (बैंक) के सदस्य-सचिव श्री के. एन. दुबे ने संघ की राजभाषा नीति पर समुचित प्रकाश डालते हुए सभी को राजभाषा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। सरकारी कामकाज में कंप्यूटर पर राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सनी सॉफ्टवेयर प्रा.लि. के श्री नीलेश शाह ने सी-डेक द्वारा विकसित हिंदी कंप्यूटर आई.एस.एम. (ISM)- 2000 तथा वी-5 की जानकारी देते हुए कर्मचारियों से प्रत्यक्ष अभ्यास भी करवाया। उल्लेखनीय है कि इस संयंत्र में हिंदी के इसी फोंट सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। रेलवे स्टॉफ कॉलेज के प्रोफेसर (राजभाषा) श्री अशोक उपाध्याय ने नोटिंग-ड्राफ्टिंग के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ कर्मचारियों से अभ्यास भी करवाया।

इंडियन ओवरसीज बैंक, अहमदाबाद के क्षेत्रीय कार्यालय की प्रबंधक (रा.भा.) डॉ. आराधना सुरेश ने हिंदी व्याकरण तथा उसकी सही वर्तनी के विषय में बताते हुए सामान्य भूलों पर विशेष प्रकाश डाला। उदाहरण के लिए में और मैं या की और कि का प्रयोग करते समय अकसर त्रुटियां होती हैं। उन्होंने ऐसे अनेक अंतरों को स्पष्ट किया। वैज्ञानिक प्रकृति के इस संयंत्र में सरकारी कामकाज की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों को वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दों के संबंध में संयंत्र की सहायक निदेशक (रा.भा.) डॉ. रश्मि वार्ष्णेय ने अभ्यास कराने से पहले इन शब्दों के महत्व, आदि को स्पष्ट किया। उदाहरणार्थ हेवी-वाटॅर को गुरु-जल न कह कर भारी-पानी ही क्यों कहा जाता है।

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, भूजल भवन, एन. एच-4, फरीदाबाद-121001

हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम

केंद्रीय भू जल बोर्ड मुख्यालय, फरीदाबाद में राजभाषा विभाग द्वारा प्रायोजित पाँच पूर्ण कार्यदिवसीय हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण के दो कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रथम पाँच पूर्ण कार्यदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 11-6-07 से 15-6-07 तक किया गया जिसमें बोर्ड के 25 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। दूसरे कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 18-6-07 से 22-6-07 तक किया गया जिसमें कुल 27 प्रशिक्षार्थियों ने हिंदी कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त किया । दूसरे बैच में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त केंद्रीय जल आयोग के कर्मचारियों ने भी प्रशिक्षण प्राप्त किया । हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री एस. के. सिन्हा,

निदेशक (प्रशा.) ने कहा कि यह प्रशिक्षण अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायक होगा और वे अपने दैनिक कार्यों में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करेंगे। बोर्ड के अध्यक्ष श्री बी.एम.झा ने अपने उद्घाटन भाषण में हिंदी की उपयोगिता पर बल देते हुए कहा कि यह कंप्यूटर प्रशिक्षण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि बोर्ड राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है और हम निरंतर इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। आशा है शीघ्र ही हम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एन.पी.टी.आई. (राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) द्वारा किया गया था जिसकी संकाय सदस्या श्रीमती दीपिका ने पूर्ण मनोयोग के साथ प्रशिक्षार्थियों को कंप्यूटर की बारीकियों से परिचित कराया एवं उनकी समस्याओं का निराकरण किया। दिनांक 22-6-2007 को प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। अपने समापन भाषण में बोर्ड के अध्यक्ष श्री बी.एम. झा ने प्रतिभागियों को शुभकानाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान का दैनिक कार्यों में सार्थक उपयोग किया जाएगा। डॉ. वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपनिदेशक (रा.भा.) ने इस सफल आयोजन के लिए राजभाषा विभाग, एन.पी.टी.आई. अध्यक्ष महोदय एवं प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

गृह-मंत्रालय, नई दिल्ली

तीन दिवसीय हिंदी-कार्यशाला

गृह-मंत्रालय में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान/हिंदी में प्रवीणता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना सरकारी काम-काज हिंदी में करने में हो रही कठिनाइयों का निराकरण करने और उन्हें अपना अधिक से अधिक सरकारी काम-काज हिंदी में करने के प्रति प्रेरित तथा प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से दिनांक 25-6-2007 से 27-6-2007 तक एक तीन दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला में सम्मिलित हुए 20 अधिकारियों/कर्मचारियों को गृह मंत्रालय के श्री अवधेश कुमार मिश्र, निदेशक (राजभाषा) डॉ. वेद प्रकाश दुबे, उप-निदेशक (राजभाषा) और श्री बृजभान, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने बहुत अनौपचारिक और व्यावहारिक रूप से सरकार की राजभाषा नीति से जुड़ी विभिन्न अपेक्षाओं, भारत के संविधान में किए राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963, यथा संशोधित 1967, राजभाषा (शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) निमय, 1976, यथा संशोधित, 1987 के महत्वपूर्ण प्रावधानों और राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के वर्ष, 2007-2008 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित क्षेत्रवार लक्ष्यों की जानकारी करवाई।

कार्यशाला में उपस्थित हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के बारे में तिमाही प्रगति रिपोर्ट के विभिन्न स्तम्भों (कॉलमों) में अपेक्षित जानकारी ठीक तरह से प्रस्तुत करना और मूल रूप से हिंदी में टिप्पणी तथा प्रारूप तैयार करना भी सिखाया गया। उन्हें रोजमर्रा के काम-काज से संबंधित टिप्पणियां और प्रारूप तैयार करने का अभ्यास करवाया गया और उन्हें अधिक से अधिक सरकारी काम-काज हिंदी में किया जाना प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लागू विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी करवाई गई।

उपर्युक्त कार्यशाला में उपस्थित हुए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने उसमें बहुत उत्साह और रुचि से हिस्सा लिया।

श्रीमती विजय लक्ष्मी मल्होत्रा, सहायक निदेशक (राजभाषा), श्री अशोक कुमार शर्मा, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और श्री दीपक कुमार माथुर, सहायक ने उपर्युक्त कार्यशाला के आयोजन में उल्लेखनीय सहयोग किया।

केंद्रीय रेशम बोर्ड

बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र जिला : भंडारा-441904

केंद्रीय रेशम बोर्ड (वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार) के संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भंडारा के तत्वावधान में दिनांक 28-6-2007 को एकदिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन बुनियादी तसर बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र, भंडारा द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में भंडारा में स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड के 25 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

डॉ. एस. के. माथुर ने अतिथि एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कार्यशाला की आवश्यकता एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कार्यशालाओं से हुए लाभ एवं लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति (100 प्रतिशत) के लिए सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया

एवं सहयोग बनाए रखने की अपील की । डॉ. माथुर ने सूचित किया कि केंद्रीय रेशम बोर्ड के भंडारा स्थित कार्यालय ने न केवल 100 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में करते हैं वरन हाल ही में उन्होंने देहरादून में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा तकनीकी सेमिनार में एक तकनीकी शोधपत्र भी हिंदी में प्रस्तुत कर भंडारा (महाराष्ट्र) का नाम रोशन किया है ।

श्री अमरेन्द्र कुमार ने राजभाषा अधिनियम 1963 पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला एवं आवेदन के प्रारूपों पर चर्चा की ।

बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय रेशम बोर्ड, बालाघाट

28 जून, 2007 के राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बालाघाट इकाई द्वारा केंद्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए श्री देबाशीष दास, वैज्ञानिक-डी एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बालाघाट की अध्यक्षता में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनके द्वारा कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी की व्याकरण एवं पत्रों के लेखन में होने वाली छोटी-छोटी त्रुटियों का विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने उद्‌बोधन में केंद्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अधिक से अधिक हिंदी में ही कार्य करने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनसे अपेक्षा की गई कि वे इस प्रकार की कार्यशालाओं का भरपूर लाभ उठाते हुए अपने शासकीय कार्य कर राष्ट्रभक्ति का परिचय दें। अंत में सदस्य संयोजक द्वारा कार्यशाला के समापन की घोषणा की गई।

आकाशवाणी : कटक

आकाशवाणी, कटक केंद्र में दिनांक 20-6-2007 से 22-6-2007 तक तीन दिवसीय संयुक्त हिंदी कार्यशाला आयोजित हुई। उक्त कार्यशाला में ओड़िशा के विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों के अधिकारी/कर्मचारी-गण प्रशिक्षार्थी के रूप में उपस्थित थे। आकाशवाणी के केंद्र अभियंता श्री बसंत कुमार बेहेरा ने कार्यशाला का उद्‌घाटन किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कार्यालयीन काम-काज में इसके समुचित प्रयोग करने हेतु समस्त प्रशिक्षार्थियों से आग्रह किया।

उद्‌घाटन सत्र के तुरंत बाद कार्यशाला का प्रथम सत्र शुरू हुआ। इस सत्र में चर्चा के लिए विषय रखा गया था। "मानक वर्तनी एवं देव नागरी लिपि"। उक्त विषय पर विशिष्ट हिंदी विद्‌वान तथा हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कटक के प्राध्यापक डॉ. अजित प्रसाद महापात्र ने सविस्तार प्रकाश डाला।

20-6-2007 के अपराह्न सत्र में युको बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय के हिंदी अधिकारी श्री उदयन सुपकार ने व्याख्यान दिया। उन्होंने "संघ सरकार की राजभाषा नीति" विषय पर चर्चा करते हुए केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए निर्धारित विभिन्न नियम-विनियमों पर प्रकाश डाला।

दिनांक 21-6-2007 के पूर्वाह्न सत्र के लिए चर्चा का विषय था "सामान्य हिंदी व्याकरण" । इस विषय पर जानेमाने हिंदी विद्‌वान तथा रेवेंसा महाविद्‌यालय के सेवा निवृत्त रीडर डॉ. रघुनाथ महापात्र ने व्याख्यान दिया। उन्होंने हिंदी व्याकरण के विभिन्न पहलुओं को अत्यन्त आकर्षक ढंग से समझाया। कार्यशाला के इस दूसरे दिवस के अपराह्न सत्र में आकाशवाणी, कटक के हिंदी अधिकारी श्री सुरेन्द्रनाथ सामल ने कार्यालयीन टिप्पण विषय पर चर्चा की। उन्होंने आकाशवाणी कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले विविध टिप्पणों का उदाहरण पेश किया एवं उन पर अभ्यास करवाया।

तीसरे दिवस के प्रथम सत्र में चर्चा के लिए विषय रखा गया था कार्यालयीन पत्राचार। इस पर हिंदी शिक्षण योजना के वरिष्ठ प्राध्यापक श्री विमल किशोर मिश्र ने विस्तार से चर्चा की । उन्होंने कार्यालयीन पत्राचार के विभिन्न मसौदे प्रस्तुत किए एवं प्रशिक्षार्थियों को अभ्यास करवाया। यह सत्र अत्यन्त आकर्षक एवं सफल रहा ।

आकाशवाणी पणजी

18 जून 2007 गोवा क्रांति दिवस के अवसर पर आकाशवाणी पणजी में त्रिदिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्‌घाटन करते हुए अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में केंद्र निदेशक श्री बी. डी. मजुमदार ने कहा कि हिंदी न केवल संपर्क भाषा के रूप में राष्ट्रीय एकता को बल देती है बल्कि यह भारतीय संविधान के प्रावधानों के द्वारा भारत सरकार की राजभाषा के रूप में जन सेवा कर रही है। भूमंडलीकरण के इस दौर में हिंदी विश्वभाषा बन रही है। श्री मजुमदार ने गोवा क्रांति दिवस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और उनके मानव स्वातंत्र्य प्रेम की सराहना की। अप्रैल महीने में आकाशवाणी पणजी को 'ग' क्षेत्र के लिए आकाशवाणी वार्षिक राजभाषा पुरस्कार स्वरूप ग्यारह हजार रुपए नकद और राजभाषा ट्रॉफी (प्रथम पुरस्कार) प्राप्त होने पर

आकाशवाणी पणजी स्टाफ को बधाई दी। कार्यशाला को कार्यक्रम निष्पादक (समन्वय) श्री प्रदीप लोटलीकर, प्रशासनिक अधिकारी श्री पीटर एम. जे. तथा हिंदी अधिकारी श्री खगेश्वर प्रसाद यादव ने संबोधित किया। हिंदी कार्यशाला की मुख्य अतिथि डॉ. श्रीमती रमिता गुरव हिंदी विभागाध्यक्ष सेंट जेवियर्स कॉलेज का पुष्प गुच्छ से स्वागत श्रीमती मनीषा शेट ने किया। कार्यशाला का कुशल संचालन श्रीमती स्वाती मावजेकर ने किया। विश्वभाषा हिंदी पर अपने व्याख्यान में डॉ. श्रीमती रमिता गुरव ने बहुभाषी देश भारत में संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की भूमिका पर प्रकाश डाला। भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में अपनाए जाने और फिर अब तक राजभाषा हिंदी के बढ़ते चरण का मूल्यांकन किया। पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, रेडियो, फिल्म, टेलीविजन के साथ हिंदी आगे बढ़ते हुए सूचना क्रांति के इस दौर में अपने भूमंडलीय स्वरूप को प्राप्त कर रही है। डॉ. रमिता ने इस बात पर हर्ष प्रकट किया कि भौगोलिक सीमाओं को तोड़ती हुई हिंदी आज केवल भारत की राष्ट्रभाषा ही नहीं, बल्कि विश्वभाषा बनती जा रही है जो हम भारतीयों के लिए गौरवपूर्ण बात है।

आकाशवाणी : अकोला-444001

आकाशवाणी, अकोला केंद्र में दिनांक 26 तथा 27 जून, 2007 दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला सम्पन्न हुई । कार्यशाला में मार्गदर्शन के रूप में तर्था स्थित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कार्यकारी निदेशक व प्राध्यापक डॉ. किशोर वासवानी उपस्थित थे। कार्यक्रम के उद्घाटन के पश्चात केंद्र अभियंता एवं कार्यालय प्रमुख श्री. रमेश घरडे ने डॉ. वासवानी का स्वागत किया। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार केंद्रीय कार्यालय में कामकाज हिंदी भाषा में कार्यान्वित करने के लिए कार्यालयीन पत्राचार की भाषा शैली के संदर्भ में कर्मचारियों को आवश्यक मार्गदर्शन करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। डॉ. किशोर वासवानी ने राजभाषा व राष्ट्रभाषा का अंतर, पारिभाषिक शब्दों के अंतर, राजभाषा नियम तथा अधिनियम, हिंदी शब्दों का व्याकरण आदि के संदर्भ में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर दैनिक कार्य में संभाषण शैली पर निर्मित सी एवं डी कर्मचारियों को दिखाई गई। इस कार्यशाला में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन अकोला केंद्र के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। अतिथियों का परिचय केंद्र की हिंदी निवेदिका कु. निशाली पंचमाग ने तथा आभार श्याम देशमुख ने किया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मंगलूर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मंगलूर के तत्वावधान में, हिंदी दिवस समारोह-2007 के सिलसिले में, दिनांक 23 अगस्त, 2007 को कार्पोरेशन बैंक द्वारा अपने कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय में एक दिवसीय संयुक्त हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कुल 42 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से 37 प्रतिभागी नराकास मंगलूर के सदस्य कार्यालयों से थे तथा 5 प्रतिभागी कार्पोरेशन बैंक से थे।

डॉ. जयंती प्रसाद नौटियाल, मुख्य प्रबंधक, कार्पोरेशन बैंक एवं सदस्य सचिव, मंगलूर नराकास ने स्वागत भाषण में उन्होंने कहा कि नराकास के सदस्य कार्यपालकों से हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में जो सहयोग मिलता रहा है । उसी की वजह से नराकास के निष्पादन में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने आशा प्रकट की कि स्टाफ सदस्य भी अपने उच्च कार्यपालकों से प्रेरणा लेकर हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने तथा अपनी संस्था में राजभाषा के कार्यान्वयन में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। उन्होंने आगे कहा कि नराकास के तत्वावधान में समय-समय पर ऐसी हिंदी कार्यशालाएं इस बात को ध्यान में रखते हुए आयोजित की जाती हैं। अत: उन्होंने सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे इस कार्यशाला का पूरा फायदा उठाएं।

श्री राजशेखर हेग्डे, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मंगलूर ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन संवैधानिक दायित्व तो है ही। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को इसे केवल शासनबद्ध कर्तव्य मात्र न लेते हुए उसे गंभीरता से लेना है। उन्होंने कहा कि आज हिंदी भाषा अपने आप बढ़ रही है तथा उसका वर्चस्व भारत से बाहर विदेशों में भी फैल गया है। कारोबारी भाषा होने की बजह से हिंदी भाषा का सीखना अनिवार्य जैसा हो गया है। वैसे किसी भी भाषा सीखने में उस के फायदे हैं। लेकिन हिंदी भाषा की जानकारी कई पहलुओं से आवश्यक हो गई है ।

श्रीमती वनिता गडियार, प्रबंधक (राभा), केनरा बैंक ने प्रतिभागियों को वार्षिक कार्यक्रम 2007-08, राजभाषा

नियम एवं अधिनियमों का परिचय दिया। तत्पश्चात् विजया बैंक की श्रीमती एस. माया द्वारा कार्यालय में उपयोग में लाए जाने वाले सामान्य टिप्पण एवं प्रारूपण की जानकारी देते हुए, प्रतिभागियों से अभ्यास करवाया। श्रीमती छायापूर्ति, प्रबंधक (राजभाषा), सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रशासनिक शब्दावली पर प्रतिभागियों को अभ्यास करवाया गया। अंतिम सत्र में कार्पोरेशन बैंक की राजभाषा अधिकारी श्रीमती टी. एस. बिनु द्वारा हिंदी भाषा, व्याकरण एवं वाक्य संरचना विषय में प्रतिभागियों की शंकाओं को दूर करते हुए व्याकरण के नियमों का परिचय दिया गया। सभी प्रतिभागियों ने कार्यशाला के सभी सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अहमदनगर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अहमदनगर ने एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन दि. 24-5-2007 को टेलिफोन भवन, अहमदनगर के सभागार में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक भारत संचार निगम लिमिटेड, अहमदनगर श्री लक्ष्मण सिंह रोपिया की अध्यक्षता में किया गया । इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत किया । उन्होंने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी राजभाषा नियम, अधिनियम, वार्षिक कार्यक्रम आदि आदेशों का निष्ठापूर्वक अनुपालन करने का आह्वान किया । इस कार्यशाला में राजभाषा विभाग, मुंबई कार्यालय के अनुसंधान अधिकारी श्रीमती साधना त्रिपाठी ने राजभाषा कार्यान्वयन नीति तथा संसदीय राजभाषा समिति के बारे में व्याख्यान प्रस्तुत किया ।

दूसरे सत्र में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव तथा बी.एस.एन.एल., अहमदनगर के राजभाषा अधिकारी श्री वि. प्र. कांबले ने भारत सरकार द्वारा जारी मुफ्त हिंदी साफ्टवेअर उपकरण की जानकारी प्रोजेक्टर द्वारा प्रस्तुत की। उन्होंने सभी सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों को मार्गदर्शन करते हुए यह आह्वान किया कि कार्यालय के सभी कंप्यूटरों पर द्विभाषी कार्य शुरु करने के लिए यह मुफ्त हिंदी साफ्टवेअर अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। इस कार्यशाला में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति सदस्य कार्यालयों के 28 प्रतिनिधियों ने सहभाग लिया । इस कार्यशाला में बी.एस.एन.एल. अहमदनगर के 10 अनुभाग पर्यवेक्षकों ने सहभाग लिया ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भुवनेश्वर

हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों के हिंदी में कार्य करने के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भुवनेश्वर में 18 से 22 जून, 2007 तक पांच दिवसीय पूर्ण कालिक राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला में क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर के अतिरिक्त अनगुल, चौद्वार, पारादीप, बरहमपुर, ढेंकानाल एवं राउरकेला में स्थित शाखा कार्यालयों एवं मॉडल अस्पताल के कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में संघ की राजभाषा नीति, देवनागरी लिपि, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, हिंदी का प्रायोगिक व्याकरण, प्रयोजनमूलक हिंदी, तकनीकी शब्दावली आदि विषयों और निगम की कार्य-पद्धति में उनके अनुप्रयोग पर भविष्य निधि कार्यालय, आयकर कार्यालय, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, हिंदी शिक्षण योजना के अधिकारियों/प्राध्यापकों ने व्याख्यान दिए । प्रतिभागियों ने टिप्पण/आलेखन, प्रशासनिक शब्दावली, विभिन्न वाक्यांश एवं अभिव्यक्तियों का नियमित रूप से अभ्यास किया । अंतिम दिन कर्मचारियों की औपचारिक परीक्षा ली गई । कार्यशाला के समापन सत्र में क्षेत्रीय निदेशक श्री रमेन साईकिया ने विचार-संप्रेषण में भाषा की भूमिका की चर्चा करते हुए भाषा को सरल, सहजबोध्य बनाने पर जोर दिया। उन्होंने भाषा को वक्ता और श्रोता, लेखक और पाठक के बीच सामाजिक संपर्क का सेतु कहा ।

कार्यशाला के संचालक डॉ. पन्ना प्रसाद, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने कार्यालय में हिंदी के प्रयोग के प्रति समर्पित निष्ठा और सतत् प्रयत्न की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि कार्यशालाएं हमारे लिए प्रतिभा, योग्यता और अभ्यास तीनों के विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराती हैं ।

केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे

केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे के कर्मचारियों को हिंदी में काम करने हेतु प्रेरित तथा मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से दिनांक 21-06-2007 तथा 22-06-07 को हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई थी ।

कार्यशाला के आरंभ में हिंदी अधिकारी श्री श्रीकांत कुबल ने उपस्थितों का स्वागत करते हुए कार्यशाला का उद्देश्य एवं उसके रूपरेखा की जानकारी दी । कार्यशाला का आरंभ कार्यालय के संयुक्त निदेशक, श्री फ्रांसिस मॅथ्यू, (अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति) की अध्यक्षता में औपचारिक उद्घाटन समारोह से हुआ। कार्यशाला में व्याख्याता की हैसियत से श्री नारायण प्रसाद, मुख्य अनुसंधान अधिकारी ने शब्द निर्माण तथा हिंदी वर्तनी से संबंधित व्याख्यान दिए । श्री श्रीकांत कुबल हिंदी अधिकारी ने कार्यशाला में अपने व्याख्यान में राजभाषा नीति, राजभाषा नियम, अधिनियम का अनुपालन, आंकड़े, पत्राचार, मूल टिप्पण आलेखन की भारत सरकार की पुरस्कार योजना, सरकारी सेवा में भर्ती और आरक्षण, छुट्टी के प्रकार, पदोन्नति और आचरण नियमावली आदि की जानकारी देते हुए राजभाषा के प्रचार प्रसार में कर्मचारियों की भूमिका की भी जानकारी दी ।

कार्यशाला में 13 कर्मचारियों ने भाग लिया, इसमें अनुसंधान अधिकारी, सहायक अनुसंधान अधिकारी एवं अनुसंधान सहायकों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी अधिकारियों को "हिंदी कार्यशाला" नामक छपवाई गई पुस्तिका का वितरण किया गया। इस पुस्तिका में कार्यालयीन कामकाज में उपयुक्त सामग्री जैसे पत्र, प्रपत्र, अनुस्मारक आदि के मसौदें और वाक्यांश आदि सम्मिलित किए गए थे। इसके अलावा अनुसंधान शाला से संबंधित पदनाम, प्रभागों/अनुभागों के नाम तथा अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध है।

एनएचपीसी क्षेत्र-II कार्यालय, बनीखेत

एनएचपीसी क्षेत्र-II कार्यालय, बनीखेत में दिनांक 20-04-2007 को राजभाषा की उत्तरोप्रगति एवं प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से वृहद् हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। माननीय कार्यपालक निदेशक क्षेत्र-II श्री नैन सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि भाषा की उपेक्षा करके कोई भी राष्ट्र आज तक प्रगति नहीं कर पाया है और हम भी अपनी भाषा का विकास किए बिना आगे बढ़ने का सपना नहीं देख सकते। स्वंतत्रता के पश्चात् से ही हिंदी का प्रचार-प्रसार करने का प्रयास जारी है और इन बीते वर्षों में स्थिति आशावादी बनी हुई है। श्री दिनेश त्रिपाठी, प्रमुख (भू-विज्ञान) ने कंप्यूटरीकृत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से क्षेत्र-II कार्यालय द्वारा राजभाषा हिंदी के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में डा. नरेश मोहन ने अपने वक्तव्य में भाषा परिचय, भाषा के प्रकार, बोली, ध्वनि व लिपि का विकास, हिंदी वर्तनी, व्याकरण, राजभाषा अधिनियम, नियम एवं सांवैधानिक व्यवस्थाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने मनोविज्ञान एवं भाषा का मेल स्थापित करते हुए हिंदी के प्रयोग की आवश्यकता को बड़े ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया ।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

हैदराबाद क्षेत्र के तथा विजयवाड़ा क्षेत्र के शाखा प्रबंधकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 9-7-07 से 10-7-07 दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्घाटन आंचलिक कार्यालय के मुख्य प्रबंधक श्री एस. टी. बढे ने किया। इन्होंने अपने भाषण में हिंदी के महत्व को बताया तथा आग्रह किया कि शाखा स्तर पर दैनिक कार्यकलापों में हिंदी का प्रचार एवं प्रसार भारत सरकार के निदेशानुसार किया जाए । प्रतिभागियों को राजभाषा के सभी पहलुओं को बताया गया तथा उनसे अभ्यास कराए गए । इस कार्यक्रम में हिंदी में सही प्रकार से संप्रेषण किस प्रकार किया जा सकता है इसको श्री अजय कुमार अग्रवाल वरिष्ठ प्रबंधक जनसंपर्क ने बहुत ही प्रभावी ढंग से बताया। बैंक के अपने उत्पादों को हिंदी माध्यम से किस प्रकार से प्रभावी ढंग से विपणन हिंदी माध्यम से किया जाये इस विषय पर क्षेत्र के राजभाषा अधिकारी श्री आर. पी. अग्रवाल ने सदस्यों को उदाहरणों के साथ बहुत ही प्रभावी ढंग से बताया। राजभाषा से संबधित सभी विषयों को आंचलिक कार्यालय के वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा श्री प्रभात कुमार प्रसाद एवं विजयवाडा के प्रबंधक राजभाषा श्री सुधाकर वानखाडे ने अत्यन्त जोशीले तथा प्रभावी ढंग से बताया।

इस कार्यक्रम का समापन हैदराबाद क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री सी. एन. मूर्ति ने किया। उन्होंने अपने भाषण में सभी सदस्यों को निदेश दिया कि वे अपनी शाखाओं में कल से हिंदी में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में ही करें। ■

(ङ) हिंदी दिवस

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी दिवस समारोह, 2007 का भव्य आयोजन सिरीफोर्ट ऑडोटोरियम-II में किया गया। समारोह के दौरान सिरीफोर्ट ऑडोटोरियम-II में केंद्रीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटील जी ने **राजभाषा भारती के प्रौद्योगिकी विशेषांक** और **राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी नवीनतम आदेशों के संकलन** का विमोचन किया। इसी के साथ उन्होंने पंजाबी, गुजराती, नेपाली और कश्मीरी भाषा के **"लीला"** प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठ्यक्रम का वर्ल्ड वाइड वेब पर लोकार्पण किया। इस समारोह में श्री पाटील ने **"सूचना प्रौद्योगिकी"** और **"स्वास्थ्य"** क्षेत्रों के अनुवाद कार्य को पूरा करने के लिए **"मंत्र राजभाषा"** साफ्टवेयर तथा **"वाचांतर"** सॉफ्टवेयर का बीटा वर्जन, जिसमें अंग्रेजी में बोले गए वाक्यों का हिंदी में तत्काल रूपांतरित प्राप्त किया जा सकता है, का भी प्रमोचन किया। श्री पाटील ने इस अवसर पर इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कारों एवं हिंदी गृह पत्रिका पुरस्कार का भी वितरण किया। इस अवसर पर गृह मंत्री जी ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि भाषा की सरलता और उसे व्यक्त करने की सहजता ही उसका सौंदर्य है, इसलिए यह हथियार से भी शक्तिशाली है, क्योंकि यह एक-दूसरे के पास सरलतापूर्वक पहुंचती है। उन्होंने यह भी कहा कि भाषा की अभिव्यक्ति की भावना मीठी हो तथा इसे एक-दूसरे के बीच संप्रेषण का सशक्त माध्यम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग से हिंदी का प्रचार-प्रसार अधिक व्यापक और कारगर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि शब्द और भाषा जितनी सरल होगी, ज्ञान का प्रसार उतना ही सुगम होगा। इसलिए, सहज और सरल भाषा को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। अतएव, हम सभी को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने आह्वान किया कि सभी लोग उपलब्ध टेक्नालॉजी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। राजभाषा विभाग के इस समारोह की सार्थकता की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि यदि इस समारोह से हमारे अंदर की ऊर्जा प्रज्वलित हो जाए तो समझिए कि हमारा आयोजन सार्थक है। श्री पाटील ने देश की विभिन्न भाषाओं से हिंदी में अनुवाद के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के आदान-प्रदान पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भाषा के संवर्धन का कार्य सहृदयता से होना चाहिए।

अपने अध्यक्षीय भाषण में गृह राज्य मंत्री श्री माणिक राव गावीत ने कहा कि भाषा व्यक्ति की नहीं संपूर्ण राष्ट्र की भी पहचान होती है। उन्होंने आगे कहा कि वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए लेखकों और प्रकाशकों का उच्च कोटि का वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य तैयार करने में आगे आना चाहिए।

राजभाषा विभाग के सचिव श्री रंजीत ईस्सर ने अपने स्वागत भाषण में राजभाषा विभाग की उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि विभाग केंद्रीय हिंदी समिति के मार्गदर्शन में राजभाषा विषयक नीतियों को मूर्त रूप देता है तथा संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के विभिन्न खंडों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश प्राप्त कर उन्हें कार्यान्वित करता है।

राजभाषा विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती पी.वी. वल्सला जी. कुट्टी महोदया ने पावर प्वाइंट के माध्यम से राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए बनाए गए विभिन्न कार्यक्रमों, पुरस्कारों, नियमों/अधिनियमों के बारे में एक प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने राजभाषा विभाग की भावी योजनाओं के बारे में भी संक्षिप्त विवरण दिया।

इस अवसर पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के गीत एवं नाटक प्रभाग के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

अंत में राजभाषा विभाग के निदेशक (कार्यान्वयन) श्री शचीन्द्र शर्मा ने आमंत्रित एवं उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद ज्ञापन किया।

संसदीय कार्य मंत्रालय

मंत्रालय में 1 सितम्बर से 14 सितम्बर, 2007 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया।

हिंदी पखवाड़े के उद्घाटन पर 3 सितम्बर, 2007 को संयुक्त सचिव महोदय की अध्यक्षता में मंत्रालय के सभी अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें उनकी ओर से हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए अपील परिचालित की गई। इसके पश्चात् मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई।

मूल रूप से हिंदी में टिप्पण-आलेखन नकद पुरस्कार योजना 2006-2007 के लिए प्राप्त विवरणों का मूल्यांकन किया गया ।

दिनांक 3-9-2007 से दिनांक 13-9-2007 तक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

हिंदी में टिप्पण-आलेखन आशु प्रतियोगिता, हिंदी टंकण, गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिता, हिंदी में वाद-विवाद, हिंदी में प्रश्नोत्तरी, तथा हिंदी में अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें हिंदी के मुहावरे/लोकोक्ति, दोहे आदि का प्रयोग किया गया । हिंदी दिवस के दिन अर्थात् 14 सितम्बर, 2007 को सचिव महोदया द्वारा मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से हिंदी में अधिक से अधिक काम करने का संकल्प कराया गया । इस दिन माननीय गृह मंत्री का संदेश भी सभी अधिकारियों/कर्मचारियों में परिचालित किया गया ।

शहरी विकास मंत्रालय

भूमि तथा विकास कार्यालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली स्थित भूमि तथा विकास कार्यालय में दिनांक 01-09-2007 से 30-09-2007 तक हिंदी मास का आयोजन किया गया । हिंदी मास के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में 87 अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया । इसके अतिरिक्त 4 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई । अवर सचिव तथा अनुभाग अधिकारी स्तर के अधिकारियों के लिए एक पृथक कार्यशाला भी आयोजित की गई ।

इसके अतिरिक्त दिनांक 14-09-2007 को हिंदी दिवस के अवसर पर भूमि तथा विकास अधिकारी महोदय श्री राजेश कुमार सिन्हा ने भूमि तथा विकास कार्यालय में पहली बार हिंदी पुस्तकालय का उद्घाटन किया । हिंदी पुस्तकालय के उद्घाटन के अवसर पर सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री राधेश्याम शर्मा तथा अन्याय अधिकारी उपस्थित थे । इस अवसर पर विभागाध्यक्ष महोदय ने और अधिक हिंदी पुस्तकों का प्रापण करने तथा शत-प्रतिशत कम्प्यूटर सेटों को हिंदी सॉफ्टवेयर से सज्जित करने के निदेश दिए । उन्होंने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके द्वारा हिंदी में कार्य करने के लिए बधाई देते हुए उन्हें शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया ।

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय : नाशिकरोड

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिकरोड में दिनांक 14-9-07 को हिंदी दिवस का बड़े उत्साह के साथ मनाया गया । इस अवसर पर निम्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में सभी स्तर के कर्मचारियों एवं कामगारों ने भाग लिया और मुद्रणालय में राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए अनुकूल वातावरण बना और अधिकांश कर्मचारी हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित हुए ।

समारोह की अध्यक्षता श्री अरुण इंगळे, महाप्रबंधक, करेंसी नोट प्रेस ने की और उन्होंने भी इस अवसर पर मार्गदर्शन किया । श्री एन.जे. सन्नी, उप महाप्रबंधक महोदय ने दक्षिण भारतीय शैली में संबोधन कर श्रोताओं को न केवल प्रभावित किया बल्कि हिंदी में कार्य करने का प्रयास करने का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया । सभी श्रोताओं ने इसका कर्तल ध्वनी से स्वागत किया । इस अवसर पर प्रमुख अतिथि, तथा हिंदी दिवस समारोह समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को भी मोमेण्टो देकर सम्मानित किया गया । विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया जिसकी उद्घोषणा श्री भा.रा. चितळे, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक ने की । श्री दिनेशकुमार खारे, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक ने सितम्बर 06 से सितम्बर 07 तक की गई हिंदी संबंधी गतिविधियों की जानकारी दी ।

भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा

बड़ौदा स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई-भारी पानी संयंत्र-में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन दिनाँक 14-09-07 (शुक्रवार) को किया गया । संयंत्र में राजभाषा हिंदी संबंधी गतिविधियों तथा उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करते हुए सहायक निदेशक (रा.भा.) डॉ. रश्मि वार्ष्णेय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनने के लिए अग्रसर हिंदी का प्रयोग सभी प्रशासनिक तथा वैज्ञानिक-तकनीकी कामकाज में कर के, सरकारी तंत्र में राजभाषा हिंदी को उसका आधिकारिक स्थान दिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए ।

संयंत्र के महाप्रबंधक आदित्य भौमिक ने उपस्थित कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में सरकारी काम करने की शपथ दिलाते हुए कहा कि यदि हमें दूसरे देशों की भाषाएँ आती हैं, तो उसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन सबसे पहले अपनी मातृभाषा और अपने देश की राजभाषा आनी चाहिए ।

रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पश्चिमी कमान) सेक्टर-9 चण्डीगढ़ - 160009

रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पश्चिमी कमान) चंडीगढ़ के कार्यालय में दिनांक 01-09-2007 से 15-09-2007 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया । इस दौरान कार्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हिंदी के प्रति रूचि बढ़ाने के लिए तीन प्रतियोगिताओं हिंदी निबंध, हिंदी पत्र एवं टिप्पण लेखन और हिंदी कविता का आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम में कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया । कार्यक्रम का मुख्य समारोह दिनांक 18-09-2007 को श्रीमती नीता कपूर, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक महोदया की अध्यक्षता में किया गया ।

इस अवसर पर रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटनी की ओर से हिंदी दिवस पर भेजा गया संदेश श्री नरसिंह द्वारा, रक्षा लेखा उपनियंत्रक द्वारा पढ़कर सुनाया गया तथा रक्षा लेखा महानियंत्रक श्रीमती हरजीत कौर पन्नू, भा.र.ले.से., के संदेश को श्रीमती मिनीश्री बिष्ट, उपनियंत्रक ने पढ़ कर सुनाया । इस संदेश में राजभाषा हिंदी का महत्व बताते हुए विचार व्यक्त किए गए हैं कि हिंदी के विकास एवं समृद्धि के लिए पूरे मन से सरकारी काम हिंदी में करना हम सब की राष्ट्रीय जिम्मेदारी है । हिंदी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान है । इसलिए हमें अपना अधिकाधिक काम हिंदी में करना चाहिए ।

हिंदी कविता मंच का संचालन श्री गंगादास बासिया, हिंदी अधिकारी ने किया । उन्होंने इस अवसर पर बताया कि हिंदी विश्व में दूसरी ऐसी भाषा है जिसे सबसे अधिक लोग बोलते हैं ।

सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

टेकनपुर में दिनांक 01 सितम्बर 2007 से 15 सितम्बर 2007 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया । साथ ही दिनांक 14 सितम्बर, 2007 को "हिंदी दिवस" का आयोजन किया गया जिसमें बल मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली द्वारा भेजी गई महानिदेशक महोदय की हिंदी दिवस पर "अपील" को पढ़कर सुनाया गया तथा राजभाषा हिंदी के प्रयोग में अपनी तरफ से पूरा सहयोग देने और अपने सरकारी कामकाज में इसे अधिक से अधिक अपनाने का संकल्प लिया गया। इस पखवाड़े के दौरान अकादमी स्थित सभी विंगों तथा यूनिटों को निर्देश दिए गए कि इस दौरान समस्त कार्य हिंदी में ही किया जाए।

पखवाड़े के दौरान सभी सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग के प्रति रूचि उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, ताकि समस्त कार्मिकों का रूझान हिंदी कार्यों के प्रति बढ़े और राजभाषा हिंदी के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। प्रतियोगिताओं में सभी सफल प्रतियोगियों को महानिरीक्षक/निदेशक सीमा सुरक्षा बल, अकादमी द्वारा नकद पुरस्कार दिए गए ।

आकाशवाणी पणजी (गोवा)

14 सितंबर 2007 हिंदी दिवस के परिप्रेक्ष्य में सितंबर महीने के पहले पखवाड़े को आकाशवाणी पणजी में हिंदी पखवाड़ा के रूप में मनाया गया। केंद्र निदेशक श्री बी.डी. मजुमदार ने सोमवार 3 सितंबर को हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित त्रिदिवसीय हिंदी कार्यशाला में राजभाषा नीति और भारतीय भाषाओं के विकास विषय पर केंद्र निदेशक श्री बी.डी. मजुमदार, केंद्र अभियंता श्री बी.एन. पागे, कार्यक्रम निष्पादक श्री प्रदीप लोटलीकर, प्रशासनिक अधिकारी श्री पीटर एम. जे. तथा हिंदी अधिकारी श्री खगेश्वर प्रसाद यादव ने व्याख्यान दिए।

हिंदी दिवस समारोह की अध्यक्षता केंद्र निदेशक श्री बी. डी. मजुमदार ने की। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री बी. डी. मजुमदार ने कहा कि हिंदी दिवस हम सबमें एक नया उत्साह और संकल्प पैदा करता है जिससे हम हर वर्ष अधिक अच्छी तरह से राजभाषा हिंदी का क्रियान्वयन करते है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी पणजी के लिए यह गौरव का विषय है कि पिछले वर्ष आकाशवाणी पणजी को 'ग' क्षेत्रों के आकाशवाणी केंद्रों की श्रेणी में राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार, राजभाषा ट्राफी और ग्यारह हजार रुपए नकद प्रदान किए गए थे ।

प्रसार भारती भारतीय प्रसारण निगम आकाशवाणी : सागर (म.प्र.) 470001

आकाशवाणी सागर (म.प्र.) में दिनांक 1-9-2007 से दिनांक 15-9-2007 तक राजभाषा पखवाड़ा हिंदी राजभाषा पखवाड़े के रूप में मनाया गया एवं 14 सितम्बर, 2007 को हिंदी दिवस मनाया गया ।

हिंदी पखवाड़े का शुभारम्भ डॉ हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो. वीरेन्द्र मोहन एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव श्री महेन्द्र जैन द्वारा किया गया। आकाशवाणी केंद्राध्यक्ष श्री अविनाश एच दुर्गे द्वारा पखवाड़े की महत्ता पर विचार रखे गए एवं आकाशवाणी के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा हिंदी में कार्य करने का संकल्प हेतु कहा गया। साथ ही पखवाड़े में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के बारे में भी जानकारी दी गई। तत्पश्चात् नराकास सचिव श्री महेन्द्र जैन द्वारा हिंदी दिवस, पखवाड़ा एवं हिंदी मास मनाना कब और कैसे शुरू हुआ इस बाबत् विस्तृत जानकारी दी गई, साथ ही साथ सहज एवं सरल हिंदी के प्रयोग पर ज्यादा जोर देने संबंधी बात कही गई। डॉ हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो. वीरेन्द्र मोहन द्वारा हिंदी का समग्र विकास, विभिन्न राज्यों में हिंदी का प्रचलन एवं कार्यालयों में हिंदी के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग पर विचार रखे गये। साथ ही उन्होंने खासकर दक्षिण भाषी प्रांतों में हिंदी भाषा के प्रयोग बाबत् जिज्ञासाओं का भी समाधान किया। अंत में कार्यक्रम प्रमुख एवं फार्म रेडियो ऑफीसर श्री जी.सी. बुन्देला द्वारा सभी वक्ताओं के प्रति आभार प्रदर्शन किया गया।

राजभाषा पखवाड़े के उद्घाटन के पश्चात् कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें कार्यालय के कई सदस्यों ने बड़े उत्साह से हिस्सा लिया। विजेताओं को पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।

कार्पोरेशन बैंक, मंगलूर

हिंदी दिवस समारोह-2007 के सिलसिले में दिनांक 14 सितंबर, 2007 को कार्पोरेशन बैंक द्वारा अपने लिपिकीय स्टाफ सदस्यों के लिए एक विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कुल 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इस विशेष कार्यशाला की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए प्रबंधक (राजभाषा) श्री एन. सनल कुमार ने कहा कि राजभाषा प्रभाग द्वारा समय-समय पर अलग-अलग लक्ष्य समूह के स्टाफ सदस्यों हेतु कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। इस कड़ी में कंप्यूटर पर काम कर रहे लिपिकीय स्टाफ सदस्यों के लिए इस विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया है। बैंक की आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत कंप्यूटर पर हिंदी टंकण प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे तथा प्रशिक्षण हेतु शेष लिपिकीय स्टाफ सदस्यों को इस दिशा में आवश्यक मार्गदर्शन देने के लिए यह विशेष कार्यशाला आयोजित की गई है।

कार्यशाला के प्रथम सत्र में श्री सुरेश कुमार, प्रबंधक (राजभाषा) ने आंतरिक व्यवस्था के तहत कंप्यूटर पर हिंदी टंकण प्रशिक्षण से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। साथ ही प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरे करने पर देय एकमुश्त राशि, कंप्यूटर पर निर्धारित मात्रा में हिंदी टंकण का कार्य करने पर देय मासिक प्रोत्साहन भत्ता इत्यादि की जानकारी देते हुए उन्होंने आग्रह किया कि सभी स्टाफ सदस्य अपना अधिकाधिक काम हिंदी में करें ताकि बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन का काम सुचारू रूप से हो सके।

श्रीमती आएशा सुल्ताना, राजभाषा अधिकारी ने अपने सत्र में बैंक में वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किए जानेवाले द्विभाषी साफ्टवेयर आकृति ऑफिस 2007, डाटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले द्विभाषी इंटरफेस साफ्टवेयर, यूनिकोड आधारित ई-मेल समाधान, ई-लर्न के जरिए हिंदी भाषा प्रशिक्षण, सी डेक, पुणे द्वारा विकसित मंत्र, श्रुतलेख आदि के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया।

बैंक ऑफ बड़ौदा
प्रधान कार्यालय, बड़ौदा

14 सितंबर, 2007 को सायं 4.00 बजे प्रधान कार्यालय के सभा कक्ष में हिंदी दिवस, 2007 का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं) श्री एम.बी सामंत ने की। कार्यक्रम के प्रारंभ में माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय श्री अनिल के. खंडेलवाल द्वारा संबोधित हिंदी दिवस संदेश की सी.डी. दिखाई गई। इस अवसर पर माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम् का हिंदी दिवस संदेश, प्रबंधक (राजभाषा) श्री अर्जुन कुमार ने पढ़कर सुनाया तथा माननीय गृहमंत्री श्री शिवराज पाटील का संदेश, वरिष्ठ प्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं) श्री पी.के. वर्मा द्वारा पढ़ा गया। महाप्रबंधक (निरीक्षण) श्री पी. एस. जोशी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में हिंदी के माध्यम से संवाद स्थापित करना आसान है। महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं) श्री एम.बी. सामंत ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने हिंदी के विकास के लिए संविधान में पुख्ता इंतजाम किया है। चूंकि 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। तब से 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस

मनाया जाता है। यह हमें नई प्रेरणा और उत्साह देता है। कार्यक्रम के प्रारंभ में उप महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं) श्री प्रकाश जैन ने सभा में उपस्थित सभी कार्यपालकों, पुरस्कार विजेताओं, स्टाफ सदस्यों का स्वागत किया। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 5 अंतर विभागीय प्रतियोगिताएं जैसे (1) हिंदी सुलेख प्रतियोगिता 22-8-2007 (अधीनस्थ स्टाफ हेतु) (2) हिंदी अंताक्षरी प्रतियोगिता 8-9-2007 (सभी स्टाफ सदस्यों के लिए) (3) हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता 31-8-2007 (सभी स्टाफ सदस्यों के लिए) (4) हिंदी मुहावरा लेखन प्रतियोगिता 5-9-2007 (सभी स्टाफ सदस्यों के लिए) (5) हिंदी समाचार वाचन प्रतियोगिता 11-9-2007 (सभी स्टाफ/कार्यपालक गण) तथा वर्ष के दौरान दिनांक 15-12-2006 को सभी स्टाफ सदस्यों के लिए गुजराती-हिंदी कार्यालयीन पत्राचार प्रतियोगिता-एवं 16-4-2007 को सभी सदस्यों के लिए हिंदी शब्दावली प्रतियोगिता आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागियों को हिंदी दिवस के अवसर पर पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदान किये गये।

केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

केनरा बैंक अंचल कार्यालय लखनऊ में दिनांक 14-9-2007 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में बोलते हुए महाप्रबंधक श्री पी कृष्ण राव ने कहा कि हिंदी काफी सरल और सहज भाषा है तथा देश के तमाम हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी के सहजता के विषय में महाप्रबंधक महोदय ने हिंदी को अपनाने की बात कही । हिंदी को देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बताते हुए महाप्रबंधक महोदय ने अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी के प्रयोग पर अधिक बल दिया। केनरा बैंक द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए महाप्रबंधक श्री राव ने बैंक कर्मचारियों से अपील की कि वे अपने आंतरिक कामकाज में हिंदी को अपनाएं।

केनरा बैंक में हिंदी के प्रयोग की सराहना करते हुए मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश जल निगम के वित्त निदेशक श्री जमालुद्दीन खां ने हिंदी को देश की राजभाषा बनने के पीछे के परिश्रम की चर्चा की। इन्होंने हिंदी की विकास तथा प्रगति पर अपने विचार रखें, विश्वविद्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान अपने अनुभव का जिक्र करते हुए आज के युग में हिंदी की प्रासंगिकता पर अपने विचार रखें। हिंदी के प्रति अपनी असीम भावनाओं को व्यक्त करते हुए इन्होंने हिंदी दिवस पर सबको बधाईयां दी। हिंदी माह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मुख्य अतिथि श्री जमालुद्दीन खां ने पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र वितरित किए तथा अंचल की श्रेष्ठ शाखाओं/अनुभागों तथा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को महाप्रबंधक श्री पी कृष्ण राव ने शील्ड, प्रमाण पत्र तथा मेडल प्रदान किए।

नालको नगर

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) के प्रबंधक एवं विद्युत संकुल, नालको नगर में दिनांक 1-9-2007 से 14-9-2007 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रति रूचि और आदर तथा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार हेतु हर साल की तरह इस साल भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पखवाड़े के दौरान हिंदी भाषी कर्मचारी, हिंदीतर भाषी कर्मचारी तथा विद्यार्थियों के बीच हिंदी निबंध, वाद-विवाद, कविता पाठ, पत्र लेखन, टिप्पण और प्रश्न-मंच आदि विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दिनांक 14-9-2007 को हिंदी दिवस तथा हिंदी पखवाड़े का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस बैठक में प्रदावक एवं विद्युत संकुल के महाप्रबंधक (सामग्री) श्री सुशील कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनके साथ सम्मानित अतिथि थे प्रबंधक एवं विद्युत संकुल के महाप्रबंधक (वित्त) श्री डी. चरण साहु, ग्रहीत विद्युत संयंत्र के महाप्रबंधक (प्रचालन) एवं अनुरक्षण श्री रमेश प्रसाद श्रीवास्तव भी शामिल हुए थे।

मुख्य अतिथि श्री सिन्हा ने कहा कि हिंदी के विकास से देश का विकास संभव है। हिंदी में काम करने के बारे में उन्होंने बताया कि हिंदी में कार्यालयीन काम-काज करना सरल है। क्योंकि थोड़े से प्रयास से काम हो सकता है। सम्मानित अतिथि श्री श्रीवास्तव ने बताया कि हिंदी के बारे में जितना सोचना चाहिए, उतना कोई सोचते नहीं उन्होंने मॉरीशश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां हिंदी का इतना बोलबाला है कि जहां जाइए वहां आपको हिंदी में बात करने की सारी सुविधाएं हैं छोटी-छोटी लड़कियां जिस ढ़ंग से श्रीरामचरित मानस का पाठ करती हैं, वह देखने लायक और भारतीयों को सीखना चाहिए, केवल बोलने से नहीं काम कर दिखाने से हिंदी का भविष्य उज्जवल होगा। सम्मानित अतिथि श्री डी.सी. साहु ने कहा कि हिंदी पढ़ना आसान है और थोड़ा सा परिश्रम करने पर हिंदी में कार्यालयीन काम-काज किया जा सकता है, इसलिए समस्त कर्मचारी को हिंदी सीखना चाहिए और काम करने की प्रवृत्ति को जाग्रत करना चाहिए,

हिंदी में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल आए प्रतिभागियों को अतिथियों के कर कमलों से पुरस्कार प्रदान किया गया ।

उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 'पंचदीप भवन', गणेशपेठ, नागपुर

1 सितम्बर से 14 सितम्बर, 2007 तक राजभाषा पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े के संदर्भ में निगम के महानिदेशक महोदय की ओर से प्राप्त अपील सभी निगम कार्मिकों में परिचालित की गई। इस दौरान इस प्रकार का एक विशेष अभियान भी चलाया गया कि निगम हिंदी पत्राचार का स्वागत करता है ताकि निगम के कार्यकलाप से जुड़े लोगों को भी सरकारी राजभाषा नीति की जानकारी दी जा सके। निगम कार्मिकों के मन में हिंदी प्रयोग, प्रचार व प्रसार के प्रति अभिरूचि पैदा करने के लिए इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस बार जहां निबंध प्रतियोगिता का विषय था, **'अनेकता में एकता-भारतीय संस्कृति की विशेषता'**, वहीं वाक् प्रतियोगिता का विषय था, **ज्योतिषशास्त्र-आस्था या अंध विश्वास।** इन प्रतियोगिताओं में पर्याप्त संख्या में कार्मिकों ने भाग लिया। टिप्पण एवम् आलेखन प्रतियोगिता तथा अन्ताक्षरी प्रतियोगिता का भी सफल आयोजन किया गया । विजेताओं को नगद पुरस्कार दिए गए ।

केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान संतोषनगर, सैदाबाद डाकघर, हैदराबाद-500059

केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान (CRIDA), हैदराबाद के प्रांगण में दिनांक 14-20 सितंबर, 2007 तक आयोजित हिंदी सप्ताह का समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान हिंदीत्तर भाषी कर्मचारियों हेतु हिंदी सुलेख लेखन, हिंदी आलेखन व टिप्पण, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी-अंग्रेजी परिभाषिक शब्दावली, हिंदी वाक् प्रतियोगिताएं, हिंदी कार्यशाला तथा हिंदी भाषियों हेतु हिंदी निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। इनमें सभी कार्मिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। समापन समारोह की अध्यक्षता डॉ. वाई.एस. रामकृष्ण, निदेशक महोदय ने की व प्रशासनिक प्रमुख श्री चार्ल्स एक्का ने स्वगताध्यक्षता की ।

श्री चार्ल्स एक्का ने इस अवसर पर उपस्थित सभी वैज्ञानिकों एवं कार्मिकों का स्वागत किया तथा अनुरोध किया कि वे अपने रोजमर्रा के कार्यों में अधिकाधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करें। साथ ही प्रशासन में कार्यरत अपने सहयोगियों से भी अनुरोध किया कि वे हिंदी में पत्राचार बढ़ाएं । संस्थान के परियोजना समन्वयक (कृषि मौसम विज्ञान) एवं प्रभारी अधिकारी (हिंदी) डॉ. जी.जी.एस.एन. राव ने इस अवसर पर उपस्थित सभी वैज्ञानिकों एवं कार्मिकों का स्वागत करते हुए इस वर्ष की उपलब्धियों से सभी को परिचित कराया। श्री एस.आर. यादव, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने इस वर्ष संस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन में हुई प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। तत्पश्चात हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के श्रेष्ठ कार्मिकों को नकद पुरस्कार व प्रमाणपत्र वितरित किए गए ।

संस्थान के निदेशक महोदय डॉ. वाई.एस. रामकृष्ण ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में संस्थान में हिंदी कार्य में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए गत वर्षों में संस्थान को प्राप्त अनेक शील्ड व पुरस्कार ग्रहण करने पर सभी को बधाई दी। आपने कहा कि हिंदी प्रशिक्षण के क्षेत्र में सर्वोपरि होना हमारे लिए गौरव की बात है ।

लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद्, नई दिल्ली-3

हिंदी दिवस पर कपार्ट के महानिदेशक श्रीमती वीणा एस. राव ने कहा कि हिंदी की प्रगति उतरोत्तर हो रही है और आशा है कि अगले वर्ष अधिकांश अधिकारी/कर्मचारी हिंदी में काम करेंगे। हिंदी दिवस की बधाई एवं शुभकामना ।

समारोह में उपमहानिदेशक श्रीमती नीना गर्ग ने ग्रामीण विकास मंत्री का संदेश पढ़ा तथा विभागीय प्रगति के संबंध में व्यक्तव्य दिए और उन्होंने सभी कपार्ट के अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया कि हिंदी में ज्यादा से ज्यादा कार्य करें ।

उप महानिदेशक श्रीमती प्रसाद ने धन्यवाद प्रस्ताव पर कहा कि कपार्ट के सभी अधिकारी/कर्मचारीगण को भविष्य में हिंदी में कार्य करने का अनुरोध किया। साथ ही साथ डॉ. श्याम सिंह शशि एवं प्रो. सोमदत्त दीक्षित को भी धन्यवाद दिया ।

कार्यक्रम का संयोजन श्री विजय कुमार राय हिंदी प्रभारी ने किया तथा अध्यक्षता डॉ. श्याम सिंह शशि ने की ।

समारोह के प्रमुख वक्ता प्रो.सोमदत्त दीक्षित ने हिंदी क्रमिक इतिहास पर सारगर्भित भाषण दिया । उन्होंने कहा कि वाक्यार्थ (वाक्य +अर्थ) की मूल भावना के अनुसार ही अनुवाद होना चाहिए । देव नागरी में हिंदी शब्द न मिलने पर अंग्रेजी शब्द लिखें । टिप्पण की भाषा, हिंदी का ज्ञान न रखने वाले भी समझ सकें । उसमें सबसे छोटे (कम से कम महत्वपूर्ण) व्यक्ति के लाभ को अपने सामने रखकर लिखें ।

राजभाषा अधिनियम के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी । प्रो. दीक्षित ने सभी अधिकरियों /कर्मचारियों से हिंदी दिवस पर अनुरोध किया कि आज से सभी अपने हस्ताक्षर उपस्थिति पंजिका एवं संचिका में हिंदी में करना प्रारंभ करें । साथ ही प्रो. दीक्षित ने सुझाव दिया की उच्च अधिकारियों के लिए पृथक कार्यशाला आयोजित होनी चाहिए ।

''हिंदी संतों की वाणी है सुर, तुलसी और कबीर की भाषा है । स्वामी दयानन्द तथा विवेकानन्द से लेकर महात्मा गांधी, सुभाषचन्द्र बोस व डा. भीमराव अम्बेडकर आदि हिंदी-इत्तर भाषा-भाषी महापुरुषों ने उसे राष्ट्रभाषा माना व स्वतंत्रता संग्राम की भाषा बनी पर पूरी तरह राजभाषा बनना शेष है । मानसिकता बदलिए और हिंदी को आस्था की तरह अपनाइए'' ये उदगार वरिष्ठ साहित्यकार तथा अध्यक्ष कपार्ट हिंदी सलाहकार समिति पदमश्री डॉ. श्याम सिंह शशि ने हिंदी दिवस पर आयोजित समारोह में प्रकट किए हैं । उन्होंने कपार्ट में हिंदी की प्रगति पर संतोष प्रकट किया ।

सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चौखाम, जनपदः लोहित, अरुणाचल प्रदेश

18 सितम्बर 2007 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन प्रधानाचार्य श्री डी. कोयू की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर श्री अरुण पाण्डेय ने जन जागरण करने के लिए हृदय से हिंदी के लगाव, जन-जन हिंदी के बढ़ाव गीत, उद्देश्य के रूप में पेश किए । श्री डी. कोयू, श्री डी. सी. दास बच्चों के कार्यक्रम देखकर झूम उठे । प्रधानाचार्य ने अजय सिंह के नृत्य पर 100 रुपये इनाम के तौर पर भेंट प्रदान किए। समारोह का रंगारंग कार्यक्रम 4 घंटे तक चलता रहा । उपस्थित सभी सज्जनों का मन मोह कर बच्चों ने अपने राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम जाग्रत किया । इस अवसर पर श्री इन्द्रपाल सिंह यादव ने हिंदी को और भी समृद्ध बनाने के लिए वकालत की । सुश्री असेड़ बोरांडा, सुश्री अनामिका सोनोवल ने बहुत ही सुन्दर नृत्य पेश किए । उप-प्रधानाचार्य श्री डी.सी. दास ने 100 बच्चों को 100 कलम से पुरस्कृत किया । अंत में श्री डी. कोयू के आशीष वचन व सुझाव से हिंदी दिवस समारोह को जय हिंद किया गया ।

स्नात्तकोत्तर हिंदी विभाग, माधव महाविद्यालय, ग्वालियर

14 सितम्बर, 2007 को माधव महाविद्यालय, ग्वालियर के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग द्वारा हिंदी समारोह का आयोजन किया गया । समारोह की अध्यक्षता प्राचार्य डा. सी. व्ही. मोघे ने की । हिंदी विभाग की अध्यक्ष डॉ. रुकमणि तिवारी ने कहा कि हिंदी हमारे राष्ट्र की वाणी है वह तो करोड़ों लोगो की भाषा है । हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है । हिंदी के प्रति प्रेम विश्व भर में है । आज भारत के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, मॉरीशस, कनाडा, शुयाना, सूरीनाम, हालैंड, फिजी, दक्षिण अफ्रीका कितने ही देशों में हिंदी बोली जाती है । हिंदी हृद्यदर्शी भाषा है । हिंदी दिवस के दिन हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया था । उन्होंने कहा कि हिंदी प्रेमियों को निराश होने की जरुरत नहीं है। हिंदी का परचम संपूर्ण विश्व में फहरायेगा। हिंदी दिवस हम हिंदी के प्रति अपना समर्पण भाव प्रगट करने के लिए मनाते हैं, इसलिए हिंदी दिवस की सार्थकता है । हमें अपने हिंदी भाषी होने पर गर्व करना चाहिए । अपने अध्यक्षीय व्यक्तव्य में श्री मोघे ने कहा कि हिंदी हिन्दुस्तान की सारी भाषाओं में सम्मिलित है । ये किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है । हम जिस देशी भाषा की बात करते हैं वही हिंदी की मूल भाषा है । हिंदी तो स्वयंमेव में संपूर्ण भाषा है फिर चाहे उसे कोई स्वीकार करे या नहीं । हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा तो है ही, मातृभाषा भी है । आज लोग बात करते हैं हिंदी को सरल बनाया जाए, मैं कहता हूं हिंदी तो अपने आप में सरल है ही । हिंदी अपने आप में समर्थ भाषा है ।

इस अवसर पर बोलते हुए शिक्षाविद् एवं माधव महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष डा. बी. एस. गुप्ता जी ने हिंदी भाषा की उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने हिंदी भाषा के महत्व की पुष्टि करते हुए कहा कि वह निश्चित रूप से विश्वभाषा है । हमें हिंदी के प्रति गौरव का एहसास होना चाहिए । ■

हिंदी के बढ़ते चरण

हिंदुस्तान लैटेक्स

हिंदी भारतीयता की नींव एवं भारत की सांस्कृतिक भाषा है। अत: भारत को एकता के धागे में पिरोने अर्थात समूचे राष्ट्र के एकीकरण का एकमात्र कड़ी हिंदी भाषा ही है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे देश का राजकाज हिंदी भाषा में चलना अत्यंत जरूरी है। इसके मद्देनजर सरकारी नीति के अनुपालनार्थ हमारी कंपनी भी अपना कामकाज हिंदी में करने तथा लोगों को इसके प्रति खास लगाव पैदा करने के लिए सालाना हिंदी पखवाड़ा समारोह सजधज से मनाया जा रहा है।

उद्घाटन समारोह

हिंदी पखवाड़ा समारोह का उद्घाटन पी.एफ.टी. में 22 नवम्बर, 2006 अपराह्न 4 बजे को केरल के सम्माननीय विधि मंत्री एम. विजयकुमारजी द्वारा संपन्न हुआ। समारोह में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम. अय्यप्पन ने अध्यक्ष का काम निभाया। श्री के.के .सुरेषकुमार, निदेशक, विपणन ने स्वागत भाषण तथा श्री वी.ए. शशिधरन नायर, कंपनी सचिव एवं कार्यपालक निदेशक (सी.ए.एस) ने कृतज्ञता की भूमिका निभाई। केरल विश्वविद्यालय की हिंदी विभागाध्यक्षा डॉ.एस.तंकमणी अम्मा ने इस समारोह में आशीर्वाद भाषण दिया।

इस खास अवसर पर पब्लिक परीक्षाओं में हिंदी में 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए बच्चों को (कंपनी के कर्मचारियों के) नकद पुरस्कार भी मंत्री महोदय ने प्रदान किया।

प्रतियोगिता

कंपनी के कर्मचारियों के मन में मात्र नहीं, उन के परिवार वालों के मन में भी हिंदी के प्रति रूचि पैदा करने के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं। 25 नवंबर 2006 को कंपनी के कर्मचारियों के लिए और 3 दिसंबर 2006 को कंपनी के कर्मचारियों के बच्चों के लिए कविता पाठ, फिल्मी गीत, देशभक्ति गीत, लघु कहानी लेखन, वक्तृता, प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन, अनुवाद, प्रशासनिक शब्दावली, श्रुतलेख जैसी हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

हिंदी कार्यशाला

2006 दिसंबर 8, 18, 19, 20, इन तारीखों में कंपनी के पर्यवेक्षकों, संघ नेताओं, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए हिंदी जागरूकता कार्यक्रम एवं बोलचाल हिंदी क्लास का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं से अपने कर्मचारियों के मन में हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा कराने में एक हद तक हम समर्थ बन गए।

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

29 दिसम्बर, 2006 को पी.एफ.टी. में एक अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। केरल की माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदया पी. के. श्रीमती ने प्रस्तुत सम्मेलन का उद्घाटन किया। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय एम. अय्यप्पन की अध्यक्षता में गठित इस सम्मेलन में श्रीमती डार्ली फ्रांसिस, वरिष्ठ कार्यपालक निदेशक (सी. क्यू.ए.) ने स्वागत भाषण एवं श्री मुरलीधरन अच्चाट, महाप्रबंधक, पी. एफ.टी. ने धन्यवाद भाषण का काम भी संभाला। हिंदी विद्यापीठ के आचार्य डॉ. वी. वी. विश्वम ने समारोह में आशीर्वाद भाषण दिया।

इस राजभाषा सम्मेलन की खासियत थी–लेख प्रस्तुतीकरण और निम्नलिखित विषयों पर सात कर्मचारियों ने लेख प्रस्तुत किया।

1. राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम में एच. एल. एल. की भूमिका।

2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम में सहभागी संगठन के रूप में एच.एल.एल.।

3. प्रजनन स्वास्थ्य में सामाजिक विपणन नेता के रूप में एच एल एल।

4. पुनरुत्पादक स्वास्थ्य में सामाजिक विपणन नेता के रूप में एच.एल.एल.।

संगोष्ठी के संचालन का काम श्री डी. कृष्ण पणिक्कर, सेवानिवृत्त उप-निदेशक (कार्यान्वयन), पर निर्भर था। श्री ए. एम. मुल्ला, श्री ए. ए. सनदी और श्री मनोज गुप्ता को इस लेख-प्रस्तुतीकरण में क्रमश: प्रथम, द्वितीय और

(शेष पृष्ठ 82 पर)

सम्मेलन/संगोष्ठी

न्यूयार्क (अमेरीका) में आयोजित आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन में देवनागरी पर विशेष सत्र

दिनांक 13 जुलाई से 15 जुलाई, 2007 तक न्यूयार्क (अमेरीका) में आयोजित 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन एक एतिहासिक सम्मेलन था जिसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में किया गया और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री बान-की-मून ने सम्बोधित किया। इस सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि विश्व हिंदी की शृंखला में पहली बार देवनागरी लिपि पर एक विशेष-सत्र आयोजित किया गया जिसमें विश्व में देवनागरी लिपि के प्रचार-प्रसार उसकी वैज्ञानिक गुणों पर उपयोगी चर्चा हुई।

इस अवसर पर 14 जुलाई, 2007 को सम्मेलन में नागरी लिपि परिषद् द्वारा प्रकाशित ''विश्व नागरी विशेषांक'' का विमोचन भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, डॉ. गिरजा व्यास द्वारा किया गया। सत्र में भारत और विदेशों से आए हिंदी विद्वान उपस्थित थे।

15 जुलाई, 2007 को न्यूयार्क में एफ. आई. टी. के. केटी मर्फी एम्पीथियेटर में आयोजित देवनागरी लिपि संगोष्ठी की अध्यक्षता, हिंदी के प्रसिद्ध कवि और पूर्व सांसद श्री बालकवि बैरागी ने की। सत्र का संचालन श्री जवाहर कर्नावट ने किया। इस सत्र का बीज भाषण 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन की स्थाई समिति के सदस्य डॉ. परमानंद पांचाल ने दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हिंदी विश्व के सबसे बड़े गणराज्य, भारत की राजभाषा है और देवनागरी लिपि इसके आधिकारिक लिपि है। हिंदी के अतिरिक्त यह लिपि नेपाल की भाषा नेपाली की भी लिपि है। नागरी लिपि को विश्व नागरी के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए आचार्य विनोबा भावे की संकल्पना को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि देवनागरी लिपि विश्व की सबसे अधिक वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक लिपि है। इसमें जो कुछ बोला जाता है लगभग वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। जबकि रोमन तथा फारसी जैसी लिपियों में यह गुण नहीं है। लिप्यन्तरण की दृष्टि से यह लिपि किसी भी भाषा को सही रूप में अंकित कर सकती है। इसमें निहित अपार सम्भावनाओं का उपयोग कर हम भूमण्डलीकृत विश्व की सैकड़ों भाषाओं के साथ न्याय कर सकते हैं। इस प्रकार देवनागरी लिपि विश्व भाषाओं का माध्यम और उनकी कुंजी बन सकेगी। कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास में जो शोध कार्य हो रहे हैं, उसमें भी इस लिपि की वैज्ञानिकता को विशेषज्ञों ने समझा है। हिंदी के लिए देवनागरी बहुत बड़ा वरदान है। कुछ विद्वान आज भी हिंदी के लिए रोमन लिपि की वकालत करते हैं। मीडिया में ऐसा प्रयोग हो भी रहा है। उन्होंने कहा कि नागरी है, तो हिंदी है, नागरी नहीं तो हिंदी कहां रह जाएगी? इतिहास साक्षी है कि जब हिंदी को फारसी में लिखा जाने लगा तो उसका दूसरा नाम ''उर्दू'' बन गया। यदि हिंदी को रोमन में लिखने की प्रवृति बनी रही तो यह हिंदी न रहकर 'हिंग्लिश'' जैसी कोई भाषा बन जाएगी।

इस अवसर पर मॉरिशस के हिंदी विद्वान्, श्री अजामिल माता बदल ने देवनागरी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे विश्व की सर्वोत्तम लिपि बताया। उन्होंने अपने देश में नागरी लिपि के प्रचार-प्रसार के लिए नागरी लिपि परिषद् की स्थापना का आश्वासन दिया और देवनागरी लिपि को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रत्यन किया जाने पर बल दिया। गुवाहाटी (असम) से पधारे श्री सूर्यवंशी चौधरी ने कहा कि असम की एक भाषा बोडो में नागरी लिपि को अपना लिया है और इसके लिए बोडो भाषियों को बहुत बड़ा बलिदान भी देना पड़ा। आज भी पूर्वोतर भारत की अनेक बोलियां ऐसी है, जिनकी कोई लिपि नहीं है, उन्हें नागरी लिपि को अपना लेना चाहिए। बंगलौर से पधारी सुश्री हीरेमठ ने दक्षिण भारत में देवनागरी के प्राचीन काल से ही प्रयोग का उल्लेख किया और नागरी लिपि को भारतीय भाषाओं द्वारा एक अतिरिक्त लिपि के रूप में अपनाएं जाने पर बल दिया। डॉ. कृष्ण नारायण पाण्डेय, संयुक्त निदेशक (राजभाषा) स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार ने हिंदी की वैज्ञानिक लिपि देवनागरी के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रकार 8 अंकों की आकृति से सभी अंक कम्प्यूटर पर लिखे

जाते हैं उसी प्रकार 4-अंकों में नागरी भी लिखी जा सकती है।

दिल्ली से संत साहित्य के विशेषज्ञ डॉ. रमेश मिश्र ने नागरी की वर्णमाला के ध्वन्यात्मक स्वरूप को पूर्ण वैज्ञानिक बताते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला।

श्री जवाहर कर्नावट ने देवनागरी सत्र का संचालन किया और बैंकों में तथा रेवले आरक्षण आदि में नागरी लिपि के सफल और व्यावहारिक प्रयोग का उदाहरण देते हुए उसे हिंदी को लोकप्रिय बनाने की दिशा में विशेष कदम बताया।

हिंदी के विख्यात कवि और पूर्व सांसद श्री बालकवि बैरागी ने अध्यक्ष पद से बोलते हुए सम्मेलन को इसलिए और भी महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि इसमें पहली बार देवनागरी लिपि पर चर्चा हुई। आज कम्प्यूटरों के सॉफटवेयरों में जितने भी प्रयोग हो रहे हैं, वह सब देवनागरी लिपि पर ही हो रहे हैं। लिपि का अक्षर सौंदर्य तथा वर्तनी की शुद्धता बिल्कुल केंद्र में स्थान पा चुकी है। आज लेखन की गति और भाषा अभिव्यक्ति में लिखावट पर सारा ध्यान हमारे प्रयोगशील विशेषज्ञों का लगा हुआ है। हिंदी भाषा के भविष्य के प्रति यह बहुत शुद्ध संकेत है।''

उन्होंने विदेश राज्य मंत्री श्री आनंद शर्मा से आग्रह किया कि वह एक छोटी सी समिति देवनागरी लिपि, भाषा एवं प्रयोगधर्मा विकास, जैसे विषय पर गठित करने की पहल करें, क्योंकि कोई सी भी भाषा हो, यह लिपि के माध्यम से ही हमारी आखों के सामने आती है। देवनागरी भारत की पहचान है। विश्व की अन्य भाषाएं भी नागरी जैसी सम्पूर्ण लिपि का उपयोग कर लाभान्वित हो सकती है।

नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि. तीस्ता-5, जलविद्युत, सिक्किम

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन

नेशनल हाईड्रोइलैक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, निगम मुख्यालय के सौजन्य से तीस्ता-5, जलविद्युत परियोजना के तत्वावधान में 28-29 जून, 2007 को दो दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन श्री एस. के. चतुर्वेदी, निदेशक (कार्मिक), ने किया।

सम्मेलन में विभिन्न परियोजनाओं/पावर स्टेशनों में राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े 40 से अधिक कार्मिकों ने भाग लिया। सम्मेलन में प्रतिभागियों को श्री सुधीर कुमार चतुर्वेदी, निदेशक (कार्मिक), महोदय ने सम्बोधित किया। अपने सम्बोधन में निदेशक (कार्मिक) ने राष्ट्र के विकास में राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा हिंदी की भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रतिभागियों का पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ राजभाषा कार्यान्वयन को और अधिक गति प्रदान करने का आह्वान किया। उन्होंने संस्कृति और भाषा के परस्पर संबंध को उद्घाटित करते हुए कहा कि हिंदी देश की एकता और अखंडता की कड़ी है।

इस अवसर पर श्री सुभाष राय, कार्यपालक निदेशक (सिक्किम) ने भी प्रतिभागियों को उद्बोधित किया। उन्होंने राष्ट्रीय, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में हिंदी के महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश डाला। श्री वी. के. शर्मा, महाप्रबंधक (तीस्ता-5) ने अपने उद्बोधन में परियोजनाओं में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति का उल्लेख करते हुए इसे और गति प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर श्री उपेन्द्र राय, महाप्रबंधक (मा.सं.वि. का. सं. व राजभाषा), निगम मुख्यालय ने अपने संबोधन में राजभाषा हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने हिंदी में कार्य करने के लिए अपनी मानसिकता में बदलाव लाने का आग्रह किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में निगम में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों का भी उल्लेख किया।

सम्मेलन के प्रथम सत्र में उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय की प्रवक्ता डॉ. मनीषा झा ने ''आने वाला कल और हिंदी'' विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने सकारात्मक रूप से हिंदी के उज्जवल भविष्य और आने वाले कल में मीडिया और बाजार की भूमिका पर विशेष प्रकार डाला।

दूसरे चरण में ''भावात्मक एकता एवं हिंदी'' विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉ. अरूण होता ने मध्यकालीन तथा आधुनिककालीन परिप्रेक्ष्य में हिंदी की भूमिका को रेखांकित किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी की ऐतिहासिक भूमिका पर उन्होंने विशेष रूप से प्रकाश डाला और हिंदी को महज भाषा ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान भी बताया।

तीसरे चरण में ''वैश्वीकरण के संदर्भ में हिंदी'' की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए प्रो. चंद्रकला पाण्डेय ने हिंदी

की विश्वयात्रा का जिक्र व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर किया और विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी के पठन-पाठन की भी चर्चा की ।

सम्मेलन के दूसरे दिन डॉ. राजबीर सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) ने ''राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा'' पर सत्र का संचालन किया। उन्होंने विभिन्न कार्यालयों/परियोजनाओं में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय भी सुझाए। श्री पी. डी. मिश्रा, प्रबंधक (राजभाषा) ने ''राजभाषा की दशा और दिशा'' विषय पर व्याख्यान दिया। सिक्किम आकाशवाणी केंद्र के प्रभारी इंजीनियर श्री संदीप सिंह ने ''सिक्किम का सामाजिक सांस्कृतिक परिचय'' विषय पर अपने विचार रखे ।

स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लि. बोकारो स्टील प्लान्ट, बोकारो

बोकारो में एक दिवसीय तकनीकी हिंदी सेमिनार

बोकारो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में 29 मई, 2007 को स्थानीय बोकारो निवास के बैंकट हॉल में एकदिवसीय तकनीकी हिंदी सेमिनार संपन्न हुआ। श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक, बोकारो स्टील प्लांट एवं अध्यक्ष बोकारो नराकास इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि श्री श्रीवास्तव ने राजभाषा के रूप में हिंदी की अहमियत का उल्लेख करते हुए तकनीकी क्षेत्र में हिंदी में कामकाज को बढ़ावा देने की प्रेरणा दी। उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों के जरिए प्रतिभा विकास का अवसर सृजित करने की आवश्यकता बताई तथा राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देने का आह्वान किया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्री कुमार जीतेन्द्र सिंह ने हिंदी को सशक्त और समृद्ध भाषा बताते हुए अन्तर्राष्ट्रीय फलक पर हिंदी के हो रहे प्रसार को रेखांकित किया।

इस अवसर पर व्याख्यान के प्रथम सत्र की अध्यक्षता श्री उदय प्रताप सिंह ने तथा द्वितीय सत्र की अध्यक्षता श्री रामाधार झा ने की। उन्होंने अपने संबोधन में व्याख्याताओं के विषय प्रतिपादन की समीक्षा करते हुए तकनीकी क्षेत्र में राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को समुन्नत करने की सलाह दी। इस सेमिनार में विश्व बाजार व्यवस्था एवं औद्योगिकरण के परिवेश में हिंदी की उपादेयता पर्यावरण-प्रदूषण, कंप्यूटरीकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हिंदी आदि विषय पर सर्वश्री रामाधार झा, प्रशान्त गुप्ता, सुरजीत कुमार दास, संजय तिवारी, एच के पाढ़ी, सभाजीत सिंह, उदय कान्त सिंह एवं डॉ. रमापति तिवारी आदि विशिष्ट वक्ताओं ने शोध पूर्ण आलेख प्रस्तुत किए ।

इस कार्यक्रम में बोकारो नराकास के करीब 36 सदस्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने संगोष्ठी को उपादेय बताया।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, हरिद्वार रोड, मोहकमपुर, देहरादून

आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठी XVII का आयोजन

17वीं 'आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठी' का आयोजन गत दिवस संस्थान के सर सी. वी. रमन व्याख्यान कक्ष में संपन्न हुआ। संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए संस्थान के कार्यकारी निदेशक, डॉ. ए. दत्ता ने अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राजभाषा अनुभाग अबाध गति से आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठियों का आयोजन कर रहा है। हिंदी में विज्ञान लेखन से वैज्ञानिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ-साथ इस हेतु वातावरण भी निर्मित होता है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रकार के शब्द प्रयोग से पूर्व अवश्य कठिन प्रतीत होते हैं किंतु बार-बार प्रयोग करने के पश्चात् वे स्वत: ही सहज तथा सरल हो जाते हैं। उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रमों को विज्ञान लेखन हेतु उत्प्रेरक बताया एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में राजभाषा के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु राजभाषा अनुभाग को बधाई दी।

संगोष्ठी का संचालन करते हुए संगोष्ठी के संयोजक एवं संस्थान के वरिष्ठ हिंदी अधिकारी डॉ. दिनेश चमोला ने वैज्ञानिकों का आह्वान करते हुए कहा कि वैज्ञानिक उपलब्धियों/अनुसंधानों व शोध-पत्रों को राजभाषा हिंदी व भारतीय भाषाओं में अभिव्यक्त करना राष्ट्रीय महत्व का कार्य है। उन्होंने कहा कि कोई भी शब्द कठिन नहीं होता वह महज परिचित व अपरिचित होता है। हम अपनी भाषा में मौलिक रूप से चिंतन, लेखन व अनुसंधान कर ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित करें जो अन्य भाषा-भाषी वैज्ञानिकों के लिए भी उदाहरण हो। एक वैज्ञानिक के रूप में अपने शोधकार्य को अपनी राष्ट्रभाषा में संपन्न कर ही हम गौरवपूर्वक मातृभूमि का कर्ज चुका सकते हैं।

संगोष्ठी में संस्थान के वैज्ञानिकों यथा-श्री सर्वजीत सिंह ने 'गैस कोमैटोग्राफी का पेट्रोलियम के क्षेत्र में महत्व', कुछ कृति ने 'औषधीय विकास में जैव-प्रौद्योगिकी'; डॉ. एच. यू. खान ने 'अनुपयोगी पेट (पीईटी) का उपयोग:

एक समीक्षात्मक अध्ययन'; श्री सुनील पाठक ने 'हाईड्रोजन एवं प्राकृतिक गैस का मिश्रण-हाइथेन: वाहन प्रयोग के लिए उपयोगी गुण' तथा डॉ. श्री ओ. एस. त्यागी ने 'वायु जनित ठोस कण (एसपीएम), विषयों पर क्रमश: शोध-पत्रों की प्रभावपूर्ण प्रस्तुतियां हिंदी में दीं।

रक्षा मंत्रालय, तोप एवं गोला निर्माणी, काशीपुर, कोलकाता-700002

आयुध निर्माणी बोर्ड के तत्वावधान में पूर्व क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। पूर्व क्षेत्र स्थित विभिन्न आयुध निर्माणियां तथा प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा भागीदारी दर्ज की गई। सम्मेलन के मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष श्री अरविन्द नन्दी/सदस्य/कार्मिक, आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा प्रथम शील्ड, गन एंड शेल फैक्टरी, काशीपुर के महाप्रबंधक श्री के. जी. गुप्ता को देकर सम्मानित किया। सम्मेलन का आयोजन आयुध निर्माणी दमदम के सम्मेलन कक्ष में दिनांक 4 जून, 2007 को किया गया। स्वागत भाषण की प्रस्तुति ओ. एफ. डी. सी. के महाप्रबंधक श्री सुकुमार कोले द्वारा की गई। इस अवसर पर एक राजभाषा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया जिसमें राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार से संबंधित विभिन्न प्रकार की कार्यालयीन सामग्री भी देखने को मिली। संबंधित निर्माणियों के हिंदी अधिकारियों ने सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए राजभाषा हिंदी की प्रगति को दर्शाया, जिसमें श्री आर. के. शर्मा, हिंदी अधिकारी, जी. एस. एफ. की प्रस्तुति की । सभी ने भूरी-भूरी प्रशंसा की। इसे अन्य स्थापनाओं के लिए अनुकरणीय बताया। ■

(पृष्ठ 78 का शेष)

तृतीय स्थान मिला। सभी प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

संसदीय राजभाषा समिति का दौरा

17 जनवरी, 2007 को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा कम्पनी के हिंदी कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया गया। इस क्षेत्र में हमारे उत्तम निष्पादन के सिलसिले में संसदीय सदस्यों द्वारा खूब सराहना भी की गई।

समापन समारोह

हिंदी पखवाड़ा का समापन समारोह 17-2-2007 अपराह्न 2 बजे को पी. एफ. टी. में सम्पन्न हुआ। केरल के सम्माननीय उद्योग मंत्री श्री एलमरीम करीम ने समारोह का उद्घाटन किया। हिंदी को राजभाषा बनाने की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया।

कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम. अय्यप्पनजी ने, जो अध्यक्ष के मंच पर उपस्थित थे, अपने भाषण में व्यक्त किया कि हिंदी को सरकारी कामकाजों में अमल करना अत्यंत जरूरी है।

श्रीमती हिल्डा जोसफ, सेवा निवृत्त, उप-निदेशक, कॉलीजियेट इड्यूकेशन ने प्रस्तुत समारोह में आशीर्वाद भाषण दिया। श्री के. के. सुरेषकुमार , निदेशक, विपणन और श्री एम, डी. श्रीकुमार, महाप्रबंधक, ए. एफ.टी. ने समारोह में क्रमश: स्वागत एवं कृतज्ञता की भूमिका निभाई।

राजभाषा कार्यान्वयन के सर्वोत्तम निष्पादन रखने वाले यूनिट के परिप्रेक्ष्य में पी. एफ. टी. के महा प्रबंधक श्री मुरलीधरन अच्चाट को मंत्री जी ने चलवैजयंती पुरस्कार प्रदान किया।

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में अग्रणी अनुभाग के रूप में सी. एच. ओ. के सुरक्षा अनुभाग को भी नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा कंपनी के हिंदी विभाग द्वारा चलाई गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरण भी इस अवसर पर मंत्री जी द्वारा किए गए।

राज्यस्तरीय हिंदी पखवाड़ा समारोह में भागीदारी

14 सितम्बर, 2007 से 28 सितम्बर, 2007 तक तिरुवनंतपुरम के केरल हिंदी प्रचार सभा के नेतृत्व में एम. के. वेलायुधन नायर प्रेक्षागृह में आयोजित राज्यस्तरीय हिंदी पखवाड़ा समारोह में भी पूर्ण रूप से हमारी भागीदारी हुई। वहां आयोजित राजभाषा प्रदर्शिनी प्रतियोगिता में हमें पहला पुरस्कार भी मिला।

निष्कर्षत: हिंदी कार्यान्वयन में हम अतीव श्रद्धालु हैं, अत: हिंदी भाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने, परिपालन करने तथा उसे कायम रखने के मुताबिक अपने कर्मचारियों को राज्य के विभिन्न स्तरों पर चलाई जा रही हिंदी कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों में भेजे हैं। ■

पुरस्कार/प्रतियोगिताएं

कार्यालय अपर पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केंद्र, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, बनतालाब-जम्मू

ग्रुप केंद्र, केरिपुबल, बनतालाब(जम्मू) को राजभाषा (हिंदी) के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय(उत्तर), गाजियाबाद (उ0 प्र0) द्वारा उत्तर क्षेत्र के 07 राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों को दिए जाने वाले पुरस्कार के लिए वर्ष, 2005-06 हेतु ''ग'' क्षेत्र की श्रृंखला में द्वितीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया व दिनांक 23-24 फरवरी, 2007 को वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन (उत्तर व दिल्ली क्षेत्र) में राजभाषा शील्ड व प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए गए । इस अवसर पर सयुंक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपकर्मों इत्यादि के भारी संख्या में वरिष्ठ अधिकारी और वाराणसी शहर के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे ।

दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अनुवाद प्रतियोगिता (लिखित)

दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विगत बैठक में लिए गए निर्णयानुसार गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्वप्रथम दिल्ली स्थित विविध बैंकों के बीच अंतर बैंक प्रतियोगिता का आयोजन किया ।

दिनांक **21-06-2007** को दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में अंतर बैंक **'अनुवाद प्रतियोगिता (लिखित)'** का आयोजन किया, प्रतियोगिता में दिल्ली स्थित विविध बैंकों से **25 प्रतिभागी** उपस्थित रहे, कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक महाप्रबंधक श्री जे.एस. कंवर ने की । वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग से संयुक्त निदेशक (राजभाषा) श्री रमेशबाबू अणियेरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे । संयुक्त निदेशक श्री अणियेरी ने बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित उक्त प्रतियोगिता की सराहना की और कहा कि बैंक ऑफ इंडिया द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं, एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है जिसमें समस्त स्टाफ स्वत: हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे । उन्होंने उपस्थित समस्त प्रतिभागियों को सांविधिक अपेक्षाओं एवं नवोन्मेषी कार्यक्रमों से अवगत कराया एवं अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया । विविध बैंकों से उपस्थित प्रतिभागियों ने भी कार्यक्रम के सफल आयोजन की सराहना की ।

केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद

केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान (क्रीडा) को 'नराकास' की राजभाषा शील्ड

दिनांक 27-2-2007(मंगलवार) को अपराह्न 3 बजे दक्षिण मध्य रेलवे के प्रभारी महाप्रबंधक की अध्यक्षता में रेल निलयम सभागार, सिंकदराबाद में संपन्न हुई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति इनराकासट (केंद्रीय सरकार के कार्यालय) की बैठक में इस सस्थांन (क्रीडाक्डक्ष्वत्रृ) को हैदराबाद-सिंकदराबाद स्थित केंद्र सरकार के 'अनुसंधान संस्थानों-प्रयोगशालाओं' में जुलाई से दिंसबर, 2006 की अवधि के दौरान राजभाषा हिंदी में सर्वोत्कृष्ट कार्य करनोपरांत प्रमाणपत्र सहित 'शील्ड' प्रदान की गई ।

डॉ. वाई.एस.रामकृष्ण, निदेशक, केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान (क्रीडा), हैदराबाद ने यह शील्ड नराकास के प्रभारी अध्यक्ष से प्रमाणपत्र सहित ग्रहण की । इस अवसर पर संस्थान के सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री एस.आर. यादव भी उपस्थित थे । इससे पहले भी 'नराकास' की बैठकों में इस संस्थान को अनेक बार यह 'शील्ड' प्राप्त हो चुकी है । गत वर्ष ही इस संस्थान के निदेशक डॉ. वाई.एस. रामकृष्ण को 'शिक्षा शिरोमणि पुरस्कार' और सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री संतराम यादव को 'राष्टभारती पुरस्कार' रचनात्मक साहित्यिक एवं शैक्षणिक परिषद, हैदराबाद और भारतीय संस्कृति निमार्ण परिषद्, हैदराबाद द्वारा 8-10-2006 को तेलुगू यूनिवर्सिटी के सभागार में आयोजित संयुक्त समारोह में प्रदान किया गया था । संस्थान में दिन प्रतिदिन हिंदी कार्य में हो रही बढ़ोतरी का मुख्य श्रेय संस्थान के निदेशक डॉ. वाई. एस. रामकृष्ण के कुशल मार्गदर्शन और सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री एस.आर. यादव के विशेश प्रयास को जाता है ।

संस्थान में हुई हिंदी प्रगति में मुख्य रूप से इस अवधि के दौरान आयोजित अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम व हिंदी कार्यशालाएं रहीं । इसके साथ ही साथ नियमित कार्यों के

अतिरिक्त प्रमुख रूप से 'बारानी कृषि, कृषि मौसम विज्ञान एवं प्रशासनिक शब्दावली' नामक पुस्तक; द्विभाषी वैबसाइट की उपलब्धता; केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान - एक परिचय नामक हिंदी प्रोफाइल; कार्यालय में दैनिक प्रयोगार्थ हेतु द्विभाषी फार्म का संकलन और कें.बा.कृ. अनु. सं. - समाचार (द्विभाषी) आदि जारी करना तथा कर्मचारियों हेतु समय-समय पर हिंदी कार्यशाला, प्रतियोगिताएँ एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करना एवं वर्ष के दौरान हिंदी में अनेकानेक शोध लेखों का विभिन्न संगोष्ठियों, पत्रिकाओं में प्रकाशित होना व प्रस्तुत करना हैं ।

परिवर्तन जन कल्याण समिति -दिल्ली (पंजी) 36, एन्ड्रयूज गंज बाजार, नई दिल्ली- 110049

हिंदी संस्कृति पर्यटन साहित्य सम्मान सम्मेलन-2007

परिवर्तन जन कल्याण समिति के तत्वावधान में हिंदी संस्कृति पर्यटन साहित्य सम्मान सम्मेलन-2007 का आयोजन हिंदी माह एवं विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष में 27 सितंबर, 2007 को दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम सभागार में आयोजित किया गया । कार्यक्रम का उद्घाटन श्री भीष्म नारायण सिंह - पूर्व राज्यपाल एवं केंद्रीय मंत्री ने किया व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री बृजकिशोर त्रिपाठी मुख्य अतिथि थे । सम्मेलन की अध्यक्षता पदम्श्री डॉ. श्याम सिंह शशि ने की एवं अति विशिष्ठ अतिथि के रूप में डा. जी.वी.जी कृष्णामूर्ति, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं सांसद श्री रामजी लाल सुमन, डॉ. रतनाकर पाण्डेय पूर्व सांसद, वरिष्ठ साहित्यकार एवं वैदिक प्रवक्ता, आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री, आचार्य यादकुमार वर्मा उपस्थित थे । समिति के अध्यक्ष श्री डी.पी. सिंह राठौर ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्था परिवर्तन जन कल्याण समिति के उद्देश्यों गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाला । श्री अजय सिन्हा स्वागताध्यक्ष ने औपचारिक स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत किया । सामारोह के प्रथम चरण में श्री बृजकिशोर त्रिपाठी सांसद एवं डॉ. जी.वी.जी कृष्णामूर्ति पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हिंदी रतन सम्मान एवं डॉ. धर्मपाल आर्य, पूर्व कुलपति गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय, डॉ. हरि सिंह पाल, कार्यक्रम अधिकारी आकाशवाणी शिमला, श्री श्रवण कुमार उरमलिया, प्रसिद्ध व्यंगकार महाप्रबन्धक पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड को **हिंदी साहित्य शिरोमणि सम्मान** श्री जे.पी. सिंह, अपर निजी सचिव रसायन, उर्वरक व इस्पात मंत्रालय, श्री नेत्रसिंह रावत, उप निदेशक, हिन्दी कार्यान्वयन गृह मंत्रालय, श्री रामचन्द्र झा, सहायक निदेशक राजभाषा, कृषि मंत्रालय को **हिंदी कार्यान्वयन सम्मान,** आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री वैदक प्रवक्ता, आचार्य याद कुमार वर्मा, डॉ. जोगेन्द्र सिंह कण्डारी, उपनिदेशक, राजभाषा, वित्त मंत्रालय को **हिंदी साहित्य सर्जन सम्मान,** सुश्री कंचन दीवान को **हिंदी संगीत सुधा सम्मान,** श्री रमेश बाबू अनियारी, संयुक्त निदेशक राजभाषा, बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, डॉ. राजबीर सिंह, वरिष्ठ प्रबन्धक राजभाषा एन.एच.पी.सी., श्री प्रदीप कुमार शर्मा, वैयतिक सहायक रसयान एवं उर्वरक मंत्रालय को **हिंदी राजभाषा सम्मान,** डॉ. मोहिनी हिगोरानी सम्पादक संस्कृति पत्रिका, संस्कृत मंत्रालय श्री शान्ति कुमार स्याल सहायक सम्पादक राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, श्री अजय सहगल, सम्पादक टंकारा समाचार, श्री नरेन्द्र कश्यप, सम्पादक आदिवासी संदेश को **हिंदी पत्रिकारिता सम्मान** एवं श्री अरविन्द जैनी वरिष्ठ प्रबंधक प्रशासन एवं जन सम्पर्क अधिकारी, ऑयल इण्डिया लिमिटेड, श्री धीरेन्द्र वर्मा, प्रबंधक जन सम्पर्क, ओरियन्टल इन्श्योरेन्श कम्पनी लिमिटेड व श्री शौरभ भटनागर, प्रबन्धक जन सम्पर्क, उर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय को **हिंदी राजभाषा प्रचार, प्रसार सम्मान** से सम्मानित किया गया । सम्मानित अतिथियों का सम्मान शॉल, प्रतीक चिह्न प्रशस्ति पत्र व कलम एवं फूल मालाओं से किया गया । इस अवसर पर डॉ. रत्नाकर पाण्डेय ने हिंदी का विश्व में बढ़ते हुए वर्चस्व पर प्रकाश डाला एवं मुख्य वक्ता श्री बलवीर सिंह चौहान ने पर्यटन के माध्यम से भारतीय संस्कृति को विदेशों में ले जाने के विषय में अपना त्रिकोणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया । श्री सिंह ने कहा कि पर्यटन हिंदी व भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार, प्रसार करने का सबसे सशक्त माध्यम है, जो पर्यटक भारत आते हैं व राजाओं महाराजाओं व मुगल बादशाहों द्वारा निर्मित किले व अन्य एतिहासिक स्मारकों को अवश्य देखते हैं, जो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है । कार्यक्रम में श्री विजय गुप्त द्वारा लिखित खोया हुआ कश्मीर पुस्तक का लोकार्पण श्री भीष्म नारायण सिंह द्वारा किया गया । कार्यक्रम का संचालन डॉ. हरिसिंह पाल, कार्यक्रम अधिकारी आकाशवाणी शिमला ने किया । खचा-खच भरे समारोह सभागार में राजधानी के कोने-कोने से पधारे वरिष्ठ साहित्यकार, समाजसेवी, बुद्धिजीवी एव मीडिया कर्मी उपस्थित थे । कार्यक्रम में हिस्सा लेने वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. राजेन्द्र मिलन आगरा, श्री लक्ष्मण सिंह चौहान व कैलाश चन्द्र शर्मा बरेली व अन्य साहित्यकार शिमला एवं उत्तरांचल से आये थे ।

समारोह को सफल बनाने में सहप्रयोजक के रूप में स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया ने सहयोग किया । महासचिव श्री एस.पी. त्यागी, श्रीरामचन्द्र झा, श्री मनोज कुमार, श्री अरविन्द सिंह श्री दिगविजय पाठक, अमित पाण्डेय, हेमेन्द्र राठौर कैलाश चन्द्र शर्मा की सराहनीय भूमिका रही। ■

प्रशिक्षण

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, माह जुलाई, 2007 की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण

1. दिनांक 23-7-2007 से 27-7-2007 तक 308वीं गहन हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें 44 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

2. दिनांक 6-7-2007 को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं उप संस्थानों में गहन हिंदी प्रशिक्षण के अंतर्गत गहन हिंदी प्रवीण परीक्षा आयोजित की गई तथा 7-7-2007 को गहन प्राज्ञ कक्षाएं आरंभ हुईं । दिनांक 27-7-2007 को देश भर में गहन प्राज्ञ परीक्षा आयोजित की गई ।

भाषा पत्राचार

1. जुलाई, 2007 से आरंभ होने वाले भाषा पत्राचार पाठ्यक्रम के नए सत्र के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ की गई ।

2. प्रबोध पाठ्यक्रम की नई पाठ्य-सामग्री के समय से मुद्रण हेतु यथावश्यक कार्रवाई की गई ।

टंकण पत्राचार

हिंदी टाइपलेखन पत्राचार पाठ्यक्रम के 33वें सत्र के लिए दिनांक 2, 3 व 4 जुलाई, 2007 को बड़ौदा में तीन दिवसीय व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

परीक्षा

1. दिनांक 16 से 27 जुलाई, 2007 तक देश भर में हिंदी टंकण/आशुलिपि परीक्षाओं का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया ।

2. दिनांक 6-7-2007 को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा उप संस्थानों में प्रवीण गहन परीक्षा तथा दिनांक 27-7-2007 को प्राज्ञ गहन परीक्षा का आयोजन किया गया ।

3. दिनांक 27-7-2007 को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा उप संस्थानों के केंद्रों पर हिंदी टंकण गहन परीक्षा का आयोजन किया गया ।

हिंदी शिक्षण योजना

1. 1 जुलाई, 2007 को देश भर में हिंदी भाषा की प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ कक्षाओं का नया सत्र आरंभ किया गया ।

2. टंकण/आशुलिपि की कक्षाओं का नया सत्र आरंभ हुआ ।

3. उप निदेशक (मध्योत्तर) द्वारा जबलपुर कार्यालय का निरीक्षण किया गया ।

4. उप निदेशक (पूर्वोत्तर) ने दिनांक 18-7-2007 को नराकास (उपक्रम) की बैठक में भाग लिया ।

5. 4-7-2007 को भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड, भानुर, हैदराबाद में हिंदी शिक्षण योजना का नया केंद्र खोला गया ।

6. 1 जुलाई, 2007 को आरंभ होने वाले सत्र में कोलकाता में भाषा प्रशिक्षण के 12 नए केंद्र खोले गए ।

7. दिनांक 17-7-2007 को कोलकाता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में उप निदेशक (पूर्व) ने भाग लिया ।

8. दिनांक 27-7-2007 को सहायक निदेशक (भाषा) ने कोलकाता में पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कार्यालय में आयोजित कार्यान्वयन समिति की बैठक में भाग लिया ।

9. दिनांक 19-7-2007 को श्रीमती सुनिता यादव, सहायक निदेशक (भाषा) ने मुंबई में बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भाग लिया ।

बैठकें एवं संगोष्ठियां

1. दिनांक 4-7-2007 से 5-7-2007 तक प्राज्ञ पाठमाला के पुनर्लेखन हेतु केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में एक दो दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें तीन विषय विशेषज्ञों के साथ 6 विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया ।

2. दिनांक 3-7-2007 को निदेशक, संस्थान की अध्यक्षता में परीक्षा समिति तथा नई दिल्ली स्थित कार्यालयों के अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई ।

अन्य

1. अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर उसे प्रकाशन के लिए भेजा गया।

2. अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक द्वारा नवनिर्मित प्रवीण पाठ्यक्रम की सी. आर. सी. संयुक्त सचिव, राजभाषा को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई।

3. दिनांक 24-7-2007 को संयुक्त निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई।

4. मानक हिंदी आशुलिपि पाठ्य पुस्तक के पुनर्लेखन के संबंध में दिनांक 4, 5 और 6 जुलाई, 2007 को शिमला में तीन दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना माह अगस्त, 2007 की महत्वपूर्ण गतिविधियां

अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण

1. राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अंतर्गत दिनांक 6 अगस्त, 2007 से दिनांक 10 अगस्त, 2007 तक सहायक निदेशक (ट./आशु.) का पुनश्चर्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें 31 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। पुनश्चर्या कार्यक्रम में संयुक्त सचिव (रा.भा.) ने भी उपस्थित होकर प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाया।

2. हिंदी भाषा कर्मचारियों की हिंदी में काम करने की झिझक को दूर करने हेतु दिनांक 20-8-2007 से 24-8-2007 तक 309वीं गहन हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें 30 प्रतिभागियों ने सक्रिय सहयोग किया।

संस्थान

1. देश भर के उप संस्थानों में गहन हिंदी भाषा प्रशिक्षण की दूसरी तिमाही में कक्षाओं के गहन हेतु सहायक निदेशकों द्वारा गहन संपर्क कार्य किया गया।

2. दिनांक 22 अगस्त, 2007 को निदेशक (संस्थान) की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

3. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को हिंदी पखवाड़ा आयोजित करने हेतु निदेश दिए।

भाषा पत्राचार स्कंध

जुलाई, 2007 से आरंभ भाषा पत्राचार में पंजीकृत प्रशिक्षार्थियों को उनके पंजीकरण कार्ड, परीक्षा फार्म एवं अगस्त माह की पाठ्य सामग्री भिजवाई गई।

टंकण पत्राचार

हिंदी टाइपलेखन पत्राचार पाठ्यक्रम का 34वां सत्र देश भर में जुलाई, 2007 से आरंभ हुआ।

हिंदी शिक्षण योजना

1. दिनांक 10 अगस्त, 2007 को निदेशक महोदया की अध्यक्षता में हिंदी पखवाड़े के संबंध में बैठक आयोजित की गई जिसमें उप निदेशक (मध्योत्तर) को हिंदी पखवाड़े के आयोजन का दायित्व सौंपा गया। उप निदेशक (मध्योत्तर) ने हिंदी पखवाड़े में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं के संबंध में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को पत्र द्वारा सूचना दी तथा आयोजन संबंधी अनेक प्रबंध किए।

2. देश भर में हिंदी शिक्षण योजना के प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठ्यक्रम का नया सत्र आरंभ हुआ।

3. दिनांक 9 अगस्त, 2007 से भारत संचार निगम लिमिटेड, कोलकाता कार्यालय में भाषा का नया केंद्र खोला गया।

4. दिनांक 24 अगस्त, 2007 को कोलकाता में आयोजित नराकास (बैंक) की बैठक में उप निदेशक (पूर्व) ने भाग लिया तथा प्रशिक्षण संबंधी जानकारी दी।

5. दिनांक 30 अगस्त, 2007 कोलकाता में आयोजित नराकास (उपक्रम) की बैठक में उप निदेशक (पूर्व) ने भाग लिया।

6. दिनांक 10 अगस्त, 2007 को क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय द्वारा हैदराबाद में आयोजित नराकास की बैंक में प्रभारी सहायक निदेशक (भाषा) ने भाग लिया।

7. दिनांक 2 अगस्त, 2007 को उप निदेशक (दक्षिण) की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई।

8. उप निदेशक (पश्चिम) ने 12 से 17 अगस्त, 2007 को पूना व नागपुर केंद्रों का निरीक्षण करने हेतु दौरा किया।

परीक्षा

दिनांक 31 अगस्त, 2007 को टंकण/आशुलिपि परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया।

केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान (क्रीडा), हैदराबाद में अनुवाद प्रशिक्षण

केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान (क्रीडा), हैदराबाद में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सौजन्य से दिनांक 20 से 24 नवम्बर, 2006 तक हैदराबाद-सिकंदराबाद स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केंद्रीय सरकार के कार्यालय के सदस्य कार्यालयों) के सदस्यों हेतु पांच दिवसीय संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नगरद्वय स्थित केंद्र सरकार के हिंदी कार्यान्वयन से जुड़े हिंदी अधिकारियों/सहायक निदेशक (राजभाषा)/हिंदी अनुवादकों एवं अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया।

दिनांक 20-11-2006 को उद्घाटन सत्र के दौरान संस्थान के निदेशक ने अपने संबोधन में ऐसे कार्यक्रमों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला तथा आज के संदर्भ में इसकी आवश्यकता पर विशेष बल दिया और संस्थान में हिंदी कार्य के क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला। विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित श्री के.पी. सत्यानंदन, उपमुख्य राजभाषा अधिकारी, दक्षिण मध्य रेलवे एवं सदस्य सचिव, नराकास ने संस्थान के निदेशक को यह प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रीड़ा में आयोजन करने की अनुमति प्रदान करने हेतु साधुवाद दिया। आपने नराकास के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों की हिंदी प्रगति का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया तथा समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयानुसार अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन कार्य को सफलीभूत करने हेतु क्रीड़ा के सहायक निदेशक (राजभाषा) ओर निदेशक डॉ. वाई. एस. रामकृष्ण को पुनः धन्यवाद दिया। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली की उपनिदेशक डॉ. कुसुम अग्रवाल ने अनुवाद की महत्ता पर प्रकाश डाला तथा ऐसे संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षिण कार्यक्रमों के आयोजन पर बल दिया। ब्यूरो के बंगलौर केंद्र के श्री एम.एम. भांड़ेकर, अनुवाद एवं प्रशिक्षण अधिकारी ने अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला तथा अनुवाद करते समय लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा की भाषिक संकल्पनाओं को ध्यान में रखने पर भी बल दिया। ■

(पृष्ठ 56 का शेष)

इस बात की चर्चा हुई और अध्यक्ष श्री ने कहा कि सब कार्य सत् प्रतिशत हिंदी में ही करना होगा ।

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, एन.एच. 4, फरीदाबाद

श्री बी.एम. झा, अध्यक्ष, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड एवं अध्यक्ष विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता में दिनांक 1-06-2007 को प्रातः 10.00 बजे समिति कक्ष में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई ।

उपनिदेशक (रा.भा.) ने स्थानीय प्रशासन अनुभाग द्वारा किए जा रहे हिंदी कार्यों की प्रशंसा की तथा अन्य अनुभागों को भी स्था. प्रशा. अनुभाग का अनुसरण करने की सलाह दी ।

उपनिदेशक (रा.भा.) ने बताया कि कानूनी कक्ष अनुभाग में पहले की अपेक्षा हिंदी कार्यों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है । हिंदी के प्रयोग को और अधिक गति देने की आवश्यकता है । कुछ रजिस्टरों में हिंदी में प्रविष्टियाँ नहीं हो रही हैं । सभी रजिस्टरों में शत-प्रतिशत हिंदी में प्रविष्टियाँ की जानी चाहिए । 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर भी हिंदी में दिए जाएं ।

स्था. अनुसचिवीय अनुभाग को शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है । परन्तु अनुभाग में किए जा रहे कार्यों की मात्रा बहुत कम है । अनुभाग को कुछ प्रपत्र दिए गए हैं परन्तु उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है । इस अनुभाग में हिंदी टाइप जानने वाले कर्मचारी भी हैं परन्तु अपेक्षित कार्य हिंदी में नहीं किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि स्था. अनुसचिवीय अनुभाग को समस्त कार्य हिंदी में करने के आदेश दिए जायें ।

लेखा अनुभाग में हिंदी पत्राचार की प्रतिशतता कम है परन्तु फाइलों पर हिंदी में टिप्पणी लिखी जा रही हैं । अधिकांश रजिस्टरों के शीर्षक द्विभाषी हैं । फाइलों के शीर्षक शीघ्र द्विभाषी करने के लिए फाइलों की सूची हिंदी अनुभाग को अनुवाद एवं टंकण करने हेतु उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया । जिन प्रपत्रों का अनुवाद अभी शेष है, उनका शीघ्र अनुवाद कराया जाए । श्रीमती दुर्गा देवी, प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि शीघ्र ही सभी रजिस्टरों के शीर्षक द्विभाषी किए जायेंगे तथा लेखा अनुभाग के प्रपत्र इत्यादि अनुवाद के लिए हिंदी अनुभाग को उपलब्ध करा दिए जाएंगे ताकि अनुभाग में हिंदी कार्य में वृद्धि हो सके । ■

आदेश–अनुदेश

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली का दिनांक 14 अगस्त, 2007 का का. ज्ञा. संख्या I/14034/03/2007-रा.भा. (नीति-I) :

कार्यालय ज्ञापन

विषय : हिंदी दिवस–2007

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के प्रति जागरूकता तथा उसके प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/उपक्रम/बैंक आदि गत वर्षों में हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/मास आदि मनाते रहे हैं। हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अपनाए 58 वर्ष हो चुके हैं। इस दौरान यद्यपि केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग क्रमिक रूप से बढ़ रहा है परंतु हिंदी के प्रयोग की मौजूदा स्थिति को आशानुरूप बनाने में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने व लक्ष्यों को निहित भावना के अनुसार सही रूप में प्राप्त करने का दायित्व केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों व उनके संबंधित/अधीनस्थ कार्यालयों का ही है। हिंदी दिवस मनाते हुए हमें यह गंभीरतापूर्वक सोचना होगा कि हिंदी के प्रयोग संबंधी संवैधानिक और विधिक दायित्वों को सही मायने में निभाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएं ताकि हिंदी के प्रयोग में स्पष्ट दिखाई देने वाली गुणात्मक और संख्यात्मक प्रगति हो और कार्यालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग संबंधी वातावरण में एक सकारात्मक बदलाव आए।

2. उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मूल रूप से हिंदी में कार्य करना, जनता और सरकार के बीच विश्वसनीय संवाद स्थापित करने के लिए संघ के कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में निरंतर वृद्धि एवं हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देने के ठोस प्रयासों की निरंतरता बनाए रखना हमारा एक महत्वपूर्ण कर्त्तव्य होना चाहिए। हिंदी प्रयोग न करने की प्रवृत्ति के कारण हिंदी में कार्य करने में प्रारंभ में जो कठिनाई महसूस हो सकती है वह कुछ समय के पश्चात् पूर्ण रूप से स्वतः ही हल हो जाती है।

3. इस वर्ष 14 सितम्बर, 2007 को सरकार के अधिकारी तथा कर्मचारी अपने आपको इस संकल्प के प्रति समर्पित करें कि वे भारत के संविधान में संघ की राजभाषा के संदर्भ में किए गए प्रावधानों के प्रति निष्ठावान रहेंगे, स्वयं सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करेंगे तथा कार्यालय में हर संभव तरीके से उसके प्रयोग को बढ़ावा देंगे। अनुवाद का सहारा कम से कम लेंगे। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए तैयार किए गए वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों की सही अर्थों में प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा के साथ प्रयत्नशील होंगे।

4. उपरोक्त संकल्प के साथ प्रत्येक वर्ष की तरह, इस वर्ष हिंदी दिवस यानि 14 सितम्बर के कार्यालयों में हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम यथासंभव, अन्य के साथ, निम्न दिशा में हो सकते हैं :–

(i) केंद्र सरकार के सभी कार्यालय एक पखवाड़े तक अपना समस्त कार्य व बातचीत हिंदी में करने की प्रवृत्ति विकसित करें तथा दिसम्बर, 2007 को समाप्त तिमाई की हिंदी प्रगति रिपोर्ट के द्वारा अलग से राजभाषा विभाग को यह भी सूचित करें कि उन्हें हिंदी में कार्य करने में क्या व्यावहारिक कठिनाईयां आईं तथा उनके निवारण के लिए अपने स्तर पर उन्होंने क्या उपाय किए।

(ii) केंद्र सरकार के सभी उच्चाधिकारियों से यह अपेक्षा है कि वे अपना दैनिक कार्य स्वयं हिंदी में करके अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करें तथा उन्हें भी अपना दैनिक सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे अवश्य ही हिंदी में कार्य करने की मानसिकता विकसित होगी।

(iii) हिंदी भाषा को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए इसे सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने की नितांत आवश्यकता है। इसके लिए जिन मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के कम्प्यूटरों में हिंदी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध न हो वे राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र के संबंधित प्रभारी अधिकारी से संपर्क कर अपने कंप्यूटरों को इस सुविधा से सम्पन्न करवा लें। यहाँ यह उल्लेख किया जाता है कि हिंदी में काम करने के लिए वर्ड, एक्सेल, पावरप्वाइंट आदि साफ्टवेयर व अन्य उपयोगी सुविधाएं जैसे की फोंट, की-बोर्ड ड्राइवर (रेमिंगटन, इंस्क्रिप्ट, फोनेटिक) की समस्या का हल (www.ildc.gov.in) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निःशुल्क अपनी वेब-साइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जा चुका है। अतः कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए कोई साफ्टवेयर खरीदने के लिए अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता नहीं है। राजभाषा विभाग द्वारा स्वयं की आनलाइन हिंदी सीखने, कंप्यूटर की मदद से अंग्रेजी दस्जावेज का हिंदी अनुवाद व कंप्यूटर द्वारा हिंदी डिक्टेशन को हिंदी टेक्सट में परिवर्तित करने के साफ्टवेयर विकसित कराए गए हैं। इन सबके बारे में जानकारी के लिए राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित कराए जा रहे पांच दिवसीय कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करे। अगर आवश्यकता हो राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष एवं राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र की सेवाएं (**दूरभाष संख्या 011-24619860) सायं 4.00 बजे से 5.30 बजे** तक प्राप्त करें।

(iv) मंत्रालय/विभाग की वेब-साइट में सम्पूर्ण सामग्री अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रजी दोनों भाषाओं में डाली जाए। जहां संभव हो हिंदी वेबसाइट पर मूल सामग्री डाली जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि हिंदी वेबसाइट अंग्रेजी वेबसाइट के साथ-साथ अद्यतित की जा रही है।

(v) मंत्रालयों/विभागों की उच्चस्तरीय बैठकों में चर्चाओं में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाया जाए।

(vi) हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनुवाद का सहारा न लेकर मूल कार्य हिंदी में ही किया जाए।

(vii) अगर आपके विभाग/मंत्रालय व अधीनस्थ कार्यालय ने कोई अभिनव/अनूठे प्रयोग या अन्य प्रयासों/समाधानों से अपने यहाँ हिंदी के प्रयोग में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की हो तो इस बारे में विस्तृत जानकारी राजभाषा विभाग को दें ताकि विभागीय पत्रिका 'राजभाषा भारती' व अन्य प्रचार माध्यमों से इसको दूसरों के लाभ के लिए प्रचारित किया जा सके।

5. अनुरोध है कि उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालय अपने सुविचारित कार्यक्रम तैयार करें और उन्हें क्रियान्वित करवाएं तथा अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि को आवश्यक निदेश जारी करें ताकि आगामी एक वर्ष में हिंदी प्रयोग में होने वाली प्रगति संतोषजनक हो। इन कार्यक्रमों एवं इनसे प्राप्त तुलनात्मक प्रगति (गुणात्मक व संख्यात्मक) का उल्लेख संबंधित माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए जाने वाले संदेशों में भी हो।

रंजीत ईस्सर,
सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली का दिनांक 10 अगस्त, 2007 का का. ज्ञा. संख्या 21034/34/2007-रा.भा. (प्रशि.)

कार्यालय ज्ञापन

विषय : हिंदी शिक्षण योजना के अधीन प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन-नकद पुरस्कार की राशि में वृद्धि।

उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 10-2-95 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/3/94-हिशियों (मु) में आंशिक संशोधन करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने दिनांक 21-6-2007

से अथवा उन परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा की तारीख से, जिनसे वे पात्र बने, नकद पुरस्कारों की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो निम्न प्रकार है :--

	परीक्षा	नकद पुरस्कार
	हिंदी भाषा	
क.	**प्रबोध**	
	1. 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु. 800/-
	2. 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 400/-
	3. 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 200/-
ख.	**प्रवीण**	
	1. 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु. 1,200/-
	2. 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 800/-
	3. 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 400/-
ग.	**प्राज्ञ**	
	1. 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु. 1,200/-
	2. 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 800/-
	3. 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 400/-

2. नकद पुरस्कारों की देयता के संबंध में अन्य सभी शर्तें वही होंगी, जो पहले जारी किए गए आदेशों में निहित है।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से उनकी दिनांक 21-6-2007 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या-14(9)/ई. II(ए)/2007 के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली का दिनांक 9 अगस्त, 2007 का का. ज्ञा. संख्या 21034/35/2007-रा.भा. (प्रशि.-I) :

कार्यालय ज्ञापन

विषय : हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा हिंदी टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा के परीक्षार्थियों की उत्तर-पुस्तिकाओं की संवीक्षा कराने की फीस में वृद्धि के संबंध में।

हिंदी शिक्षण योजना के अधीन आयोजित की जाने वाली हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा हिंदी टंकण एवं आशुलिपि परीक्षाओं में जो परीक्षार्थी अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होते तथा अपनी उत्तर-पुस्तिकाओं की संवीक्षा के लिए आवेदन करते हैं, उनकी उत्तर-पुस्तिकाओं के संवीक्षा शुल्क में वृद्धि किए जाने का मामला कुछ समय से विचाराधीन रहा है। अब भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस शुल्क को रु. 5/- से बढ़ाकर रु. 50/- कर दिया जाए। यह फीस उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली को देय रु. 50/- के डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा दी जाएगी जो कि संवीक्षा करवाने के लिए आवेदन-पत्र के साथ भेजा जाना होगा।

2. उपर्युक्त वृद्धि इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त-II, गृह मंत्रालय की टिप्पणी संख्या एफ-900/07/ए.एस. एण्ड एफ.ए (एच), दिनांक 29 जून, 2007 के तहत दी गई सहमति से जारी किया जा रहा है।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली का दिनांक 10 अगस्त, 2007 का का. ज्ञा. संख्या 21034/34/2007-रा.भा. (प्रशि.)

कार्यालय ज्ञापन

विषय : निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं तथा स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं आदि की मान्यता प्राप्त हिंदी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन-एक मुश्त पुरस्कारों में वृद्धि।

उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 16-2-95 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/3/94-हिशियों (मु) में आंशिक संशोधन करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने दिनांक 21-6-2007 से अथवा उन परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा की तारीख से, जिनसे व पात्र बने, एकमुश्त पुरस्कारों की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो निम्न प्रकार है :--

परीक्षा	एक मुश्त पुरस्कार
(1) हिंदी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा	रु. 1000/-
(2) हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा	रु. 1000/-
(3) हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा	रु. 1200/-
(4) स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ऐसी हिंदी परीक्षाएं, जिन्हें भारत सरकार (शिक्षा विभाग) द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष या उससे उच्च परीक्षा के रूप में मान्यता दी गई है।	रु. 1200/-
(5) केंद्रीय हिंदी निदेशालय की "हिंदी डिप्लोमा पाठ्यक्रम" परीक्षा	रु. 1200/-
(6) हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टाइपलेखन परीक्षा	रु. 800/-
(7) हिंदी शिक्षण योजना की आशुलिपि परीक्षा	रु. 1500/-

2. एक मुश्त पुरस्कारों की देयता के संबंध में अन्य सभी शर्तें वही होंगी, जो पहले जारी किए गए आदेशों में निहित है।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से उनकी दिनांक 21-6-2007 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या-14(9)/ई-II (ए)/2007 के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली का दिनांक 10 अगस्त, 2007 का का. ज्ञा. संख्या 21034/34/2007-रा.भा. (प्रशि.)

कार्यालय ज्ञापन

विषय : हिंदी शिक्षण योजना के अधीन हिंदी टंकण एवं आशुलिपि की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन-नकद पुरस्कार की राशि में वृद्धि ।

उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 14-2-95 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/3/94-हिशियों (मु) में आंशिक संशोधन करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने दिनांक 21-6-2007

से अथवा उन परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा की तारीख से, जिनसे वे पात्र बने, नकद पुरस्कारों की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो निम्न प्रकार है :–

	परीक्षा	नकद पुरस्कार
क.	**हिंदी टंकण**	
	1. 97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु. 1,200/--
	2. 95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 800/-
	3. 90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 400/-
ख.	**हिंदी आशुलिपि**	
	1. 95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु. 1,200/-
	2. 92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 800/-
	3. 88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 400/-

2. नकद पुरस्कारों की देयता के संबंध में अन्य सभी शर्तें वही होंगी, जो पहले जारी किए गए आदेशों में निहित हैं।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से उनकी दिनांक 21.6.2007 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या-14(9)/ई-II (ए)/2007 के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली-3 का दिनांक 19 जुलाई, 2007 का का. ज्ञा. सं. 12024/09/2007-रा.भा. (का. 2)

कार्यालय ज्ञापन

विषय : नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कार्यकलापों लिए सदस्य कार्यालयों द्वारा दिया जाने वाला वार्षिक अनुदान/अंशदान।

राजभाषा विभाग द्वारा देश के विभिन्न नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों के अध्यक्ष नगर विशेष में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं। वर्ष के दौरान इन समितियों की दो बैठकें आयोजित की जानी अपेक्षित हैं। जिन समितियों के सदस्य कार्यालयों की संख्या 100 से अधिक है उन्हें बड़ी समितियों की श्रेणी में रखा जाता है और जिनके सदस्य कार्यालयों की संख्या 100 से कम है उन्हें छोटी समितियों की श्रेणी में रखा जाता है। राजभाषा विभाग द्वारा बड़ी समितियों को 3000/- रु. प्रति बैठक एवं छोटी समितियों को 1500/- रु. प्रति बैठक प्रदान किए जाते हैं। इन समितियों की बैठकों में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के संबंध में सभी सदस्यों की सहमति से निर्णय लिए जाते हैं। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार और विकास का दायित्व सभी केंद्रीय कार्यालयों का है, इसलिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

2. मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा समय-समय पर इस विभाग से यह जानकारी मांगी जाती रही है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को सदस्य कार्यालयों द्वारा अंशदान दिए जाने के बारे में राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेशों की प्रति उन्हें उपलब्ध करवाई जाए।

3. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को अंशदान दिए जाने के बारे में इस विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

4. अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों आदि के ध्यान में ला दें। ■

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2007

अधिसूचना

का.आ. (अ).–केंद्रीय सरकार राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) संशोधान नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में –

नियम 2 के खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

'(च) "क्षेत्र क" से बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र' अभिप्रेत हैं;'

[फा. सं. I/14034/02/2007-रा.भा.(नीति-1)]

ह./-

पी. वी. वल्सला जी. कुट्टी,
संयुक्त सचिव

नोट :–मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 1052, तारीख 17 जुलाई, 1976 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का.नि. 790, तारीख 24 अक्तूबर, 1987 द्वारा किए गए ।

(पृष्ठ 48 का शेष)

बाधा न आने पाए । उनका कहना था कि हिंदी को प्रेम से और बिना किसी टकराव के आगे बढ़ाया जाना चाहिए । उन्होंने इच्छा जताई कि रक्षा मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय होने के कारण यहां हिंदी का प्रयोग अधिक-से-अधिक किया जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि प्राय: दूसरे देशों का उदाहरण देते हुए कहा जाता है कि अमुक देश में उस देश की भाषा को एक ही दिन में राजभाषा का दर्जा दे दिया गया; परन्तु इस संदर्भ में हमें अपने देश की धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक विविधताओं तथा मानवीय पहलुओं को भी ध्यान में रखना होगा । हिंदी बेशक हमारी राजभाषा है और इसीलिए इसे सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए । परन्तु हमें चाहिए कि भारत की अन्य सभी क्षेत्रीय भाषाओं का भी बराबर सम्मान हो । उन्होंने आशा जताई कि इस समिति के माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करते हुए, मंत्रालय में हिंदी के प्रयोग में क्रमश: वृद्धि होगी ।

समिति ने अध्यक्ष महोदय द्वारा अभिव्यक्त विचारों की सराहना करते हुए उन्हें अमली जामा पहनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया । तत्पश्चात्, कार्यसूची की मदों पर क्रमवार विचार-विमर्श प्रारम्भ हुआ ।

समिति ने 02 मई, 2006 को हुई पिछली बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की जिसके उपरान्त शेष मदों पर चर्चा की गई । ■

पाठकों के पत्र

–नि:संदेह भारत सरकार की राजभाषा नीति कार्यान्वयन, प्रेरणा प्रोत्साहन और सद्भाव पर आधारित है, इसमें राज़भाषा भारती, मोहक माला के स्वर्णिम मोती तुल्य है।

राजभाषा भारती के प्रत्येक अंक की पठन सामग्री सारगर्भित, सराहनीय एवम् जन उपयोगी होती है।

राजभाषा भारती के सफल, कुशल एवम् नियमित प्रकाशन के लिये सम्पादक मण्डल और उनके सहयोगी हार्दिक बधाई के पात्र हैं।

–चन्द्र मोहन चड्ढा, एडवोकेट/पूर्व प्रवक्ता पुलिस अकादमी, 121-ए, जनकपुरी, मंदिर से अगली गली, सहारनपुर (यू.पी)–247 001

आपके संपादन में प्रकाशित 'राजभाषा भारती' का नवांक मिला, धन्यवाद। समय-समय पर पत्रिका में ज्ञान-विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण एवं लोकोपयोगी विषयों पर हिंदी में सारगर्भित सामग्री प्रकाशित की जाती है। इसके साथ ही इसमें देशभर के केंद्रीय कार्यालयों तथा मंत्रालयों, नियंत्रणाधीन कार्यालयों में संपन्न हिंदी विषयक गतिविधियों/समारोहों की रपटें राजभाषा के व्यावहारिक अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अत्यंत उपयोगी हैं।

–डॉ दिनेश चमोला, प्रभारी, राजभाषा अनुभाग, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, हरिद्वार रोड, मोहकमपुर, देहरादून-248 005

राजभाषा भारती अंक 115 में प्रकाशित सभी रचनाएं सराहनीय हैं। इसमें श्री दयानाथ लाल का लेख "हिंदी साहित्य-विभाजन और विश्लेषण" एवं डा. देशराज का लेख "स्वास्थ्य-एडस-जानकारी और बचाव" पठनीय है।

पत्रिका के सफल संपादन के लिए संपादक मंडल को बधाई एवं पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

–डी. के. माथुर, कल्याण अधिकारी, राजभाषा कक्ष, भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग, महालेखाकार (लेखा व हक.), राजस्थान, जयपुर-302 005.

राजभाषा विभाग से प्रकाशित 'राजभाषा भारती' का अक्तूबर–दिसम्बर 2006 का 115वाँ अंक प्राप्त हुआ जिसके लिए हार्दिक धन्यवाद।

पत्रिका के सभी लेख ज्ञानवर्द्धक व उपादेय हैं। उनमें भी ईश्वरचंद्र मिश्र का 'वैज्ञानिक लेखन में हिंदी अनुवाद', डॉ पन्ना प्रसाद का 'तुलसी भाषा के आदर्श थे बाल्मीकी और हनुमान' एवं सुरेश तिवारी का 'इस्पातन अपशिष्ट' अपनी अलग पहचान रखते हैं। पत्रिका को ऐसा उपादेय रूप देने के लिए संपादक मंडल व लेखकगण सम्मान रूप से साधुवाद के पात्र हैं।

–गजानन्द गुप्त, मंत्री, राष्ट्रभाषा प्रचार परिषद् 19-3-946, शमशीरगंज, हैदराबाद-500 053.

पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख समसामयिक एवं सटीक हैं। ''राजभाषा कार्यान्वयन–एक विश्लेषण और वैश्वीकरण के परिवेश में, कार्यालयीन हिंदी एवं अनुवाद के स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता'' लेखों ने अत्यंत ही प्रभावित किया। देशभर में फैले विभिन्न सरकारी कार्यालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की राजभाषा गतिविधियों की जानकारी एवं रंगीन छाया-चित्रों ने पत्रिका को पठनीय एवं संग्रहणीय बना दिया है। संपादकीय टीम को हार्दिक बधाइयां।

–सदस्य सचिव, बैंक नराकास, कोच्चि, यूनियन बैंक आफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, एम. जी. रोड, एरणाकुलम-682 035.

राजभाषा भारती के अंक 115 में सरकारी कार्यालयों में हिंदी कार्यान्वयन और हिंदी साहित्य के बारे में विस्तृत जानकारी का अभूतपूर्व सामंजस्य है। इस अंक में पर्यावरण और स्वास्थ्य विषयों के बारे में भी उपयोगी जानकारी है।

–संजय कुमार गुप्ता, प्रबंधक (राजभाषा), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रा. वि. प्र. हैदराबाद, हवाई अड्डा, हैदराबाद-500 016

राजभाषा भारती के अंक 115 पत्रिका में प्रकाशित साहित्यिक, पर्यावरण व स्वास्थ्य से संबंधित लेख पढ़े जो सराहनीय हैं। विशेषतया विश्व हिंदी दर्शन लेख द्वारा विदेशों में राजभाषा की प्रगति का उल्लेख हिंदी भाषा के विकास में सहायक होगा। राजभाषा विकास के लिए अपनी सभी शुभकामनाओं सहित ।

–संगीता श्रीवास्तव, सहायक प्रबंधक (राजभाषा) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित (इरेडा) भारत पर्यावास केंद्र, कोर-4-ए, ईस्ट कोर्ट, प्रथम तल, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003

राजभाषा भारती के अंक 115 में ''अनुवाद के स्वरूप में परिवर्तन'' नितांत आवश्यक है। श्री सुरेंद्र शर्मा जी के विचार महत्वपूर्ण हैं। अटपनापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 'हिंदी की प्रकृति' सर्वोपरि है। वैश्वीकरण के संदर्भ में हिंदी को आगे रहना है।

सब स्तंभ उपयोगी हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम सूचनाएं देते रहें ।

–कैलाश चंद्र भाटिया नंदन, भारती नगर, मैरिस रोड, अलीगढ़- 202 001

'राजभाषा भारती' त्रैमासिक पत्रिका का अंक 116 प्राप्त हुआ। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की यह पत्रिका हिंदी के समुचित विकास तथा प्रचार-प्रसार की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रही है। पत्रिका में प्रकाशित तकनीकी लेख एवं अन्य सामग्रियां पाठकों को जहां एक ओर सरकारी कार्यालयों में होने वाले हिंदी कार्यक्रमों की जानकारी से अवगत कराती हैं, वहीं उन्हें हिंदी में कार्य करने हेतु प्रेरित भी करती है। पत्रिका में प्रकाशित विभिन्न विषयों की उत्कृष्ट रचनाएं पठनीय एवं उपयोगी होती हैं।

साहित्यिक रचनाओं का समावेश प्रभावित करने वाला है। वैसे, साहित्य की अन्य विधाओं की रचनाएं भी पर्याप्त संख्या में दी जाएं तो पत्रिका की सुन्दरता में चार चाँद लग जाएंगे। 'राजभाषा भारती' उत्तरोत्तर प्रगति करे, और सफलता की सीढ़ियां चढ़े, इसी कामना के साथ।

–मोहम्मद मुमताज हसन (कवि/लेखक), द्वारा डॉ. मानो बाबू रिकाबगंज, टिकारी, गया (बिहार)-824 236

राजभाषा भारती का 116वां अंक पढ़कर मन अभिभूत हो गया। यह पत्रिका पठनीय सामग्री से सरोबार रहती है एवं इसकी हमें आगामी अंक की प्रतीक्षा कुछ इस तरह रहती है जैसे सुबह के दैनिक समाचार की रहती है। प्रशासनिक कॉलम में 'एक सच्चा एवं आदर्श सभ्य लोक सेवक' लेख ने ठीक उसी तरह झकझोरा जिस तरह जलते हुए कोयले पर जमी राख को थोड़ा-सा टिपोरने से आग पुनः दमकने लगती है। राष्ट्रभाषा के रूप में 'हिंदी की वास्तविकता' दिल की गहराइयों तक छू गई।

पूरा अंक संग्रहणीय एवं पठनीय है, जो हिंदी जगत में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करता है।

पूर्ण पत्रिका में विषयों की विविधता जैसे–चिंतन–प्रशासनिक–साहित्यिकी–पुरानी यादें– आर्थिक-भूगोलिक आदि के माध्यम से प्रस्तुतीकरण से कुशल संपादन की आभा झलकती है। ऐसे उपादेयपूर्ण संकलन के लिए आप और आपके सहयोगीजनों को बधाई। आगे भी ऐसी कृपा बनाए रखें और इसी अपेक्षा के साथ कि अगला अंक यथाशीघ्र पढ़ने का सौभाग्य मुझे और मेरे प्राधिकरण परिवार को प्राप्त होगा।

सादर,

–ओम प्रकाश वर्मा, हिंदी अनुवादक
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण
स्कीम-74 सी, 113 बी. जी. विजय नगर, इन्दौर

राजभाषा भारती अंक 116 में काफी उपयोगी सामग्री संकलित है । बधाई।

–के. जी. बाल कृष्ण पिल्लै, गीता भवन, पेरूरकटा–पो.,
तिरुवनन्तपुरम-695005

राजभाषा भारती अंक 115, में शामिल लेख काफी सुरुचिपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक हैं । जन कवि नागार्जुन पर नोतन लाल जी ने अच्छा विमर्श किया है। उनकी कविताओं में सरलता एवं तरलता है जो उन्हें लोकप्रिय बनाती है। चिंतन स्तंभ में डा. एम. शेषन एवं नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी ने बड़े मनोयोग से लिखा है। तकनीकी आलेख जहां सूचनाप्रद एवं ज्ञानवर्धक हैं वहीं संस्कृति स्तंभ में विरासत पर रचनाकारों ने पैनी नजर डाली है।

–ललन चतुर्वेदी, केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
नगड़ी, रांची-835303

राजभाषा भारती का हर अंक पठनीय तथा स्तरीय है। कई प्रकार की जानकारी मिलती है। पत्रिका आते ही यहां के वाचनालय में रखी जाती है। कर्मचारी-गण पढ़कर लाभ उठाते हैं। पत्रिका भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी छपने वाली उच्चस्तरीय पत्रिकाओं के साथ भी होड़ लेने की क्षमता रखती है। साज-सज्जा की दृष्टि से पत्रिका अच्छी है।

–रा. स्वामीनाथन, हिंदी शिक्षक, 'स्वागतम', 14/8, राजेश्वरी नगर,
मयिलाडुतुरै-609001

राजभाषा भारती अंक 115 में प्रकाशित सभी लेखों के चयन में आपके कुशल संपादन की क्षमता की झलक मिलती है। सभी रचनाएं बेजोड़ हैं। इस पत्रिका के सभी अधिकारी, विद्वान आचार्यगण ऐसे स्तरीय लेखकों को भेजने के लिए बधाई के पात्र हैं। निश्चित ही किसी भी पत्रिका को स्तरीय, मूल उपयोगी व महत्वपूर्ण बनाने में विशेष रुचि व सहयोग का बहुत बड़ा स्थान है। प्रशासक, संपादक, लेखक, वितरक व पाठक अगर इन पांचों के विधान सही दिशा में हो तो किसी भी पत्रिका के स्तरीय होने में कोई रुकावट नहीं आ सकती और कहना असंगत न होगा कि दैव सहयोग से इस पत्रिका को आगे बढ़ाने के लिए यह पांचों प्रकार के लोग अपने-अपने स्तर से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चिंतन स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित आलेख जहां गम्भीर और उच्च कोटि के हैं वहीं ''साहित्यिकी'', ''पुरानी यादें-नए परिप्रेक्ष्य'' के अंतर्गत प्रकाशित सामग्री अंक की विशिष्टतम उपलब्धि है। अन्य स्तंभ भी उपयोगी हैं।

–डॉ० चंद्रशेखर तिवारी द्वारा डॉ. विवेकीरॉय मार्ग, बड़ी बाग,
लंका गाजीपुर-233 001

राजभाषा भारतीय 115 (अक्तूबर-दिसंबर, 2006) में डॉ० पन्नाप्रसाद का लेख ''तुलसी भाषा के आदर्श थे बाल्मीकि एवं हनुमान जी'' एवं ''छायावाद की अखण्ड ज्योति महादेवी'' लेख पसंद आया तथा डॉ० देशराज द्वारा लिखित ''एड्स-जानकारी एवं विचार'' जैसे लेख ऐसे भयानक रोगों से बचाने में सहायक होंगे।

–डॉ० गोविंद पाठक, टंडन बिल्डिंग, दमोह,
मध्य प्रदेश-470 661

राजभाषा भारती अंक 117 प्रौद्योगिकी विशेषांक संग्रहणीय है। आपका प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय है क्योंकि हिंदी भाषा में तकनीकी रचनाएं ज्यादा-से-ज्यादा प्रकाशित होनी चाहिएं। 2020 में भारत महासत्ता बनने जा रहा है। इसलिए आम जनता की भाषा में विज्ञान को लोकप्रिय बनाना हमारा कर्त्तव्य है। इस अंक में श्री केवल कृष्ण का लेख ''कम्प्यूटर पर हिंदी भाषा संसाधन के लिए यूनी कोड का प्रयोग'', डॉ० जयंती प्रसाद का लेख ''सूचना, प्रौद्योगिकी, कोर और इंटरफेस की भाषिक स्थिति'', श्री आभास मुखर्जी का आलेख ''कमाल का है ब्लूटुथ टेकनॉलोजी पठनीय एवं जानकारी पूर्ण है। प्रौद्योगिकी विशेषांक के इस महत्वपूर्ण प्रकाशन के लिए संपादक टीम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई।

–विजय प्रभाकर कांबले, राजभाषा अधिकारी, बी.एस.एन.एल. टेलीफोन भवन,
अहमदनगर-414 001

MGIRPRRND—4437 HA/2007—5,000

हिंदुस्तान लैटेक्स लिमिटेड द्वारा तिरुवनन्तपुरम में आयोजित हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह में केरल के माननीय उद्योग मंत्री श्री एलमरम करीम उद्घाटन भाषण देते हुए ।

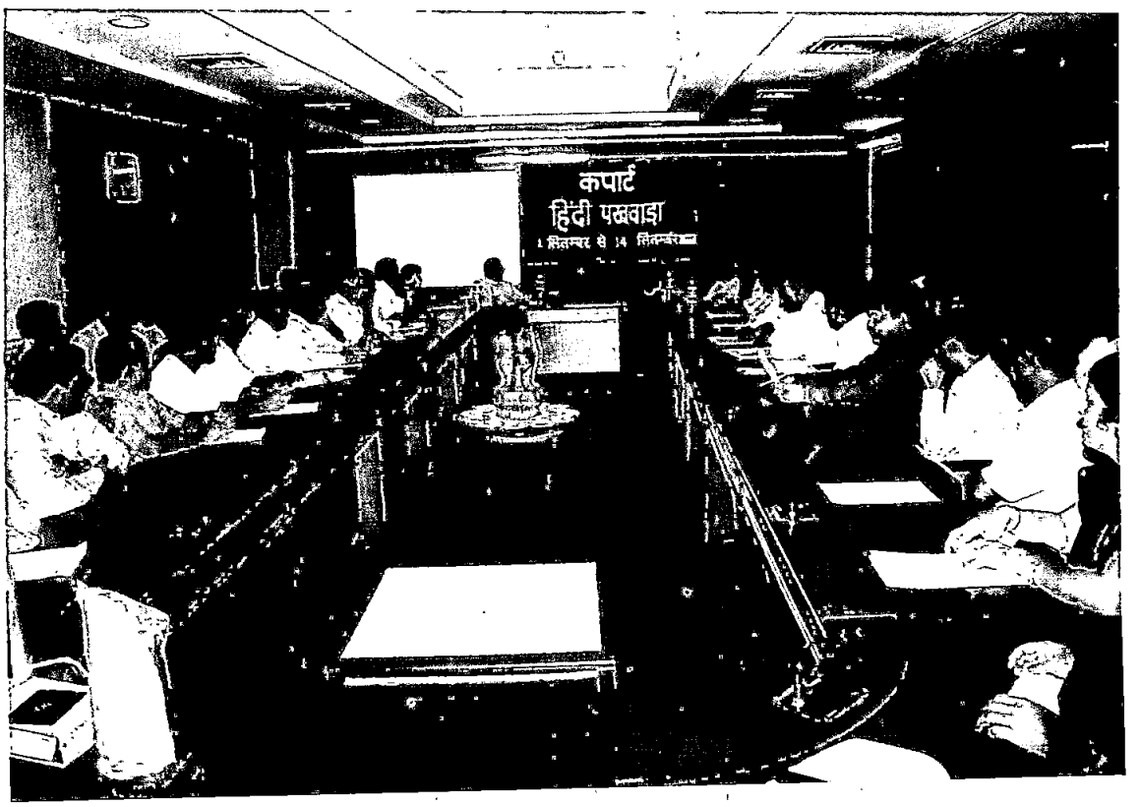

लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट) द्वारा भारत पर्यावास केन्द्र, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी दिवस तथा हिंदी कार्यशाला की एक झलक ।

पं. सं. 3246/77
आई एस एम एन 0970-9398

सत्यमेव जयते

शिवराज पाटील
SHIVRAJ V. PATIL
गृह मंत्री, भारत
HOME MINISTER, INDIA

प्रिय देशवासियों,

हिंदी दिवस के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं!

पिछले वर्ष हिंदी दिवस को वाणी-पर्व दिवस की संज्ञा देते हुए मैंने उस पर विचार-विमर्श करने का आह्वान किया था। मैंने चर्चा की थी कि वाणी-पर्व का दिवस अपने-आप में अनूठा है क्योंकि वाणी राष्ट्र की आत्मा है। वाणी ही हमें भारतीय होने की पहचान देती हैं। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी ने स्वतंत्रता आंदोलन में प्राण फूंक कर अपना महत्व प्रदर्शित किया है परंतु आज राजभाषा के रूप में हम सबको उसके माध्यम से जन-आकांक्षाओं की पूर्ति करके हिंदी को जन-जन में प्रचलित करना है। मैंने हिंदी के प्रति सभी का अपार प्रेम और उत्साह देखा है, इसलिए हिंदी के प्रचार-प्रसार में हम सभी का योगदान महत्वपूर्ण होगा।

हमारा लक्ष्य और प्रयास दोनों राजभाषा हिंदी में सरकारी कामकाज करने का है। इसके लिए आप सबका सौहार्दपूर्ण सहयोग हमारे प्रयासों को एक नई दिशा देते हुए सफल करेगा। केंद्र सरकार के कार्यालयों में अब हिंदी में काम उत्साहपूर्वक किया जा रहा है और मेरा विश्वास है कि आप सबके लगनपूर्वक कार्य करते रहने से हम अपने गंतव्य तक शीघ्र पहुंचने में सफल होंगे।

आज वैश्वीकृत और उदारीकृत अर्थव्यवस्था ने भाषाओं का महत्व उजागर कर दिया है। हिंदी भी विश्व की कुछ प्रमुख भाषाओं में से एक है। इसलिए भारत को जानने-समझने वालों के अलावा आज व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र के लोग भी हिंदी सीख रहे हैं। ऐसे दौर में हमारे लिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दें। इससे हम सभी लाभान्वित होंगे।

अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी से उबरने के लिए ज्ञान का प्रसार आज की अहम् जरूरत है। ज्ञान ही अंततोगत्वा धन-दौलत में बदलता है। आज सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण, कृषि, इंजीनियरी, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे अनेक क्षेत्र हैं, जिनमें हमें महारत हासिल है। इन क्षेत्रों में हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने समय-समय पर पुरस्कार योजनाएं लागू की हैं। लेखक और प्रकाशक आधुनिक ज्ञान को सभी भारतीयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं और भारत को एक महान शक्ति बनने में अपना योगदान दे सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा को भावात्मक अखंडता के माध्यम से सुदृढ़ करने के लिए 13 से 15 जुलाई, 2007 के दौरान 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका विषय "विश्व मंच पर हिंदी" था। विश्व में हिंदी भाषा की लोकप्रियता और महत्व पर प्रकाश डालने के लिए इस सम्मेलन ने हिंदी भाषा की सारगर्भिता और सृजनात्मकता को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है।

केंद्र सरकार ने राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए बनाए गए वार्षिक कार्यक्रम को एक व्यावहारिक रूप प्रदान किया है। इससे केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को अधिक बढ़ावा मिलेगा और इसकी उत्तरोत्तर प्रगति होगी। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों से मेरा आग्रह है कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में हिंदी का प्रयोग कर जनता की और भलीभांति सेवा करें।

हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारी योग्यता में विश्वास करके जो जिम्मेदारी हमें सौंपी है उसे निभाने में राजभाषा हिंदी बखूबी सक्षम है। आइए, हम सब मिलकर यह सिद्ध करें कि राजभाषा हिंदी जन-जन की भाषा बनकर देश की प्रगति में अपना योगदान देगी।

जय हिंद,

नई दिल्ली
14 सितंबर, 2007

2007

जय हिन्द

शिवराज (वि. पाटील)

भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 के लिए शान्ति कुमार स्याल, सहायक संपादक द्वारा प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित ।